(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 5

गुरुवार,

30 मार्च, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर।

अप्रवासी भारतीयों को आवास सुविधा

127. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रवासी भारतीयों को कर्नाटक राज्य की भांति राजस्थान में आवास उपलब्ध कराने हेतु क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक अन्तिम रूप दिया जाकर क्रियान्वित किया जायेगा ?

(2) क्या सरकार इस प्रकार की कोई योजना भविष्य में अप्रवासी भारतीयों के लिए, जो राजस्थान में आवास चाहते हैं, बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) इस तरह की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) भविष्य के लिए भी इस प्रकार की कोई योजना बनाने का विचार नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहूंगा कि कर्नाटक के सम्बन्ध में मेरी जानकारी अखबारों पर आधारित है लेकिन अप्रवासी भारतीयों को अपने काम धन्धे के लिए, उद्योगों के लिए और हमारे राज्य के बाहर जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं उनको जिस तरह से राजस्थान वापस आने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग राजस्थान में, खास करके जयपुर में अपना मकान बनाना चाहते हैं उनके लिए कोई योजना सरकार को बनानी चाहिये ताकि हमें पैसा भी मिले और उस योजना की मार्फत उन लोगों को राहत भी मिले जिनको अपना प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव हमारे गुर्जर साहब ने दिया है इसी सन्दर्भ में मैं कुछ

(2)

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

कहना चाहता हूं। अहमदाबाद के पास भी बहुत बढ़िया एक ऐसी ही स्कीम बनी है पर यह प्राइवेट आदमियों ने ही बनायी है (व्यवधान) मैं आ रहा हूं। प्रश्न पर आ रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या सुझाव दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्टेड प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य। पाइण्टेड प्रश्न, नो भाषण।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : प्राइवेट सैक्टर के अन्दर दिया है। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं और यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि यह प्राइवेट सैक्टर ही करे तो ज्यादा अच्छा है और उनको सहयोग मिलना चाहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : क्या बहुमूल्य सुझाव मिल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने प्रश्न किया, कर्नाटक राज्य में क्या योजनाएं हैं। यह आपने इसमें लिखा था। हमने कर्नाटक स्टेट से पता किया है, उन्होंने पत्र में यह बताया है, The Chief Engineer & Secretary, Karnataka Housing Board were contacted on telephone who informed that there is no scheme for non--resident Indians in karnataka Housing Board. Similarly, from an inquiry from Bangalore Development Authority, it was gathered that there is no scheme for non-resident Indians. Shri Vasudevan, Principal Secretary, Urban Development & Housing, Government of karnataka informed that there is no scheme for non--resident Indians for housing in the State of karnataka. तो वहां कोई स्कीम, जैसा मैंने आपसे अभी कहा था, है क्या ? वहां कोई स्कीम है नहीं। हाउसिंग बोर्ड तो यहां अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए बनाता है बाकी जो जमीन यहां नीलाम होती है, बिकती है, उनको खरीदने में तो कोई पाबन्दी है नहीं। विदेशी, अप्रवासी भारतीय वहां खरीदकर बना सकते हैं। उसमें उनको सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। हाउसिंग बोर्ड इस काम को करने के लिए अभी तैयार नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अलग से कोई योजना बनायें और लोगों को आमंत्रित करें कि जयपुर में यह स्कीम है, आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, धनखड़ साहब।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : क्योंकि आपको याद होगा कि एशियाड में खेल ग्राम बना था वह पूरा का पूरा खेल ग्राम एन. आर. आई. को आफर कर दिया दिल्ली में और काफी लोगों ने उसका लाभ उठाया। इसी तरह राजस्थान में जो लोग आना चाहते हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं या दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं उनके लिए कोई योजना

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

बनाइये। अगर कर्नाटक में नहीं है तो आप लीड करिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह अहम प्रश्न इसलिए है कि जिन लोगों की जन्मभूमि राजस्थान है उनकी कर्मभूमि देश के अन्य बड़े स्थानों में हो गयी या विदेशों में हो गयी। इन लोगों के पास भारी आर्थिक ताकत है और अगर इसका उपयोग राज्य के हित में नहीं होता है तो मैं समझता हू कि कहीं न कहीं राजनीतिक सोच में कमी है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब पूंजी निवेश की इतनी बड़ी संभावनाएं हैं, जब अप्रवासी भारतीय, जो राजस्थान के बाहर हैं और विदेशों में हैं, राजस्थान में आने के लिए लालायित हैं और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विदेशों में जगह-जगह जाकर, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने जगह-जगह जाकर इस प्रकार की बात कही है तो सरकार को निश्चित रूप से इस बारे भी विचार-विमर्श कर एक नीति जारी करनी चाहिये कि अप्रवासी भारतीयों को यहां एक स्पेशल स्कीम के जरिये बुलाया जायेगा। उनके आने का अर्थ, उपाध्यक्ष महोदय, यह होगा कि राज्य में अरबों रुपयों का पूंजी निवेश होगा। माननीय मंत्रीजी ने जो कहा कि इस प्रकार के विचार की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है, माननीय मंत्री महोदय यदि जानना चाहते हैं तो दिल्ली के आस-पास विशेषकर हरियाणा में अप्रवासी भारतीयों के लिए अरबों का खर्चा कर योजनाएं बनायी जा रही हैं और वहां पूंजी निवेश हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, विशेषकर सदन के नेता से अनुरोध है कि वह इस बारे में एक नीतिगत निर्णय लेकर चुम्बकीय तरीके से अप्रवासी भारतीयों के धन को राज्य के हित में आकर्षित करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में मकान बनाकर देने के लिए एक संस्था हाउसिंग बोर्ड है। हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत जो योजनाएं हैं वह ऐसे लोगों के लिए हैं जो स्वयं अपने खर्चे पर मकान नहीं बना सकते, एक साथ पेमेण्ट नहीं कर सकते। उन्हीं की योजना बनी हुई है और उसके अन्तर्गत इनके लिए अभी कोई नहीं है हमारे पास।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): चाहो तो बना सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जैसा मैंने निवेदन किया है कि वह स्वयं जमीन खरीदकर मकान बनायें उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। उसमें उनको जो मदद होगी वह हम जरूर कर देंगे। (व्यवधान) अभी कोई योजना है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीचन्द जी।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

(4)

राज्य में संचालित अवैध वाहनों की रोकथाम

128. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बिना राजकीय स्वीकृति प्राप्त किये निजी वाहन यात्रियों को लाने ले जाने में लगे हुए हैं ?

(2) क्या सरकार इन वाहनों को नियमित वैधानिक रूप से चलाने के लिए अनुमति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में अवैध वाहनों की रोकथाम के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये ?

(4) क्या यह सही है कि अवैध वाहनों का चलन पुलिस एवं यातायात विभाग की मिलीभगत के कारण होता है ? यदि नहीं, तो अवैध वाहनों का चलन बन्द क्यों नहीं होता ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री रोहिताश्व) : (1) व (2) बिना राजकीय स्वीकृति (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त किये निजी वाहनों द्वारा यात्रियों को लाने-ले-जाने पर समय-समय पर चैकिंग के दौरान ऐसे वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। नियमानुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर वाहन संचालन में कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है।

(3) व (4) सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अपराध के लिए प्रशमन राशि में माह जून, 94 से वृद्धि की गयी है। वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के उद्देश्य से सम्भागीय आयुक्त, उप महानिरीक्षक पुलिस, जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों को सख्त कार्यवाही करने हेतु प्रेरित करने एवं सहायता देने हेतु निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 94-95 में नवम्बर, 94 तक कुल 1, 21, 276 वाहन चैक किये गये जिनमें से अवैध रूप से चलते पाये गये 33,627 वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार चालान किये गये। 6,494 वाहन सीज किये गये तथा ऐसे वाहनों से कर एवं कम्पाउण्डिंग राशि के रूप में 496.48 लाख रुपये वसूल किये गये।

श्री गोपीचन्द : अवैध वाहनों को कब तक बन्द करने की व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री रोहिताश्व : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अवैध वाहनों के संचालन में जो चिन्ता व्यक्त की है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने 6-7 महीनों से लगातार प्रयत्न किये हैं। प्रतिपक्ष और पक्ष के माननीय सदस्यों को सचिवालय में एक उच्च स्तरीय मीटिंग में बुलाकर इस समस्या के समाधान के लिए सभी से सुझाव लिये। माननीय रामनारायण जी, विष्णु मोदी जी, गोविन्द सिंह जी, हरिसिंह जी कुम्हेर व पक्ष की ओर से भी काफी सदस्य उसमें उपस्थित थे। इस व्यवसाय से जुड़े हुए सारे ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के पदाधिकारी, इस विभाग से जुड़े हुए एक्स-मिनिस्टर और अधिकारी भी उसमें उपस्थित थे। सबसे एक आम राय जानने

(श्री रोहिताश्व)

की कोशिश की और उन सबके अच्छे-अच्छे सुझाव भी आये । इस सम्बन्ध में, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है, एक ट्रांसपोर्ट पालिसी बनायी जा रही है । इन सारे सुझावों को इकट्ठा करके जनहित में यात्रियों को सुविधा मिले और सरकार को कर मिले, एक ऐसी योजना तैयार की जा रही है ।

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं । हम चाहे किसी से भी राय लें लेकिन जिम्मेदारी सरकार और मंत्री की है कि अवैध वाहनों को रोकने की तुरन्त गति से व्यवस्था की जाए क्योंकि अवैध वाहनों के बहाने से सैंकड़ों दुर्घटनाएं और मौतें हो रही हैं, राजस्व का सरकार का भारी नुकसान हो रहा है । हमारे सामने-सामन जब इतना अवैध काम हो रहा है फिर कानून-व्यवस्था और दायित्व कहां चला जाता है । हम स्पष्ट करना चाहते हैं. जवाब मांगना चाहते हैं कि ये अवैध वाहन किस तारीख तक राजस्थान के अन्दर बन्द किये जा सकते हैं । हम टालमटोल के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हैं ।

श्री रोहिताश्व : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया इस सम्बन्ध में सबसे पहले मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में प्रतिदिन करीब 18 से 20 लाख यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर सफर करते हैं । वर्तमान में जो हमारी व्यवस्था है, हमारे पास रोड्वेज में अनुबंधित बसों सहित करीब 4400 और कुछ बसें हैं जो कि 8–9 लाख के लगभग यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं । बाकी जो यात्री बचते हैं उस सम्बन्ध में राजस्थान परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है । एक साथ इस समस्या के समाधान के लिए कम से कम 5 हजार बसों की और आवश्यकता है (व्यवधान) सुन तो लो, बात तो सुन लो ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी को कम्प्लीट करने दो, मंत्रीजी तो पूरा कर लें ।

श्री रोहिताश्व : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट कैरिज परमिट पर....

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो पूरा सुन लीजिये । माननीय सदस्य, मंत्रीजी का जवाब हो रहा है, आप बिराजें ।

श्री रोहिताश्व : माननीय सदस्य, जरा सुन तो लें ।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : मंत्रीजी का जवाब तो सुन लो ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब हो रहा है । आप बिराजें ।

श्री रोहिताश्व : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्द सिंह जी (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब पूरा सुन लीजिये उसके बाद आप क्वेरी कर लीजिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : मंत्री महोदय ने कह दिया हम कुछ कर नहीं सकते, रोडवेज के पास बसें नहीं हैं, इसलिए उनको खुली छूट दे रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा जवाब तो सुनें।

श्री रोहिताश्व : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या कोई आज की पैदा की हुई नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरा प्रश्न पूरा हो जाए उसके बाद आप दूसरे सदस्यों को मौका दीजिये।

श्री रोहिताश्व : माननीय गोविन्दसिंह जी गुर्जर, माननीय रामनारायण जी ने भी बताया है, जब इनसे हमने सुझाव आमंत्रित किये। इसमें कुछ कानूनी अड़चने हैं। माननीय न्यायालय का जो स्थगन आदेश है और जो गाड़ियां सीज करते हैं उनको नैक्स्ट-डे छोड़ देते हैं। कई तरह की कानूनी पेचीदगियां हैं। रोडवेज की स्कीम्स भी हैं। इन सबको मद्देनजर रखकर जब तक एक पालिसी नहीं बन जायेगी उसको रोक पाना और निश्चित तारीख देना मुमकिन नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : पालिसी कौन बनायेगा ?

श्री रोहिताश्व : पालिसी हम बनायेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : पालिसी बनेगी जब तक तो यह सरकार चली जायेगी। ढाई साल पूरे होने वाले हैं। इसलिए पालिसी (व्यवधान) इसको मत कहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार के पास....

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब देने के बावजूद भी थे सन्तुष्ट कोनी, थे सन्तुष्ट कोनी हो सको।

श्री गोपीचन्द : माननीय महोदय, जब तक सरकार के पास अपनी रोडवेज बसों की व्यवस्था नहीं है क्या प्राइवेट बसों को प्राथमिकता के आधार पर परमिट देकर यह व्यवस्था नहीं की जा सकती ताकि अवैध वाहनों को रोक दिया जाय ? मैं समझता हूं कि प्राइवेट वाहन अपने आप अवैध वाहनों को नहीं चलने देंगे यदि उनको परमिट मिल जाता है तो।

दूसरा, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट वाहनों को पकड़ने पर सरकार जो कार्यवाही करती है इसको क्या नॉन-बेलेबल आफेंस बनाने का विचार रखती है ?

श्री रोहिताश्व : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोटर व्हीकल एक्ट चूंकि भारत सरकार बनाता है और भारत सरकार ने जो हमको अधिकार दिये हुए हैं उनके तहत माननीय गोविन्द सिंहजी गुर्जर ने अपने सुझाव में यह बताया था, 28 पर्सेण्ट

(श्री रोहिताश्व)

रोडवेज में कवर–अप किया हुआ है टोटल रूट्स का और रेस्ट के लिए प्राइवेट स्टेट कैरिज परमिट हमने दिये हैं। इसमें एक मुश्किलात हमारी यह है कि 28 पर्सेण्ट की जो स्कीम थी, बड़े-बड़े रूट्स सारे इसमें कवर अप हो गये और जो स्टेट कैरिज के थे वह छोटे-छोटे रह गये। अब ऐसी स्थिति में जो यात्री भार बढ़ गया उसको रोडवेज नहीं ले सकती। इसलिए माननीय सदस्यों का सुझाव था कि 40--50 किलोमीटर और कवर किया जाय, नेशनल स्कीम में कुछ परिवर्तन किया जाय। यह सुझाव हमने लिये हैं उन पर शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। आपने तीन बार पूछ लिया है। Now I will not allow you.

श्री गोपीचन्द : मंत्रीजी के उत्तर से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। अवैध वाहन बसों के आगे--आगे चलते हैं और सरकारी रोडवेज खाली चलती हैं। अवैध वाहनों से चौथ वसूल किया जाता है। राजस्थान पुलिस का कर्मचारी अन्वेषण करने के बजाय अवैध वाहनों से चौथ वसूल करने के लिए चौराहे पर खड़ा रहता है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री गोपीचन्द : मैं माननीय मंत्री महोदय के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं। मुझे व्यवस्था चाहिए कि अवैध वाहन कब तक बंद हो सकते हैं। हम अवैध वाहनों को किसी कीमत पर बरदास्त नहीं करना चाहते। यह व्यवस्था स्पष्ट करके जवाब देंगे तो....(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। आपने तीन सप्लीमेण्ट्री कर लिये, अब बिराजिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछ रहा था मैं कि भरतपुर से जयपुर एक दर्जन कांट्रेक्ट कैरिज बसेज डेली पेसेन्जर्स उठाती हैं, रास्ते में वे स्टेट कैरिज की तरह काम करती हैं, क्या उनको आप अवैध वाहन मान कर रोक नहीं सकते ?

श्री रोहिताश्व : अवैध वाहन की हम भी समय-समय पर चैकिंग करते हैं, रोकते हैं। ऐसी बात नहीं है। इस साल हमने.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री रोहिताश्व : रिकार्ड तोड़कर वसूली की है और पिछले सारे वर्षों का रिकार्ड तोड़कर हमने इस साल चैकिंग करके जुर्माना वसूल किया है।

श्री गोपीचन्द : मैं मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य I will not allow you, बैठिये आप। बैठ जाइये।

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सन्तुष्ट नहीं हूं, व्यवस्था दिलाये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको तीन सप्लीमेंट्री अलाउ कर दिये। (व्यवधान) श्री भीमसेन चौधरी।

श्री गोपीचन्द : मुझे संतुष्ट किया जाय। यह मेरा वैधानिक अधिकार है। डिप्टी स्पीकर, मैं मेरे वैधानिक अधिकार को किसी दबाव में आकर के नहीं छोड़ सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भीमसेन जी।

श्री गोपीचन्द : इसलिए डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे व्यवस्था दी जाय, अवैध वाहन किसी भी तरीके से नहीं चले.........।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही से निकाल दो आप, कोई शब्द नहीं छपेंगे।

श्री गोपीचन्द : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही से निकाल दीजिये इसको।

श्री गोपीचन्द : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : सरकार मिली-भगत से घोटाले कर रही है। वे कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी मीणा।

मेरा प्रश्न संख्या 129।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भीमसेनजी।

मुक्ता प्रसाद नगर (बीकानेर) छत्तरगढ़ मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र हेतु भू–अवाप्ति

129. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रीको द्वारा मुक्ता प्रसाद नगर के उत्तर व डाइट संस्थान के दक्षिण में बीकानेर–छत्तरगढ़ सड़क के समानान्तर करीब 181 बीघा जमीन उद्योग के लिए अवाप्त करना प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सही है कि यह प्रस्तावित स्थान मुक्ता प्रसाद नगर के अत्यन्त निकट व 3000 फीट की सीमा में है जो पर्यावरण की दृष्टि से जनस्वास्थ्य के (नार्म्स) के विरुद्ध है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रस्तावित स्थल से उत्तर की तरफ हनुमानजी का मन्दिर आमने-सामने व प्याऊ से पूर्व में पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है जहां औद्योगिक क्षेत्र निर्विवाद रूप से स्थापित किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या रीको प्रशासन इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि मुक्ता प्रसाद नगर सेवा समिति, बीकानेर ने रीको प्रशासन का ध्यान इस समस्या की तरफ आकर्षित किया है ? यदि हां, तो आबादी से 3000 फीट दूरी के (नार्म्स) को ध्यान में रखते हुए क्या रीको प्रशासन इस

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भीमसेन चौधरी)

प्रस्तावित स्थल को आगे निर्विवाद स्थल पर ले जाने को तैयार है ?

उप मुख्यमंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है :–

(1) रीको द्वारा मुक्ता प्रसाद नगर एवं डाइट संस्थान के मध्य 182.2 बीघा भूमि औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल के तृतीय चरण के विस्तार हेतु अवाप्त की गई है। इसमें से 155.12 बीघा भूमि का कब्जा रीको को प्राप्त हो गया है।

(2) यह भूमि पूर्व स्थापित औद्योगिक क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए अवाप्त की गई है और बीकानेर शहर के मास्टर प्लान में यह भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मुक्ता प्रसाद नगर और औद्योगिक क्षेत्र के लिए अवाप्त भूमि के मध्य होकर रेलवे लाइन गुजर रही है। अतः इस औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार में पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य सम्बन्धी किसी नार्म्स का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(3) पूर्व में रीको प्रशासन के सामने इस भूमि की अवाप्ति का कोई विरोध नहीं किया गया था और न ही राजकीय भूमि बाबत कोई सुझाव प्राप्त हुए और अब औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा इसमें 155 बीघा 12 बिस्वा भूमि का कब्जा भी रीको द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। अतः औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संदर्भ में पुनर्विचार करना सम्भव नहीं है।

(4) मुक्ता प्रसाद नगर सेवा समिति, बीकानेर द्वारा इस सम्बन्ध में रीको प्रशासन का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। हालांकि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर समिति के सचिव द्वारा अवाप्ति के विरुद्ध अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, बीकानेर से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 9-2-95 को खारिज किया जा चुका है। समिति के सचिव द्वारा जिला न्यायाधीश, बीकानेर के न्यायालय में अपील की गई है। जिसका जवाब तहसीलदार, बीकानेर एवं रीको द्वारा दिया जा चुका है। दावे की आगामी सुनवाई न्यायालय द्वारा दिनांक 4-4-95 को नियत की गई है। मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

श्री भीमसेन चौधरी : क्या यह सही है कि आपके जन स्वास्थ्य के नार्म्स के मुताबिक न करके जो आबादी है उस आबादी के बिलकुल नजदीक यह स्थापित किया जा रहा है और यह जन-स्वास्थ्य के विपरीत है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, इस जमीन के पूर्व में पहले से ही एक ज़मीन पर रीको का औद्योगिक क्षेत्र विकसित है और उसके लगते ही टाउन प्लानिंग में इस जमीन को कजरी जमीन लिखा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए ही वह सुरक्षित है

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

इसलिए इसमें किसी प्रकार के नार्म्स का कोई भी ब्रीच नहीं हुआ है।

श्री भीमसेन चौधरी : यह जो आबादी क्षेत्र है उसके बिलकुल नजदीक स्थापित किया जा रहा है जबकि नार्म्स के मुताबिक पर्यावरण की दृष्टि से कम से कम तीन हजार फीट की दूरी होनी चाहिए। क्या यह तीन हजार फीट की दूरी के अन्दर नहीं है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : असलियत तो यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस मुक्ताप्रसाद कालोनी की बात कर रहे हैं वह अभी तक डवलप हुई ही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह हाउसिंग बोर्ड के सोच की बात है जो कालोनी डवलप ही नहीं हुई है उसको डवलप करते समय इस बात का ध्यान रखे कि औद्योगिक क्षेत्र से कितनी दूरी हो। उसके अलावा भी मुक्ताप्रसाद कालोनी की अभी जमीन है उसके पास में ही जमीन हाउसिंग बोर्ड की पड़ी हुई है जो पीछे की साइड जा सकती है और इससे दूर हो सकती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि मुक्ताप्रसाद कालोनी पहले से ही ईयरमार्क्ड है और टाउन प्लानिंग में उसको आबादी के लिए आपने ले रखी है और रीको अब डाल रहा है। तो पहले आप हटायेंगे या वह हटायेंगे ? आप वहां क्यों डाल रहे हैं जबकि पर्यावरण की दृष्टि से आपत्तिजनक है। आपने अगर पर्यावरण विभाग से प्रमाण पत्र ले लिया है कि पर्यावरण के हिसाब से ठीक है तब तो ठीक है। लेकिन पर्यावरण की समस्या वहां पर है तो आप यह नई समस्या क्यों पैदा करना चाहते हैं ?

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल और साथ में है, आप जवाब दे दें। जैसे मान लें कि आपने 182 बीघा जमीन एक्वायर की और कब्जा आपने अभी तक 155 बीघा का लिया है, अब जो बाकी की जमीन बची है क्या इस आबादी और औद्योगिक क्षेत्र के बीच की है और क्या आप उसको छोड़ सकते हैं ताकि इस समस्या का भी समाधान हो जाय और आपका औद्योगिक क्षेत्र भी बन जाये ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामनारायणजी ने जो सवाल किया है, वास्तव में तो माननीय सदस्य ने यह मांग की है कि वहां पर जो सरकारी जमीन है उस जमीन को लेकर इस जमीन को छोड़ा जाय। वस्तुस्थिति यह है कि जो सरकारी जमीन है वह टाउन प्लानिंग में ग्रीन बैल्ट है तो पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यकता यह है कि ग्रीन बैल्ट को बचाया जाय। उस ग्रीन बैल्ट को बचाने के लिए यह जमीन हमने ली है। इसलिए पर्यावरण पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। माननीय श्री हरजीरामजी ने पूछा है शायद वह इसका नक्शा देखें तो पता चलेगा कि जमीन आगे पीछे नहीं है, जमीन एक साथ है। इसलिए पूरी की पूरी जमीन और मुक्ताप्रसाद कालोनी के बीच में रेलवे लाइन है। वह आगे पीछे नहीं है कि आप वह ले लीजिये और इसको छोड़ दीजिये। यह तो पूरी की पूरी जमीन इसमें ही आयेगी।

श्री भीमसेन चौधरी : यह तो आप 130 बीघा जमीन कम कर सकते हैं। कम करके आगे ले सकते हैं चाहें तो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वैसे इस संबंध में, क्योंकि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, न्यायालय जो फैसला करेगा हम मान्य करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

जिला सवाई माधोपुर की सेवा सहकारी समितियां

130. **श्री रामस्वरूप** (टोड़ाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कुल कितनी सेवा सहकारी समितियां हैं तथा उनमें कौन-कौन व्यवस्थापक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इनमें से किसी व्यवस्थापक के विरुद्ध कभी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या बागोर (नादौती) सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के खिलाफ कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन समितियों द्वारा वर्ष 1993-94 में कितनी राशन सामग्री वितरित की गई एवं क्या सभी सामग्री राशनधारी उपभोक्ताओं को ही वितरित की गयी ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजानसिंह यादव) : (1) जिला सवाईमाधोपुर में 245 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। समितियों में लगे हुए व्यवस्थापकों की सूचना संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विभिन्न व्यवस्थापकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं तत्सम्बन्धी की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(4) इन समितियों द्वारा वर्ष 1993-94 में 173.19 लाख की राशन सामग्री वितरित की गयी है। सभी सामग्री राशनधारी उपभोक्ताओं को ही वितरित की गयी है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न संख्या-1 का जो उत्तर दिया है उसके बारे में, स्पष्ट पूछना चाहूंगा कि इन समितियों में कितनी समितियां चालू हैं और कितनी बन्द पड़ी हैं ? अगर यह सही है तो फिर व्यवस्थापकों को वैसे ही वेतन क्यों दिया जा रहा है ? कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां रुग्ण अवस्था में हैं और कितनी स्वस्थ हैं ? तीसरा मेरा निवेदन है, कृपया यह भी बतायें कि जो सहकारी समितियां चालू हालत में हैं उनमें कितनी लाभ अर्जित कर रही हैं और कितनी घाटे में जा रही हैं ?

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के खण्ड-1 में यह बताया है कि 245 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। बन्द का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा, हमने आपके सामने लाभ-हानि

(श्री सुजानसिंह यादव)

का विवरण भी प्रस्तुत कर दिया है । सभी समितियां लाभ में चल रही हैं । नुकसान में कोई समिति नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : सवाल पोस्टपोन कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो दे दिया है । कोई रोगी नहीं है ।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां रुग्ण अवस्था में हैं और कितनी स्वस्थ हैं ? कृपया यह भी बतायें कि जो सहकारी समितियां चालू हालत में हैं उनमें कितनी लाभ अर्जित कर रही हैं और कितनी घाटे में हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने यह प्रश्न पूछा नहीं है कि कितनी रुग्ण हैं ।

श्री रामस्वरूप : जो प्रश्न मैंने पूछा है उसके साथ ही यह प्रश्न है ।

श्री सुजानसिंह यादव : मैंने पूर्व में अर्ज किया है कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियां लाभ में हैं और चालू हैं ।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सब लाभ में हैं । मैं पूछना चाहूंगा कि किस आधार पर आपने माना है कि लाभ में हैं ? क्या एक भी घाटे में नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास कोई सबूत हो तो बता दें ।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं यह बात रिकार्ड के आधार पर कह रहा हूं और सूचना के आधार पर कह रहा हूं ।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि व्यवस्थापकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का उत्तर जो आपने दिया है उसके बारे में मेरी पहली शिकायत है वह यह है कि हमारे पूर्व सांसद ने एक प्रश्न किया था वहां पर, एक शिकायत की थी 5-12-88 को और उसके बारे में इन्होंने जवाब दिया है, 7 वर्ष हो गये उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही आपने अब तक की है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं ? चुनाव क्यों स्थगित किये ?

श्री जगदीप धनखड़ : चुनाव स्थगित क्यों किये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें । यह इससे रिलेटेड नहीं है । जो रिलेटेड सवाल हैं वही पूछिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जो रिलेटेड सवाल है वही पूछा है ।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हमने तीन दफा तैयारियां की चुनाव करवाने की । (व्यवधान) नहीं, बताऊं आपको पिछले सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष

(श्री सुजानसिंह यादव)

के लगभग 100 विधायकों ने यह अनुरोध किया कि अब रिकवरी का टाइम है चुनाव नहीं कराये जाये। हमने आप की बात को माना और हमने चुनाव आगे सरका दिये। फिर दुबारा हमने कोशिश की कि हम चुनाव करायेंगे। इसी दरमियान पंचायतों के चुनाव आ गये। न हमारे पास स्टाफ था, न कोई वाहन थे और न ही अधिकारी थे। इसलिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इन समितियों के चुनाव अगस्त और सितम्बर में करवा दिये जायेंगे।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रश्न का तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं और बीच में दूसरे प्रश्न का जवाब दिया है आपने। मेरा निवेदन है कि मैंने पूछा है, जितने व्यवस्थापकों के खिलाफ शिकायतें हैं उनका क्या हुआ? दूसरा मेरा प्रश्न था उसमें यह दिया है कि इनकी शिकायतों की जांच करायी जो दिनांक 27-3-93 को प्राप्त हुई, जांच में श्री प्रेमचन्द जी, तत्कालीन सहायक व्यवस्थापक दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही हैं। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही चल रही है व्यवधान आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपके प्रश्न का भाग नहीं है।

श्री रामस्वरूप : है, आप देखिये। आपको भी पता नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, यह देखिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने पढ़ा है।

श्री रामस्वरूप : मैं बता रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे नम्बर का प्रश्न है, क्या इनमें से किसी व्यवस्थापक के विरुद्ध कभी कोई शिकायत प्राप्त हुई। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही चल रही है? दूसरे नम्बर का प्रश्न है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : आप जिसका नाम लेकर बता रहे हैं, मंत्री महोदय ने पूरा उत्तर दे दिया है कि व्यवस्थापकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों सम्बन्धी की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

श्री रामस्वरूप : उसी के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं। जो उपलब्ध है वह बिलकुल गलत उपलब्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास कोई इन्फार्मेशन हो तो माननीय मंत्री जी को दे दें।

श्री रामस्वरूप : हां, वही मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं इन्फार्मेशन के आधार पर पूछ रहा हूं। यह बता रहे हैं कि कार्यवाही चल रही है। पूरी कार्यवाही कर ली जायेगी। जब कार्यवाही चल रही है तो उसको बैठे-बैठे तनख्वाह क्यों दी जा रही है? क्या कार्यवाही चल रही है? कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी? मेरा बारम्बार उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं? उसको सस्पैण्ड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? उसके खिलाफ कार्यवाही बताइये। (व्यवधान) तीन वर्ष हो गये, अब तक उसको सस्पैण्ड नहीं किया जा रहा है,

(श्री रामस्वरूप)

न उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करवा रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इसका जवाब दिलवाइये। (व्यवधान) बागौर सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर आ गया है।

श्री रामस्वरूप : क्या उसको सस्पैण्ड कर रहे हैं ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही है, पहले इसका जवाब दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप : उत्तर में लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने मंत्रीजी का ध्यान इस बारे में आकर्षित कर दिया है।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, दोषी पाया गया है और कार्यवाही की जा रही है। क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामस्वरूप : आप माननीय मंत्री महोदय का+++ले रहे हैं, जवाब दिलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया है....

श्री रामस्वरूप : कार्यवाही की जा रही है, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामस्वरूप : आपने अगला प्रश्न बोल दिया। क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामनारायण चौधरी : उत्तर दिलाइये, साहब, बहुत इम्पार्टेंट सवाल है। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : पर्टिकूलर व्यवस्थापक के बारे में पूछा है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दिलाइये। प्रश्न पूछने का मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : बताया है, कार्यवाही की जा रही है। आप बिराजिये। (व्यवधान)....माननीय सदस्य बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : ऐसे हाउस नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप खड़ा करिये उनको, जवाब दिलाइये।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे थे, आपने बोलना चालू कर दिया।

श्री परसादी लाल मीणा : एक पर्टिकूलर व्यवस्थापक के बारे में सवाल पूछा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी को सुनें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : ऐसे, हाउस नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने दूसरा प्रश्न ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी खड़े हुए थे, आप बोलने लग गये तो मंत्रीजी बैठ गये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्रीजी खड़े हुए और आपने बोलना चालू कर दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : हम नहीं सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, 207 व्यवस्थापक सवाई माधोपुर जिले में कार्यरत हैं। 207 आदमियों में से 55 आदमियों की शिकायत आयी। उस पर भिन्न-भिन्न स्तर पर कार्यवाही हो रही है। माननीय सदस्य को हमने सूचना दे दी है। अब आप किस के लिए पूछना चाहते हैं, मैं जवाब दे दूं।

श्री परसादीलाल मीणा : एक पर्टिकूलर प्रश्न पूछा था, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : आप बैठें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे ही पता नहीं लग रहा है आप पूछना क्या चाहते हैं। एक-एक कर के बोलें, साफ बोलें, जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : इसमें साफ लिखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। आप प्रश्न पढ़ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं। अब आप सुनेंगे नहीं तो कहेंगे जवाब नहीं आया।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्तर में नहीं हूं जिससे माननीय सदस्य इतने उत्तेजित हो रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनें तो आपकी सन्तुष्टि हो जायेगी अब बागौर का आपने जिक्र किया है, बागौर ग्राम सेवा सहकारी समिति और उसके साथ लक्ष्मीनाथ सहकारी समिति दोनों जुड़ी हुई है। इसमें ओंकारलाल, ओम प्रकाश जैसावत अब व्यवस्थापक है। इससे

(16)

(श्री सुजानसिंह यादव)

पहले वहां की कार्यकारिणी ने यह तय किया कि महेश कुमार शर्मा को लगा दिया जाय, उन्होंने लगा दिया। लगाने के बाद उसकी कार्यशैली देखी। उसकी कार्यशैली सन्तोषप्रद नहीं थी, प्रबन्ध कार्यकारिणी ने उनको हटा दिया। उसके उपरान्त वह मुन्सिफ कोर्ट, गंगापुर में चले गये। मुन्सिफ कोर्ट ने उसका वाद खारिज कर दिया। आज उसके प्रति कोई शिकायत रही नहीं और उस सहकारी समिति का काम चल रहा है और दूसरा व्यवस्थापक काम कर रहा है। अब और क्या पूछना चाहते हैं आप ?

श्री रामस्वरूप : पूर्व में जो शिकायत की थी और वह भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया था उसका क्या हुआ, साहब ? आपने सदन में घोषणा की थी कि मैं उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें बहुत हो गया।

श्री रामस्वरूप : यह देख लीजिये जवाब, आपने कहा है कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से जवाब दे दिया है। आप बार-बार खड़े हो जाते हैं, तो माननीय मंत्रीजी को जवाब न देकर बैठना पड़ रहा है। You alone cannot 'rok' (stall) the House.

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर में विद्युत कटौती

131. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में गत पांच माह से निरन्तर विद्युत कटौती की जा रही है ?

(2) क्या यह कटौती नगर के कुछ क्षेत्रों में तो की जाती है और कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति निरन्तर होती है ?

(3) क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) राज्य में विद्युत की कम उपलब्धि के कारण जोधपुर शहर में दिसम्बर, 1994 से उपलब्धि के अनुरूप विद्युत की कटौती की गयी है।

(2) यह सही नहीं है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं यथा, अस्पताल, जल प्रदाय, रेडियो, टी. वी., पुलिस वायरलैस, टेलीकाम आदि में विद्युत कटौती नहीं की गयी है, बाकी सम्पूर्ण नगर क्षेत्र में समान रूप से यह विद्युत कटौती की गयी है।

(3) राज्य में विद्युत उपलब्धि में सुधार होने से जोधपुर शहर सहित राज्य भर में दिनांक 24-3-95 से विद्युत कटौती समाप्त कर दी गयी है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने जो बात बतायी है मैं उस बात से कतई सहमत नहीं हूं। (व्यवधान) आप सुनने दो।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

ऊर्जा मंत्रीजी ने जो बात कही है, (व्यवधान) बोलने दो, आप बोलते हैं तो मैं तो बीच में नहीं बोलती । आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते है ? यह क्या बात हो गयी ?

श्रीमती तारा भण्डारी : शिष्टाचार सीखो, शिष्टाचार ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय मंत्री महोदय ने बताया सिर्फ आवश्यक सेवाओं यथा अस्पताल, जल प्रदाय, रेडियो टी. वी., पुलिस वायरलैस, टेलीकाम आदि में विद्युत कटौती नहीं की गयी है। यह बात सही है मार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी, जैसा मंत्रीजी ने यह बताया कि अस्पताल और जल योजना में बिजली की कटोती नहीं की जा रही है, यह बात कतई सही नहीं है । क्योंकि अस्पताल के अन्दर विद्युत की कटौती की जा रही है और जल योजना में भी विद्युत की कटौती की गयी है और उसकी वजह से जोधपुर शहर के अंदर पानी की भारी किल्लत आ जाती है। हम जलदाय विभाग के अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं तो वह यह कहते हैं कि हमें बिजली नहीं मिलती है तो हम आपको पानी कहां से देंगे। मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जलदाय विभाग को स्पेशली बिजली दी जाय ताकि जोधपुर शहर को पानी की उपलब्धि हो सके। होली जैसे त्यौहार पर भी जोधपुर शहर में एक बूंद पानी की सप्लाई नहीं हुई वह इसी वजह से नहीं हुई । बिजली नहीं होने के कारण वहां पर पानी नहीं दिया गया ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नम्बर तीन का विवरण देना चाहती हूं, राज्य विद्युत उपलब्धि से सुधार होने से जोधपुर शहर सहित राज्यभर में दिनांक 24-3-95 से विद्युत कटौती समाप्त कर दी गयी हैं, मंत्री महोदय ने ऐसा बताया है। यह सरासर गलत बात है। अभी तक कोई कटौती समाप्त नहीं की गयी है। अभी दो रोज पहले में जोधपुर से आयी है तब तक तो ऐसी व्यवस्था नहीं थ, अभी दो रोज में हो गयी हो तो मेरे को मालूम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर शहर में वर्तमान में विद्युत वितरण आवश्यकता से कम है। तो पूर्ण आपूर्ति के लिए आगे क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, 24 मार्च से राजस्थान भर में कटौती समाप्त कर दी गयी है, यह सच है क्योंकि बिजली अब उपलब्ध हो गयी है। दूसरा, जोधपुर शहर में....

श्री नारायण सिंह (दातांरामगढ़) : क्या यह सच है, बिजली तो अभी भी नहीं मिल रही है ?

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : सदन को गुमराह मत कीजिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अब आप सुन लीजिये। जोधपुर शहर के लिए वाटर वर्क्स की स्कीम प्रभावित हुई है, यह आपने बताया। यह शिकायत कुछ सुनने को मिली थी और उस आधार पर जो बिजली का अलाटमेंट यहां जयपुर से किया जाता था

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

उसका अधिकार अब क्षेत्रीय डिप्टी चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेन्डेंट को ही दे दिया गया है । यहां से बिजली उनको दे दी जायेगी और किस फीडर पर कितनी बिजली देनी है इसका डिसेण्ट्रलाइजेशन किया गया है । जो यहां से होता था उससे कभी-कभी पेयजल योजना प्रभावित हो जाती थी पर अब वह अधिकार लोकली दे दिया गया है । यहां से बिजली दे दी जायेगी और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, इसकी व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी अब वहां के एस. ई. और वहां के डिप्टी चीफ इंजीनियर को दे दी गयी है । इसलिए यह तकलीफ भी नहीं होगी । डिस्ट्रीब्यूशन की और भी शिकायतें माननीय सदस्या ने बतायी हैं । तो डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में अभी 132 के.वी. ग्रिड का एक काम जोधपुर में बैनाड में चल रहा है और एक 132 के.वी सब-स्टेशन कायलाना का काम प्रारम्भ किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 20 करोड़ का पावर फाइनेंस कारपोरेशन से हमें ऋण मिला है जिससे जोधपुर का सिस्टम इम्प्रूव किया जायेगा और फिर मैं सोचता हूं कि अगली बार माननीय सदस्या को शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो कटौती समाप्त करने का कहा उसके लिए तो मैं इनका स्वागत कर रही हूं अगर कटौती समाप्त हो गयी है तो । अगर मैं....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अभी भी कट लग रहा है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप उदाहरण बताइये कि फलां जगह कट लग रहा है, मैं तुरन्त कार्यवाही करूंगा ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उसका तो मैं आपको धन्यवाद दे रही हूं मगर, मंत्री महोदय....

श्री जगदीप धनखड़ : किशनगढ़ में कट लग रहा है ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, अगर जोधपुर शहर के अन्दर....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप जांच करवाइये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इनको बोलने दीजिये, आप क्यों बोल रहे हो ।

श्री जगदीप धनखड़ : अगर आप सिर्फ इनसे बात कर रहे हैं तो केबिन में कीजिये यह सदन की बात है....(व्यवधान)

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग का जो पैसा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दिया जाता है उसके अन्दर यह डोमेस्टिक कनेक्शन दे देते हैं और यह कटौती होती है उस वक्त वे भी प्रभावित होते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो पैसा जलदाय विभाग का डिपाजिट है उन लाइनों के अन्दर यह कनेक्शन नहीं दें, यह मेहरबानी करें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बहुत अच्छी बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। अब आपको क्या पूछना रह गया है, दो-दो माननीय सदस्य पूछ चुके हैं आपके।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : बहुत रह गया है। जोधपुर शहर में ...

श्री उपाध्यक्ष : तीनों को बोलना जरूरी है ? अच्छा कह दीजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : बिजली की कटौती वर्ष भर रहती है और जो जलदाय योजना से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जब कभी भी कटौती की जाती है तो सबसे पहले उन क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा कारण यह है कि 132 के. वी. के ग्रिड स्टेशन स्वीकृत हुए एक साल हो गया है, एक का काम प्ररम्भ किया गया है। यह काम कब तक पूरा हो जायेगा दूसरा काम अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया है ? इसके बारे में माननीय मंत्री जी कुछ स्पष्टीकरण दें। साथ ही 210 के. वी. के ग्रिड स्टेशन का प्रस्ताव भी काफी समय से बोर्ड के पास पड़ा हुआ है जिसके कारण जोधपुर को जितना वोल्टेज मिलना चाहिए, जिस तरह औद्योगीकरण क्षेत्र बढ़ रहा है उसके अनुरूप बिजली की जितनी मांग है उतना अलोटमेंट नहीं हो रहा है। इसके कारण विद्युत की जोधपुर में हमेशा कमी रहती है। इसके लिए माननीय मंत्रीजी क्या व्यवस्था करवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जो समर्थन दिया है उसको वापस ले लोगे ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह बात जो जोधपुर की बतायी है, इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए जोधपुर के सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए 20 करोड़ का कर्जा पी. एफ. सी. से लिया है और जोधपुर की समस्या हल हो उसी के लिए यह योजना बनायी है। 132 के. वी. का जो ग्रिड स्टेशन बनाड़ में बन रहा है इसे अतिशीघ्र, माननीय सदस्य की आशा से भी पहले बना दिया जायेगा और दूसरा भी शीघ्र से शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी।

पंचायत समिति, उदयपुरवाटी (झुन्झुनू) के नव स्वीकृत विद्यालय

132. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुन्झुनू जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति में कितनी प्राथमिक शालाएं किन-किन स्थानों पर वर्ष 1994-95 में खोले जाने की स्वीकृति दी गयी ?

(2) क्या यह सही है कि इन नव स्वीकृत स्कूलों के लिए न तो बजट प्रावधान पंचायत समिति को दिये गये और न ही अध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

राज्य मंत्री पंचायती राज (श्री नाथू सिंह गुर्जर) : (1) झुन्झुनू जिले की पंचायत समिति उदरपुरवाटी में वर्ष 1994-95 में 9 स्थानों पर नवीन प्राथमिक शालाएं खोले जाने की स्वीकृति दी गयी थी। जिनमें से निम्न 7 में प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं :–

(20)

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

1. छऊ
2. कटेवा का बास
3. बोलिया की ढाणी
4. मामला की ढाणी
5. सेठ जोधराज सौथालिया
6 झरडा की ढाणी
7. लिलवा की ढाणी

ग्राम सिगनोर में पूर्व से ही कन्याशाला चलने के कारण वहां कन्या प्राथमिक शाला नहीं खोली गयी है एवं जमाई माता घामणा जोहड़ा एवं सेठ जोधराज सौथालिया एक ही ग्राम होने से वहां भी प्राथमिक शाला नहीं खोली गयी है।

(2) उक्त सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झुन्झुनूं से प्राप्त होने पर इन स्कूलों में अध्यापकों के पद स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, आज से ठीक एक साल पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश करते वक्त इन स्कूलों के लिए बजट प्रावधान इस सदन से पास करवाया था। आज ठीक एक साल हो गया, उस पर भी आज इन स्कूलों के लिए न तो कोई प्रावधान किया गया है, न अध्यापकों की स्वीकृति की गयी है। यह एक पंचायत समिति का सवाल है, मुझे लगता है कि ऐसा ही पूरे राजस्थान में हुआ है। तो क्या इस प्रकार की ढिलाई को हम ऐसा मानकर चलें कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जीरो प्रणाली लागू करना चाहते हैं और बालकों की पढ़ाई की कास्ट पर यह इतनी बचत करके इन स्कूलों का सत्यानाश करना चाहते हैं। आप फरमा रहे हैं कि वहां के कार्यकारी अधिकारी से सूचना लेकर बजट प्रावधान किया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक साल तक आपके पास सूचना नहीं आयी, आपने ऐसे ही स्कूल खोल दिये। यह आपको पता होना चाहिए कि उनके लिए बजट है। आज तक इसमें आपने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्कूलों में टीचर्स का सवाल है, उनके पदस्थापन कर दिये गये हैं, उनके आदेश दे दिये गये हैं इसलिए जो आप कह रहे हैं वह सवाल ही नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : कब आदेश दिये गये हैं ? कब बजट में प्रावधान किया गया है ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रक्रिया है, हम स्कूल खोलते हैं, स्कूल्स के मामले में सी. ई. ओ. से वापस रिपोर्ट लेते हैं, ज्यों ही रिपोर्ट आती है उसके बाद हम पद सैक्शन करके भेज देते हैं, जैसे इस केस में हुआ है इस तरह से। लेकिन जो डिले हुआ है वह हमारे कारण से नहीं हुआ है। इसमें कई रीजन्स (व्यवधान) आप सुनिये। 93 में गवर्नमेंट आफ इण्डिया के डायरेक्शन से 50 पर्सेण्ट लेडीज के लिए रिजर्वेशन था। टीचर्स की भर्ती में, वह मामला था उसमें आदेश दे दिये विभाग ने, उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में चले गये। कोर्ट में जाने के

(श्री नाथूसिंह गूर्जर)

कारण यह मामला डिले हुआ है, पदस्थापन टीचर्स का होने का। इसलिए इसमें राज्य सरकार कहीं भी दोषी नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सैण्ट्रल गवर्नमेंट के इस प्रकार के कोई आदेश, माननीय मंत्रीजी नहीं हैं। एक सिर्फ आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम में हैं उन पंचायत समितियों में जो पंचायत समितियां ब्लैक बोर्ड स्कीम में हैं। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि हाई कोर्ट के स्टे आ गये, सैण्ट्रल गवर्नमेंट बीच में आ गयी। जिस वक्त आपने स्कूलें खोली थीं उसी वक्त आपके सामने यह समस्या थी और आपने आज तक उन स्कूलों में अध्यापक नियुक्त नहीं किये। यह कहां हाई कोर्ट का मामला आ गया, कहां सैण्ट्रल गवर्नमेंट बीच में आ गयी और कहां महिलाएं बीच में आ गयीं, यह हमारी समझ में नहीं आता।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में पंचायती राज के तहत दो हजार दो सौ कुछ और कुछ प्राइमरी स्कूल खोले थे। हमारे दौसा जिले में भी 40-45 स्कूल खोले थे। वहां पर एक भी स्कूल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि एक भी स्कूल इस शिक्षा सत्र में शुरू नहीं हुआ है, एक भी अध्यापक को पोस्टिंग नहीं मिली है, एक भी छात्र इन विद्यालयों में नहीं गया है। क्या मंत्रीजी इसकी आप जांच करवायेंगे, क्यों नहीं वहां पर अध्यापकों की पोस्टिंग की गयी? मैंने विकास अधिकारी के सामने से सी. ई. ओ. के सामने, विजिलेंस में कई बार मामला उठाया। राज्य सरकार से टीचर्स की हमारे पास सैंक्शन नहीं आयी। क्यों आपने स्कूल खोले हैं? लोगों को बावला बनाने के लिए कह दिया। या तो आप इन स्कूलों को अगले साल चालू करेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक भी स्कूल दौसा जिले में चालू नहीं हुआ, एक भी छात्र वहां भर्ती नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि स्कूल खोल दिये। गवर्नर की स्पीच में कह रहे हैं कि स्कूल खोल दिये। चालू कहां किये? मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी स्कूल नहीं खुला, एक भी छात्र भर्ती नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री नारायणसिंह : ऐसा ही बजट मास्टरों को समर्पित करेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि स्कूल खोलने में आपका क्राइटेरिया क्या था? हमारे वक्त में क्राइटेरिया में यह था कि हम स्कूलों का नम्बर देखकर के जहां कम स्कूल होते थे वहां मात्रा बढ़ाते थे। उस वक्त में यह ध्यान नहीं रखते थे कि अपोजिशन में है या हमारी पार्टी के हैं। पर, माननीय मंत्रीजी, लास्ट ईयर आपने जितने भी स्कूल खोले हैं, शिक्षा के लिए समर्पित वर्ष रखा है चाहे श्री गुलाबचन्दजी हों, चाहे पंचायती राज वाले हों, चाहे श्री चतुर्वेदीजी हों, कॉलेज खुले हैं तो आपके उधर, सारे, स्कूल आपने जो अपग्रेड किये हैं, वह आपके उधर, पंचायती राज के अन्दर जो स्कूल

(श्री खेतसिंह राठौड़)

खुले हैं वह आपके उधर। प्रजातन्त्र के अन्दर ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे के सारे स्कूल जो खुले हैं (व्यवधान)।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 1978 से 80 के बाद....

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रजातन्त्र के अन्दर ऐसा कभी नहीं हुआ। हां, थोड़ा बहुत फर्क रहता है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्री शिवनाथ सिंहजी के यहां 7 स्कूल खुले हैं वे पक्ष में हैं या प्रतिपक्ष में हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पर इतना बड़ा फर्क नहीं रहता है कि आपके यहां तो 80 पर्सेण्ट और 20 पर्सेण्ट हमको। एक प्राइमरी स्कूल खुला है पिछले वर्ष।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : 40 साल तक आपने स्कूल खोले हैं अब हमको भी खोलने दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं कि प्रजातन्त्र के अन्दर सभी को मिल जुलकर काम करना चाहिए; यह इस प्रकार से मिल कर काम करने का तरीका है जो आपने अपने मंत्रियों को सिखाया है ? इसका यह हाल होगा कि निश्चित तौर पर आगे जाकर हालात और बिगड़ेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : बाकी जवाब तो श्री नाथूसिंहजी देंगे लेकिन माननीय सदस्य को याद दिलाता हूं, मुझे तारीख तो याद नहीं है लेकिन आपने इसी सदन में इस बात की प्रशंसा हमारी सरकार की की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आज से 6 वर्ष पहले की बातें हैं, 8 वर्ष पहले की बातें हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता, मानीय मुख्य मंत्रीजी के बारे में एक समाचार छपा है कि शिक्षा को समर्पित बजट होने के पश्चात् माननीय मुख्य मंत्रीजी की पढ़ाई-लिखाई इतनी कमजोर हो गयी कि इनकी पोती को इनको ज्ञान देना पड़ा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप बताइये, एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक में यह खबर छपी है और उस स्थिति में निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्य मंत्री को पढ़ाई-लिखाई के इनकी पोती इनको प्रेरणा दे रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात का स्पष्टीकरण करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने पूरे राज्य की जनता को शिक्षित करने का ठेका ले रखा है और आप खुद अपने आपको शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह सही हो सकती है।

श्री जगदीप धनखड़ : सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये तो सही ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि ज्ञान प्राप्त करना चाहे बच्चे से हो, चाहे बड़े से हो उसमें कोई मुमानियत नहीं है । अब आप कहो कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करूं, तो मैं डूब जाऊं । अगर बच्चे से मुझे जानकारी प्राप्त करनी होती है तो मुझे प्राप्त करने में कोई संकोच नहीं होता है ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि 1989–90 में 6000 प्राइमरी स्कूलों को आपने बन्द किया था उसके बाद इस साल स्कूलें खोलने के लिए जो नीति निर्धारित की थी, जो मापदण्ड निर्धारित किये थे । क्या उन मापदण्डों के अनुसार स्कूल खोले गये हैं ? मेरा यह आरोप है कि प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए जो मापदण्ड तय किये (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक के बाद एक सप्लीमेन्ट्री पूछे जा रहे हैं । माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री शिवनाथसिंह जी ने जो प्रश्न उठाये हैं उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : Hon'ble members are generalizing the question. सीधा-साधा सवाल है उदयपुरवाटी स्कूल के टीचर्स का और हमने टीचर्स का पदस्थापन कर दिया और क्या है; कोई सवाल नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारे राजस्थान का सवाल पूछा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी ।

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, उलझ नहीं रहा हूं । उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अगर राजस्थान के इतिहास में खुले हों तो पहली बार 23 मई के दिन हमने प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक विद्यालय जो बजट में हमें मिले थे वह निश्चित तारीख को खोल दिये थे । हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक सीनियर सैकण्डरी या सैकण्डरी मिले, 99.9 पर्सेण्ट मिले हैं । यह कोई नहीं कह सकता कि हमने कोई भेद-भाव से स्कूल खोले । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : एक भी स्कूल नहीं मिला गंगानगर में । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये । बहुत सप्लीमेण्ट्री हो चुकी हैं, एक या दो सप्लीमेण्ट्री होती है । माननीय श्री हरजीरामजी बुरडक । बुरडक साहब फरमा रहे हैं ।

इण्डियन मेडिसन बोर्ड में पंजीयन प्रकरणों की जांच

133. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) क्या यह सही है कि इण्डियन मेडिसन बोर्ड में गड़बड़ी करके फर्जी पंजीयन कराने के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से अब तक कौन-कौन से मामले कब-कब तथा इस सम्बन्ध में किस अधिकारी ने कब जांच की तथा सरकार को कब रिपोर्ट पेश की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर किस-किस अधिकारी को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उनको दिये गये आरोप पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम मेघवाल) : (1) इण्डियन मेडिसन बोर्ड में अनियमितताएं एवं गड़बड़ी के मामले राज्य सरकार के ध्यान में आये हैं जिनमें फर्जी पंजीयन के मामले भी सम्मिलित हैं। उक्त मामले में आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर के अतिरिक्त निदेशक को दिनांक 29-3-1994 को जांच कार्य सौंपा गया था उन्होंने जांच कार्य पूर्ण कर, जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 11-11-1994 को प्रस्तुत की है। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने सूक्ष्म रूप से निम्न अनियमितताएं पायी हैं :—

(1) पंजीयन हेतु आवेदन-पत्रों की पूर्तियां करने सम्बन्धी।

(2) योग्यता प्रमाण-पत्रों के सत्यापन सम्बन्धी।

(3) आधारभूत शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी।

(4) योग्यता प्रमाण-पत्र के अभाव में पंजीयन जारी करना।

(5) बोर्ड के नियमों की अवहेलना सम्बन्धी।

(6) प्रतिबन्ध की अवधि में जारी किये गये पंजीयन सम्बन्धी।

(7) पंजीयन पंजिका की वरीयता का उल्लंघन करना।

(8) पंजीयन/श्रेणी परिवर्तन सम्बन्धी।

(9) पंजीयन पंजिका को मनमाने ढंग से रिक्त रखकर बाद में प्रविष्टि सम्बन्धी।

(10) एक पंजीयन क्रमांक पर दो-दो व्यक्तियों का पंजीयन करना।

उप-शासन सचिव, आयुर्वेद को सेवानिवृत्ति (28-2-1995) से पूर्व आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अन्य अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त जांच रिपोर्ट 319 पृष्ठ की है, जिसका रखा जाना श्रमसाध्य होगा।

(2) जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्न अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया तथा कार्मिक (क-3) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1 (63) कार्मिक/क-3/

(श्री अचला राम मेघवाल)

95, दिनांक 25-2-95 द्वारा इन अधिकारियों को निलम्बित किया गया है :—

1. श्री जे.पी. गुप्ता, उप शासन सचिव, आयुर्वेद।

2. श्री गणपतिलाल हारित, कार्यवाहक, उप निदेशक, जयपुर।

3. श्री कृष्णगोपाल पारीक, सहायक निदेशक (आयुर्वेद) अजमेर।

4. श्री बाबूशंकर आमेटा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर।

5. श्री केदारनाथ शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "ब"।

6. श्री मोहनलाल जोशी, जिला आयुर्वेद अधिकारी, अलवर।

7. श्री सूर्यनारायण शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर।

8. श्री विनोद कुमार जोशी, रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसन बोर्ड, जयपुर।

9. श्री घनश्याम शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक, राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर।

उप-शासन सचिव, आयुर्वेद को जारी किये गये आरोप-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने उत्तर सुना, पहली बात यह है कि 8 महीने तक जांच रिपोर्ट इनके पास आयी नहीं और जांच रिपोर्ट आने के बाद आज तक इन्होंने चार्ज शीट नहीं दी। सिर्फ एक अधिकारी को चार्ज शीट दी है और इस प्रकार से इस भ्रष्टाचार के मामले को विभाग द्वारा दबाने की कार्यवाही की जा रही है। जैसा कि आपने उत्तर सुना, आरोप इस नेचर के हैं कि यह कोई प्रशासनिक मामला नहीं है, जिस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं उसके आधार पर यह सारा का सारा क्रिमिनल केस है। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस में केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? अब क्या इस बारे में आप कार्यवाही करने का विचार करेंगे?

(12.00)

श्री अचलाराम : माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब यह है कि हमारे पास में जांच रिपोर्ट पूर्ण होकर 11-11-94 को आयी और हमने (व्यवधान) प्लीज, दिनांक 11-11-94 को हमारे पास में जांच रिपोर्ट पहुंची और उसके बाद में हमने उसके ऊपर जो कार्यवाही की है, वह हमने 25-2-95 को कर दी। जांच रिपोर्ट 319 पेज के होने के कारण, एक तो जांच करने में 6-7-8 महीने का समय लगा, वापस उसके ऊपर पूरी कार्यवाही करने में समय लगता है। माननीय सदस्य....

श्री हरजीराम बुरड़क : 4 माह में आप आरोप पत्र नहीं दे सके तो अब इसमें क्या कार्यवाही करोगे (व्यवधान) आपने जिस नेचर के आरोप बताये हैं उससे फौज-

(श्री हरजीराम बुरडक)

दारी मामला बनता है। अगर आप प्रशासनिक कार्यवाही करेंगे तो उससे क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी इस बारे में देखें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री अचला राम : माननीय सदस्य यह प्रारम्भिक जांच ही (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम बिन्दायका (जयपुर) की गोचर भूमि

190. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिन्दायका की गोचर भूमि रीको को दी गई है ?

(2) रीको को उपलब्ध कराई गई भूमि में से रीको द्वारा कितनी भूमि शमशान, विद्यालयों व सार्वजनिक मन्दिरों के लिए छोड़ी गई ?

(3) क्या रीको से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए कितनी भूमि निःशुल्क चाही गई है ? सरकार का इसमें क्या दृष्टिकोण है ?

(4) यह सही है कि रीको छात्राओं की शिक्षा सुविधा हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा रही है ? यदि हां, तो कब तक और किन शर्तों पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) रीको उपलब्ध भूमि को किस प्रकार काम में लेती है ? नीतिगत निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम बिन्दायका में रीको को औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु 283 बीघा 08 बिस्वा गोचर भूमि दी गई है।

(2) रीको को बिन्दायका में उपलब्ध कराई गई भूमि में से 2 बीघा 06 बिस्वा भूमि श्मशान के लिए, 1000 वर्ग मीटर भूमि विद्यालय के लिए आरक्षित की गई है। इस क्षेत्र में विभिन्न 5 स्थानों पर पूर्व में मन्दिर निर्मित है जिनको औद्योगिक क्षेत्र के नियोजन में यथावत रखा गया है।

(3) पंचायत ग्रामवासी बिन्दायका द्वारा एक ज्ञापन बिन्दायका में सार्वजनिक कार्यों, स्कूल का भवन, खेल का मैदान, श्मशान, भौमियाजी का मन्दिर एवं सार्वजनिक मन्दिर हेतु विभिन्न जगहों पर 10 बीघा जमीन रीको से निःशुल्क दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। रीको को भूमि कीमतन आबंटित होती है। अतः निगम द्वारा निःशुल्क भूमि का आबटन किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) रीको विद्यालय हेतु निःशुल्क भूमि आबंटन नहीं करती है तथापि रीको के आदेशों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों के भूखण्ड आबंटन हेतु निर्धारित सामान्य दर की 25 प्रतिशत रियायती कीमत पर स्कूल हेतु भूमि आबंटित करती है।

(उद्योग मंत्री)

(5) रीको उपलब्ध भूमि को औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं उद्योग सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति हेतु काम में लेती है यथा सड़क, पानी, बिजली, नालियां आदि। प्रत्येक क्षेत्र की विशेष स्थिति, उपलब्ध भूमि एवं शहरीय सुविधाओं से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना तैयार करती है, जिसे रीको के संचालक मण्डल की इन्फ्रा-स्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

ग्राम जालसू एवं गुढ़ा सूर्जन की गोचर भूमि की औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्ति

191. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जयपुर जिले की पंचायत समिति आमेर के ग्राम जालसू एवं गुढ़ा सूर्जन की गोचर भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए अवाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो अवाप्ति की कार्यवाही कब तक की जाएगी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जयपुर जिले की पंचायत समिति आमेर के ग्राम जालसू एवं गुढ़ा सूर्जन की गोचर भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिये अवाप्त करने हेतु राज्य सरकार के पास वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि यहां के लिए अभी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। मांग प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

"रिक्शा उसका चलावें जिसका" योजना का क्रियान्वयन

192. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने रिक्शा लाइसेंस के नियमों में सरलीकरण किया है?

(2) क्या जयपुर में रिक्शों के नियमन का कार्य प्रारम्भ हो गया है?

(3) क्या सरकार 'रिक्शा उसका चलावें जिसका" के आधार पर रिक्शा चालक को मालिक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जयपुर के रिक्शाओं का नवीनीकरण का प्रश्न विचाराधीन है।

(3) रिक्शा का लाइसेन्स रिक्शा चालक को ही दिया जाता है।

नगरपालिका बालोतरा में सड़कों का डामरीकरण

193. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका बालोतरा ने प्रत्येक वार्ड में नई सड़कों का डामरीकरण करने, पुरानी सड़कों को चौड़ा करने एवं नालियां बनाने की कोई नीति बनाई है?

(श्री अमराराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि वार्ड नं. 13, 19 व 26 में भी अन्य वार्डों की तरह सड़कों का डामरीकरण करने व नाली बनाने का कार्य किया गया ?

(3) 1 नवम्बर, 1994 से वार्ड नं. 13, 19 व 26 में कुल कितनी सड़कों का डामरीकरण किया गया व उस पर कितनी लागत आई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मण्डल गठन के बाद प्रत्येक वार्ड में 1.00 लाख रुपयों तक विकास कार्य करवाये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है।

(2) जी हां। वार्ड नं. 13 में सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। वार्ड नं. 19 व 26 में सड़क निर्माण कराया गया है तथा वार्ड नं. 26 में नालियों का भी निर्माण कराया गया है।

(3) 1 नवम्बर 94 से वार्ड नं 13 में अभी तक सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। आदेश जारी किये जा चुके हैं। अन्य वार्ड नं. 19 व 26 में सड़कों के डामरीकरण पर आई लागत का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में मण्डी हेतु प्रस्तावित योजनायें

194. **श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीकर रोड, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर के आसपास अनाज मण्डी, ट्रांसपोर्ट नगर तथा लोहा मण्डी बनाई जाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह कहां पर बनाई जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन योजनाओं की भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह किस स्थिति में है ?

(3) उक्त योजनाओं हेतु कौन-कौनसी भूमि अवाप्त की जाएगी एवं यह योजना कब तक पूर्ण की जाकर चालू कर दी जावेगी ? उक्त भूमि का खसरा नम्बर, अवाप्त की जाने वाली भूमि के खातेदारों के नाम, कुल रकबा आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर रोड विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में अनाजमण्डी तथा ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए योजना बनाने संबंधी प्रावधान मास्टर प्लान में हैं। लेकिन सीकर रोड के आसपास लोहामंण्डी बनाना मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित नहीं है। विवरण संलग्न है।

(2) ट्रक टर्मिनल सीकर रोड योजना के लिए अवाप्ति की जा रही ग्राम हरमाड़ा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 531 की 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि की अवाप्ति के विरुद्ध श्री हरिओम सिंह, सचिव संगम

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कालोनी विकास समिति द्वारा उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में याचिका क्रमांक 354/94 दायर कर रखी है, तथा उक्त ग्राम के खसरा नम्बर 533, 534 व 535/2 की 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि की अवाप्ति के विरुद्ध श्री जगदीश नारायण खण्डेलवाल ने उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच में याचिका क्रमांक 1844/93 दायर कर रखी है। ये दोनों याचिकाएँ अभी तक न्यायालय में निर्णय हेतु लंबित हैं।

(3) सीकर रोड विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के आसपास जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फिलहाल ट्रक टर्मिनल, सीकर रोड पर ग्राम हरमाडा तहसील आमेर की 54 बीघा 6 बिस्वा ग्राम माचेडा 59 बीघा 14 बिस्वा व ग्राम महापुरा उर्फ कूकरखेडा आमेर की 13 बीघा 10 बिस्वा कुल 116 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर बनाये जाने का प्रस्ताव है। जिसकी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी के न्यायालय में चल रही है। भूमि-अवाप्ति अधिकारी ने इस भूमि का अवार्ड तैयार कर राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु दिनांक 22-2-94 को प्रेषित किया है जो अनुमोदन होकर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि के खसरा नम्बरान खातेदारान के नाम व कुल रकबा का विवरण संलग्न है। जहां तक योजना के पूर्ण किये जाने का प्रश्न है वह भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राज्य सरकार से अवार्ड के अनुमोदन पश्चात् भूमि का कब्जा प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया जावेगा तब ही इसका क्रियान्वयन संभव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कन्या शाला, मुरलीपुरा स्कीम जयपुर की आरक्षित भूमि

195. **श्री गोपीराम** जाट (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर मुरलीपुरा स्कीम में कन्या शाला हेतु स्थान आरक्षित है ? यदि हां, तो कौनसा व कितने वर्गगज का ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या कन्या शाला निर्माण हेतु स्थानीय निवासियों ने कोई मांग सरकार से की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। किन्तु मुरलीपुरा स्कीम में विद्यालय हेतु 2 भू-खण्ड जिनका प्रत्येक का क्षेत्रफल 3066 वर्गगज (184 × 150) है, आरक्षित किये हुए हैं। उक्त आरक्षित भूखण्डों में से एक भूखण्ड पर राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय कार्यरत है तथा एक रिक्त है।

(2) जी नहीं। किन्तु राजकीय प्राथमिक विद्यालय विकास समिति, जयपुर द्वारा भू-आवंटन के लिये प्रार्थना पत्र जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रस्तुत किया है जिस पर कार्यवाही चल रही है।

किसान मार्ग, टोंक फाटक, जयपुर के विकास कार्य

196. **श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि किसान मार्ग, टोंक फाटक, जयपुर स्थित नेताजी सुभाष नगर कालोनी के भूखण्डधारियों द्वारा दि. 22 नवम्बर, 1994 को जयपुर विकास प्राधिकरण में विकास शुल्क आदि जमा करा दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस भूखण्डधारी के द्वारा कितना-कितना शुल्क कितनी-कितनी भूमि का जमा करवाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखे ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कॉलोनी में डामरीकृत सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण होगा ?

(3) क्या अन्य कालोनियों में बिना विकास शुल्क जमा करवाये भी वहां सड़क, नालियां तथा रोड़ लाइट आदि लगवा दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या इस कालोनी में विकास शुल्क जमा करवाने के पश्चात् भी विकास कार्य नहीं करवाये गये हैं ? यदि हां तो इस कॉलोनी में अब कब तक विकास कार्य पूर्ण करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(3) जी हां । सुभाष नगर (स्कीम नं. 7) टोक रोड सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति के भूखण्डधारियों द्वारा 22 नवम्बर, 1994 को जयपुर विकास प्राधिकरण में विकास शुल्क आदि के पेटे रुपये 1,69,118/– जमा कराये हैं । जमा की सूची संलग्न है ।

(2) जी हां । माह अप्रेल के अन्त तक पूर्ण कर दिया जावेगा ।

(3) जी हां । इस कालोनी में जमा विकास शुल्क के आधार पर उसके अनुरूप ही विकास कार्य प्रगति पर हैं । वर्तमान में केवल सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है जो माह अप्रेल के अन्त तक पूर्ण कर दिया जावेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें ।)

नगर निगम, जयपुर द्वारा गृह कर की वसूली

197. **श्री फूल चन्द** (सलुम्बर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा जयपुर शहर के मकान मालिकों से गृह कर वसूल किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि सोड़ाला स्थित रामनगर, गोविन्दपुरी तथा नन्दपुरी कालोनी के मकान मालिकों से भी गृह कर वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस किस मकान मालिक द्वारा वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक कितना-कितना गृह कर जमा कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार

(श्री फूलचन्द)

में है ? यदि हां, तो फिर नगर निगम द्वारा किस आधार पर गृह कर वसूल किया जा रहा है ?

(4) क्या नगर निगम गृह कर वसूल करने पर इन कालोनियों में विकास कार्य यथा सीवरेज लाइन, सड़क निर्माण नालियों की सफाई तथा स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सोडाला स्थित रामनगर, गोविन्द-पुरी तथा नन्दपुरी कालोनी के मकानों से गृहकर वसूल किया जा रहा है । जिन मकान मालिकों से गृहकर वसूल किया जा रहा है, उनकी सूची वर्षवार सलग्न है ।

(3) उक्त कालोनी जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में है या नगर निगम, जयपुर के, इसका गृहकर आरोपण से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि संपूर्ण नगर निगम के सीमा क्षेत्र में स्थित भूमि एवं भवनों पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत भूमि एवं भवन कर अनिवार्य रूप से आरोपण योग्य हैं ।

(4) गृहकर धारा 104, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के अंतर्गत अनिवार्य कर है । बजट की उपलब्धता के अनुसार विकास कार्य करवाये जाते हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

आमेर के सिटी सर्वे व नक्शे में काट-छांट

198. श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका परिषद, आमेर के सम्वत 2002 में करवाये गये सिटी सर्वे व नक्शे में काफी काट-छांट की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(1) कस्बा आमेर के उक्त सिटी सर्वे रिपोर्ट । सूची व नक्शें की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) ऐसा रिकार्ड राजस्व विभाग में उपलब्ध होता है । उक्त रिपोर्ट भी तहसील आमेर में है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 199 (स्थगित)

परसराम नगर (जयपुर) के सार्वजनिक पार्क पर अतिक्रमण

200. श्री कुबेर सिंह (फलासियां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि परसराम नगर, ढेहर का बालाजी स्कीम नं. 3 (शाह भवन के सामने) जयपुर स्थित सार्वजनिक पार्क की भूमि पर किन्हीं असामाजिक तत्वों ने पट्टी, कातले डालकर अनधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने कितनी-कितनी भूमि पर ? नाम-वार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री कुबेर सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1994 में उक्त प्रकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या एवं कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि एवं रोड बाउण्ड्री पर उक्त अतिक्रमण प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं; तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने तथा अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण को रोकने बाबत सरकार क्या कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, यहां कोई सार्वजनिक पार्क नहीं है अतः अनधिकृत कब्जे का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं, जब प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुआ तो कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं कोई अतिक्रमण नहीं हुआ अत: कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जब कोई अतिक्रमण ही नहीं है तो हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जो सार्वजनिक भूमि ही नहीं है, तो अतिक्रमण रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 201 (स्थगित)

विद्याधर नगर, जयपुर की सीवरेज लाइन

202. **श्री किशनगोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुराने विद्याधर नगर (जयपुर) में सीवरेज लाइन डाली हुई नहीं है ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान पर नागरिकों की सुविधा के लिये सीवरेज लाइन डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त लाइन कब तक डाल दी जायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकांश नागरिकों द्वारा मूल निकासी के लिये बनाये गये सॉकपिट भर जाने पर सड़क के मध्य ही सॉकपिट बना लिये गये हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सॉकपिटों के पास से जल व्यवस्था के लिये पाइप लाइन भी डाली हुई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि हाल ही में उक्त सड़क पर दूरभाष के लिये केबिल भी डाले गये हैं ? यदि हां, उक्त मार्ग में स्थान नहीं होने से सीवरेज लाइन कहां डाली जावेगी ?

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

(6) क्या सरकार ने उक्त सीवरेज लाइन को प्राथमिकता से डालने के लिये अभी तक कोई योजना तैयार नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि तैयार नहीं की है तो योजना का ब्लू प्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) नागरिकों की सुविधा के लिये आन्तरिक सीवर लाइन डालना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं जन सहयोग प्राप्त होने पर ही सम्भव हो सकेगा ।

(3) जी, हां ।

(4) जी, हां ।

(5) जी, हां । विस्तृत सर्वेक्षण के बाद सीवर लाइन हेतु उपयुक्त स्थान निश्चित करना सम्भव होगा ।

(6) पुराने विद्याधर नगर (जयपुर) हेतु एक योजना बनाई गई है । ब्लूप्रिन्ट की छाया प्रतिलिपि संलग्न है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

स्थानीय निकाय विभाग के निलम्बित कर्मचारी

203. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के पत्रांक : एफ. 2(घ)(771)जांच/डी एल बी/93/1840, दिनांक 27-10-93 की अनुपालना में निलम्बित कर्मचारियों को बहाल किया जा चुका है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) निदेशक के आदेश से निलम्बित कर्मचारियों को बिना विभागीय आज्ञा के बहाल करने के लिए कौन दोषी है तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । अध्यक्ष, नगर पालिका, नैनवा द्वारा बहाल किया गया है । आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस बारे में जांच की जा रही है । वरिष्ठ लिपिक व कनिष्ठ लिपिक को पुनः निलम्बित कर मुख्यालय बूंदी कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय का स्पष्टीकरण लिया जा रहा है ।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें ।)

विजयबाड़ी (जयपुर) की सड़क की भूमि पर अतिक्रमण

204. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पथ नं. 3 विजय बाड़ी, ढेर के बालाजी, जयपुर में अवैध रूप से डेयरी संचालन से तथा भैंस

34

(श्री खेतसिंह राठौड़)

आदि जानवरों को अवैध रूप से बांधने से पथ नं. 3 पर गहरा गढ्ढा पड़ गया है ?

(2) क्या उक्त गढ्ढे में डेयरी का गन्दा पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो इसके संबंध में विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त गड्ढे को आवागमन बाबत समतल करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ? अब कब तक समतल करवा दिया जायेगा ?

(4) उक्त प्रकार के गड्ढे एवं गन्दा पानी तथा भैंसों को रोड़ पर नहीं बांधने के लिए निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या यही स्थिति परसराम नगर स्कीम नं. 5 की भी है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्व में गलत रिपोर्ट देने की शिकायत किसी मा. विधायक द्वारा शासन सचिव को की थी ? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पथ नं. 3, विजयबाड़ी, ढेर के बालाजी, जयपुर का मौका निरीक्षण कराने पर मकान नम्बर 149 के मालिक लक्ष्मीनारायण कुमावत तथा कमल कुमावत द्वारा उनके प्लाट नं. 149 में भैंस पालकर डेयरी संचालन का कार्य होता हुआ पाया गया । मौका निरीक्षण से यह बात सही नहीं है कि भैंस आदि जानवरों को पथ नं. 3 पर बांधने से कोई गढ्ढा पड़ गया है । मौके पर इस समय कोई गहरा गड्ढा नहीं है ।

(2) मौके पर कोई गहरा गढ्ढा नहीं पाया गया और पानी भी भरा हुआ नहीं पाया गया है ।

(3) मौके पर गहरा गढ्ढा इस समय नहीं है और इस स्थल से आवागमन में इस समय कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है । यह स्थान समतल करा दिया गया ।

(4) इस प्रकार के गड्डे करने वाले, गंदा पानी डालने वाले तथा भैंसों को रोड़ पर बांधने वालों के विरुद्ध न्यायालय में चालान करने हेतु स्वास्थ्य निरीक्षक तथा मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक को पाबन्द कर दिया गया है । परसराम नगर स्कीम नं. 5 में डेयरी चलाने वाले तथा सड़क पर गढ्ढे करने वाले तथा सड़क पर गंदा पानी भरने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश करने हेतु क्षेत्रीय स्वास्थ्य निरीक्षक तथा मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक को पाबन्द कर दिया गया है ।

(5) शिकायत के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

205. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी जिन्हें

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

31 मार्च, 1990 को दो वर्ष पूर्ण हो चुके थे, को अर्द्धस्थायी घोषित किया जाकर कार्य प्रभारित वेतन श्रृंखला दे दी गई है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1990 से कार्य कर रहे विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हें 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, को अर्द्धस्थायी घोषित कर कार्य प्रभारित वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं कब तक इन्हें अर्द्धस्थायी घोषित किया जाकर कार्य प्रभारित वेतन श्रृंखला दे दी जायेगी ?

(3) विभाग में जयपुर शहर में ऐसे दैनिक वेतन पर कार्यरत कितने कर्मचारी हैं जिन्हें कार्य प्रभारित वेतन श्रृंखला दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । दो वर्ष की अवधि समाप्ति की दिनांक से अर्द्धस्थायी घोषित किया जाकर वेतन श्रृंखला दी गई है ।

(2) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-3-95 के अनुसार दि. 31-3-94 तक दो वर्ष या अधिक सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी घोषित कर 1-1-95 से वेतन श्रृंखला का लाभ देने के आदेश दिये गये हैं । उपरोक्त आदेशों के तहत अर्द्धस्थायी घोषित कर वेतन श्रृंखला का लाभ दिये जाने की कार्यवाही जारी है ।

(3) जयपुर शहर में दैनिक वेतन पर 193 कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 1-1-95 से कार्य प्रभारित श्रृंखला दिया जाना प्रस्तावित है । सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

नगर परिषद् भीलवाड़ा, द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

206. **श्री कालूलाल गुर्जर** (मांडल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा किन-किन व्यक्तियों, समाजों एवं संस्थाओं को नगर परिषद् की भूमि व बिला नाम सवाईचक भूमि एवं स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि पर निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अगस्त 1990 से 28 फरवरी, 1995 तक दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) नगर परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा दिये गये उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र किन-किन अधिकारियों द्वारा जारी किये गये ? अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये कौन अधिकारी अधिकृत है ? क्या सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही जारी किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) नगर परिषद् के निर्माण एवं संपरिवर्तन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के क्या-क्या नियम हैं ? उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में कौन-कौन से अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमानुसार और कौन-कौन से नियमों के विपरीत हैं ?

उत्तर

(1) नगरपरिषद्, भीलवाड़ा द्वारा अगस्त, 1990 से 28 फरवरी, 1995 तक जिन व्यक्तियों, समाज व संस्थाओं को नगरपरिषद् को भूमि व बिला नाम अथवा सिवाय चक भूमि एवं स्वयं को खातेदारी कृषि भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) कृषि भूमि रूपान्तरण से पूर्व भूमि रूपान्तरण अधिकारी द्वारा जो निरापत्ति प्रमाण पत्र नगर परिषद् से मांगा जाता है। उक्त एन. ओ. सी. परिषद् के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरों से ही जारी होती है, तथा ऐसे सभी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा ही जारी किये गये हैं।

(3) नगरपरिषद् क्षेत्र में कृषि संपरिवर्तन के लिए राजस्थान संपरिवर्तन नियम बने हुए हैं। नगर परिषद् क्षेत्र में निजी खातेदारी की भूमि के संपरिवर्तन के पूर्व नगर परिषद् द्वारा निरापत्ति प्रमाण पत्र देते समय नगरपरिषद् द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि उक्त भूमि अवाप्ति के अधीन तो नहीं है, परिषद् की कोई योजना तो नहीं है, उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रख कर ही केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। भूमि का रूपान्तरण तो केवल सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। परिषद् द्वारा जारी किए गए निरापत्ति प्रमाण पत्र नियमानुसार ही हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

तहसील पचपदरा के गांवों की पेयजल योजना

207. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गोला सोढा, मूल की ढाणी, देम्मो की ढाणी, सारणों की बेरी चिलानाडी, नवातला, आराबा चौहान, गोदावास कलां, आराबा इदावतों, सरवडी आदि ग्रामों में पेयजल वितरण की कोई योजनाएं हैं? यदि हां, तो क्या वहां पेयजल वितरण नियमित हो रहा है? यदि नहीं, तो कब तक नयी योजनाएं बनाकर उक्त ग्रामों में नियमित पीने का पानी पहुंचा दिया जाएगा?

(2) क्या यह सही है कि पचपदरा तहसील में जल स्रोतों की कोई कमी नहीं है? क्या सरकार कोई योजना बनाकर अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या आराबा चौहान, आराबा इदावतों, मूलकी ढाणी में देरिया ग्राम से 9 किलोमीटर पाइप लाइन लगाने से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है? यदि हां, तो इस कार्य को करने में क्या बाधा आ रही है?

(4) क्या गोलसोढा को भी मरलाई ग्राम से 8 किलोमीटर सीधी पाइप लाइन लगाकर वहां 15 साल पुरानी जल समस्या का समाधान किया जा सकता है? यदि हां, तो यह योजना बनाकर कब तक इसे

(श्री अमराराम चौधरी)

ग्राम के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया जावेगा ?

(5) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पचपदरा तहसील में इस वर्ष कोई नये कुए व हैण्ड पम्प खोदने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या सरकार ने बालोतरा शहर व जसोल ग्राम के मनणावास की पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए ओवर हैड टैंक बनाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

उत्तर

(1) संदर्भित ग्रामों में से ग्राम गोलसोढ़ा, अराबा चौहान, अराबा दूधावतान सरबड़ी एवं गोदावत कलां क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से पहले ही से लाभांवित है लेकिन इनमें जल वितरण नियमित नहीं हो रहा है । ग्राम मूल की ढाणी, दायमों की ढाणी, सारणों की बेरी चिलानाड़ी एवं नवातला अभी तक पेयजल योजना से लाभांवित नहीं है ।

ग्राम मूल की ढाणी के लिये पेयजल योजना की स्वीकृति दे दी गई है । ग्राम दायमों की ढाणी तथा नवातला की पेयजल योजनाएं अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं । ग्राम चिलानाड़ी एवं ग्राम सरनों की बेरी के लिये अभी पेयजल योजनायें बनाई जा रही हैं ।

ग्राम गोलसोढ़ा एवं सरबड़ी की पेयजल समस्या के समाधान हेतु परिवर्धित योजनायें बनाई जा रही हैं । ग्राम अराबा चौहान एवं अराबा दूधावतान की आगुमेंन्टेशन योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं । ग्राम गोधावास कलां की अनियमित जल वितरण की समस्या का समाधान गोरो की ढाणी की स्वीकृत पेयजल योजना के चालू करने से हो जायेगा ।

(2) पचपदरा तहसील के अधिकतर ग्रामों में पीने योग्य पेयजल उपलब्ध नहीं है । अतः तहसील में उपलब्ध स्रोतों से अधिकतम ग्रामों को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के माध्यमों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । इस तहसील के आबाद 189 ग्रामों में से 139 ग्रामों को पेयजल लगातार एवं सुचारु रूप से उपलब्ध हो रहा है । 28 ग्रामों में पेयजल अनियमित तथा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों से कम मात्रा में मिल रहा है तथा 4 ग्रामों में पेयजल वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो रहा है । 18 ग्राम अभी अलाभान्वित हैं । उपरोक्त अभावग्रस्त ग्रामों में से 15 ग्रामों के लिये आगुमेन्टेशन पेयजल योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा शेष ग्रामों में भी पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

(3) ग्राम आराबा चौहान एवं अराबा दुधावतान के लिये होली ग्राम से योजना बनाई गई है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है । ग्राम मूल की ढाणी के लिये डेरिया ग्राम में जल स्रोत लेकर योजना स्वीकृत की जा चुकी है, जिसे वर्ष 1995-96 में पूरा किया जाना वर्तमान में प्रस्तावित है ।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) गोलसोढ़ा की पेयजल समस्या का समाधान भीमदलाई ग्राम में बूस्टर लगाकर वर्तमान में स्थापित पाइप लाइन से ही, पम्पिग कर वर्ष 1995-96 में किया जाना प्रस्तावित है।

(5) पचपदरा तहसील में वर्ष 94-95 में जो योजनायें स्वीकृत की गई है उनकी सूची प्रपत्र 'क' में उपलब्ध है तथा वर्ष 95-96 में जो योजनायें प्रस्तावित है, उनकी सूची भी प्रपत्र 'ब' में उपलब्ध है।

(6) विभाग की जानकारी के अनुसार जसोल ग्राम में मनणावास नाम का कोई ग्राम अथवा मौहल्ला नहीं है अतः वहां उच्च जलाशय बनाये जाने की योजना का कोई प्रश्न ही नहीं है। बालोतरा शहर के लिए भी उच्च जलाशय बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

नगरपालिका बगरू के हैण्ड पम्प्स

208. **श्री भीखाभाई** (सागवाड़ा) : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बगरू नगरपालिका, जिला जयपुर में कितने हैण्ड पम्प ठीक हैं और कितने हैण्ड पम्प बन्द (खराब) हैं? मौहल्लेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने हैण्ड पम्प खराब हैं, जिनको कभी ठीक कराने का प्रयास ही नहीं किया गया है?

(3) अनुसूचित जाति के रैगरो के मौहल्ले में कितने हैण्ड पम्प कितने समय से खराब पड़े हैं? क्या इन्हें कभी ठीक कराने का प्रयास किया गया? सरकार इन्हें कब तक ठीक कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बगरू नगरपालिका क्षेत्र में स्थापित कुल 53 हैण्ड पम्प में से 52 हैण्डपम्प चालू हैं एवं एक हैण्डपम्प परित्यक्त है। स्थापित हैण्डपम्पों की मौहल्लेवार सूची, संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दी गई है।

(2) उक्त (1) के अनुरूप प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) वर्तमान में, रैगरों के मौहल्ले में कोई भी हैण्डपम्प खराब नहीं है। वहां 7 हैण्डपम्प लगे हुए हैं, एवं सभी चालू हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

तहसील बौंली (सवाई माधोपुर) में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

209. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार जिला सवाई माधोपुर के तहसील मुख्यालय बौंली में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

ग्राम भावरू, तहसील बैराठ, जयपुर का विद्युतीकरण

210. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भावरू, तहसील बैराठ, जिला जयपुर पूर्णरूपेण विद्युतीकृत ग्राम है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम में प्रवेश करते ही मीणा मोहल्ला (प्रथम) एवं नाथों (जोगियों) के मोहल्ले में विद्युत लाइन के खम्बे 2 वर्ष से पड़े होने के बावजूद वहां पर अभी तक लाइन चालू नहीं की गई ? यदि हा, तो क्यों एवं इसके कौन दोषी है ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम के पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को विद्युत लाइन चालू करवाकर शीघ्रातिशीघ्र विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है यदि हां तो कब तक एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम भावरू, तहसील बैराठ, जिला जयपुर विद्युतीकृत ग्राम है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है। नाथों (जोगियों) एवं मीणा के मोहल्ले में जो खम्भें लगे हैं उन सभी पर तार खींचे हुये हैं एवं विद्युत की सप्लाई चालू है। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(3) उक्त मोहल्लों में लगे खम्भों पर सप्लाई लाइन डली हुई है एवं इस लाईन से सप्लाई भी चालू है व घरेलू कनेक्शन भी दे रहे हैं।

राज्य की विद्युत प्रेषण लाइनें

211. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की कई प्रेषण लाइनें अत्याधिक पुरानी हो गई हैं और इन लाइनों से होने वाली छीजत से भी मण्डल को घाटा होता है ? यदि हां, तो इससे प्रतिवर्ष अनुमानित कितना घाटा होता है ?

(2) क्या मण्डल ने पुरानी प्रेषण लाइनों को वदलने का कोई कार्यक्रम अथवा योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पुरानी प्रेषण लाइनों को वदलने में अनुमानतः मण्डल को कितनी राशि व्यय करनी पड़ेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, कण्डक्टर से करेंट प्रवाहित होने पर विद्युत छीजत होना कण्डक्टर का स्वाभाविक गुण है। प्रेषण लाइनें अत्यधिक पुरानी होने के कारण छीजत में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती है छीजत में बढ़ोतरी उन लाइनों पर भार बढ़ने से होती हैं। इस प्रकार हुई छीजत से घाटे

(ऊर्जा मंत्री)

का अलग से आकलन किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं, जिन लाइनों पर क्षमता से अधिक भार होता है उन लाइनों पर भार कम करने हेतु नई या उच्च वोल्टेज की लाइनें व सब स्टेशन प्रत्येक वर्ष उपलब्ध बजट के अनुसार खींच कर उन पर भार व अन्ततः छीजत कम करने के प्रयास किये जाते हैं।

(3) जैसा कि पहले कहा जा चुका है प्रेषण लाइनों के पुराने होने मात्र से ही छीजत में बढोतरी नहीं होती। शिरोपरी ट्रांसमिशन व वितरण लाइनों की सामान्य अवधि 25 से 35 वर्ष है जिसके बाद कण्डक्टर के ऐनिल (Annel) हो जाने से व उस कारण बार-बार टूटने से उन्हें बदलना आवश्यक होता है, परन्तु यह देखा गया है कि उस अवधि से पूर्व ही क्षमता से अधिक भार बढ़ने से नई लाइनें डालना आवश्यक हो जाता है जिसे प्रतिवर्ष योजना बद्ध रूप से बजट के अनुरूप किया जाता है।

ग्राम चाचपुरा पंचायत समिति कुचामन सिटी में 100 के. वी. ट्रांसफार्मर की स्थापना

212. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि कुओं पर जले हुए ट्रांसफार्मर वापस देने का समय निर्धारित है? यदि हां, तो कितना?

(2) क्या पंचायत समिति कुचामन सिटी के ग्राम चाचपुरा में सुजाराम जडावटा तथा अन्य तीन कुओं पर 100 के. वी. का ट्रांसफार्मर समय की सीमानुसार दिया गया? यदि हां, तो कितने दिनों बाद? यदि नहीं तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, कृषि कुओं पर जले हुये ट्रांसफार्मर दस दिन में वापिस लगाने (देने) के निर्देश हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर उपलब्ध न होने या सूचना मिलने में विलम्ब की स्थिति में ट्रासफार्मर बदलने में कभी-कभी दस दिन से ज्यादा का समय भी लग सकता है। विद्युत मण्डल की विकट आर्थिक स्थिति के कारण कई बार समय पर सामान नहीं मिल पाता है।

(2) पंचायत समिति कुचामनसिटी ग्राम चांदपुरा में श्री सुजाराम जडावटा तथा अन्य तीनों उपभोक्ताओं के 100 के. वी. ए. का कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ था, उक्त उपभोक्ताओं के यहां 63 के.वी. ए. का ट्रान्सफार्मर लगा हुआ था जो दिनाक 25-4-1994 को जला था जिसे प्राथमिकता के आधार पर 63 के. वी. ए. का अन्य ट्रांसफार्मर दिनांक 28-5-1994 को उक्त उपभोक्ताओं को दिया गया था, जिसको उपभोक्ताओं ने रि-रिपेयर्ड कहते हुये लगवाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरा रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर दिनांक 4-6-1994 को दिया गया। लेकिन उपभोक्ताओं ने फिर भी लगवाने से मना कर दिया। विशेष प्रयत्नों के द्वारा इसी ट्रांसफार्मर को दिनांक

(ऊर्जा मंत्री)

13-6-1994 को उपभोक्ताओं के कुओं पर लगाकर चालू कर दिया गया। इस अवधि में उपभोक्तताओं की विद्युत सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई थी। इसमें मण्डल का कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अभियंताओं की आम हड़ताल

213. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के अभियन्ताओं द्वारा 23 अप्रेल, 1992 से अनिश्चित कालीन हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसके सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी ?

(2) क्या इस हड़ताल के आह्वान के बाद अभियन्ताओं की मान्यता प्राप्त एसोसियेशन से उनके द्वारा पूर्व में दिए गए मांग पत्र पर कोई बातचीत मंडल प्रशासन व एसोसिएशन के बीच हुई ?

(3) क्या इस सम्भावित हड़ताल को रोकने अथवा नहीं होने देने हेतु सरकार या मंडल द्वारा कोई आश्वाकन दिए गए ? यदि हां, तो क्या आश्वासन दिये गये और उनकी पूर्ति हुई है अथवा नहीं ?

(4) क्या इस हड़ताल के आह्वान के पश्चात् रेश्मा कानून के तहत कुछ अभियन्ताओं पर मुकदमें लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सन्दर्भ में कुछ अभियन्ताओं को बर्खास्त या निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या निलम्बित अभियन्ताओं को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ?

(7) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के अभियन्ताओं को उत्तरी भारत के अन्य बिजली बोर्डों के अभियन्ताओं के अनुरूप समयबद्ध वेतन श्रृंखला दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बिजली इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा दिनांक 22-4-92 को रात्रि को नौ बजे से प्रारम्भ होने वाली पाली के अभियन्ताओं को शामिल करते हुए दिनांक 23-4-92 से हड़ताल का आह्वान किया गया था। यह सही है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी।

(2) जी नहीं। हड़ताल का आह्वान बिजली इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने किया था। अभियन्ताओं के विवरण संगठनों के पदाधिकारी राज्य सरकार व विद्युत मण्डल के अधिकरियों से अपनी मांगों के सम्बन्ध में वार्ता करते रहे हैं।

(3) जी नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिये गये।

(4) जी हां, इनकी अधिकृत सूची गृह

(ऊर्जा मंत्री)

विभाग, राज्य सरकार से ही प्राप्त की जा सकती है।

(5) जी हां। जिन परिवीक्षाधीन कनिष्ठ अभियन्ताओं की सेवायें बर्खास्त की गई थी उन्हें (एक को छोड़कर) विद्युत मण्डल में पुनः नियुक्ति दी जा चुकी है तथा जिन अभियन्ताओं को हड़ताल के दौरान निलम्बित किया गया था उन सभी को बहाल कर दिया गया था। उपलब्ध सूचना से संकलित सूची "अ" संलग्न है।

(6) निलम्बित, अभियन्ताओं को नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता किया गया है।

(7) जी नहीं। विद्युत मण्डल के अभियन्ताओं के वेतनमान राज्य सरकार के वेतनमानों के समकक्ष प्रारम्भ से ही रहे हैं। सरकार विद्युत मण्डल के अभियन्ताओं के वेतनमान राज्य सरकार के वेतनमानों के समकक्ष ही रखने का विचार रखती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की आय

214. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) **एवं श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को गत तीन वर्षों में कुल कितनी आय हुई ? वर्षवार एवं जिलावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल में विद्युत चोरी एवं अवैध कनेक्शनों की धरपकड़ करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है ? यदि हां, तो इनमें कौन-कौन से पद स्वीकृत कर रखे हैं तथा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ? विगत 5 वर्षों में सभी जिलों में गठित सतर्कता प्रकोष्ठ पर व्यय का लेखा-जोखा सदन को मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में उद्योगों हेतु प्रदत्त कनेक्शनों की लाखों रुपये की विद्युत राशि बकाया निकल रही है ? यदि हां, तो 50,000 रुपये से अधिक के कुल कितने मामले हैं ? बकाया निकल रही राशि का जिलावार एवं नामवार तथा किस उद्योग की कितनी राशि है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विद्युत मण्डल घाटे से उबरने के लिये क्या प्रयास कर रहा है ?

उत्तर

(1) मण्डल के लेखों जिलेवार नहीं बनाये जाते हैं, अतः जिलेवार आय बता पाना सम्भव नहीं है। मण्डल के गत तीन वर्षों में वर्षवार निम्न वर्णित कुल आय प्राप्त हुई थी :—

वर्ष	कुल आय (रुपये करोड़ों में)
1991–92	980.41
1992–93	1250.01
1993–94	1436.98

(ऊर्जा मंत्री)

उपरोक्त कुल आय में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं पूर्व वर्षों से सम्बन्धित समायोजित आय सम्मिलित नहीं है ।

(2) यह सत्य है कि विद्युत मण्डल में विद्युत । (अ) चोरी एवं अवैध कनेक्शनों को धर पकड़ करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर निम्नलिखित जिलों को छोड़कर सतर्कता प्रकोष्ठ प्रतिस्थापित हैं :—

(1) बांसवाड़ा (2) डूंगरपुर (3) चित्तोड़गढ़ (4) बूंदी (5) बारां (6) टोंक (7) दौसा (8) बाड़मेर (9) जैसलमेर (10) जालौर (11) हनुमानगढ़ (12) राजसमन्द (13) धोलपुर (14) चूरू (15) सिरोही ।

(ब) सतर्कता प्रकोष्ठ में निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं :—

1.	सहायक अभियन्ता	1
2.	उप निरीक्षक पुलिस	1
3.	मुख्य सिरीक्षक पुलिस	1
4.	आरक्षी पुलिस	3
5.	कनिष्ठ लेखाकार	1
6.	कनिष्ठ लिपिक	1
7.	वाहन चालक	1
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

(स) सतर्कता प्रकोष्ठ को उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त एक वाहन, विद्युत चोरी को पकड़ने के लिये उपकरण, उपलब्ध करवाये हुये हैं । विशेष सतर्कता जांच के दौरान तथा जघन्य चोरी के क्षेत्रों में चोरी पकड़ने के लिये स्थानीय पुलिस की सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है । विद्युत चोरी पकड़ने के लिये वसूल की गई अतिरिक्त राजस्व राशि पर मण्डल द्वारा जांच दल को प्रोत्साहित करने हेतु 10 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्येक मामले में नकद पुरस्कार राशि दी जाती है । सतर्कता दल में पद स्थापित प्रत्येक सहायक अभियंता को रुपये 75/- प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन भी दिया जाता है ।

(द) विगत पांच वर्षों में जिला मुख्यालयों पर स्थापित सतर्कता प्रकोष्ट पर निम्नलिखित व्यय की राशि है :—

वर्ष	व्यय की राशि
1989-90	24.64 लाख
1990-91	36.47 लाख
1991-92	49.60 लाख
1992-93	61.92 लाख
1993-94	72.76 लाख

(3) बिलिंग माह दिसम्बर, 1994 तक विद्युत मण्डल के उच्च तापीय विद्युत उपभोक्ताओं में कुल 125.72 करोड़ रुपये को राशि बकाया थी । 50,000 रुपये से अधिक बकाया राशि वाले उच्च तापीय उपभोक्ताओं की वृतवार सूची तालिका "अ" संलग्न है ।

(4) विद्युत मण्डल ने घाटे से उबारने के लिये निम्न प्रयास किये हैं :—

(५५)

(ऊर्जा मंत्री)

(1) राज्य सरकार की सहमति से विद्युत दरों में सितम्बर, 1992 एवं जून, 1994 में संशोधन कर बढोतरी की गई है।

(2) निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप मण्डल ने वर्ष 1990–91 से कोटा तापीय विद्युत गृह के 45% प्लांट लोड फैक्टर को वर्ष 1992–93 व 1993–94 में क्रमशः 77.01% तक बढ़ा दिया गया है।

(3) मण्डल द्वारा बकाया वसूली के लिये सघन वसूली अभियान चला रखा है। उपभोक्ता परिसर की बार-बार जांच एवं निगरानी के फलस्वरूप विद्युत की चोरी, त्रुटिपूर्ण मीटर रीडिंग एवं बिलिंग पर नियन्त्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। राजस्व की वसूली हेतु "प्रोत्साहन योजना" भी लागू की जा रही है।

(4) प्रसारण व वितरण में होने वाली ऊर्जा को क्षति को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु उप प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाये जाने एवं केपेसिटर बैंक की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही मीटरिंग व्यवस्था में नवीनीकरण द्वारा भी ऊर्जा को क्षति कम होने की सम्भावना है। इन सब उपयों द्वारा ट्रांसफार्मर्स के जलने की घटनाओं में भी कमी आई है।

(5) तकनीकी क्षेत्र में अति-आवश्यक नियुक्तियों को छोड़कर नई नियुक्तियों पर 31-5-1980 से प्रतिबन्ध लगा रखा है।

(6) बजट नियन्त्रण हेतु आदेश प्रसारित किये हुये हैं, प्रावधान से अधिक व्यय करने पर नियन्त्रण है।

(7) वाहनों के संचालन एवं संधारण व्यय की सीमा निर्धारित कर रखी है।

(8) खर्चे पर नियन्त्रण हेतु मण्डल के आन्तरिक अंकेक्षण शाखा द्वारा व्यय अंकेक्षण कराया जा रहा है। राजस्व अंकेक्षण रिपोर्ट चिन्हित कम राजस्व की वसूली के मामलों में सही राजस्व को वसूली की जाती है।

(9) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को दिये ऋणों में से 623.09 करोड़ रुपये की राशि को अंश-पूंजी में बदल दिया गया है जिससे वर्ष 1991–92 से राज्य सरकार के ऋणों पर देय ब्याज की राशि का दायित्व 51.97 करोड़ रुपये से कम हो गया है। 31–3–1994 को बकाया राजकीय ऋणों 1536.27 करोड़ रुपयों में से 50% को भी अंश-पूंजी में परिवर्तन सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(10) राज्य सरकार ने वर्ष 1991-92 से विद्युत मण्डल को विद्युत (प्रदाय) नियम 1978 की धारा 63 के तहत निरन्तर अनुदान दिया है, जिसके फलस्वरूप मण्डल वर्ष 1991–92 से वर्ष 1993–94 में लाभ के साथ ही पूंजीगत आधार (Capital Base) पर 3%. प्रत्याय को अर्जित किया है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला चूरू के कृषि कुओं का विद्युतिकरण

215. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला चुरू में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में कुल कितने कृषि कुओं को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? वर्षवार निर्धारित लक्ष्य का विवरण ग्राम व तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वर्षों में आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति कर दी गई है एवं डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब?

(3) क्या डिमाण्ड नोटिस की रकम जमा करवा दी गई है?

उत्तर

(1) जिला चुरू में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में क्रमशः 250 व 479 कृषि कुओं को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्षवार निर्धारित लक्ष्यों का विवरण तहसीलवार निम्न प्रकार से हैं—

क्र.सं. पं.स./तह. का नाम	वर्ष 93-94 के लक्ष्य	वर्ष 94-95 के लक्ष्य
1. चूरू	15	38
2. सरदार शहर	24	37
3. राजगढ़	123	194
4. सुजानगढ़	26	42
5. डूंगरगढ़	39	121
6. रतनगढ़	12	35
7. तारानगर	11	1
योग	250	479

(2) वर्ष 1993-94 में लक्ष्यों के सापेक्ष 323 कृषि कनेक्शन जारी कर लक्ष्यों से अधिक की पूर्ति की गई है। वर्ष 1994-95 में आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष माह फरवरी, 95 तक 612 कृषि कनेक्शनों के मांग पत्र जारी किये गये। इनके सापेक्ष 196 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शेष लक्ष्यों की पूर्ति मार्च, 95 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

(3) चूरू जिले में वर्ष 1993-94 में 312 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवाई गई थी। वर्ष 1994-95 में 446 आवेदकों द्वारा माह फरवरी, 95 तक मांग पत्र की राशि जमा करवाई गई है।

जिला उदयपुर की वन उपज

216. **श्री महावीर भगोरा**: (गोगुन्दा) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले के वनों में किस-किस नस्ल की वन उपज उपलब्ध होती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपलब्ध वन उपजों के संग्रहण की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या उपलब्ध सभी वन उपज का संग्रहण होता है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(श्री महावीर भगोरा)

(3) उपलब्ध सभी प्रकार की वन उपज से विभाग की प्रति वर्ष कितनी आय होती है ?

(4) क्या सरकार वन उपज का संग्रहण कार्य व बेचान विभाग के व्यापार मण्डल से कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस प्रकार से ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के वनों में मुख्यतः बांस, तेन्दूपत्ता, सागवान, आंवल छाल, महुआ फूल, अराठा, फुहाड मरोडफली, कोटबड़ी रतनजोत, कणजी, चित्रक, पलास के पत्ते, सीताफल, बहेड़ा, बेल आंवला, सफेद मूसली शहद, मोम, गोंद इत्यादि नस्ल की वन उपज पाई जाती है ।

(2) जी हां, उपलब्ध वन उपज के संग्रहण की निम्न व्यवस्था है ।

(क) सूखी गिरी पड़ी लकडी, जलाऊ एव छोटी इमारती लकड़ी व बांस का संग्रहण विभागीय कार्य मंडल द्वारा किया जाता है ।

(ख) तेन्दू पत्ते का संग्रहण एवं निष्पादन राजस्थान तेन्दू पत्ता व्यापार का विनियमन नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ एवं विभागीय स्तर पर किया जाता है ।

(ग) लघु वन उपज का संग्रहण कार्य जनजाति क्षेत्र में राजस्थान संघ लिमिटेड, उदयपुर द्वारा करवाया जाता है । उपलब्ध सभी वन उपज का संग्रहण नहीं होता है । क्योंकि विगत वर्षों से सालर व कड़ाया वृक्षों के गोंद का संग्रहण प्रतिबन्धित है ।

(3) वन उपज से विभाग को प्रतिवर्ष औसन रुपये 1128 लाख की आय होती है ।

(4) वन उपज के संग्रहण एवं निस्तारण हेतु वर्तमान में प्रचलित उपरोक्त व्यवस्था में प्रशासनिक/व्यवहारिक कारणों से परिवर्तन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मगरा (जोधपुर) में अनियमित विद्युत प्रदाय

217. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मगरा (मण्डोर) जोधपुर में अमुमन बिजली बन्द रहना, बार-बार बिजली बन्द हो जाना, फाल्ट हो जाना, फ्यूज उड़ जाना आदि आम शिकायत रहती है ? यदि हां, तो इसके सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या सरकार नया बास (मगरा) में नया ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक व कितनी क्षमता का ?

उत्तर

(1) मगरा मंडोर वर्तमान में 11 के. वी. लाइन जो कि लालसागर सब

(ऊर्जा मंत्री)

स्टेशन से निकलती है उस पर ग्रामीण क्षेत्र का लोड होने के कारण इस क्षेत्र में विद्युत व्यवधान आने की सम्भावना रहती है। लेकिन इसके निराकरण के लिये तकनीकी कर्मचारी हर समय लालसागर सब स्टेशन पर उपलब्ध रहते हैं, जिससे फाल्ट होना, फ्यूज उड़ जाना इत्यादि शिकायतों का निराकरण किया जाता है। इस क्षेत्र की विद्युत समस्या के निस्तारण हेतु मंडल द्वारा मंडोर औद्योगिक क्षेत्र के लिये पृथक रूप से लालसागर 33/11 के. वी. सब स्टेशन से, 11 के. वी. लाईन स्वीकृत कर दी गई है और इसके पूरा हो जाने पर विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का स्थायी समाधान हो जायेगा।

(2) इस क्षेत्र में तकनीकी दृष्टि से नया ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

पंचायत समिति डग का विद्युतीकरण

218. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) डग पंचायत समिति के कौन-कौनसे गांव हैं जो विद्युतीकृत हैं ?

(2) इन गांवों का विद्युतीकरण किन-किन वर्षों में किया गया ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) डग पंचायत समिति में ऐसे कौन-कौनसे गांव हैं जिन्हें विद्युतीकृत किया जाना शेष है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ में कुल 232 ग्राम हैं, जिनमें से माह मार्च, 94 के अन्त तक 127 ग्रामों को विद्युतिकृत घोषित किया जा चुका है। विद्युतिकृत ग्रामों की सूची 'अ' संलग्न हैं।

(2) ग्रामों के विद्युतीकरण की तारीख उपरोक्त सूची में दर्शा दी गई हैं।

(3) पंचायत समिति डग के शेष 106 अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची 'ब' संलग्न है। अविद्युतीकृत ग्रामों को संसाधनों की उपलब्धि के अनुरूप ही आगामी वर्षों के ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में शनैः-शनैः ही सम्मिलित किया जा सकेगा। सभी ग्रामों का एक साथ विद्युतिकरण किया जाना सम्भव नहीं है। विस्तार से अधिक आवश्यकता सुदृढ़िकरण की है ताकि सेवाओं में गिरावट नहीं आवे।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

वन मण्डल जहाजपुर की भूमि पर अतिक्रमण

219. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर वन मण्डल में निहित वन भूमि तथा अधिकतम सीमा से प्राप्त वन भूमि में अतिक्रमण किया हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस वन खण्ड में कितनी-कितनी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भूमि पर किस-किस का अतिक्रमण है ? नामावली सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि अतिक्रमण के मामले में विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो किस वन खण्ड में कितनी-कितनी भूमि पर से अतिक्रमण हटा कर विभाग के कब्जे में लिया गया है ? विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि खोहराकलां तथा मावकागुढ़ा क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण तथा रास्ते आदि का विवाद है ? यदि हां, तो इस बाबत कब क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जहाजपुर रेंज में निहित वन भूमि पर 9 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिनकी नामजद सूची मय अतिक्रमित क्षेत्र एवं नाम वन खण्ड के सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है । अधिकतम सीमा से प्राप्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं है ।

(2) जी हां । अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किये गये हैं । न्यायालय में सुनवाई जारी है, निर्णय होने के उपरान्त ही भूमि से अतिक्रमण हटा कर विभाग के कब्जे में लिया जाना सम्भव होगा । विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्टसुक में दर्शा दिया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें ।)

भीम व देवगढ़ (राजसमंद) तहसीलों के ग्रामों का विद्युतीकरण

220. **श्री लक्ष्मणसिंह** (भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों के किन-किन राजस्व ग्रामों को कब-कब विद्युतिकृत घोषित किया गया था ?

(2) उक्त जिले में उपरोक्त ग्रामों के अतिरिक्त अब कौन-कौनसे राजस्व ग्राम शेष हैं, जिनका विद्युतीकृत किया जाना है ? इन ग्रामों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में जनगणना 1981 के अनुसार क्रमशः 94 व 133 ग्राम हैं जिनमें से माह मार्च, 1994 के अन्त तक 94 व 118 ग्रामों को विद्युतिकृत घोषित किया जा चुका है । सूची "अ" संलग्न है । उसमें विद्युतिकरण की तारीख भी दर्शा दी गई है ।

(2) जिला राजसमन्द में मार्च, 1994 के अन्त में विद्युतिकरण हेतु 51 ग्राम शेष हैं, जिनमें से 24 ग्रामों को वर्ष 1994-95 के ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में विद्युतिकरण हेतु सम्मिलित किया हुआ है । सूची "ब" संलग्न है । इनका विद्युतिकरण

(ऊर्जा मंत्री)

आगामी वर्षों में कर पाना सम्भव होगा। राज्य के कुल ग्रामों का 80.82 प्रतिशत ग्राम विद्युतिकृत हैं जबकि भीम व देवगढ़ तहसीलों में क्रमशः 100 व 80% प्रतिशत ग्राम विद्युतिकृत हैं जिनकी स्थिति राजस्थान के औसत से काफी अधिक है। सीमित संसाधनों के परिपेक्ष में सभी ग्रामों का विद्युतिकरण एक साथ किया जाना सम्भव नहीं है। विस्तार से अधिक आवश्यकता सुदृढ़ीकरण की है ताकि सेवाओं में गिरावट नहीं आये।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में ट्रान्सफारमर्स की खरीद हेतु निविदाएं

221. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79 के अन्तर्गत वांछित प्रक्रिया के लिए स्वयं के विनियम बनाये हैं? यदि हां, तो विनियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(2) वर्ष 1990-91 से वर्ष 1993-94 तक ई. एच. वी. तथा पावर वितरण कितने-कितने खरीदे?

(3) क्या उक्त खरीद आंकलित आवश्यकताओं के अनुसार की गई अथवा उससे अधिक और अधिक की गई, तो उसके क्या कारण थे?

(4) ट्रान्सफारमर्स की खरीद किन फर्मों से की गई तथा उस हेतु किन-किन फर्मों की निविदाएं प्राप्त हुई? निविदाओं का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 79 के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों की सूची तालिका पर संलग्न है। इन विनियमों की स्पेयर प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य किसी नियम विशेष की प्रति चाहें तो उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) वर्ष 1990-91 से वर्ष 1993-94 तक खरीदे गये पावर व वितरण ट्रान्सफार्मर्स का विवरण निम्नानुसार है—

क्र.सं.	90-91	91-92	92-93	93-94
(अ) ईएचटी	22	49	18	66
(ब) पावर	201	145	148	199
(स) वितरण ट्रान्सफार्मर	18173	14495	23010	17247

(3) विभिन्न प्रकार के ट्रान्सफार्मरों की खरीद सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं द्वारा आंकलित आवश्यकताओं के आधार पर मण्डल की पदार्थ एवं प्रबन्ध शाखा द्वारा की जाती है। अत्यावश्यक मांग, तात्कालिक आवश्यकताओं व विद्यमान ट्रान्सफार्मरों के खराब होने के कारण उनको बदलने आदि की आवश्यकताओं की

(ऊर्जा मंत्री)

अतिरिक्त मांग का भी समावेश उपरोक्त खरीद में किया जाता है। इन वर्षों में विभिन्न प्रकार के ट्रान्सफार्मरों की खरीद इस प्रकार से आंकलित आवश्यकताओं के अनुरूप ही की गई थी।

(4) पावर ट्रान्सफार्मर्स की वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक की खरीद निविदाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है तथा वितरण ट्रान्सफार्मर्स का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम

222. **श्री शान्ति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम में उन प्रावधानों को संशोधित करने का विचार कर रही है जो शिक्षण संस्थाओं के संचालकों के लिये अलाभकारी तथा असुविधाजनक है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौनसे प्रावधान हैं जिनके सम्बन्ध में संस्थाओं के संचालकों को आपत्ति है तथा आपत्ति के क्या कारण हैं?

उत्तर

जी हां। गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के सम्बन्ध में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं एवं कर्मचारी संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के सन्दर्भ में उसमें आवश्यक संशोधन करने हेतु राज्य सरकार ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक उच्च राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। प्राप्त अभ्यावेदनों में मुख्य रूप से संस्थाओं को मान्यता देने हेतु निर्धारित मानदण्डों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में आपत्तियां सम्मिलित हैं। उनका विचार है कि अधिनियम के कतिपय प्रावधान उनके लिए संस्था संचालन में असहयोगी हैं। उपरोक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

देवस्थान के मन्दिरों का रख-रखाव

223. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के अधीन आने वाले मन्दिरों के रख-रखाव के लिये विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये हैं?

(2) जोधपुर शहर के प्राचीन मन्दिरों में कारगर व्यवस्थाओं के संचालन के लिये विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी एवं राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के मन्दिरों के रख-रखाव (मरम्मत) हेतु वर्ष 1994-95 में निम्न धनराशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया था :

(देवस्थान मंत्री)

राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार 7,00,000

राजकीय आत्मनिर्भर 10,81,900

(2) जोधपुर शहर के देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर मन्दिरों की व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा फरवरी, 1994 तक मन्दिरों पर होने वाला व्यय निम्न प्रकार है :

प्रत्यक्ष प्रभार 35,180/–

आत्मनिर्भर 67,760/–

राजगढ़ (अलवर) के क्रमोन्नति के प्रस्तावित विद्यालय

224. **श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र (अलवर) में किन-किन विद्यालयों की क्रमोन्नति वित्तीय वर्ष 1995-96 में प्रस्तावित है ? क्रमोन्नत किये जाने वाले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार ने प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय की क्रमोन्नति के क्या मापदण्ड निर्धारित कर रखे हैं ?

(3) क्या राजकीय प्राथमिक विद्यालय झाखड़ा वाया पिनान तहसील राजगढ़ जिला अलवर निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करता है ? यदि हां, तो अब तक इसे क्रमोन्नत क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इसे क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने एवं छात्रों का मनोबल जाग्रत कर शिक्षा की ओर अग्रसर करवाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये ?

(5) क्या यह सही है कि समय-समय पर उक्त ग्राम निवासियों ने विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलकर इस स्कूल को क्रमोन्नत करवाने के लिये प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो अब तक विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वर्ष 1995-96 में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे । सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न हीं नहीं उठता ।

(2) प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु निम्न मानदण्डों को ध्यान में रखा जाता है :–

1. ग्राम पंचायत जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा नहीं है, को प्राथमिकता ।

2. ग्राम की जनसंख्या ।

3. छात्र संख्या

(52)

(शिक्षा मंत्री)

4. फीडर प्राथमिक विद्यालय।

5. निकटतम उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा।

6. भवन व्यवस्था।

(3) आगामी वर्ष 95-96 में प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित वित्तीय सीमा में राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भीखड़ा बाया-पिनान तहसील-राजगढ़ जिला अलवर को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

---

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने एवं छात्रों का मनोबल जाग्रत कर शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कारगर कदम उठाये गये हैं। जिनमें से प्रमुख का विवरण निम्नानुसार है :—

1. राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 5 तक के समस्त बालकों तथा कक्षा-1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की अभिनव एवं महत्वकांक्षी योजना प्रारम्भ की है।

2. विभिन्न स्तर के विद्यालयों की निकटतम सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2268 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गए है। इसके अतिरिक्त 1192 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 148 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा 165 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।

3. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरस्वती योजना प्रारम्भ की गयी है।

4. ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6 मण्डल मुख्यालयों पर बालिका छात्रावास निर्माण कराए जा रहे है।

5. दूर दराज के गांवों में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षाकर्मी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

6. सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लोक जुम्बिश परियोजना का क्रियान्वयन।

7. जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं रेगिस्तानी जिलों में अनु. जाति/जनजाति विद्यार्थियों को पोशक हेतु 90/- रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

8. 6-14 आयु के वंचित वर्ग हेतु अनोपचारिक शिक्षा के 13,600 केन्द्र संचालित है।

9. राज्य के 14 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता तथा 2 जिलों में उत्तर साक्षरता विभिन्न चरणों में क्रियान्विति की जा रही है।

(5) विद्यालय क्रमोन्नति हेतु विभाग के पास विभिन्न स्तरों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं जिन पर विद्यालय क्रमोन्नत करते समय समग्र रूप से विचार किया जाकर विद्यालय क्रमोन्नति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

बी.एड. एवं एस. टी. सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बोनस अंक

225. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा बी.एड. एवं एस.टी.सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष के बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इसके निर्धारित मानदण्ड क्या हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नीति के अनुरूप ही सी. लिब. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोई बोनस अंक नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार सी.लिब. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बी.एड. तथा एस. टी. सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अनुरूप प्रतिवर्ष बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । बी.एड., एस. टी. सी. एवं सी. लिब. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस विभाग में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु बोनस अंक दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) जी, नहीं ।

(3) बी.एड. व एस.टी.सी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बोनस अंक देय नहीं होने से इनके अनुरूप सी.लिब. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्र/छात्राओं को फीस माफ हेतु जाति प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता

226. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र-छात्राओं को अपनी फीस माफ करवाने के लिए जाति प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी को जाति प्रमाण पत्र देने का अधिकार है ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक जाति प्रमाण-पत्र लेने में जो खर्चा आता है, वह अधिक है और फीस माफ की राशि कम है ? यदि नहीं तो एक जाति प्रमाण-पत्र लेने के लिए किन-किन औपचारिकताओं की पूर्ति अथवा अन्य प्रमाण-पत्र लेना वांछनीय है ?

उत्तर

(1) जी हां । जाति प्रमाण पत्र देने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार सक्षम अधिकारी हैं ।

(2) जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में एक रुपये का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाकर एक शपथ पत्र रु. 5/- के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर देना होता है तथा राशन कार्ड की प्रति लगानी होती है । जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु कोई शुल्क निर्धारित नहीं है । इस प्रमाण पत्र का उपयोग शुल्क-मुक्ति, छात्रवृत्ति, नियुक्ति आदि कई प्रयोजनार्थ किया जाता है ।

कुशलगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

227. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने सीनियर उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शालायें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सीनियर उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों/व्याख्याताओं के कितने पद कब से किन कारणों से रिक्त है तथा कब तक इन रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 4 सी. उ. मा. वि. एवं 7 माध्यमिक विद्यालय हैं। सूची निम्नानुसार हैं :—

1. रा. सी. उ. मा. वि., कुशलगढ़
2. रा. सी. उ. मा. वि., सज्जनगढ़
3. रा. सी. उ. मा वि., डूंगराछोटा
4. रा. बा. सी. उ. मा. वि., कुशलगढ़
5. रा. मा. वि , बोहरा कुशलगढ़
6. रा. मा. वि., बड़ी सरवा
7. रा. मा. वि., छोटी सरवा
8. रा. मा. वि., बड़वास
9. रा. मा. वि , ताम्बेसरा
10. रा. मा. वि., कसारबाड़ी
11. रा. बा. मा. वि., सज्जनगढ़

(2) इन विद्यालयों में 20 व्याख्यताओं के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

विद्यालय का नाम	पद नाम	विषय	संख्या	कब से रिक्त	कारण
सी.उ.मा.वि. कुशलगढ़	व्या.	गणित	1	7/91	स्थानान्तरण
		उर्दू	1	12/91	सेवानिवृत्त
		जीवविज्ञान	1	8/93	स्थानान्तरण
		अंग्रेजी	1	7/90	स्थानान्तरण
		अर्थशास्त्र	1	7/94	स्थानान्तरण
		चित्रकला	1	7/93	स्थानान्तरण
		रेडियो/टी.वी.	1	3/90	योग्यता
		कार्या. प्रशा.	1	3/90	निर्धारण
		आशुलिपिक	1	3/90	के अभाव में
सी.उ.मा.वि., सज्जनगढ़	व्या.	भौतिक	1	4/91	स्थानान्तरण
		गणित	1	7/91	स्थानान्तरण
		अंग्रेजी	1	7/93	स्थानान्तरण
		वाणिज्य	3	1/93	स्थानान्तरण
		रसा शास्त्र	1	1/94	स्थानान्तरण

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4	5	6
सी.उ.मा.वि., छोटी डूंगरा व्या.		अंग्रेजी	1	7/93	
		रा. वि.	1	7/93	
बा.सी.उ.मा.वि., कुशलगढ़ व्या.		इतिहास	1	7/89	
		रा. वि.	1	7/89	

वर्ष 1995-96 में विभागीय चयन समिति की आयोजित होने वाली बैठक में चयनित होने वाले आशार्थियों से एवं राज. लोक सेवा से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर इन रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना सम्भव होगा।

माध्यमिक विद्यालयों में कोई पद रिक्त नहीं है।

क्रमोन्नत विद्यालयों के लिये भवन एवं खेल मैदान

228. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या वर्ष 1993-94 में क्रमोन्नत समस्त विद्यालयों के लिये भवन तथा खेल मैदान पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

नव क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन निर्माण तथा खेल के मैदान हेतु शिक्षा विभाग द्वारा सामान्यतः राशि स्वीकृत नहीं की जाती है परन्तु जिला प्रशासन द्वारा जवाहर रोजगार योजना, अनटाइड बजट, तीस जिले तीस काम, अपना गांव अपना काम, राहत कार्य, छात्र निधि, जन सहयोग एवं दानदाताओं के माध्यम से अपर्याप्त भवन वाले विद्यालयों में भवन निर्माण व विस्तार कराया जाता है। वर्ष 1993-94 ने क्रमोन्नत विद्यालयों में भी उक्त योजनाओं के अन्तर्गत भवन निर्माण खेल के मैदानों का विकास करवाया जा रहा है।

छबड़ा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति की प्रस्तावित सड़कें

229. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कौन-कौन सी सड़कों क निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) उपरोक्त सड़कों के लिये कितनी-कितनी राशि का सरकार द्वारा आबंटन किया गया है ?

(3) उपरोक्त सड़कों का कार्य कब-कब पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समिति, छबड़ा द्वारा निर्माण कराने हेतु निम्न सड़कें स्वीकृत है, जिनका निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

1. सम्पर्क सड़क छबड़ा से बरोड़िया

2. सम्पर्क सड़क मलोन स्टेशन से जेपला

3. सम्पर्क सड़क बॉम्बोरी घाटा से उदयपुरिया

4. छबड़ा गुगोर रोड़ से ओड़िया बान (मास्टर प्लान)

5. छबड़ा मूलोन रोड़ से चाचोरा (पी. एच क्यू. मास्टर प्लान)

(2) कृषि उपज मंडी द्वारा निर्माण कराई जाने वाली सड़कों के लिए धनराशि राज्य सरकार द्वारा आवंटन नहीं की जाती है। बल्कि सम्बन्धित कृषित उपज मण्डी समिति कोष में से धनराशि की उपलब्धता एवं राज्य सरकार की नीति निर्देशों के अनुरूप सड़कों का निर्माण कराया जाता है। उपरोक्त सड़कों के निर्माण के लिए निम्न प्रकार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है—

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम सं.	नाम सड़क	प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति 1995–96
1.	सम्पर्क सड़क छबड़ा से बरोडिया	6.00	3.60
2.	सम्पर्क सड़क मूलोन स्टेशन से जेपला	9.00	5.40
3.	सम्पर्क सड़क बॉम्बोरी घाटा से उदयपुरिया	6.00	3.00
4.	छबड़ा गुगोर-रोड़ से ओडियाबान	13.80	8.00
5.	छबड़ा मूलोन से चाचोरा	13.50	8.00

(3) यदि धन की उपलब्धता आशा के अनुरूप रही तो उपरोक्त सड़कों का निर्माण वर्ष 96–97 तक होना सम्भव है।

बस्सी क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड की सड़कें

230. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड के तहत वर्ष 1990 से अब कौन-कौन से गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की गई एवं वित्तीय वर्ष 1994-95 व 1995-96 से कौन-कौनसे

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

गांवों में सड़क स्वीकृति के लिए चुनी गई है ? चुनी गई सड़कें कहां से कहां तक बनवाई जावेंगी ? विवरण मय गांवों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में किस-किस सड़क पर कार्य चालू हालत में है तथा कहां-कहां पर कार्य अधूरा रह गया है ? शेष रहे कार्य को सरकार कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों की देखरेख एवं मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरह करवाने का विचार रखती है ? अब तक इनकी देखभाल एवं मरम्मत किस विभाग के तहत है तथा इसके लिए वर्तमान में क्या प्रावधान हैं ?

(4) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में निम्न सड़कों की मरम्मत एवं देखरेख करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

1. बस्सी कल्याण गंज से सामरिया तक ।
2. कोटखावदा से तूंगा एवं दणाऊं कलां तक ।
3. पाटन से मटेरी तक ।

उत्तर

(1) बस्सी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 से वर्ष 1994-95 तक स्वीकृत की गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । वर्ष 1995-96 में अभी तक कोई नवीन सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है ।

(2) वर्तमान में कार्य चालू सड़कों एवं अधूरी सड़कों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(3) जी हां । कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की देखरेख एवं मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग को समयबद्ध योजना बनाकर सौपनें का प्रस्ताव है । अब तक निर्मित सड़कों की देखरेख व मरम्मत विपणन बोर्ड द्वारा की जाती है । वर्तमान प्रावधान के अनुसार साधारण वार्षिक मरम्मत गैर नहरी क्षेत्र में 5,000/- एवं नहरी क्षेत्र में 8,000/- रुपये प्रति किलोमीटर व्यय किये जानें का प्रावधान है तथा 10 वर्ष पुरानी जर्जर सड़कों की विशेष मरम्मत मंडी समिति के पास उपलब्ध धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कराये जानें का प्रावधान है ।

(4) प्रश्न में वर्णित सड़कों की मरम्मत एवं देखरेख की स्थिति निम्नानुसार अंकित हैं ।

(राज्य मंत्री, कृषि)

क्र. सं.	सड़क का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति
1.	बस्सी कल्याणगंज से सामरिया	3 किमी की दूरी में विशेष मरम्मत कार्य प्रगति पर है तथा जून, 95 तक समाप्त होने की संभावना है, शेष 7 किमी के लिए वित्तीव संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जा सकेगा।
2.	कोटखावदा से तुंगा एवं दणाऊं कलां तक	वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।
3.	पाटन से भटेरी तक	सड़क का विशेष मरम्मत कार्य प्रगति पर है, जून, 95 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।

कृषि उपज मण्डी सुमेरगंज (बून्दी) की वार्षिक आय

231. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी सुमेरगंज जिला बून्दी की गत 3 वर्षों की वार्षिक आय विभिन्न स्रोतों से कितनी-कितनी हुई ?

(2) प्रति वर्ष की आय में से एप्रोच सेड (लिंक रोड़) बनाने में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? वर्षवार आय व व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी सुमेरगंज की गत 3 वर्षों में विभिन्न स्रोतों से हुई आय का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों की आय में से मण्डी समिति द्वारा सम्पर्क सड़क सुमेरगंज मण्डी से बलवन पर 627419.00 रुपये का व्यय निम्न प्रकार किया गया है:—

वर्ष	राशि
1991-92	519228.00
1992-93	108191.00
1993-94	—
योग-	627419.00

वर्षवार आय व व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

नयी कृषि नीति की घोषणा

202. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाडा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने नई कृषि नीति की घोषणा की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस नई कृषि नीति से लघु एवं सीमान्त कृषकों को कोई विशेष लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(3) क्या नई कृषि नीति मे पानी के वैज्ञानिक पद्धति, जोत की अधिकतम सीमा लाभ होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस भाग का उत्तर कृषि नीति की घोषणा होने पर ही दिया जा सकता है।

(3) इस भाग का उत्तर कृषि नीति की घोषणा होने पर ही दिया जा सकता है।

पुष्कर में गुलाब उत्पादकों को सहायता

233. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर में गुलाब की खेती को प्रोत्साहित करने और गुलाब उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए गुलाब यूनिट प्रदर्शनों की संख्या बढ़ाने, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने, गुलाब का तेल निकालने के लिए संयंत्र की स्थापना करने तथा गुलाब मण्डी स्थापित करने पर सरकार व रीको द्वारा विचार किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो कब से और इन मामलों में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है और ये कार्य कब तक पूरे हो सकेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि पुष्कर में गुलाब की खेती को प्रोत्साहित करने और गुलाब उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए गुलाब यूनिट प्रदर्शनों की संख्या बढ़ाई गई है। वर्ष 93-94 के अन्तर्गत कुल 70 यूनिटों का पुष्कर क्षेत्र को आवंटन था। वर्ष 94-95 में इनकी संख्या 130 की गई है।

गुलाब का तेल निकालने के लिये संयंत्र की स्थापना करने हेतु उद्यान निदेशालय द्वारा पुष्कर में गुलाब तेल की विश्लेषण रिपोर्ट जो कि केन्द्रीय औषधि एवं सुगन्ध संस्थान, लखनऊ के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई, वह रीको संस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दी गई है।

गुलाब मण्डी स्थापित करने के लिये भूमि प्राप्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(2) गुलाब की मण्डी की स्थापना के लिये भूमि चयन की कार्यवाही की जा रही है एवं संयन्त्र लगाने हेतु रीको अपने स्तर पर इच्छुक उद्यमियों से वार्ता कर रहा है।

राजस्थान में कृषि स्नातक सहायक कृषि अधिकारियों के वेतनमान

234. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रिछपाल सिंह)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कृषि स्नातक सहायता कृषि अधिकारियों को अन्य राज्यों की तुलना में कम वेतनमान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में सहायक कृषि अधिकारी का पद राजपत्रित कर्मचारी की श्रेणी में था ? यदि हां, तो इस पद को अराजपत्रित श्रेणी में कब से किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कृषि विभाग को तकनीकी विभाग बनाने की घोषणा नवीं विधान सभा में की गई थी ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट राजस्थान में लागू कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान के सहायक कृषि अधिकारियों के वेतनमान अधिकतर अन्य राज्यों के बराबर ही है।

(2) जी, हां। जून, 1960 से अराजपत्रित श्रेणी में किया गया।

(3) कृषि विभाग को तकनीकी विभाग घोषित करने की ना ही कोई व्यवस्था है और ना ही पूर्व में किया गया था।

(4) राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट केवल सलाहकारी ही थी जिसे किसी दिनांक विशेष से स्वीकार करना आवश्यक नहीं था। यह रिपोर्ट 1976 की थी इसलिए पुरानी हो जाने के कारण आज के परिपेक्ष्य में कालातीत हो गई है।

दौसा के स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन

235. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले में वर्ष 1994-95 में कितने प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गयी है ? स्वीकृत विद्यालयों की सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया है ? यदि हां, तो विद्यालय स्वीकृत करने की तिथि एवं स्वीकृत विद्यालय में अध्यापकों के पदस्थापन की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दौसा जिले में वर्ष 1994-95 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में दौसा जिले में

(राज्य मंत्री पंचायती राज)

67 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में विवरण अंकित कर दिया गया है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूची में विवरण अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

पंचायत समिति टोडभीम एवं नादोती के विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

236. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोडाभीम पंचायत समिति एवं नादोती पंचायत समिति में वर्ष 1990 से 1995 तक कुल कितनी राशि विकास कार्यों के लिए दी गई और वह किस-किस मद में खर्च की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विकास कार्यों पर दी गई राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है? यदि हां तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1993 में पंचायत समिति के विकास अधिकारी सैंगर, के खिलाफ जो गबन एवं भ्रष्टाचार के मुकदमें दर्ज हुए हैं उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या विकास अधिकारी को गिरफ्तार कराया गया या उसके खिलाफ न्यायलय में चालान पेश किया गया? यदि हां, तो किस अधिकारी की स्वीकृति से?

(4) पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादोती में अब तक गबन के कितने मामले हुए हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर जांच अधिकारी द्वारा जांच करवाई जाती है तथा दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती हैं।

(3) श्री सैंगर के विरुद्ध अभियोग संख्या 151/93 थाना टोडाभीम में पंजीबद्ध हुआ, जो न्यायालय ए. सी. जे. (जे. डी.) जे. एम. नं. 1, हिण्डौन सिटी में एफ. आर. स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है। श्री सैंगर को तफ्तीश में दोषी नहीं पाये जाने पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही चालान की स्वीकृति जारी की गई।

(4) पंचायत समिति, नादोती में गबन के तीन केस है। पंचायत समिति, टोडाभीम में गबन के कुल 47 केस है, जिनमें से 25 केस श्री रूपनारायण सिंह, पूर्व केशियर पर है, जिसका मुकदमा मा. उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन हैं। शेष 22 केस पूर्व सरपंचों के है, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

राज्य पथ परिवहन निगम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का स्थाईकरण

237. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य पथ परिवहन निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा कितने समय से कार्यरत हैं ?

(2) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कब तक स्थाई कर दिया जावेगा ? क्या इनको 280 दिन पूर्ण होने की तारीख से स्थाई कर्मचारी मानते हुए सभी लाभ दियें जावेंगे ?

(3) दैनिक वेतनभोगी प्रथा को समाप्त क्यों नहीं किया जाता है ?

(4) निगम में पैसेंजर फाल्ट प्रणाली लागू करने का विचार सरकार का कब तक है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य पथ परिवहन निगम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कुल संख्या 3223 है जो एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष से अधिक अवधि के कार्यरत हैं ।

(2) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 3 वर्ष का लगातार सेवाकाल पूर्ण कर लेने पर पद रिक्त होने पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के नियम निगम में लागू हैं ।

(3) दैनिक वेतन भोगी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(4) निगम में पैसेन्जर फाल्ट प्रणाली लागू है ?

मुबारिकपुर (अलवर) के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवायें

238. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर शहर से कस्बा मुबारिकपुर के लिये एवं मुबारिकपुर से अलवर शहर के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बस सेवायें प्रतिदिन उपलब्ध हैं ? सूची समय सहित, सदन की मेज पेर रखें ।

(2) कस्बा मुबारिकपुर में निगम की कितनी बसें रात्रि ठहराव करती हैं ?

(3) अलवर शहर एवं कस्बा गोविन्दगढ़ के बीच निगम की किस-किस समय बस सेवायें उपलब्ध हैं एवं कस्बा गोविन्दगढ़ में कितनी बसें रात्रि ठहराव करती है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अलवर शहर से कस्बा मुबारिकपुर के लिये एवं मुबारिकपुर से अलवर शहर के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 8 बस सेवायें प्रतिदिन उपलब्ध है । सूची संलग्न परिशिष्ट-1 पर है ।

(1) कस्बा मुबारिकपुर में निगम की एक बस रात्रि ठहराव करती है ।

(राज्य मंत्री, यातायात)

(3) अलवर शहर एवं कस्बा गोविन्द गढ़ के बीच निगम की दैनिक 15 परिचक्र संचालित है एवं कस्बा गोविन्दगढ़ में तीन बसें रात्रि ठहराव करती है । सूची संलग्न परिशिष्ट-2 पर है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें ।)

अल्प बचत योजना में राशि एकत्रित करने वाले एजेंटों को कमीशन

239. **श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डौती) : क्या राज्य लाटरी एवं अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अल्प बचत योजनाओं में राशि एकत्रित करने वाले अभिकर्त्ताओं (एजेन्टों) को दिये जाने वाले कमीशन में कटौती की है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत और यह कटौती किये जाने का औचित्य क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को एक मुश्त 5 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाने पर विशेष प्रोत्साहन के तहत 3 प्रतिशत तक कमीशन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अल्प बचत योजनाओं में राशि एकत्रित करने वाले अभिकर्त्ताओं को मिलने वाले कमीशन का भुगतान कितने समय में कर दिया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि अल्प बचत योजनाओं में राशि एकत्रित करने वाले अभिकर्त्ताओं के मिलने वाले कमीशन में काफी विलम्ब होता है ? यदि हां, तो विलम्ब न हो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या राज्य सरकार अभिकर्त्ताओं के कमीशन में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अभिकर्ताओं को कमीशन भारत सरकार द्वारा दिया जाता है न कि राज्य सरकार द्वारा ।

(2) जी नहीं । सरकार द्वारा संस्थाओं को बचत योजनाओं में धन जमा कराने पर कोई कमीशन नहीं दिया जाता है । हां, राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित श्रेणी की संस्थाओं को अल्प बचत की निर्धारित प्रतिभूमि में एक मुश्त या एक माह की अवधि के दौरान 5 करोड़ रुपये की राशि जमा कराने पर 3% प्रोत्साहन राशि दी जाती है :—

संस्थाएं	निर्धारित प्रतिभूतियां
1. बैंकिग कम्पनी एवं सरकारी बैंक	1. किसान विकास पत्र
2. नान बैंकिग वित्तीय कम्पनियां एवं अन्य कम्पनियां	2. 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा

(राज्य मंत्री, राज्य लाटरी एवं अल्प बचत)

3. पंजीकृत सहकारी समितियां
4. पंजीकृत धार्मिक अथवा सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास
5. पंजीकृत निजी शिक्षण संस्थाऐं/समितियां
6. अन्य पंजीकृत समितियां (एसोसियेशन अथवा सगठन)

इन संस्थाओं को 5 करोड़ रुपये से कम राशि जमा कराने पर 2% प्रोत्साहन राशि देय है।

(3) राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं में राज्य में अधिक से अधिक धन संग्रहण करने के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु उपरोक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे राज्य को अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकें। यह विशेष प्रोत्साहन 31 मार्च, 95 तक की जाने वाली जमा पर देय है।

(4) अल्प बचत योजनाओं में राशि एकत्रित करने वाले अभिकर्ताओं को मिलने वाले कमीशन का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है, अतः यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(5) राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

पुरातात्विक स्मारकों के विकास व पुनर्गठन पर व्यय

240. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने पुरातात्विक महत्व के स्मारकों और राजकीय संग्रहालयों से होने वाली आय का एक अंश पुरातात्विक स्थलों के विकास और पुनर्गठन पर खर्च करने का निर्णय लिया था ?

(2) यदि हां, तो निर्णय के पश्चात् पुरातात्विक स्थलों के विकास व पुनर्गठन पर कितनी राशि किन-किन स्थलों पर व्यय की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की वर्ष 1993-94 को आयोजना भिन्न बजट मद को निर्णायक समिति की दिनांक 17-11-92 को हुई बैठक में विभाग को अतिरिक्त आय को स्मारकों के विकास/जीर्णोद्धार हेतु आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

(2) उपरोक्त निर्णयानुसार राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को वर्ष 95–96 को आयोजना मद को सीलिंग 66.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 85.00 लाख कर दी गई है। बढ़ाई गई राशि पुरातत्व विभाग प्राथमिकता के आधार पर पुरातात्विक स्थलों के विकास और पुनर्गठन पर खर्च करेगा।

सवाई माधोपुर के आंगनबाड़ी केन्द्र

241. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल कितनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने चालू हैं एवं कितने बंद पड़े हैं ?

(श्री रामस्वरूप)

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से 1995 तक कितनी राशि इन केन्द्रों को दी गई तथा उसका क्या उपयोग हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में संचालित 10 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 1411 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं इनमें वर्ष 94–95 के दौरान नवीन स्वीकृत 150 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र तथा नवीन परियोजनाओं के 427 केन्द्र सम्मिलित है। स्वीकृत 1411 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विरुद्ध 856 केन्द्र चालू है तथा 7 केन्द्र बन्द है। शेष 548 केन्द्रों को प्रारम्भ करने के लिये गांवों का सर्वेक्षण एवं अन्य कार्यवाही चल रही हैं।

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से 1995 तक कल 125.08 लाख रुपये की राशि परियोजनाओं (नादौती/टोडाभीम) पर व्यय की गई है। उक्त राशि का उपयोग परियोजना क्षेत्र की प्रशासनिक, पोषाहार, आंगनबाड़ी भवन किराया, कार्यकर्ता/सहायिकाओं की मानदेय, परिवहन, दवाईयों आदि सामान उपलब्ध कराने पर व्यय की गई हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	पोषाहार	मानदेय	आंगनबाड़ी व्यय दवाईयों, प्रचार प्रसार परिवहन इत्यादि
	राशि लाखों में		
1990–91	10.99	7.23	1.23
1991–92	15.71	7.50	0.93
1992–93	13.14	8.53	1.30
1993–94	12.18	13.50	1.95
1994–95	20.43	9.82	0.64
योग	72.45	46.58	6.05

(3) जी नहीं विभाग के पास नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

आदिवासियों के उत्थान हेतु बीमा योजना

242. **श्री महावीर मगोरा (गोगुन्दा):** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री महावीर भगोरा)

क्या यह सही है कि राज्य सरकार आदिवासियों के उत्थान हेतु सामूहिक बीमा योजना करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस तरह से एवं किसके माध्यम से ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, आदिवासियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत आदिवासियों के गृह/निवास क्षतिग्रस्त होने, व्यक्तिगत दुर्घटना एवं गम्भीर बीमारी से ग्रस्त होने पर उनको बीमा संरक्षण दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में विभिन्न बीमा कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय

243. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार इस वर्ष नये कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इनमें अनुमानित कितने पद होंगे ?

(2) इन चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों को भरने की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) क. रा. बी. योजना के सभी चिकित्सालयों/औषधालयों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ पदस्थापन किया जाता है। अन्य संवर्ग के रिक्त पदों पर राज्य सरकार के नियमानुसार नियुक्तियां/पदस्थापन किया जाता है।

बेगूं में माडा योजनान्तर्गत क्रियान्वित जलोत्थान सिंचाई योजनाएं

244. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कहां-कहां जलोत्थान सिंचाई योजना माडा अन्तर्गत क्रियान्वित की गई एव प्रत्येक पर कितना-कितना व्यय किया गया ?

(2) उक्त योजनाओं में से वर्तमान में कितनी और किन-किन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ योजनाएं तो चालू ही नहीं हुई या चालू होने के बाद बन्द हो गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार वर्तमान में परलाई खुर्द एवं पाडाझर लिफ्ट सिंचाई योजना चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) वर्तमान में किन-किन योजनाओं का कार्य चालू है और इनके कब तक पूर्ण

(श्री चुन्नीलाल धाकड)

हो जाने की उम्मीद है, उनसे कितनी-कितनी सिचाई हो सकेगी और इन पर कितना-कितना व्यय आयेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में माडा योजनान्तर्गत निम्न-लिखित स्थानों पर सामुदायिक जलोत्थान सिचाई योजनाएं क्रियान्वित की गई एवं प्रत्येक पर व्यय की गई राशि निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	नाम योजना	पं. स.	व्यय राशि (लाखों में)
1.	सांगवा	बेगूं	4.02
2.	गुडाखेडा	भैंसरोडगढ़	1.67
3.	लोठियाना–I	,,	4.41
4.	लोठियाना–II	,,	4.32
5.	श्रीपुरा प्रथम	,,	4.48
6.	श्रीपुरा द्वितीय	,,	4 26
7.	सुठाला प्रथम	,,	4.48
8.	सुठाला द्वितीय	,,	4 46

(2) वर्तमान में समस्त आठ योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा यह सूचित किया गया है कि परलाई खुर्द एवं पाडाझर लिफ्ट सिचाई योजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(5) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र, बेगूं में माडा योजनान्तर्गत किसी भी योजना का कार्य नहीं चल रहा है ।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए आवंटित राशि

245. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभागों को जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राशि आवंटित नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या विभागों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उक्त राशि का सही

(श्री महावीर भगोरा)

प्रकार से उपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि के उपयोग हेतु जिलों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाते ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है ?

(4) निर्धारित राशि का सही उपयोग नहीं करने पर सरकार द्वारा उन विभागों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं सही उपयोग की सुनिश्चितता के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में जनजाति की संख्या का प्रतिशत 12.44 है जो कि लगभग पूरे राज्य में बसी हुई है । जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 5.46 प्रतिशत है । वर्ष 1994–95 में उपयोजना क्षेत्र के लिए राज्य की कुल योजना राशि की 8.67 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है । उल्लेखनीय है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र से बाहर माडा, माडा कलक्टर, सहरिया तथा बिखरी जनजाति जनसंख्या के लिए भी राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना मद से जनजाति विकास कल्याण के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं ।

(2) ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिसके आधार पर यह माना जावे कि विभाग निर्धारित मापदण्डों के विपरीत राशि का उपयोग कर रहे हैं ।

(3) कार्यक्रम क्रियान्वयन एक निरन्तर प्रक्रिया है एवं कार्यक्रमों पर हुए व्यय का लेखा-जोखा तैयार करने में भी समय लगना स्वाभाविक है । इस वर्ष करीब 20 करोड़ रु. के उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार करवाकर भेजे गये हैं । शेष रहे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को तैयार कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके लिए मुख्यालय से विशेष दल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जाकर लेखा तैयार करवाते है ।

(4) प्रश्न के भाग–2 के उत्तर के अनुसार ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : हमारे माननीय सदस्य का क्या होगा । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक एडजोर्नमेंट मोशन (व्यवधान) दिया गया था ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनिये तो सही ।

श्री परसादी लाल मीणा : पाइंट आफ आर्डर । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनिये तो सही। एक मिनट सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है।

(1) श्री रामनारायण मीणा एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से चम्बल सिंचित क्षेत्र की ऐवरा माइनर की टेल पर हुए भूमि कटाव से उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगदीप धनखड़ एवं 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर नगर परिषद के विजयी पार्षद श्री फतेहसिंह मेव के भतीजे श्री जाकिर हुसैन की जघन्य हत्या के मामले की जांच नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के गांवों में गत दिनों हुई ग्रोलावृष्टि से फसल को हुए नुक्सान के सम्बन्ध में।

(4) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य में ग्रातंककारियों की गतिविधियां बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ग्रोर जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के सी. टी. ए. ई. कालेज में व्याप्त गुटबाजी, ग्रनियमितताग्रों के कारण शैक्षिक अराजकता उत्पन्न होने से छात्रों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

(2) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ग्रजमेर नगर परिषद के कथित नाकारा बोर्ड को तुरन्त प्रभाव से भंग कर ग्रजमेर की जनता को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रतापसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से कोटा जिले की छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसीलों में इस माह हुई ग्रोलावृष्टि से फसल के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती मीना ग्रग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य में विशेषकर ग्रलवर में शराबबन्दी करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय बारानी क्षेत्रों में ग्रकाल पड़ने तथा सिंचित व ग्रसिंचित क्षेत्रों को इन्दिरा गांधी नहर से पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शंकर लाल ग्रहारी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से डूंगरपुर जिले में

(श्री उपाध्यक्ष)

अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद कोटा में लम्बे अरसे के बाद भी तृतीय श्रेणी अध्यापकों को नियुक्ति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मण्डावा निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती बीना काक, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर स्थित झीलों के आसपास स्थित पहाड़ियों का सौन्दर्यीकरण बिगाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हरिनारायण बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्डार एवं सवाई माधोपुर की रणथम्भौर बाघ परियोजना के जानवरों द्वारा परियोजना सीमा के समीपस्थ खेतों की सफल को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम कल्याणी खेड़ा तथा बहड़ावली की नाकाबिल काश्त भूमि वन विभाग को एवं वन विभाग के नाम पर अंकित तथा किसानों के कब्जे काश्त की भूमि राजस्व सिवाय चक में तब्दील करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर थाना क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव था। (व्यवधान) महिलाओं पर और हरिजन महिलाओं पर अत्याचार के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव था। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे टौंक जिले में भयंकर ओलावृष्टि के सम्बन्ध में मैंने 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। (व्यवधान)

श्री मदन मोहन (खैरथल) : मेरा लोक महत्व का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य के साथ जिस तरह से वहां की स्थानीय पुलिस ने और वहां के तहसीलदार ने ज्यादती की, उनको अरेस्ट किया, उस सम्बन्ध में 24 तारीख को हमारे काफी माननीय सदस्यों ने आपको स्थगन प्रस्ताव दिया था। आज 6 दिन गुजर गये हैं लेकिन आज तक आपने उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं दी है। यह बहुत ही लोक महत्व का मामला है क्योंकि एक माननीय

(श्री जुबेर खान)

सदस्य के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन करते हुए भी इनको गिरफ्तार किया गया हो और जानबूझकर माननीय सदस्य का अपमान किया गया हो, यह पूरे सदन की अवमानना है। हम यह चाहते हैं कि इस मामले पर सरकार जवाब दे आज।

श्री उपाध्यक्ष : वे इस समय जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आज 6 दिन हो गये हैं, जानकारी नहीं मिली ? (व्यवधान) 6 दिन हो गये हैं आज, इनको अभी तक जानकारी नहीं हुई ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आज सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विधायकों के सम्बन्धित मामले और छह दिन तक उसकी व्यवस्था न हो।

श्री उपाध्यक्ष : कल तक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : नहीं नहीं, सरकार का उत्तर दिलवाइये उसके ऊपर। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले के ऊपर आपकी व्यवस्था अनिवार्य है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, वे सदन के सदस्य हैं, सदन के माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो और आज 6 दिन हो गये हैं, मैं समझता हूं, आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए।

श्री जुबेर खान : सरकार का जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप पायेंगे कि माननीय विधायक के विरुद्ध जो कार्यवाही की गयी वह सरकारी अधिकारियों ने साजिशपूर्ण तरीके से की ताकि कांग्रेस के विधायक के साथ इस प्रकार का सलूक करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तैयार हैं तो तैयार हैं हम। आप कहिये तो सही। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : पूरे सदन की राय है। उधर से चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी....

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह तो अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय था और यह माननीय सदस्य की गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न था। लिहाजा इसके ऊपर इस समय तक तो सरकार की ओर से उत्तर आ जाना चाहिए था। यह सरकार की अकर्मण्यता का एकदम सीधा प्रमाण है।

(72)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। कल तक जवाब मंगवा लेंगे।

श्री बनवारीलाल बैरवा : कब मंगा लेंगे ? आज आना चाहिए था।

श्री जगदीप धनखड़ : 6 दिन का समय हो गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हैं··· (व्यवधान)।

श्री बनवारीलाल बैरवा : ····24 तारीख को दिया हुआ था। लोक महत्व का विषय था जिसका अभी तक जवाब नहीं आया है।

एक माननीय सदस्य : आज आना चाहिए।

श्री जगदीप धनखड़ : सदन के नेता को इस मामले पर तुरन्त कुछ न कुछ कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले पर सरकार से वक्तव्य कब दिलवा रहे हैं, इसकी व्यवस्था की जाय। सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्रीजी मौजूद हैं।

श्री जुबेर खान : सरकार तैयार है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारामण चौधरी : माननीय सदस्य का स्वयं का मामला है जो इस सदन के सदस्य हैं। उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। अखबारों में यह समाचार छपा है कि उनको पीटा गया है। तो मैं आपके माध्यम से बात करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इस मामले के अन्दर स्पष्टीकरण दें, स्टेटमेंट दें।

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : इस मामले पर कल वक्तव्य दे दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन महिलाओं पर अत्याचार के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव था, उस पर कार्यवाही नहीं की।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो एडजोर्नमेंट मोशन थे। एक ओलावृष्टि के लिए और आतंकवादी गतिविधियां जो जयपुर शहर में हुई हैं, उसके लिए। आपको फाइनेंस बिल पास कराना है और हमें भी फाइनेंस बिल पास करना है। इसमें जल्दबाजी नहीं लेकिन ओलावृष्टि से इतनी फसलों का नुकसान हुआ, किसानों को परेशानी हुई, उसकी आर्थिक हानि हुई सरकार की नपुंसकता के कारण, इस सरकार की इनएफीशियंसी के कारण। जब पिछले साल ओले पड़े थे उस वक्त भी सरकार ने सदन में मंजूर किया था कि उनका भारत सरकार से कोई तालमेल नहीं रहता है, मौसम विभाग की कोई जानकारी नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा कि वे इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि किसानों को उसके पहले इस तरह की जानकारी मिले लेकिन एक साल तक····(व्यवधान) सरक-सरक कर चले उसे

(श्री विष्णु मोदी)

सरकार कहते हैं लेकिन यह तो सरक कर तो क्या, जान हुई सरकार है। एक साल तक जानकारी उपलब्ध नहीं करायी। राज्य में जिस तरह पिछले साल ओलावृष्टि हुई, जिस तरह पिछले साल अफगानिस्तान के ऊपर विक्षोभ पैदा हुआ, ठीक उसी प्रकार इस साल उसी मार्च के महीने में वह विक्षोभ पैदा हुआ जिसकी 5 दिन पहले भारत सरकार के यहां जानकारी थी, अगर राजस्थान के किसानों को इस बात की जानकारी दी जाती तो न जान का नुकसान होता, न माल का नुकसान होता, न खड़ी फसलों को नुकसान होता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : एक सप्ताह हो गया है, 24 तारीख को दिया हुआ है आज तक कोई जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें तो इस पर ध्यानाकर्षण रख दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि पर भी कल सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा। जहां माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सरकार की नपुंसकता के कारण से ओलावृष्टि हुई है····।

श्री विष्णु मोदी : ओलावृष्टि नहीं हुई, ओलावृष्टि के नुकसान से बचा जा सकता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस बात की जानकारी जो है कोई दिन ऐसा नहीं जाता, आज सरकार के पास जानकारी भी हो तो कोई सरकारी तंत्र ऐसा नहीं है कि गांव-गांव में कोई सूचना भेज दी जाय सिवाय इसके कि टी. वी. और रेडियो पर बतायें। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन टी वी. और रेडियो के ऊपर मौसम सम्बन्धी समाचारों में यह नहीं बताया जाता हो कि यहां पर यह तूफान आने वाला है, यह स्थिति आने वाली है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूरदर्शन बता देता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह सरकार क्या कर रही है, यह तो दूरदर्शन बता देता है, फिर आपकी सरकार क्या करेगी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तसल्ली तो रखिये। अब माननीय सदस्य जो पुष्कर से जीत कर आये हैं····(व्यवधान) उपाध्यक्ष, महोदय, यह तो····।

श्री राधेश्याम : इतना गम्भीर प्रश्न है, अब इसको टाल रहे हैं सफाई से।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये तो सही। माननीय सदस्य, सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जैसा कहा कि ओलावृष्टि से नुकसान कहां-कहां हुआ है, क्या राहत दी है उस सम्बन्ध में विवरण सहित जानकारी आपको कल दे दी जायेगी, नम्बर एक। अब आपने जो व्यवस्था बतायी थी, पिछले वर्ष की बतायी, लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सूचनाएं वही आती हैं जो टी. वी. या रेडियो के ऊपर प्रसारित की जाती हैं। मैं ऐसा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समझता हूं कि इसके अलावा कोई चीज हो कि हम यह बता सकें कि अमुक स्थान पर अमुक खेत में, अमुक गांव में ओलावृष्टि होगी, इस तरह का तंत्र तो भारत सरकार ने भी अभी तक डवलप् नहीं किया है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : फसल बीमा योजना लागू करो। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : कल वक्तव्य हो जायेगा लेकिन।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की तरफ से वक्तव्य आ रहा है। श्री बनवारीलालजी बैरवा।

श्री विष्णु मोदी ; माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन है कि बात की गम्भीरता को कम नहीं करें।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्षजी, एक मिनट बात तो सुन लें हमारी। हमारी बात तो सुन लें। क्योंकि इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई है, किसानों के खेतों के अन्दर कुछ बचा नहीं है। उनके पास कुछ करने को काम रह नहीं गया, खाने को उनके पास अनाज रहा नहीं, चारा उनके पास रहा नहीं। यह व्यवस्थाएं तो कम से कम सरकार को तत्काल कर देनी चाहिए थी। उसके लिए हम लोगों ने यह 295 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

श्री उपाध्यक्ष ; कल इस पर चर्चा हो रही है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : और आप लोग उसको पढ़ने का मौका भी नहीं दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : काफी अत्याचार हुए हैं. साहब।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप पढ़ने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें एक मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह दूं कि आज तक व्यवस्था यह थी कि पहले नुकसान का असेसमेंट किया जाता था, असेसमेंट करने के बाद रिपोर्ट सरकार के पास आती थी, सरकार उसको सैंक्शन करती थी। हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए यह व्यवस्था कर दी कि तत्काल राहत बांटी जाय, असेसमेंट की रिपोर्ट बाद में आ जाय इसकी कोई चिंता की बात नहीं लेकिन जहां-जहां भी नुकसान हो, जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के आधार पर तत्काल सहायता दी जाय। मैं समझता हूं कि सदस्य अगर इसको इस सही रूप में लेंगे तो जहां-जहां भी ओलावृष्टि हुई है वह स्थान (व्यवधान) एक मिनट ठहर जाओ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप बीस, पचास रुपये देकर ताली बजवा रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो यह जहां-जहां भी ओलावृष्टि हुई है (व्यवधान) एक मिनट ठहर जाओ, आपके फागी का मुझे मालूम है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । विराजिये, माननीय सदस्य ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : किसानों को बीस, पचास रुपये देकर ताली बजवा रहे हो ।

एक माननीय सदस्य : एक मामला मैंने आपको दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज अचानक तो हमारे पास आया नहीं । राज आप लोगों ने भी किया है, ओलावृष्टि आपके जमाने में भी हुई है । मैं आज कह सकता हूं कि ओलावृष्टि में जितनी राहत इस राज्य सरकार ने दी है आज तक किसी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं दी ।

श्री विष्णु मोदी : गलत । पहले ओलावृष्टि हुई ही नहीं, पिछले दो साल से हो रही है । पिछले साल हुई, इस साल हुई ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अनाज की व्यवस्था तो तत्काल मुख्य मंत्रीजी को करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, चारे की व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मंत्रीजी, जब भी इन्द्र देवता की कृपा होती है तो आप कहते हैं कि ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की है । अब यह ईश्वर ने ओलावृष्टि भी आपके ऊपर की है । राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है । कल कृपया यह बतायें कि आपने गत वर्ष कितनी राहत वास्तव में दी और इस बार अब तक कितनी दे दी ।

श्री उपाध्यक्ष : वे सब बता देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल पूछ लेना । अब इन्द्र देवता की कृपा है इससे भी आपको जलन है ।

श्री जगदीप धनखड़ : ओलावृष्टि भी आपके ऊपर हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये माननीय सदस्य ।

श्री जगदीप धनखड़ : यदि अच्छा हो तो आपका और खराब हो तो राजस्थान की जनता का····

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलालजी बैरवा ।

श्री जगदीप धनखड़ : ओलावृष्टि आपके कारण हुई है···· ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मेरे कारण हुई है, मान लिया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बनवारीलालजी, शून्य काल में बाइ-पास के बारे में ।

श्री जगदीप धनखड़ : गरीब जनता को इसलिए सहन करना पड़ रहा है.... ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठिये । हरियाणा में ओलावृष्टि भजनलालजी के कारण से हुई, यह आप मानोगे ? मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि दिग्विजयसिंहजी के कारण से हुई है ? यह आप क्या बात कर रहे हो मेरी समझ में नहीं आया । आप एक मिनट ठहर जाओ ।····

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने यह नहीं कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी। आपने यह कहा है, हरियाणा के मुख्य मंत्री और दिग्विजयसिंहजी ने कभी यह नहीं कहा। बरसात होगी तो वह कहेंगे देश पर ईश्वर की कृपा हो गयी। आप कहते हैं नहीं....।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी यही कहता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, इन्द्र देवता की कृपा मेरे ऊपर हुई है। राजस्थान के भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री पर होगी तो ओलावृष्टि भी आपके ऊपर क्यों नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, माननीय सदस्य, मैंने कभी यह नहीं कहा कि मेरे पर कृपा हुई है। मैं यह जरूर कहता हूं कि भगवान की कृपा राजस्थान पर हुई है और इस कारण से वर्षा हुई है और अब आपकी वर्षा होने से जलन है कि यहां पर लोगों में शांति क्यों पैदा हो रही है, किसानों के खेती क्यों हो रही है तो इसका तो मुझे दुःख ही होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : ओलों से जलन है, वर्षा से नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं आप दुःखी हैं, हमारी तो यह इच्छा होगी, ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान समय-समय पर वर्षा करे ताकि खेतों को पानी मिले, खेतों की पैदावार बढ़े और किसानों को उससे राहत मिले। यदि आपकी उलटी प्रक्रिया है तो बाहर जाकर पूजन करना शुरू कर दें कि भगवान, राज्य में एक बूंद भी न पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बनवारीलाल जी बैरवा। शून्य काल में बात कह रहे हैं वह।

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड के लिए। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, पिछली बार खुद माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय ने यहां हाउस में आश्वासन दिया कि पांच दिन पूर्व किसानों को इस बात की इत्तला दे दी जायेगी लेकिन आज केवल मात्र यह कह दिया कि टी.वी. और....

श्री उपाध्यक्ष : वह कल सारी बात हो जायेगी (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, इनका किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं समझते हैं....

श्री राधेश्याम : नोहर तहसील के अन्दर इतना भारी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल बात हो रही है। कल चर्चा हो रही है, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां : इन्होंने न तो आज तक एक फूटी कोड़ी किसानों को दी है और न इनकी दिलवाने की मंशा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो खाली घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमन्त्रीजी का दृष्टिकोण किसानों के मामले

(श्री रामप्रताप कासनियां)

में हमेशा ही पक्ष में रहा है और मैं आज, माननीय मुख्य मन्त्रीजी के भरोसे पर, आपके + + + बराबर होगा कि आपने तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी और माननीय मुख्य मन्त्रीजी अब की बार किसानों को कुछ न कुछ देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप। बिराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : क्या लेना है विष्णुजी मोदी का ओलों से? इनको यह ही पता नहीं है कि एक बीघा में सरसों कितनी पड़ती है, यह तो खाली घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुख्य मन्त्रीजी के + + + से आपकी तो मूंछ ही गायब हो गयी।

श्री रामप्रताप कासनियां : आपको तो कुछ दिलाना नहीं है, आपको तो + + + है।

एक माननीय सदस्य : क्षतिपूर्ति की राशि भी वितरित कर दी है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, नोहर कस्बा....

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ फरमा रहे हैं, बोलने दीजिये।

श्री किशन मोटवानी : माननीय उपाध्यक्षजी, + + + वाली बात कही है, वह हटवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका बाद में।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + कोई संसदीय बात नहीं है, + + + संसदीय शब्द नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इनको आप जरा कुछ सिखाइये।

श्री विष्णु मोदी : इनको ही ठेका नहीं है किसी का।

श्री राधेश्याम : यह-कौन-सी विधान सभा की लैंग्वेज है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये तो सही।

श्री राधेश्याम : कि आपको तो + + + हो है।

श्री उपाध्यक्ष : बनवारीलालजी बोल रहे हैं, आप बोलने दीजिये उनको.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : इनको ताकीद करें कि आप किसी दूसरे को एलेज नहीं कर सकते।

श्री राधेश्याम : कौन-सी विधान सभा में है, यह कहां पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, यह किस तरह की है, आपको तो + + + ही है। मतलब इधर वालों को तो + + + ही है।

श्री विष्णु मोदी : और दूसरों पर कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर सकते।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

78

श्री उपाध्यक्ष : वह सब निकलवा दिया।

श्री विष्णु मोदी : आप इसकी व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : जो भी शब्द आया है उसको निकाल दिया है। एक्सपज कर दें। आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : आप माननीय सदस्य को बता दीजिये कि दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाये, जो अपनी बात कहनी हो वह बात कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : आज बहुत ज्यादा बिजनेस है, और वोट आन अकाउण्ट भी लेना है, माननीय सदस्य को बोलने दें आप। माननीय बनवारीलालजी।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्षजी, निवाई कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है। वहाँ आज जो वाहनों का आवागमन है वह इतना अत्यधिक हो गया है कि वहां पर पैदल चलना दुश्वार हो गया है। इस कारण सरकार ने यह फैसला किया कि बाई-पास वहां से निकाला जाय। बाई-पास निकाला, आज कई साल उसको बनकर तैयार हुए हो गये पर अभी तक उसको खोला नहीं गया है और निवाई के अन्दर आज बराबर खतरा बना रहता है। पिछले साल भी यह मसला उठा था तो हमारे माननीय मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि गत जून के अन्दर उस बाई-पास को चालू कर देंगे लेकिन वह बाई-पास आज तक चालू नहीं हुआ है। निवाई की जनता अब भी खतरे से गुजर रही है लिहाजा सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह तत्काल उस बाई-पास को चालू कराये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही रेलवे क्लियरेन्स दे देगा उस फाटक की, वैसे ही चालू करवा दिया जायेगा। रेलवे क्लियरेन्स देने के बाद।

श्री बनवारीलाल बैरवा : रेलवे मंत्रालय से बात करे, माननीय मन्त्रीजी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उनसे बात कर रहे हैं, क्लियरेंस मिलते ही चालू करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रजी मीणा।

श्री मदनमोहन : ऊपाध्यक्ष महोदय, मेरा लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह +++ शब्द इसमें से निकाला जाय क्योंकि +++ तो जानवर है....

श्री उपाध्यक्ष : वह निकाल दिया है। माननीय राठौड़ साहब, निकाल दिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एम. एल. ए. +++ नहीं, एम.एल.ए. बोलते हैं। आप चिल्लाते हैं यह कह सकते हैं। +++ तो +++ है, वह हटवाइये इससे।

श्री मदनमोहन : उपाध्यक्ष महोदय,

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्ष पीठ के अनुसार अपलोपित किये गये।

(श्री मदनमोहन)

मेरा लोक महत्व का प्रश्न है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि 24-3-95 से दिल्ली में 9000 इकाइयों को बंद करके उनको राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगाया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लोक महत्व का प्रश्न है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि दिल्ली की नौ हजार इकाइयों को बंद करके उनको राजस्थान, हरियाणा और यू पी. में लगाया जायेगा। क्या राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जनता बहरे (व्यवधान) में रहती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमारजी मीणा। आपका है।

श्री मदनमोहन : उपाध्यक्ष महोदय, यह नौ हजार इकाइयां जो प्रदूषण फैलाती हैं। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि अगस्त माह तक यहां से हटा करके राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश के अन्दर लगाया जाय।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय जिला दौसा के ग्राम कांडोली के अन्दर जिन्दा गायों की हत्या का मामला सामने आया है। गत शनिवार को एक गौ-हत्या का मामला सामने आया है। मैं स्वयं भी वहां गया, मैंने देखा। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पता नहीं कब से, कितने दिनों से, कितने सालों से कितनी जीवित गायों की हत्या कर चुके हैं वध कर चुके हैं, उनका मांस बाहर सप्लाई कर चुके हैं और खालें बाहर भेज चुके हैं। मान्यवर, जो सरकार आज धर्म के नाम पर गायों के नाम पर हमारे यहां बैठी हुई है। उसी सरकार की नाक के नीचे दौसा जिले के अन्दर जीवित गायों का वध किया जा रहा है। मान्यवर, गत शनिवार को राजस्थान के एक लीडिंग अखबार नवज्योति में भी छपा है, दो गायों का वध करते हुए दो व्यक्ति गिरफ्तार।" मान्यवर, पुलिस व जिला प्रशासन भी सोया हुआ है। ग्रामीणों की चेतना से यह मामला सामने आया। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, दौसा, 19 मार्च पुलिस ने गायों का वध करते हुए व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उप-अधीक्षक, दौसा अमरजीतसिंह गिल ने जानकारी देते हुए बताया कि कांडोली ग्राम में यह घटना घटित हुई है। मान्यवर, पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी कि व्यक्ति गायों का वध करके उनकी खालें उतार रहे हैं। पास में एक गाय मृत व 4 जीवित गायें पकड़ी गयीं। मान्यवर, होता क्या है कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, गांव में गायों को छोड़ देते हैं तो, उनको पहले दौड़ाते हैं, दौड़ा दौड़ाकर उनको घायल किया जाता है फिर उनके मुंह और पैर बांधे जाते हैं. जब वह गायें और भी घायल हो जाती हैं तो जीवित गायों को नालों के अन्दर काटा जाता है। उससे इनको दो फायदे होते हैं। मान्यवर, एक तो जीवित गायों का मांस मिल जाता है जो बाहर सप्लाई करते हैं दूसरा, जीवित गायों की जो स्वच्छ खाल होती है उससे अच्छी आमदनी होती है। तो, मान्यवर, इस तरह का जघन्य हत्याकाण्ड खुलेआम हो रहा है और प्रशासन व पुलिस के उच्चाधिकारी विराजमान हैं उनको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। यह तो ग्रामीणों ने व हम लोगों

(80)

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

ने सूचना दी तब उन्होंने कार्यवाही की। पैसे देकर या कैसे भी वे अपराधी भग चुके हैं और क्षेत्र के अन्दर बड़ा आक्रोश है। कहीं ऐसा न हो कि दंगा फैल जाय। इसलिए, मान्यवर, मैं प्रार्थना करता हूं और यह आश्वासन चाहता हूं मुख्य मन्त्री महोदय से कि भविष्य में इस तरह के काण्ड न हों, पुलिस की गश्त बढ़ायी जाय और जो भी व्यक्ति इस काण्ड में लिप्त हों उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय। मान्यवर, पेपर में छापा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : वह पढ़ लिया आपने।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : अभियुक्तों के पास से गायों की खाल बरामद हुई। पुलिस थाना, दौसा ने अभियुक्तों के विरूद्ध कुछ भी नहीं किया है। पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के विरुद्ध लोगों में आक्रोश हैं क्योंकि पूरे जिले में विशेषकर जिला मुख्यालय पर अवैध, बिना अनुज्ञा पत्र के मीट की दुकानें भी खुली हुई हैं। तो, मान्यवर, इस तरह का बहुत ही गम्भीर मामला हैं। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से ऐसा आश्वासन चाहता हूं।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य....

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। इनकी किसी भी बात को नोट नहीं किया जाय।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको वार्न करता हूं।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य,बैठिये। माननीय गोपीचन्दजी, बैठिये।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको फिर वार्न करता हूं।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द : X X X

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को कन्ट्रोल में रखें। आप बैठिये।

श्री गोपी चन्द : X X X

श्री उपाध्यक्ष : गोपी चन्दजी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप बैठिये।

श्री गोपी चन्द : X X X

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपा-

X X X शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने गौ-हत्या को लेकर जिस प्रकार का रोष व्यक्त किया हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझते हुए इतना कह सकता हु कि गौ-हत्या राजस्थान में बन्द हो, इस सम्बन्ध में प्रशासनिक दृष्टि से एवं कानूनी दृष्टि से सब प्रकार की कार्यवाही की जा रही हैं। माननीय सदस्य अभी जो बोले हैं उन्होंने खुद यह स्वीकार किया हैं कि ज्यों ही पुलिस को सूचना दी, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हैं। गौ-हत्या बन्द कराने का प्रयास हम सब कर रहे हैं और गौ-हत्यारों को रोककर उनको सजा मिलेगी इस बात की भी कोशिश की जा रही हैं। मैं इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हू कि हम भी गौ-हत्या बन्द हो इस पक्ष में हैं। मुझे खुशी हुई कि आज पूरा सदन इस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट कर रहा हैं। इस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही को बहुत सख्त करने की कोशिश की जायेगी, कानून की धाराओं में यदि सख्ती लाने की कोई आवश्यकता हुई तो उसमें भी संशोधन किया जायेगा, मैं यह आश्वासन देना चाहता हू।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आज कहा हैं कि सारे सदन की राय है। गौ-रक्षा के बारे में पिछले सत्र में भी, जब बजट सत्र था, सारे सदन ने, कांग्रेस के सदस्यों ने व बी.जे.पी. के सदस्यों ने एकमत मे कहा कि गौ-रक्षा कानून होना चाहिए लेकिन मुख्य मन्त्रीजी ने उस समय भी....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हत्या ही नहीं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, धारीवालजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस और बी.जे.पी. के सदस्यों को मुख्य मन्त्रीजी ने पिछली दफा तीन बार कहा कि इसी बजट सत्र में गौ-रक्षा का बिल पेश किया जायेगा। मुझे इस बात का बड़ा दुःख हैं कि बार-बार मुख्य मन्त्रीजी के आश्वासन के बावजूद भी उस सत्र में बिल पेश नहीं किया गया। मैं अपेक्षा करता था कि इस सत्र में जो सूची आयेगी उसमें गौ-रक्षा के बिल का मामला आयेगा लेकिन इस सत्र की सूची में भी गौ-रक्षा का मामला नहीं हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने टालने के लिए ललित किशोरजी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। उस कमेटी ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और मैं कहता हू कि सरकार इस मामले में सीरियस नहीं हैं। कई लोगों के इमोशनल मामले उठे हैं, इसमें मैं सरकार के खिलाफ नहीं हू लेकिन मैं चाहता हू कि यह इमोशनल मामला हैं। हमने इस बात को चुनाव से पहले भी उठाया हैं और इस सत्र में निश्चित रूप से सरकार इस बिल को पेश करे और उसे पास कराये, यह सारे सदन की मंशा हैं और इसका डिले करना खतरनाक हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हू।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट ठहरिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : आप तो बोलते ही रहते हैं। इसी सन्दर्भ में कह रहा हू। एक ही लाइन है, साहब। मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार को

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

किसी प्रकार की राजनैतिक परेशानी हो बिल पेश करने की, यह कह दें तो प्राइवेट मेम्बर बिल पेश कर देंगे हम, आप पास करवा दीजिये। लेकिन यह भी होना चाहिए, मन्त्री महोदय, कि सिर्फ हत्या ही नहीं गाय को अगर किसी ने चोट भी पहुंचायी है तो वह भी सजा का भागीदार होना चाहिए। आपको चार रोज पहले की घटना याद होगी।+++

श्री उपाध्यक्ष : कहां की बात कर रहे हैं आप ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज भी सड़क पर पड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य, हो गया आपका। श्रीमती बीना काक।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये वहां सामने खड़े थे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक। बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): असभ्य शब्दों में कह रहे हैं, अनावश्यक नेतागिरी कर रहे हैं, +++ बात कर रहे हैं। इनके शब्दों को निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कहिये इन शब्दों को निकालिये। (व्यवधान) ये असत्य बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय मन्त्रीजी कुछ कह रहे हैं, माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे कहिये आप, यह भी महिला हैं, मेरा भी नाम महिला है मुझसे क्यों उलझती हैं बेकार।

श्री जुबेर खान : अलवर के सारे अखबार (व्यवधान) भरे पड़े हैं। मरने के कगार पर गाय सड़क पर पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है वहां।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको +++ आनी चाहिए इस तरह की बात कर रहे हैं, असत्य बात कर रहे हैं (व्यवधान) मैं आपसे आग्रह करूंगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को निकालिये। +++ ऐसा कोई काम नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, उनको सुन लीजिये। बीना काक जी, बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से तो निकाला जाय।

+++अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : शांत, कार्यवाही से निकाल दो।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, एक जांच कमेटी बैठाकर जांच करा लीजिये अलवर जाकर (व्यवधान) ऐसे कैसे निकाल देंगे आप। मर्जी आये वह निकाल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चतुर्वेदी जी कुछ कह रहे हैं, सुन तो लें, आपको भी बोलना है विष्णुजी। (व्यवधान) सदन में कार्यवाही चलने दीजिये। आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री विष्णु मोदी : आपने कार्यवाही से नहीं निकाला।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : +++ के सम्बन्ध में जो शब्द कहे हैं वे कार्यवाही से निकाले जायं, वह बेबुनियाद शब्द हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं, मंत्रीजी से पहले सुन लें (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो कुछ मैंने बोला था, मैं चाहूंगा उसका क्या हुआ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसको देखने के बाद ही मैं व्यवस्था दे दूंगा। माननीय मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान : यह एक गम्भीर मामला है (व्यवधान) आपने एक्सपंज करने के लिये (व्यवधान) आपको सत्य बात नहीं लगती है। आप एक समिति बनाकर भेजिये वह रिपोर्ट दे देगी कि किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान : उस गाय का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++ के द्वारा टक्कर मारने के बारे में कुछ कहना चाहती हूं,

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।" (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : प्रकट हो गया कि आप अच्छी शायर भी हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी को सुनिये आप (व्यवधान)....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक अत्यन्त भावनात्मक विषय, जिसका न केवल....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइण्ट आफ आर्डर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइण्ट आफ आर्डर है, पाइण्ट आफ आर्डर है, आप बैठिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो चेयर से सिर्फ यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय

+++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

शांति कुमारजी धारीवाल ने जो + + + विवरण दिया, क्या चेयर ने उसको एक्सपंज कर दिया है या नहीं ? अगर किया है तो किस रुल के तहत ?

श्री उपाध्यक्ष : चेयर देख करके ही निर्णय देगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं नहीं, सर, मैं तो । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये I rule out. देखने के बाद ही करूंगा । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाया जा सकता है, आप रुल पढ़िये, रूल 273 के अन्तर्गत आरोप लगाने की प्रक्रिया है जब तक उस प्रक्रिया....

श्री उपाध्यक्ष : जब तक कि इस पर आप । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उप मुख्य मंत्रीजी, मैंने आरोप नहीं लगाया है । मैंने घटना का विवरण दिया है. आरोप नहीं लगाया है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : को पूरा नहीं करेंगे । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आपने एक्सपंज किया है, वह एक्सपंज रहना चाहिए ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक्सपंज नहीं किया है आपने । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : एक्सपंज नहीं किया है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । माननीय मंत्रीजी कोई बात कहना चाहते हैं (व्यवधान) ।

श्री विष्णु मोदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई सीरियस बात चल रही है । गो-हत्या के बारे में सारे माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हैं, आप उनकी पूरी बात सुन लीजिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने एक अत्यन्त भावनात्मक पहलू जिसका सम्बन्ध राजस्थान की जनता के एक-एक व्यक्ति से है, की ओर यहां ध्यान आकर्षित किया है । आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने उस कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया था, राज्य सरकार की अत्यन्त इच्छा है, उत्कट इच्छा है, मशा है और उसके अनुसार कानून का सारा मसौदा बन गया किन्तु कानून के मसौदे को पास कराना इसलिए सम्भव नहीं हो सका कि जब तक उस पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर नहीं हो जाएं, आपकी जानकारी के लिये (व्यवधान) यह आप कर लेना,

---

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) पूरी बात कर लेने दीजिये मुझे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय चतुर्वेदी सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे पूरी बात करने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आप बताइये कि किस कानून के तहत (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : हाउस को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात कह रहे हैं। (व्यवधान) विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आप इनसे यह पूछिये कि किस कानून के तहत भारत के राष्ट्रपति की इजाजत चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये, मुझे कम्प्लीट करने दीजिये, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई बात लग रही है कि यह ठीक नहीं कह रहे हैं तो आप बाद में भी कह सकते हैं पर let him spea. आप बात तो कम्प्लीट करने दीजिये। पुराने-पुराने सदस्य हैं बात-बात में खड़े हो जाते हैं आप सब।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले सत्र के पहले ही उस कानून को बनाकर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के लिए भिजवा दिया गया था। राज्य सरकार लगातार पत्र व्यवहार करके माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करती रही है। हमारे यहां के जो संसद सदस्य हैं वे भी इस विषय में माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिले हैं कि उस पर तुरन्त हस्ताक्षर होकर यहां आये ताकि सदन में हम उस बिल को पास करवा सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक गौ-हत्या पर कानून बनाने का सवाल है हमारे यहां कानून बना हुआ है। प्रश्न केवल इतना सा होता है कि जो लोग उन गायों को ट्रांसपोर्ट करके राजस्थान से बाहर ले जाना चाहते हैं उस दृष्टि से राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेना आवश्यक है। इसलिए वहां पड़ा हुआ है। मैं तो आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली के ऊपर उनका राज है वे अपने पूरे प्रयास करें, हम भी प्रयास कर रहे हैं। दोनों मिलकर करें,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

निश्चित रूप से राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत हो जाएं, कानून यहां आ जाय, हम इसे पास करें और गो-हत्या पर प्रत्येक प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जा सके यह मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने एक अहम् मुद्दा रखा है कि इन्होंने कुछ मसौदा तैयार किया, जो राजस्थान विधान सभा के सदन के सामने नहीं आया और उन्होंने उस मसौदे को भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा करके, तैयार करके, हस्ताक्षर के लिए भिजवाया हुआ है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप बैठिये और सुनिये जरा। जब सदन आपकी बात सुन सकता है तो आप सबकी सुनिये। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पार्टेण्ट मसला इस दृष्टि से है कि भारत के राष्ट्रपति महोदय के सम्बन्ध में कोई बात कही गयी है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना है, नम्बर एक, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को क्या प्रेषित किया? क्या यह किसी बिल का रूप है या इस सदन के अन्दर किसी विषय पर चर्चा होगी उसका रूप है? मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, जब वह इतने सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने कौनसे कानून के तहत भारत के राष्ट्रपति को कब क्या प्रेषित किया? (व्यवधान) भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत आपने किया? मैं माननीय मंत्री महोदय को बता दूं कि सदन को बाई-पास करके आप लेजिस्लेशन राष्ट्रपति की असेंट के लिए कैसे भेज सकते हैं? इसी सदन में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार रोज पहले यातायात मंत्रीजी जब अड़ गये थे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं संशोधन कर दूंगा, क्यों? किसी अधिसूचना के तहत किसी कानून का संशोधन हो ही नहीं सकता है। माननीय सदन के नेता से मैं यह जानना चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्र के सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति का जो पद है उसके सम्बन्ध में टिप्पणी की गयी है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्टेड प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्रीजी बतायें। No. (1) What has been sent to the Hon'ble President ?

(2) When it has been sent ?

(3) Under what provision of the Constitution the Govt. has Approached the Hon'ble President ?

(4) क्या सदन को बिल्कुल बाई-पास कर दिया गया? तो मेरा, मान्यवर, आपसे यह कहना है। (व्यवधान) अंग्रेजी, हिन्दी की बात छोड़िये। अब आपको बस एक चिन्ता लग गयी। मैं कहता हूं, जब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक वरिष्ठ मंत्री बोल रहे हैं उसका जवाब दें....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको कोई चिन्ता नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : और माननीय सदन के नेता भी इस बात का जवाब दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमको चिन्ता है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजियें (व्यवधान) मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, यह कांस्टीट्यूशनल मैटर है क्योंकि यहां से जो भेजा है वह बिल बनाकर भेजा है और उस बिल में इण्टर-स्टेट मामला है। यहां से गायें जो कटने के लिए दूसरे स्टेट में जाती हैं उनको रोकने का था। जहां तक गायों का अन्य स्टेटों में अन्य कार्यों के लिए जाना है उसके लिए तो कोई प्रतिबन्ध लगाया नहीं जा सकता और चूंकि यह इण्टर-स्टेट मामला है और यह तो अलग-अलग केस में पता चलेगा कि कौनसी गायें कटने जा रही हैं और यहां से किसान बैल या गाय खरीदकर अपने काम में लाने के लिए ले जा रहा है। इसलिए इण्टर-स्टेट मामला होने के कारण इस बिल पर सदन में आने से पहले राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति आवश्यक है। यह कांस्टीट्यूशनल मामला है, आप कांस्टीट्यूशन देख लीजिये और इसलिए इस....(व्यवधान) एक मिनट, मेरी बात पूरी करने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चार सवाल पूछे हैं। एक का जवाब नहीं है आज कांस्टीट्यूशनल मुद्दा नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बात तो पूरी करने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : Which part of the Constitutions. कब भेजा, क्या प्रारूप दिया ? चतुर्वेदीजी बैठ गये। सदन के नेता बोल नहीं रहे हैं आप....

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति हो जाएगी....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

श्री गोपीचन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की व्यवस्था के लिए (व्यवधान) अच्छे लगते। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और सदन....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बैठिये। पूरी बात तो करने दीजिये। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द : सदन को बाई-पास करके कोई कानून भेजा जायेगा तो सदन के सभी सदस्यों के हृदय को पीड़ा होती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी।

श्री गोपीचन्द : हर बात सदन के अन्दर होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए गाय की रक्षा कैसे होती है। इस बात को गो-रक्षक ज्यादा जानते हैं। "गाय नहीं तो गुर्जर नहीं" गुर्जर केवल गाय के लिए पैदा हुए हैं। गाय का बिल बनाते समय गुर्जर से कोई चर्चा नहीं की गयी यह + + + और डूब मरने की बात है। कोई बुढ़ापे में गाय की उपासना करता है, हमने जवानी में गाय की उपासना की है। गाय की बात राजस्थान की विधान सभा में लायी है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लाया है। मुझे इस पर सदन में वक्तव्य चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : आज गाय की रक्षा कैसे हो सकती है इस की व्यवस्था, इस की चर्चा निश्चित रूप से उस व्यक्ति से होनी चाहिए। सन् 86 से गाय के ऊपर मेहनत कर रहा हूं। सन् 86 में मैंसलाना में गो-हत्याकाण्ड हुआ था 30 साल तक मेरे क्षेत्र के अन्दर कोई गाय नहीं काट सकता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी, डिप्टी स्पीकर साहब गये थे और अब लगातार गाय कट रही हैं। एक दिन को गाय बंद नहीं हो सकी। गोपी ने मूवमेंट किया था। मैंसलाना में 30 साल तक मेवात क्षेत्र में कोई गाय नहीं काट सकता था। हिन्दू और मुसलान को लड़ाने का षड्यंत्र हो, राजनैतिक लोगों का आशीर्वाद हो, हम लोग लड़ नहीं सकते। हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई हैं। गो-माता पर विश्वास हिन्दू का भी है, मुसलमान का भी है। मुसलमान नहीं चाहता कि गाय कटे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : लेकिन राजनैतिक लोग। (व्यवधान) राजनैतिक रोटियां सेंकने के लिए ऐसे काम करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी + + + और डूब मरने की बात है कि (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री गोपीचन्द : जहां पर सरकार चल रही है, सारा प्रशासन हमारा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने बहुत बातें कर दीं हैं, अब आप बिराजियें।

श्री गोपीचन्द : और राजस्थान के अन्दर रोजाना गायें कट रही हैं। रोजाना अखबारों में आ रही हैं, इससे ज्यादा डूब मरने की बात नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजियें।

श्री गोपीचन्द : गो-रक्षा विधेयक सदन में पेश किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : सदन लायेगा उसको हर तरीके से समझ कर। एक इस तरह

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपीचन्द)

के जघन्य अपराध के प्रति इतनी उपेक्षा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री गोपीचन्द : मुझ जैसे भावुक सदस्य को सदन के अन्दर बैठने में + + + आ रही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डूब मरना चाहिए। इस सदन के अन्दर आज भी इस गाय का + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री गोपीचन्द : राजस्थान सरकार है। सी. आर. पी. सी. + + + की राजस्थान सरकार है। इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए सी. आर पी. सी. का (व्यवधान) + + + नहीं है, + + + को तो आशीर्वाद देकर गायें कटवाते जा रहे हैं। यह भी कहते हैं कि प्रशासन पैसे ले रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनकी बातों को नोट नहीं करें। गोपीचन्दजी कुछ भी कहे, इनकी बातों को नोट नहीं करें। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बिराजिये।

श्री गोपीचन्द : × × ×

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गौ-वध की चर्चा चल रही है, दो मिनट के लिये मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ। दो मिनट मेरी भी बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप सब बैठिये। आसन की भी कोई मर्यादा होती है। बिना अनुमति के, बिना परमिशन के खड़े हो जाते हैं, मनमर्जी से खड़े हो जाते हैं।

श्री रूपाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गो-वंश की बात चल रही है, दो मिनट मेरी भी बात सुन लीजिये। मैंने एक छोटी सी गाय पर कविता लिखी है, "गाय हमारी संस्कृति की पहचान है, ऐसा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दर्शाया गया है। "गो हमारी संस्कृति की पहचान है, कटती रहे दिन रात इसी में हमारी शान है।" दो लाइन में और है, गाय की केवल दो मिनट की बात कर रहे हैं लेकिन गाय के रख-रखाव के लिए, उसके चारे के लिए, उसके पानी के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है उसके बारे में भी लिखा है। अब तो कृत्रिम गर्भाधान है,

---

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रूपाराम)

सांड की जरूरत नहीं है। "अब तो कृत्रिम गर्भाधान है क्योंकि हड्डियों के ढांचे में सिर्फ गाय की जान है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रूपाराम : अब तो सांड की जरूरत नहीं, कृत्रिम गर्भाधान है क्योंकि हड्डियों के ढांचे में सिर्फ गाय की जान है। लूटते रहे मिलकर सब, यहां इसी में हमारी शान है। गाय हमारी संस्कृति की पहचान है, कटती रहे दिन रात, इसी में हमारी शान है -"

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि उप मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया कि कान्स्ट्रीट्यूशनल मेटर है, धनखड़ साहब ने जो चार पाइण्टेड बिन्दु के जवाब मांगे थे (व्यवधान) परमिशन दी है जब ही तो बोल रहा हूं। इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्यों नहीं बोलेंगे हम ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : इस पर क्या कोई चर्चा हो रही है ? किस रूल के तहत चर्चा चल रही है ? on a point of order Sir···· (व्यवधान)····With your peromission. इस सदन में कोई भी मुद्दा रूल्स के तहत नोटिस देकर····(व्यवधान)····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पहले आप मेरा तो निपटा दें।

श्री राधेश्याम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बगैर अनुमति के बोल रहे है, इनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाय।

श्रीमती तारा भण्डारी : पाइण्ट ऑफ आर्डर पर कोई पाइण्ट ऑफ आर्डर नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आधे घंटे से सदन में चर्चा हो रही है। जब सरकार की तरफ से अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया गया है उसके बाद किस बात पर चर्चा हो रही है ? (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : किस रूल के तहत चर्चा हो रही है ? Everbody is standing and speaking. यह कौनसे रूल के तहत है ?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, मंत्री महोदय, बैठिये। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत संवेदनशील मामला है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जिसकी मर्जी आये बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह चुनाव का मुद्दा नहीं है, चुनाव का समय नहीं है इसलिए गौ-हत्या पर चर्चा नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आ रहा है, दो-दो मंत्रियों ने इस विषय पर टिप्पणी की। वहां के सदस्य भी बोले मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

कहा कि एक कमेटी फार्मूलेट हो गयी। कमेटी की रिपोर्ट यहां आयी नहीं। कमेटी की रिपोर्ट पर यहां डिस्कशन नहीं हुआ है। उसमें क्या अमेंडमेंट आने हैं, क्या नहीं आने हैं, क्या सुजेशन लेने हैं, मैम्बर्स के क्या सुझाव हैं वह सामने नहीं आये हैं.... (व्यवधान) मैं उपाध्यक्ष महोदय को बोल रहा हूं और आप इस परदे के पीछे शरण ले रहे हैं कि चूंकि इण्टर-स्टेट मामला है इसलिए राष्ट्रपतिजी को भेजा है। किस रूल के तहत भेजा है? आपने इस सदन को कैसे बाईपास किया है?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : कान्स्टीट्यूशन के कौनसे प्रावधान के तहत भेजा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। छोटा सा मुद्दा....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : छोटा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : गौ हत्या का मामला आप छोटा सा मुद्दा बता रहे हैं (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : और माननीय मंत्रीजी ने मुझे कहा है, मान्यवर, आप देखेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी मामला राष्ट्रपति महोदय के पास जाने से पहले इस सदन में आना अनिवार्य है और इसके जो कुछ एक्सेप्शन्स हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कोई ऐसी बात नहीं थी। माननीय सदन के नेता क्यों चुप रहे क्योंकि माननीय सदन के नेता को पता है। इस प्रकार की गलती सदन में करना अनुचित है। माननीय उप मुख्यमंत्रीजी। संविधान के किसी अनुच्छेद का ध्यान दिये बिना चतुर्वेदीजी को बचाने चले आये। मैं फिर पूछता हूं कि आप उन चार बातों का जवाब दीजिये। क्या मसौदा राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया, किस तारीख को प्रेषित किया गया, किस विधिक आवश्यकता के तहत किया गया और भारत के संविधान के कौनसे अनुच्छेद के तहत किया गया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इन बातों का निर्णय नहीं हो जाता है, सदन के दो-दो वरिष्ठ मंत्रियों ने सदन को गुमराह किया है और ऐसे मुद्दे पर गुमराह किया है कि (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये-बैठिये आप। जीरो ऑवर में....(व्यवधान)।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर की बात नहीं है। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया है, ललितकिशोर चतुर्वेदीजी ने वक्तव्य दिया है, उन पर सप्लीमेण्ट्री पूछी है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बहुत गम्भीर नहीं है और इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : जान-बूझकर आप भाषण देने लगे हैं। आप जान-बूझकर

(92)

(श्री जगदीप धनखड़)

वहां (व्यवधान) आप बताइये कि भारत के संविधान के कौनसे अनुच्छेद के तहत भेजा है ? आपने राष्ट्रपति के पद को (व्यवधान) ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी बात सुनिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्षजी, जब राष्ट्रपति उदयपुर गये थे तब भी उनकी यात्रा का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया था ... (व्यवधान) ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप उसको सुनने को तैयार नहीं है । मैंने आपसे निवेदन किया कि यह मामला कान्स्टीट्यूशनल है । राज्य सरकार ने बिल भेजा और लबि भेजा है तो लॉ डिपार्टमेंट की और सारे जो लीगल जानकार हैं उनकी राय ले करके भेजा है । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : क्या भेजा है, कब भेजा है, किस प्रावधान के तहत भेजा है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : Please hear me.

श्री जगदीप धनखड़ : आपको नहीं पता तो फिर चतुर्वेदीजी को बोलने दीजिये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा: इसलिए मैं माननीय सदस्य का ध्यान जो तीनों लिस्ट कान्स्टीट्यूशन में दी है उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । आप कृपया वह तीनों लिस्ट पढ़ लीजिये, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉंकरेंट लिस्ट, और फिर अपना निर्णय सांविधानिक के नाते निकालें । मैं कोई लीगल एडवाइजर नहीं हूं । मैं अथारिटी भी नहीं हूं लेकिन मैं आपको अपनी राय जो है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर (व्यवधान) ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्लीज मेरी बात पूरी सुनेंगे नहीं आप (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ऐसा लगता है कि आप गम्भीरता से कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं और केवल इसका मतलब मैं जो कह रहा हूं इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं । इसलिए कर रहे हैं कि आज जब गम्भीर चर्चा हो रही है उसको सुनने को तैयार नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री की, We don't want you to be Adviser. Don't be an Adviser. Come out with the facts.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और ख्वाहमख्वाह आप खड़े हो जाते हैं, प्लीज I am not yielding. (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मंगवायी जाय, बांध कर लटकायी जाए तब आपकी शान । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से बोल रहा हूं इसलिए अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : आप यह बताइये कि क्या भेजा, कब भेजा, आपको क्या जानकारी है ? सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं। These are the basic issues. You are getting away from the issues. Don't teach us elementary propositions.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। I would not allow you. मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से बोल रहा हूं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप (व्यवधान) बजाय इसको जानने के इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय सदस्य सुन नहीं रहे हैं। गो-वध बंद करने के लिए हमारी सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि बाहर जाने वाली गायों को रोकने के लिए भी बिल बना कर दे रही है और आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि केन्द्र में अपनी सरकार के गृह मंत्री से कागजात राष्ट्रपति के पास पहुंचा दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की जानकारी है कि इस सम्बन्ध में अनेक संस्थाएं गृह मंत्री। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : मंत्रीजी की बात सुन लीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : फाइल गृह मंत्रीजी की टेबल पर पड़ी हुई है उनके उनके हस्ताक्षर होने बाकी हैं। उनके विभाग ने प्रोसेस करके भेज दी है, गृह मंत्री के हस्ताक्षर होते ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने की पूरी सम्भावना है। लेकिन आप वह काम तो करते नहीं और यहां पर इसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। कृपया इसको कांस्टीट्यूशनल वे में देखिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय ने सही कहा, कि इसको कांस्टीट्यूशनल एंगल से देखा जाय। मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धनखड़जी, बहुत बात हो गई। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान) इतना लम्बा भाषण हुआ, दो मिनट सुन लीजिए।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस बात का कोई निष्कर्ष निकला नहीं है और आप कहते हैं कि हो गया। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं, यह कांस्टीट्यूशन मुद्दा

(श्री जगदीप धनखड़)

है। मैंने सवाल तब किया जब माननीय उप-मुख्य मंत्री ने सुओमोटो एक स्टेटमेंट दिया। यदि यह सुओमोटो स्टेटमेंट नहीं देते तो मैं नहीं पूछता, मैं सवाल चतुर्वेदीजी को पूछता। अब इन्होंने सुओमोटो स्टेटमेंट क्या दिया है– that I am not a Constitutional Adviser. हमने तो नहीं कहा कि आप कांस्टीट्यूशनल एडवाइजर हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह क्या है, उपाध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान) यह चर्चा हो रही है क्या ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हमने चार सवाल पूछे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाह रहे हैं ? (व्यवधान) आप कितनी देर और करेंगे ?

श्री जगदीप धनखड़ : I am coming to that. My point is very simple. मैं यह कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत के संविधान की व्याख्या का प्रश्न नहीं है। यहां भारत के संविधान में क्या प्रावधान है वह भी मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभडा : आप आर्टिकल 301 पढ़ लीजिये।

"Subject to the other provisions of this Part, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. And that has come under trade.

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुद्दा यह है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये अब आप। आप कहना क्या चाह रहे हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : एक बार सुनिये। इन्होंने तो एक बार कहा है, उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : नो, माननीय सदस्य, बार-बार हर बात पर यह क्या है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हम यह कह रहे हैं, क्या भेजा ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कॉमर्स फ्री हैं, लेकिन गो--हत्या फ्री नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : राष्ट्रपति महोदय को क्या भेजा, कब भेजा, किस कानून के तहत भेजा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बिराजिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिल भेजा है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़: यह मान लें, क्या 301 के तहत भेजा है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : आप यह बताएं कि राष्ट्रपति को कब भेजा है, क्या भेजा है, किस कानून के तहत भेजा है ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करा ली जाय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, कागजात सदन के पटल पर रखवा दीजिये। अपने आप सारा मसला हल हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) मैंने, माटी साहब, आपको सुन लिया।

श्री जगदीप धनखड़ : And there is a point of order. Honble Secretary may kindly take his seat.

श्री राजेन्द्र पारीक : राष्ट्रपति को भेजे गये कागजात सदन के पटल पर रखवाइये।

श्री जगदीप धनखड : The Honble Secretary may Kindly take his seat. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : राष्ट्रपति को भेजे गये कागजात को सदन के पटल पर रखवाइये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइण्ट ऑफ आर्डर उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : Let him not assist the Members on that side and on this side.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइण्ट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री जुबेर खान : राष्ट्रपतिजी को भेजे कागजात को सदन के पटल पर रखवाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : राष्ट्रपतिजी को भेजे गये कागजात सदन पटल पर रखवाइये। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइण्ट ऑफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से इस तरह की सारी सूचना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : विजयेन्द्रपालजी आप बोलिये। (व्यवधान) आप पाइण्ट ऑफ आर्डर बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी का बयान इस मुद्दे पर आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उन्होंने कब भेजा और संविधान की किस धारा, अनुच्छेद के अन्तर्गत भेजा ? (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर। रूल 64, Provided that where a motion is opposed on the ground that Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House,

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

the Speaker may permit a full discussion there on.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विषय नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : विषय है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसी रूल 64 के अन्दर आप इस पर डिस्कशन करवा दें। सीधा लिखा हुआ है, इसमें–Bill initiates legislation outside the legislative competence. यह बात यहीं पर आ गयी कि लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस के बाहर है तो आप डिस्कशन करवा सकते हैं। रूप 64 के अन्दर आप इस पर रूलिंग दे दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन शुक्रवार को जो घटना हुई, अभी मन्त्री महोदय ने जो····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, मैं बोल कर रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार क्या बोलना चाहते हैं? (व्यवधान) एक छोटी-सी बात के लिए, कोई बात उठायी थी ...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मन्त्री महोदय, बार-बार यह कहते हैं....

श्री जगदीप धनखड़ : छोटी-सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : छोटी-सी बात नहीं है। छोटी सी बात क्या है?

एक माननीय सदस्य : हमने तो चार प्रश्न पूछे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। (व्यवधान) बिराजें आप।

एक माननीय सदस्य : पहले रूलिंग में है, पाइण्ट ऑफ आर्डर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इस विषय पर, उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें नहीं बैठा सकते।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बिजनेस लेना है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बिजनेस लेना है, वोट आन अकाउण्ट होगा। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं-नहीं, बिजनेस आपकी पहले गौ-हत्या का लेना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं....(व्यवधान) आरोप आ रहे हैं, कन्फ्लाइजेशन हो रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहुत छोटा मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : कांस्टीट्यूशनल मैटर्स का अधिकार सदन को ही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी से आप इस क्वेरी का

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जवाब दिलाइये कि उन्होंने किस तारीख को, किस धारा के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रपतिजी के पास भेजा ? राष्ट्रपति के लिए यह कहा जाना कि उनके पास कोई विधेयक पड़ा है और वह देरी कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : स्पीकर को कांस्टीट्यूशन के मैटर का अधिकार नहीं है, इस सदन को ही है। अब आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह उनके अपमान की बात है जिसका मन्त्री महोदय को कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक वरिष्ठ वकील रह चुके है, आप एक वरिष्ठ वकील है, मैं यह अर्ज कर रहा हूं बार-बार मन्त्रिगण असत्य वाचन करते हैं, अब हम आपके बगैर कहां जायं। अभी चतुर्वेदी साहब ने कह दिया कि क्या बात है ? इसमें बात यह हैं, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : वह सारी बात क्लियर हो चुकी हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्लियर नहीं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सारी बात कह दी। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं-नहीं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कोई क्लियर नहीं हुई। कौनसी बात क्लियर हो गयी ? किस का जवाब आ गया ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह कहा कि वह मैटर वहां भेजा हुआ हैं, आपने यह कहा कि कांस्टीट्यूशन के तहत भेजा हैं, कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशंस हैं। उसके बाद आप क्या चाहते हैं ? आप बिराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) श्रीमती बीना काक। श्रीमती बीना काक।

श्री जुबेर खान : आप बताइये, क्या क्लियर हुआ है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्लेरीफिकेशन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक। श्रीमती बीना काक। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नो, नो।

श्री जुबेर खान : क्या क्लियर हुआ, आप बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब कुछ नहीं होगा। श्रीमती बीना काक।

एक माननीय सदस्य : कौनसी तारीख को भेजा, क्या भेजा ?. सदन के पटल पर रखिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर रखवाइये। (व्यवधान) कब भेजा, किस कानून के तहत भेजा ?

98

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह सरकार की + + + नहीं चलेगी, यह मैं आपको कह देता हूं। (व्यवधान) आप रूल्स के तहत चलिये।

श्री जुबेर खान : क्या क्लियर हो गया, आप बता दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : किस कानून के तहत किया, बताइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौनसी तारीख को भेजा है ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तीन बातें ही तो पूछ रहे हैं, उनके जवाब दे दीजिये इनको। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की है कि जो विधेयक राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए भेजा है वह क्या है। मैं ऐसा समझता हूं कि उस बिल को हमें इस सदन में बिल के रूप में नहीं लेकिन उसकी भावनाओं के रूप में रख देंगे। माननीय सदस्य बिल देखना चाहें तो देख लें। मुझे इस बात की खुशी होगी कि राष्ट्रपति जी के सामने हम सारे सदन की इच्छा के आधार पर एक पत्र और लिख देंगे कि इस सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है और इसको राष्ट्रपतिजी स्वीकृति दें।

श्री जगदीप धनखड़ : नो, नो। राष्ट्रपतिजी को कब भेजा ? (व्यवधान) सदन में ही एकता कहां है ? राष्ट्रपतिजी की देरी नहीं हुई। राष्ट्रपतिजी को पता ही नहीं कब भेजा है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : क्या भेजा गया, यह तो बता नहीं रहे हैं और कहते हैं सर्वसम्मति से भेज रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सदन का प्रेशर राष्ट्रपतिजी के ऊपर किस बात का ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो विधेयक भेजा गया है वह कौनसी तारीख को भेजा गया, यह बात तो अपने आप में छिपी रह गयी। इस बात का जब तक स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक जो मंत्री महोदय ने कहा है वह अस्पष्ट रहेगा। राष्ट्रपति महोदय के पास कब भेजा गया और राष्ट्रपति महोदय ने इस पर अभी तक कितने समय से कार्यवाही नहीं की, यह एक महत्वपूर्ण बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक। श्रीमती बीना काक।

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने अभी बहुत अच्छा सुझाव दिया है लेकिन उससे पूर्व जो बात कही थी उसका निर्णय कहां हुआ है जो ललितजी ने कहा है कि राष्ट्रपति को भेजा गया, उसका रेफरेन्स····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक, आप फरमाइये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इन आश्वासनों का भुगतभोगी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

हूं। यहां से मुख्य मंत्रीजी ने खुद कहा 16 मार्च को कि सी.बी.आई. की इन्क्वायरी हो गयी। मैं डायरेक्टर से मिला हूं और उस मामले में कोई सी.बी.आई. की इन्क्वायरी नहीं हुई है। अगर हुई है तो वह रिपोर्ट आप अभी टेबिल पर रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यहां से असत्य वाचन हो रहा है और आप कह रहे हैं कि चेयर की व्यवस्था हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सी. बी. आई की रिपोर्ट टेबल पर रखिये। यह क्या बात हुई। (व्यवधान) कमेटी की रिपोर्ट आप पेश नहीं करें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास सीमित समय है, लिमिटेड टाइम है। श्रीमती बीना काक (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत....

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक के स्थान पर आप कहां बोल रहे हैं ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कभी आप मुझे बुलाते हो, कभी श्रीमती बीना काक को बुलाते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ललित किशोर जी कमेटी की रिपोर्ट....

श्री उपाध्यक्ष : आज मुझे बिजनेस निपटाना है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कल आप पेश कर लेना।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : दोनों में यह तय करो कि किसको बोलना है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सब्जेक्ट तो प्रिविलेज में डिस्कस होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक बोल नहीं रही हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ललित किशोर चतुर्वेदी जी की रिर्पोर्ट यहां पेश हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक, बोलिये आप। आप नहीं बोलेंगी तो you will lose your chance. शिवकिशोरजी, बोलिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ललित किशोर चतुर्वेदी की रिपोर्ट हाउस में डिस्कस हो।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन के नियम संख्या 295 के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(100)

श्री उपाध्यक्ष : नो, आई विल नोट अलाऊं। (व्यवधान) मैं यह अलाउ करने की स्थिति में नहीं हूं। अब बहुत हो गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले बीनाजी बोलेंगी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, उनके प्रश्न का उत्तर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये आप। (व्यवधान) शिवकिशोरजी, बोलिये आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : परस्पर विवाद से शैक्षिक अराजकता उत्पन्न होने पर माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने बाबत। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, कमाल की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : यह जीरो ऑवर है, जीरो ऑवर। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : बोलिये आप बीनाजी, बोलिये ना आप (व्यवधान) उधर सुनाकर बोलिये ना आप, मुझे बोल रही हैं आप।

(13.00)

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब यह एक सुझाव रखा है कि हम उसको सदन में औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से चर्चा करके सर्वसम्मति से उसका मसविदा वहां भेजना चाहते हैं तो निवेदन यह है कि आपने जो मसविदा भेजा है वह सारे मैम्बर्स को सर्क्यूलेट करिये और सदन को उससे अवगत कराइये, जिससे कि वह प्रक्रिया जो आपने कही है उसका अच्छी तरह निर्वहन हो सके। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें कोई आपत्ति नहीं है, करवा देंगे। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : हाउस में उसकी चर्चा करवा लें। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था तो दीजिये (व्यवधान) और आप उसमें कोई निर्णय नहीं दें (व्यवधान) यह अच्छा नहीं लगता। आप निर्णय दीजिये, क्या होगा आगे।

श्री रामनारायण चौधरी (व्यवधान) मामला खतम हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : गवर्नमेंट ने मान लिया सर्क्यूलेट करवा दिया जायेगा फिर.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं कह दिया है कि मैं इस बिल को यहां पर सर्क्यूलेट करवा दूंगा, उसके बाद आपका क्या कहना रह गया।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कमेटी की रिपोर्ट भी।

श्री उपाध्यक्ष : खतम हुई बात। आप बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमको बोलने दीजिये ना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं थे सारा डिस्कशन हो चुका है (व्यवधान) उस समय

(श्री उपाध्यक्ष)

डिस्कस कर लेना आप। आज जो जरूरी काम है वह तो निपटाने दीजिये आप। अब आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप यह भी कहिये कि कमेटी की रिपोर्ट भी सदस्यों को....

श्री उपाध्यक्ष : अब तो आप बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कैसे बैठू ? आपने एक कमेटी फार्म की इस हाउस में, उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आवे नहीं और आप मुझे कहे कि बिराजो, यह क्या मतलब हुआ ? उनको कह दीजिये, उस कमेटी की रिपोर्ट पेश करें यहां पर.... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बीसलपुर के विस्थापितों का बहुत गम्भीर मामला है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हाउस में कोई कमेटी नहीं बनी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मंत्रिमण्डल के विचारार्थ एक विधेयक बनाने के लिये एक कमेटी बनायी, जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया। पन्द्रह मीटिंग हुई, विधेयक का प्रारूप तैयार हुआ। विधि विशेषज्ञों का कहना था कि इस पर निश्चित रूप से राष्ट्रपति की असेन्ट चाहिए। भिजवा दिया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस विधेयक को विधान सभा में सक्यूंलेट करवा दिया जायेगा। खतम हो गया मामला। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, किस रूल के तहत ? मतलब आप यह समझिये कि आप....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप एक-एक बोलें। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं यह कहना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठे, बहुत हो गया आपका। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं-नहीं भले ही बहुत हो गया, मैं पूरा दिन लूंगा। यह क्या मतलब है ? विषय ही ऐसा है।

श्री उपाध्यक्ष : एक घण्टा हो गया बारह बजे से।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक घण्टा क्या, दस घण्टे हों। मेरा अधिकार है, बैठा किसलिये हूं मैं यहां पर ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि यह....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, सारी बात नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी सक्यूंलेट करवा देंगे और उसके बाद उस पर डिसीजन कर लेना आप।

एक माननीय सदस्य : आप सदन को गुमराह मत करो....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह निवेदन है कि उस मसविदे के साथ में कमेटी

(श्रीमती कमला)

की रिपोर्ट भी सक्यूलेट कर दी जाय (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप वहां के अध्यक्ष नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रिपोर्ट कोई नहीं है। विधेयक बनाने के लिये कमेटी बनायी थी, उस विधेयक को बना लिया। उस विधेयक को वहां वो लेने के लिये भिजवाया। सक्यूलेट करवा देंगे, स्वीकार कर लिया उन्होंने। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : उसकी प्रति सदन में रखवाइये। गुमराह क्यों कर रहे हैं आप ?

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : आप यह कहिये कि आपने जो पहले कहा वह गलत था और अब मुख्य मंत्रीजी सही कह रहे हैं। आप कह दीजिये, जो मैंने पहले कहा वह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : राज करने में तो बड़ा मजा आता है और सदन को गुमराह करने में आप अपनी शान समझ रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव का समय नहीं है इसलिए गौ-हत्या पर सवेदनशीलता नहीं बरती जाए ? चुनाव का समय नहीं है। आज चुनाव का समय होता तो गौ-हत्या पर सवेदनशील चर्चा होती। क्या यही दृष्टिकोण है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब, माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, तीन बयान आये हैं मंत्रियों के। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं, चतुर्वेदी साहब ने तीन बयान दे दिये हैं। पहले तो कह दिया कि साहब, हमने राष्ट्रपति जी को भेज दिया और अब फरमाया है श्रीमान् ने कि साहब, विधि विभाग के अफसरों ने हमें कहा कि यह ठीक नहीं रहेगा यहां पेश करना। तो आप बताइये। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (व्यवधान) करने के पहले, विधेयक को लाने से पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय की असेंट लेना आवश्यक है इसलिए भिजवाया है वहां विधेयक को।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : श्रीमान्, उस विधेयक को आपको पहले यहां पेश करना पड़ेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां, मैं यह कह रहा हूं। आप बताइये ना किसके तहत। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों कहते रहना और आप हाई कोर्ट में डिसाइड करवा लेना। आगे चलिये आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह कोई बात हुई क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : You go, both the parties, आप कृपया विराजिये। आसन पैरों पर खड़ा है। गोविन्दसिंह जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं, विराजिये आप। बहुत हो गया है। विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप मुझे + + + डरा नहीं सकते हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये मेरी यह रूलिंग है। आपकी (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह रूलिंग दे रहा हूं कि यदि आपको बहुत एतराज है तो दोनों पार्टियां हाई कोर्ट में इस मैटर को तय करा लें, जुडिशियली डिस्कस करवा लें। (व्यवधान) कांस्टीट्यूशनल मैटर में अध्यक्ष की कोई व्यवस्था नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : We want the supremacy of the Legisiature.

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष जी,

You are in your balance of mind now ?

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल।

श्री परसराम मदेरणा : कांस्टीट्यूशन में इस बात का प्रावधान है कान्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे आइट्म्स हैं जिसमें प्रजेण्ट प्रेसीडेंट की प्रायर असेंट जरूरी है। यहां पर भी बहुत से बिल आये हैं, जिन बिलों को पायलट करने का और प्रभारी मंत्री रहने का मुझे अवसर मिला है। लेकिन वह बिल हाउस में डिस्कस हुए हैं और हाउस में डिस्कस होने के बाद वह 'प्रायर असेंट में गये हैं। फिर प्रायर असेंट के लिए सब्सिक्वेंट कन्फर्मेशन के लिए गवर्नर के पास आये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था प्रायर असेंट उसी में ली जाती है जिसमें सर्टेन मैटर कान्करेंट लिस्ट में है। और अगर कोई ऐसा संशोधन इस सोवरीन हाउस में सब्सिक्वेंटली उस बिल में हमने कर दिया, फिर प्रायर असेंट के लिए जायेगा एज अमेंडेड तो मैं यह कह रहा था बिल एज अमेंडेड कोई आप भेजते तो ज्यादा उचित रहता बनिस्पत इसके कि केबिनेट ने एक सब-कमेटी बनायी। पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्रीजी उसके चेयरमैन थे यह बहुत खुशी की बात है। यह उस वक्त की बात होगी जिस वक्त आप आटो प्रेसीडेंट में नम्बर टू थे, अब नम्बर थ्री में धकेल दिये गये.... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : चार में।

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि मैं भी कभी-कभी ट्रेसपास कर लेता हूं आपकी, नम्बर वन आप हैं, नम्बर दो मेरे सामने बैठता है, पहले दो वाला अब नम्बर तीन में उधर हो गया, सरक गये थोड़े से। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था अगर यहां सदन के अन्दर चर्चा हो जाती और सदन को उसमें कोई भी संशोधन करने थे, जो ड्राफ्ट बिल है, सदन के माननीय सदस्यों को भी एक अवसर मिलता उसमें इतनी जल्दी करने की आपको क्या जरूरत थी। अब फिर बिल हाउस में लायेंगे आप और फिर ऐसा मुद्दा

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

आ गया जिसमें प्रेसीडेंट की प्रायर असेंट की आवश्यकता है दुबारा फिर भेजना पड़ेगा। मुझे ऐसा दिखता है (व्यवधान) आप सुनिये पहले, मुझे ऐसा दिखता है, प्रेसीडेण्ट की प्रायर असेंट लेने के बाद में गवर्नमेंट शायद आर्डिनेंस प्रामलगेट करना चाहती है। उस प्रक्रिया में तो हो सकता है कि आप बिल के ऊपर प्रायर असेंट ले लीजिये फिर सब्सिक्वेंट कंसेंट बाद में मिल जायेगी। आर्डिनेंस निकालकर आर्डिनेंस के ऊपर सब्सिक्वेंट कंसेंट ले लीजिये। लेकिन प्रायर असेंट किसी बिल के ऊपर लेने के पहले वह बिल सदन में नहीं आया, यह बहुत आश्चर्य की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशनल मैटर दूसरे हैं और उसके लिए पालकीवाला और दूसरे लोग हैं, उनको आप कहेंगे तो एंगेज करेंगे और अगर आपका इतना ही निर्देश है, उस सबमें हमको जाना है कि नहीं जाना इस पर हम विचार करेंगे। यह सदन कांस्टीट्यूशनल मैटर का निर्णय नहीं ले सकता। रूल्स एण्ड प्रोसिजर में इस बात का प्रावधान है कि कोई भी बिल अगर प्रेसीडेण्ट के पास भेजा गया है और वह ड्राफ्ट बिल है गवर्नमेंट का, वह बिल हमारे पास आना चाहिये था, इस सदन में आना चाहिये था उसके बाद में प्रायर असेंट के लिये जाना चाहिये था। नहीं तो मैं समझता हूं कि इस सदन को आप वंचित रख रहे हो उसमें और लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस है इस सदन की। यह आप अग्नोरेड मत कीजिये इसको न एरोगेट कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने एक आपत्ति उठायी कि यह विधेयक सदन के अन्दर क्यों नहीं रखा गया। इस सदन में इस बात की भी आपत्ति उठायी गयी है कि यह कानून जल्दी से जल्दी पारित क्यों नहीं किया गया दोनों के बीच में यदि आप विचार करेंगे तो जिस समय केबिनेट में इस सम्बन्ध में विचार हुआ तब निर्णय लिया गया कि एक विधेयक राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति लेकर विधान सभा में प्रस्तुत कर दें। उसके पीछे भी यह भावना थी कि विधान सभा की प्रतीक्षा किये बिना ही यहां एक बार राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति आ गयी तो मामला विधान सभा में जायेगा। विधान सभा में रखा जायेगा इसलिए डिले को अवाइड करने के लिए यदि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी तो आपत्ति क्या है? (व्यवधान) बिल तो अल्टीमेटली हाउस में आयेगा। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता, आपत्ति यह है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं यहां पर। कोई स्कूल तो है नहीं यह। आपने अर्जेन्सी की, दूसरी बात की, आप एक्सप्लेन कर दीजिये। आप हर में क्वेश्चन करते है कि आपको क्या आपत्ति थी। आपत्ति नहीं है, आपत्ति हम उठाने के अधिकारी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं क्वेश्चन नहीं है लेकिन जो आपने आपत्ति उठायी है इसका जवाब दे रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : और इसलिए आपत्ति का मतलब यह नहीं है। गवर्नमेंट अपना उत्तर दे, आप घूम फिर कर एलीगेशन लगाते हो.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने आपत्ति उठायी उसी का तो मैं उत्तर दे रहा हूं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपकी आपत्ति यह थी कि यह विधेयक पहले विधान सभा में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया, विधान सभा से इस पर मोहर क्यों नहीं लगवायी गयी और उसके बाद राष्ट्रपति जी को भेजना चाहिए ।

श्री परसराम मदेरणा : यह दूसरी बात है । फिर पहुंच गये । आप ऐसा ट्विस्ट करते हैं फैक्ट्स का इस सदन में, पहले तो आपको क्या आपत्ति थी मैं जल्दी कर रहा था । अब आ गये कि नहीं, आपने भी आपत्ति उठायी है । दोनों में बहुत फर्क है, There is a thin line of demarcation आप कहते हैं चित भी मेरी और फुट भी मेरी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने आपत्ति यह उठायी, पहले तो ललित किशोरजी के लिए आपत्ति उठायी ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैंने आपत्ति नहीं की हैं वह तो ललितजी चेयरमैन थे मैं क्यूं आपत्ति उठाता । वह वरिष्ठ केबिनेट मंत्री थे, आपने ठीक है, उनको चेयरमैन बनाया और अब भाभड़ाजी को भी बना दीजिये वह अच्छी तरह देख लेंगे उसको ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मदेरणाजी, आप जानते हैं कई बार एक-एक आदमी दो-दो पद रखता है और कभी एक पद पर ही रहता है....(व्यवधान)....यह तो व्यवस्था है संगठन की और व्यवस्था में, इसमें ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए । मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : Fortune favours some people.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Certainly.

श्री परसराम मदेरणा : Therefore you deprive the Minister. You are very fortunate.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : If you are unfortunate and lost one post, then I am not responsible for that.

श्री परसराम मदेरणा : You may not be responsible but you are very fortunate and sometimes fortune favours angels also.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो सकता है । कोई आपत्ति नहीं है । इसमें मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि सदन के माननीय सदस्यों ने जब यह आपत्ति उठायी, मैंने कह दिया था कि इस बिल को मैं सक्यूंलेट कर दूंगा, नम्बर–एक । उस पर चर्चा सदन में चाहें तो समय निर्धारित करके चर्चा भी उठायी जा सकती है । यह भी चर्चा उठायी जा सकती है कि आपने राष्ट्रपतिजी से इसकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता न होते हुए भी यह क्यों ली । मैं ऐसा समझता हूं कि जो कुछ भी हमने राय ली है उसके हिसाब से कान्करेंट लिस्ट के मैटर्स की राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति लेना आवश्यक है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जो कुछ भेजा है सदन के सामने रख दीजिये....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं मानता कि विपक्ष के नेता ने जो बात कही है उसको भी आप स्वीकार नहीं करेंगे । विपक्ष के नेता ने कहा है कि कान्करेंट लिस्ट में राष्ट्रपति जी से स्वीकृति लेना आवश्यक है.... लेकिन आपने यह कहा कि बिना स्वीकृति के इसको वहां नहीं भेजना चाहिए, यह प्रसंग है ।

श्री परसराम मदेरणा : असेंट के लिए भी जो भेजते हैं तो स्वीकृति के लिए और पड़ेगा फिर बिल पास होने के बाद ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कोई अमेंडमेंट होगा तो अब एक मिनट आप बैठ जाओ (व्यवधान) आप अपने लीडर की बात का तो भरोसा रखो ।

श्री जगदीप धनखड़ : पूरा है । इनके चरण स्पर्श करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरा है तो इन्होंने कह दिया कि कान्करेंट लिस्ट का मैटर है, राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी चाहिए ।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं यह कह रहा हूं कि एक मुद्दा रह गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि सदन की इच्छा है कि उस बिल को यहां सर्क्यूलेट किया जाय हम सर्क्यूलेट कर देंगे । सदन की यह इच्छा है कि उस पर चर्चा की जाय उस पर चर्चा करा देंगे । मैंने तो पहले ही कह दिया कि सदन अगर सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति जी के सामने हमारा केस और मजबूत होगा । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसलिए उस समय धनखड़ साहब और बाकी के जो कानूनदा हैं उस पर प्रश्न उठा सकते हैं कि राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी । उसमें देख लेंगे । आज तो कुछ कह नहीं सकता । हमारी मान्यता यह है कि राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति उसमें आवश्यक है और उसको रेफर करना चाहिए । इसलिए अब मैं समझता हूं इस विषय को अभी बंद किया जाय, आगे का विषय....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय बिराजिये । अब बहुत हो गया है (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मामला यदि सदन के रिकार्ड पर अंकित नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि सदन पर ठीक रिफलेक्शन नहीं रहेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में एक प्रावधान है कि बिना किसी बिल को इण्ट्रोड्यूस किये हुए, बिना हाउस में मूव किये हुए राष्ट्रपतिजी को भेजा सकता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 में है ।

श्री भंवरसिंह चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का स्वभाव पड़ गया है कि इस हाउस को चलने नहीं दें । (व्यवधान) कृपया सदन का अमूल्य समय इनसे बरबाद नहीं करावें । यह आपके आदेश को नहीं

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

मानते बैठने के लिए और हरदम खड़े हो जाते हैं बाकी हाउस के सदस्य इनकी तरफ देखते हैं यह कौनसा तरीका है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती बीना जी। श्रीमती बीना जी कोई बहुत ऊंची बात कह रही हैं।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान बीसलपुर बांध के हजारों विस्थापितों की ओर दिलाना चाहती हूं जो अपनी मांगों को लेकर पिछले तीन दिन से बांध स्थल के ऊपर धरना देकर बैठे हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। विस्थापितों के मुआवजा, भुगतान तथा पुनर्वास की गति बहुत धीमी है। पिछले 6 साल से यह लोग अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं....(व्यवधान) विस्थापितों के पुनर्वास का काम जितना धीमे चल रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से बांध का काम जारी है। बांध की ऊँचाई का जो क्रेस्ट स्तर है उसको 302 से बढ़ाकर 304 मीटर किया जा रहा है। इसके लिए टेण्डर आमन्त्रित कर लिए गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि यह दो मीटर और बढ़ा देने से 15 गांव और इसकी डूब में आ जायेंगे, 63 गांवों की 55 हजार एकड़ भूमि डूब में आ जायेगी। बीसलपुर बांध के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय से भी किसी प्रकार की मन्जूरी नहीं ली गयी है। यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि विस्थापितों को वाजिब मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी ऐसे कितने ही डिपार्टमेंट्स हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लिखा हुआ बोलो।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : 295 का तो बाद में बोलना है पहले मैं शून्य काल में बोल रहा हूं (व्यवधान)....शून्यकाल में मुझे इजाजत दी।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : शून्यकाल में बोलने के लिए मैंने आपसे इजाजत चाही थी।

श्री उपाध्यक्ष : अब शून्यकाल समाप्त हुआ।

108

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उदयपुर स्थित सी. टी. ए. ई. कालेज में व्याप्त गुटबाजी एवं अनियमितताओं से शैक्षिक अराजकता ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के सी. टी. ए. ई. कालेज, उदयपुर में व्याप्त अनियमितताओं, अवैधानिकताओं तथा छात्रों में परस्पर विवाद से शैक्षिक अराजकता उत्पन्न होने पर माननीय कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के उदयपुर स्थित सी. टी. ए. ई. कालेज में इन दिनों छात्रों की गुटबाजी, जाति-वैमनस्य अनियमितताओं आदि के कारण शैक्षिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है और उसके कारण छात्रों की पढ़ाई तथा शिक्षा का ढांचा चरमरा गया है । दि 7-9-94 को रात्रि को छात्रों के एक गुट ने महाविद्यालय के दूसरे सीधे-सादे छात्रों के ग्रुप पर कातिलाना हमला किया जिसके फलस्वरूप पांच छात्रों को गम्भीर चोटें आयीं जिसमें चार के तो फ्रेक्चर हो गया तथा एक के सांघातिक चोट सिर में आयी है । आश्चर्य की बात तो यह है कि जब इस तथ्य को अधिष्ठाता के सामने लाया गया तो वे शान्ति-व्यवस्था के बजाय छात्रों को एक-दूसरे के विरुद्ध उकसाते रहे । यह दुःखद पहलू है कि छात्रों को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध नहीं हुआ । कारण कि एक वाहन अधिष्ठाता लेकर किसी पिकनिक पार्टी में चले गये थे । छात्रों को जब अस्पताल लाया गया तो उसके बाद भी उन्होंने इस विवाद को समाप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए वह अदा नहीं की ।

दरअसल सी. टी. ए. ई. कालेज के अधिष्ठाता, डा. प्रताप सिंह नियम के विरुद्ध 43 वर्ष की आयु में ही अधिष्ठाता बना दिया गया जबकि इस पद के लिए पूर्ण परिपक्व व्यक्ति, जो सक्षम हो और 45 वर्ष का हो, आवश्यक है ।

आये दिन सी. टी. ए. ई. कॉलेज में झगड़े हो रहे हैं । छात्रों और अध्यापकों में गुटबाजी हो रही है । प्रयोगशाला हेतु आवंटित राशि 1.36 लाख रुपये का उपयोग छात्रों के लिए नहीं कर कार्यालय सौन्दर्यीकरण के लिए, अपनी इच्छा विलास के लिए अधिष्ठाता ने किया है । इसी तरह फार्म मजदूरों के साथ मिलकर उचित मूल्य का आवंटित गेहूं कर्मचारियों को आवंटित नहीं कर 20 क्विन्टल गेहूं बाजार में बेच दिया गया । सुखाड़िया विश्वविद्यालय के ट्रांसफार्मर को ठीक करने में लगभग 15 हजार की गड़बड़ बताई जाती है । श्री आई. एन. माथुर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक बाहर स्थानान्तरित होने पर भी बिना किसी पद के रिक्त होते हुए उदयपुर में रखे हुए हैं । और तो और श्री आर. सी. तिवारी का त्यागपत्र 25-11-93 को स्वीकार हो गया लेकिन उन्हें पदमुक्त नहीं किया गया और न हीं मकान खाली कराया गया । प्रशासनिक दृष्टि से अकुशलता इतनी है कि 30-11-93 के बाद स्टाफ कौन्सिल की बैठक भी नहीं हो पाई है । अतः विश्वविद्यालय की शैक्षिक अराजकता दूर करने के लिए और अधिष्ठाता के अनियमित,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अवैधानिक कार्यों को रोकने के लिए माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

अजमेर नगर परिषद् बोर्ड को भंग करने बाबत

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाग्यशाली हूं कि भवरलालजी आज यहां बिराजमान हैं, उप मुख्य मंत्रीजी भी हैं। मैं नियम 295 के तहत अजमेर नगर की नगर परिषद् की नाकारा स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा और मैं समझता हूं कि भंवरलालजी खुद इस बात के जानकार हैं और मुझे तो कहा था कि आप लिखित में दें तो मैं बोर्ड को बन्द कर दूं। मैंने कहा लिखित में नहीं, 295 में पढ़ लूंगा, आपकी व्यवस्था आप दे दीजियेगा। स्थिति आपके समक्ष है।

अजमेर शहर की नगर परिषद् में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और यह बोर्ड अपने पांच वर्ष का कार्यकाल चन्द माह में पूरा करने जा रहा है।

अजमेर के इतिहास में ऐसा नाकारा बोर्ड पहले कभी भी नहीं बना और माना जाय तो अजमेर के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का पहला बोर्ड बना है। यह भी कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी का है और यह पहला बोर्ड है जो नाकारा साबित हुआ है।

इस बोर्ड का कीर्तिमान है कि इस बोर्ड की एक भी नियमित बैठक नहीं हो सकी है तथा इस बोर्ड के अध्यक्ष पर कभी चुने हुए सदस्य हावी हो रहे हैं तो कभी प्रशासनिक अधिकारी हावी हो रहे हैं और बोर्ड का संचालन अनस्क्रूप्लस व्यक्तियों के हाथों में रहा।

इस बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। हर समय इस बोर्ड के कुछ चुने हुए सदस्यों पर तो कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के बहुचर्चित आरोप लगाते रहे हैं।

ऐसे आरोप एवं लायतलाली एवं निर्णायक निश्चयों के अभाव में कई वर्षों से कार्य संचालन के लिए सब-कमेटियों का गठन नहीं हो पाया है। शहर की सड़कें, नालियां, बत्तियां और सफाई व्यवस्था चिल्ला--चिल्लाकर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को दुहाई दे रही हैं। आम दिनों को छोड़ कुछ खास दिनों जैसे दीपावली, ईद आदि त्यौहारों पर भी शहर सड़ता रहता है।

दिनांक 2 मार्च, 95 की साधारण सभा का दिन पूर्व की बैठकों की तरह ऐतिहासिक रहा है। अध्यक्ष के पद की जिस तरह धज्जियां उड़ी हैं वह अपने आप में अभूत-पूर्व रही हैं।

अतः स्वायत्त शासन मंत्रीजी से आग्रह है कि अजमेर शहर के नाम पर कालिख पोतने वाले ऐसे नाकारा बोर्ड को तुरन्त प्रभाव से भंग कर अजमेर की जनता को राहत की सांस लेने दें और स्वच्छ वातावरण में अजमेर नगर परिषद् के चुनाव करा लें क्योंकि लाख टालने के प्रयास के बाद भी संविधान की मंशा के अनुरूप चुनाव कराने ही होंगे।

(110)

(श्री किशन मोटवानी)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भंवरलालजी कुछ इस सम्बन्ध में कहें और अपने बोर्ड की बात कहें क्या करना चाहते हैं इस बाबत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह सिंघवी।

छबड़ा–छीपाबड़ौद में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, छबड़ा–छीपाबड़ौद में 9-3-95 व 15-3-95 को अचानक ओलावृष्टि से करीब 150 ग्रामों में फसल चौपट हो गई। पकी पकाई फसल नष्ट हो जाने से किसान बरबाद हो गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तत्काल सहायता करके नियमानुसार राशि वितरण कराके राहत पहुंचाई है, पर सब कुछ लुटने वाले के लिए यह राशि, एक हजार रुपये हैक्टेयर कम है। अतः अब इस क्षेत्र में तत्काल राहत कार्य शुरू करवाये जायं तथा सरकार से मेरा निवेदन है कि फसल बीमा योजना किसानों के लिए प्रारम्भ की जाय। ओलावृष्टि से क्षेत्र में चारे की कमी भी आ गई है उसके लिए तुरन्त चारा डिपो खुलवाया जाय एवं गर्मी में जो फसलें हो सकती हैं उनके लिए शीघ्र बीज वितरण की व्यवस्था मुफ्त की जाय।

मेरे क्षेत्र में अफीम की खेती भी होती है। सभी ग्रामों में अफीम की फसल में भी नुकसान हुआ है। अतः नारकोटिक्स विभाग को भी नुकसान के बारे में लिखा जावे ताकि किसानों को भी आगे पट्टे मिल सकें और वह विभाग भी क्षेत्र के किसानों की क्षतिपूर्ति करे।

मेरा निवेदन है कि क्षेत्र में अलग से सड़क, तालाब व अन्य कार्य खुलवाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि क्षेत्र के गरीब किसान वहां से पलायन नहीं करें एवं उनकी रोजी रोटी का प्रबन्ध हो सके।

(13.25)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन।)

श्री सभापति : श्रीमती मीना अग्रवाल।

राज्य में एवं विशेषकर अलवर जिले में शराब बन्दी

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आबकारी मंत्रीजी को यह कहना चाहती हूं कि शराब बन्द नहीं होने से समाज में किस तरह गन्दगी फैली हुई है। परिवार में बच्चे, महिलाओं को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बच्चों को अच्छे नागरिक बनने के लिए निःशुल्क पुस्तकें करोड़ों रुपये की देने का अक्षर अभियान चला रखा है। नित्य नये स्कूल खुल रहे हैं, आंगनबाड़ी भी है और यहां तक सरकार बच्चों का ध्यान रखती है कि कहीं बीमार नहीं हैं। पोलियों के टीके आदि होने के बाद भी भिखारी एवं मजदूरों के बच्चों से पूछने पर यही कहते हैं कि मेरे पापा ने लाटरी व शराब में सारा पैसा बरबाद कर दिया है। मेरी मां, बहिन, छोटा भाई है, काम नहीं करें तो क्या करें। जगह-जगह सरकार ने लिखा रखा है कि बच्चों से काम नहीं करायें

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

मगर इनसे मजदूरी करवाती हैं। वही बच्चे पढ़ना चाहते हैं और खेलना चाहते है। कई बार बहिनों से भी चर्चा हुई है वह भी यही कहती हैं कि पैसे की कमी नहीं है, शराब व लाटरी ने घर बेच दिया, जेवर बेच दिया, बरतन तक बेच दिये हैं। यहां तक कि बलात्कार, चोरी, डकैती आदि भी होती है। हमारे मुख्य मंत्रीजी का विचार अखबार में पढ़ा कि शराब का ठेका पर्यटन विभाग को देंगे। यह बहुत ही सुन्दर विचार है। गली--गली मैन रोड़ और मन्दिर, स्कूल व बस अड्डा आदि के पास तो दुकान नहीं खुलेगी। सीमित आदमी ही पर्यटन में पहुंचेंगे। वैसे पुलिस कई बार शराब पीने वाले और कच्ची शराब पीने वाले को भी पकड़ती हैं। सरकार का विज्ञापन भी शराबबन्दी का होता है। यदि यह बन्द नहीं हुई तो इसका प्रचलन और अधिक बढ़ जायेगा जैसे नशा ड्रग्स आदि का है।

अलवर की जनता आपके पास आई है शराबबन्द करने के लिए। यह कारखाना उपजाऊ भूमि बांध के पास नहीं लगना चाहिए। वैसे भी गांव वाले बता रहे थे कि यह एरिया भी पर्यटन की दृष्टि से विकास करना चाहता है फैक्ट्री से झील बरबाद हो जायेगी। अलवर की जनता यह भी चाहती है कि जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस दिन शोक घोषित था, मंत्रीजी बृजराजसिंहजी की डैथ हुई थी, जिस क्षेत्र अधिकारी ने भूमि पूजन किया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी? वैसे हमारी सरकार का कहना है कि हम जन कल्याण की ओर हैं। गांधीजी का भी विचार था कि शराब बन्द रहे इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि शराब बन्द करने के बारे में विचार करें।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी।

लूणकरणसर के सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रों में जल उपलब्धि

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदया, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से इन्दिरा गांधी नहर से सिंचाई क्षेत्र के विस्तार हेतु सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र संख्या एवं क्षेत्रफल के लिहाज से राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें 2·72 लाख मतदाता हैं। क्षेत्रफल लगभग 14 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसमें सिंचित एवं असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्र हैं। बारानी क्षेत्र के मोतीगढ़, बरजू, बराला, लगूवसर, जालवाणी, करणीसर, बन्दावाला आदि गांव आम तौर पर अकाल प्रभावित रहते हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न है। यह क्षेत्र जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। पिछले चालीस-पैंतालीस वर्षों में 2-4 वर्षों में थोड़ी बहुत पैदावार हुई है। इस क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर से सिंचाई हेतु पानी पहुंचा कर इनका जीवन स्तर सुधारा जा सकता है एवं दयनीय जीवन स्तर से इन्हें छुटकारा मिल सकता है। इससे अकाल का स्थायी हल निकल सकता है। इन्दिरा गांधी नहर की आर.डी. 625(2) के आसपास 25-25

(112)

(श्री भीमसेन चौधरी)

फीट की दो लिफ्ट लगा कर इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इस स्थान पर नहर का एफ.एस.एल. 579.96 है तथा इन सारे गांवों का ग्राउण्ड लेवल आम तौर पर 580 से 620 के बीच है। मैंने सर्वे शीट्स देखी हैं। करीब 10,000 मुरब्बों में सिंचाई सुविधा मिल सकती है।

इसके अलावा कंवरसेन लिफ्ट नहर की आर.डी. 301(2) से 15-15 फीट की दो लिफ्ट लगा कर सुरनाणा, जाखड़वाला, थोरियां बस्ती, कालू, कालवास, किसनासर, राजपुरा हुडम कागासर, गारबदेसर तक एवं आर.डी. 279(आर) से खोंसराना, लालेरा, खिसेरा, डूरीवाली, धीरेरा आदि गांवों के कस्बों को भी सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है। इन गांवों का सर्वे करा कर योजना तैयार करायी जावे और आगामी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्षों में क्रियान्विति की जाकर इन क्षेत्रों को अकाल समस्या से निजात दिला कर ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाया जावे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल अहारी। (अनुपस्थित) श्री अमराराम चौधरी।

पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदया, मैं पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहूंगा।

निवेदन है कि पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या बनी हुई है तथा दूसरी तरफ बिजली की समस्या है। पचपदरा शहर के पास घी से भी महंगे पानी का अंधाधुंध तरीके से तालाब भरा जा रहा है जिससे उस तालाब के आसपास की मीलों की बस्ती का रहना मुश्किल हो रहा है। मकान नष्ट हो गये हैं तथा और भी मकान नष्ट होने की स्थिति में है। इस तालाब के भरने की वजह यह है. पचपदरा में बिजली नहीं आने से विठूजा जल स्रोतों से जो पानी आता है वह पानी पचपदरा से आगे साजियाली, तरली,लापूदड़ा, आकडली, रूपजी, राजावेरी, वयार, चारलेत, कालेवा पाटोदी, रिछोनी, वागुण्डी, मलवा, दूधवा नहीं भेजा जाता है। जिससे इन ग्रामों में जन धन की हानि होने वाली है। इसके समाधान के लिए शीघ्र दो जनरेटर लगाकर पचपदरा और साजियाली से पानी बूस्ट करना चाहिए। लेकिन सब कुछ मालूम होते हुए भी कोई इस घी से भी महंगे लाखों रुपये के पानी को फालतू तालाब भरने से नहीं रोक रहा है। इस प्रकार कालूवड़ी, चांदेसरा, भीमरलाई, सिवली, गोल सोढ़ा, कल्याणपुर, तिलवाड़ा, पारलू, काकराला, खारवा, सरकड़ी, आरावाडू दावतों, आरावा चौहान, गोदावास, कलां, वागावास, धड़सी का वाड़ा, पिडारन, मोदड़ा, कुडी, परालिया आदि ग्रामों में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से जन धन की हानि हो सकती है। जलोस

(श्री अमराराम चौधरी)

व बालोतरा शहर में भी नियमित पानी नहीं मिलने से ग्राम जनता दुःखी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि शीघ्र ही इस ज्वलंत समस्या के समाधान के लिए भीमालाई से गोला सोढ़ा, नेवरी से सरवड़ी, देदिया से आरावा चौहान, डोली से गोदावास कलां, आरावा दूदावतों को पाइप लाइन से जोड़ा जाय और पचपदरा व साजियाली में जनरेटर शीघ्र लगाकर जन-धन को बचाया जाय।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल बैरवा।

जिला परिषद् कोटा में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति.

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहूंगा।

मान्यवर, जिला परिषद् कोटा में गत डेढ़-दो वर्ष पूर्व तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जिला परिषद् कोटा में आवेदन मांगे गये थे। सभी शिक्षित बेरोजगार ने मय पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन किया लेकिन लम्बे अरसे के बाद भी आज उन आवेदन फार्मों में से किसी को नियुक्ति नहीं दी गयी है। विभाग द्वारा बार-बार लिस्ट निकालने का आश्वासन देते रहने से शिक्षित बेरोजगार जिला परिषद् के चक्कर काटते हैं जिससे उनके समय व धन दोनों का अपव्यय होता है। बेरोजगारी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है तथा दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालयों में काफी पद रिक्त हैं जिससे छात्रों के अध्ययन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। अतः छात्रों के भविष्य व बेरोजगारी की समस्या को मद्दे-नजर रखते हुए कब तक उन शिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति कर दी जायेगी तथा कब तक लिस्ट जारी कर दी जायेगी ?

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी चौधरी।

मण्डावा के गांवों में पेयजल समस्या

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना दे रहा हूं कृपया अनुमति प्रदान करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा में लगभग 100 गांव खारे पानी के हैं जिनका पानी पीने योग्य नहीं हैं। राज्य सरकार ने क्षेत्रीय जल योजनाएं बना रखी हैं परन्तु उनका संचालन सुचारू रूप से नहीं है। मंत्री महोदय भी पिछले वर्ष इन गांवों में पधारे थे, उन्होंने आंखों से देखा है। इन गांवों की पेयजल योजनाएं जैसे, सोनासर, धनूरी, गंगियासर क्षेत्रीय जल योजना, महणसा जल योजना आदि से गांवों को पानी नहीं पहुंच रहा है। जावासर, भूंद का बास, कबीरसर, गोरवरी, राणासर, बाडेट, रूयाली, ढिलसर निराधन आदि 100 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। आगे गर्मियों का समय आ रहा है उस समय तो बहुत विकट समस्या पैदा हो

(श्री रामनारायण चौधरी)

जायेगी। अभी से व्यवस्था जरूरी है। पिछले साल कंटीन्जेंसी प्लान में से ग्राम ढाणीचारण और ग्राम खातियों की ढाणी के लिए दो हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए थे तथा ईसरपुरा में स्थानीय कुएं में पम्प सैट लगाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। पी.एच.ई.डी. को धनराशि भी दे दी गयी थी परन्तु तीनों काम अधूरे पड़े हैं तथा गांव पीने के पानी के लिए दु:खी है। कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करायें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती बीना काक।

उदयपुर की झीलों के समीप पहाड़ियों के सौन्दर्यीकरण को क्षति

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यावरण को दूषित होने एवं शहर के सौन्दर्य को हो रही क्षति को रोकने के सम्बन्ध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

महोदया, उदयपुर नगर जो राज्य का पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है तथा जिसे देश-विदेश में झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है उसने सौन्दर्य को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से बिगाड़ने की कुचेष्टा की जा रही है। उदयपुर स्थित झीलों के आसपास पहाड़ों को काटकर विशाल भवनों का निर्माण किया जा रहा है जिससे इस शहर में जहां पर्यावरण दूषित हो रहा वहीं दूसरी ओर शहर का सौन्दर्य भी नष्ट होता जा रहा है।

एक ओर झीलों के आसपास निजी पर्यटन सुविधा के नाम पर रोक लगायी जा रही है वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा कई प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, झीलों के आसपास के पहाड़ों एवं स्थानों पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी लिप्त हैं। माननीय, सभापति महोदया, उदयपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक देश-विदेश से उदयपुर को देखने आते हैं जिससे राज्य को भी काफी आय होती है। यदि इस प्रकार के निर्माण कार्यों को नहीं रोका गया तो झीलों की नगरी उदयपुर को पर्यटन की दृष्टि से तो नुकसान होगा ही किन्तु राज्य को भी आर्थिक हानि होगी तथा इस ऐतिहासिक नगर का सौन्दर्य भी नष्ट होगा।

अत: माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जी का विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान केन्द्रित करना चाहती हूं ताकि वे उक्त समस्या का निदान शीघ्रातिशीघ्र करवाने का प्रयास करें।

श्री सभापति : श्री हरिनारायण बैरवा।

बाघ परियोजना रणथम्भौर, सवाईमाधोपुर के जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से

(श्री हरिनारायण बैरवा)

निर्वाचन क्षेत्र खण्डार व सवाईमाधोपुर के करीबन 100 गांवों के किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

निर्वाचन क्षेत्र खण्डार व सवाईमाधोपुर बाघ परियोजना, रणथम्भौर, में जंगली जानवरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि जिससे बाघ परियोजना क्षेत्र की सीमा से 15 किलोमीटर की दूरी तक के किसान दुःखी हैं किसान, उसका परिवार मय जानवरों सहित दिन रात लगातार मेहनत करके हजारों रुपये खर्चा करके खेती बोता है। कीमती खाद, बीज व दवाइयां डालता है, पानी देता है, दिन-रात रखवाली करता है। फिर भी बाघ परियोजना क्षेत्र से जंगली जानवर निकलकर किसानों की फसलों को चर जाते हैं। उनकी वर्ष भर की कमाई नष्ट हो जाती है। उन किसानों के पास खेती के अलावा आजीविका का अन्य कोई साधन नहीं है। अतः बच्चों की पढ़ाई व अन्य आवश्यक काम रुक जाते हैं, भूखे मरने की नौबत आ जाती है। प्रतिवर्ष उन किसानों के साथ ऐसा ही अन्याय होता है। उनके दुःख-दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। अतः बाघ परियोजना रणथम्भौर के जंगली जानवरों द्वारा किसानों को पहुंचने वाली क्षति का किसानों को पूरा-पूरा मुआवजा दिलवाया जाय या बाघ परियोजना क्षेत्र की सीमा पर पक्की दीवार निर्माण करके जंगली जानवरों को रोका जाय।

यदि किसानों के पशु बाघ परियोजना क्षेत्र की सीमा में घुस जाते हैं तो पशुओं को पकड़ लिया जाता है और हजारों रुपये दण्ड लेकर पशुओं को छोड़ा जाता है। कई बार तो बाघ परियोजना क्षेत्र में किसानों के पशु जाने के बाद किसानों को भी बंद कर दिया जाता है और उनको बुरी तरह से मारा-पीटा जाता है। कई बार किसानों पर गोलियां भी वन सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा चलायी गयी हैं। हमेशा के लिए इस विवाद को समाप्त करने के लिए बाघ परियोजना क्षेत्र के चारों ओर पक्की या कांटेदार तारों की दीवार बनवायी जाय या फिर जैसे किसानों से जुर्माना वसूल किया जाता है वैसे ही किसानों को भी उनकी फसल का मुआवजा दिलवाया जाय।

बाघ परियोजना के हिंसक जंगली जानवरों जैसे–बाघ, तेन्दुआ, भालू, भेड़िया, जरख, लकड़बग्गा आदि द्वारा किसानों के जानवरों और किसानों को खा जाने, घायल कर दिये जाने पर किसानों को मुआवजा दिलवाया जाय और हिंसक जानवरों की रोक के लिए पक्की दीवार बनवायी जाय। जंगली जानवरों को खेतों में से भगाने के लिए किसानों को उनके खेतों पर पटाखों की आवाज करने की स्वीकृति भी दिलवाई जावे। बाघ परियोजना क्षेत्र के चारों ओर दीवार बनाने से किसानों के जानवर परियोजना क्षेत्र में और जंगली जानवर खेतों में नहीं जायेंगे, लकड़ी चोरी भी रुक जायेगी। अतः किसानों का ध्यान रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाय, जंगली जानवरों को रोकने का प्रबन्ध करवाया जाय।

(13.43)

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

(116)

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण जी मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाशजी मेघवाल, गृह मंत्री, गृह विभाग, एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि
अधिसूचनाएं

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 20(2) गृह-9/88 दिनांक 25 नवम्बर, 1994, जिसके द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं समस्त मेडिकल सर्विसेज तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों के अन्तर्गत समस्त सेवाओं में हड़ताल किये जाने पर प्रतिबंध किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह जी, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की 21 अधिसूचनाएं एवं अधिसूचनाओं से सम्मत कतिपय शुद्धि पत्र सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 21 अधिसूचनाएं एवं अधिसूचनाओं से सम्बद्ध कतिपय शुद्धि पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

(अधिसूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

आपत्ति
अधिसूचनाओं, जो पूर्व में प्रसारित की जा चुकी हैं, का शुद्धि-पत्र

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एतराज है और मेरा एतराज यह है कि पंचायत मंत्रीजी ने कुल मिला करके 26 अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी हैं और इन 26 सूचनाओं में सूचना नम्बर 25-24 सूचना नम्बर 22 और 21 में शुद्धि पत्र रखे हैं। मैं आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आप सूचना संख्या 21 के जरिये जो नोटिफिकेशन 10 सितम्बर, 1992 को निकाला है उसमें शुद्धि कर रहे हैं, 92 का कौनसा है, 94 का होगा शायद ?

श्री नाथूसिंह : कौनसे नम्बर पर है ?

श्री परसराम मदेरणा : 21, वह एक्ट ही दूसरा हो गया। तो इस अधिसूचना से पहले का जो नोटिफिकेशन है उसमें सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट कर रहे हैं। न तो राजस्थान पंचायत एक्ट स्टेच्यूट बुक पर है न पंचायत समिति, जिला परिषद् एक्ट है। तो 92 की किसी भी अधिसूचना में आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, यह कैसे कर रहे हैं ? यह मेरी समझ में नहीं आया पहला।

दूसरा, मेरा एतराज यह है कि सूचना संख्या 22 के द्वारा आपने शुद्धि पत्र निकाला है, वह 11 जनवरी, 1993 की एक कोई अधिसूचना है यह भी कोई पुरानी अधिसूचना है। इन दोनों अधिसूचनाओं के

(श्री परसराम मदेरणा)

सम्बन्ध में आप शुद्धि पत्र इतने साल बाद निकालने जा रहे हैं जबकि वह एक्ट जिनके अन्तर्गत ये थीं, ये अधिसूचनाएं आपने उस वक्त प्रसारित की होंगी और वह सदन की मेज पर भी रख दी होगी। मुझे यह बताइये कि कोई अधिसूचना है, वह एक्ट ही नहीं रहे, वह इनेक्टमेंट भी आज नहीं है, उनके अन्तर्गत जो आपके पास सबार्डिनेट लेजीस्लेशन के पावर थे, रूल मेकिंग के, वह रूल मेकिंग के पावर तो नये एक्ट के अन्दर अलग से लिये गये हैं और रूल्स भी आपने बिलकुल नये बनाये हैं, आज, जो है, आप संशोधन करने जा रहे है? राजस्थान पंचायत निर्वाचन नियम, 1994 जो पब्लिश हुआ है 10 अगस्त, 1994 को, और सब सूचनाएं तो उसके सम्बन्ध में हैं लेकिन यह तो अधिसूचनाएं हैं जिनका उल्लेख यहां पर किया गया है उसके सम्बन्ध में नहीं हैं। आप इसका स्पष्टीकरण कीजिये, नहीं तो आप 92 के किसी भी नोटिफिकेशन को शुद्धिकरण नहीं कर सकते।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये कुछ अधिसूचनाएं तो चुनाव नियमों में जो चुनाव प्रक्रिया थी उससे सम्बन्धित हैं और यह जो शुद्धि पत्र है इस सम्बन्ध में जो 92 के पंचायतों का जो डिलिमिटेशन हुआ था उसके बाद कई जैसे नगरपालिका क्षेत्र था वह पंचायतों में हो गया, पंचायतों में नगरपालिकाओं में कई लोग कोर्ट्स में चले गये वह अधिसूचनाएं थीं, उनके बाद में जो फाइनल स्वरूप आया उसमें संशोधित करके फिर यह नोटिफिकेशन रखा गया।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत सीरियल मैटर है, उपाध्यक्ष महोदय, 92 की किसी अधिसूचना में आपने संशोधन करने की बात अब की है। उस वक्त कर ली, अगर 92 में कर ली तो आप क्या कुम्भकर्ण की नींद में सो रहे थे....

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, 92 के बाद कई दफासेशन मिले हैं, 94 में कई बार सैशन मिला, आपने 93 और 94 के अन्दर किसी भी रूल में अगर अमेंडमेंट किया है तो आपको इमीजिएटली फर्स्ट सैशन के पहले दिन या सब के एक सप्ताह के भीतर अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखनी चाहिए थीं। इस सदन को आपने डिप्राइव किया है, डिबार किया है, डेटर किया है कि वह आपको राय दे सके चुनावों के बारे में, उसमें संशोधन सजेस्ट कर सके। इसलिए यह आपने समय के ऊपर वह अधिसूचनाएं नहीं रखीं। वह शुद्धिकरण उस वक्त किया गया था या अब किया है? अगर उस वक्त शुद्धिकरण किया था तो इतने साल बाद आप क्या कर रहे थे? आप दो साल क्या कर रहे थे? और दो साल से शुद्धिकरण को सदन की मेज पर नहीं रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्रीजी को प्रताड़ना दी जानी चाहिए क्योंकि यह हाउस को बाईपास कर रहे हैं, हाउस की अथारिटी को अब्रोगेट कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपने इसमें लिखा नहीं है यह शुद्धिपत्र किस तारीख का है।

श्री नाथूसिंह : मैं आपको समझा नहीं पाया हूं। एक मिनट सुन लें। यह चुनाव में जो नियम बने हैं चुनाव के समय हमको कुछ....

श्री हरजीराम बुरडक : इसमें चुनाव कहां आ गये ?

श्री नाथूसिंह : मेरी पूरी बात सुन लें उसके बाद बोल लेना। उपाध्यक्ष महोदय, समय-समय पर हमको अर्जेन्ट कुछ नोटिफिकेशन निकालने पड़ते हैं उसके बाद में जो नया शुद्धि पत्र जिसकी बात आप कर रहे हैं यह 92 में शुद्धि पत्र नहीं है। यह शुद्धि पत्र बाद में कुछ निकालने पड़े क्योंकि मामला ऐसा चल रहा था जो कि अर्जेन्ट हमारे सामने आया इलेक्शन पीरियड के समय में। उनका शुद्धिपत्र है यह।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आई थिंक यू. आर. एल. एल. एम.....

श्री जगदीप धनखड़ : नो-नो, ही इज एल. एल. एम. कानून को इम्पलीमेन्ट करने से पहले ही अमेंडमेंट आ गया।

श्री परसराम मदेरणा : शुद्धिकरण अब कर रहे हैं और जब एक्ट ही स्टेच्यूट बुक पर नहीं है, How can a notification remain or rules remain on the Statute books when both the Acts have been repealed ? I do not know the number what is, Rajathan Panchayat Act, 1953, Rajasthan Panchayat & Zilaparished. Act. 1959, they both, by this new Act of 94–Rajasthan Panchayat Raj Act; 24 अप्रैल, 94 के द्वारा दोनों ही इनेक्टमेंट रिपील कर दिये गये हैं और इस सदन को जो लेजिस्लेटिव काम्पीटेन्स है अगर इनेक्टमेन्ट ही आज स्टेच्यूट बुक पर नहीं है उनके अन्तर्गत अधिसूचनाएं जो आपने उस समय जारी की उसमें शुद्धिकरण करने के लिए आये, किसका शुद्धिकरण कर रहे हैं ? यह एल. एल. एम. का शुद्धिकरण करो आप, आप कर ही नहीं सकते शुद्धिकरण। आपकी काम्पीटेंस में ही नहीं है। वह जब इनेक्टमेन्ट आज स्टेच्यूट बुक पर नहीं है, उनके अन्तर्गत को रूल्स मेकिंग पावर्स हैं उसमें अधिसूचनाएं निकाल रहे हैं। how can you do that ?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जिस समय 92 में नोटिफिकेशन हुआ था और पंचायतों का डिलिमिटेशन हुआ था तो कुछ ग्राम ऐसे थे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो किसी भी पंचायत में आने से छूट गये। जैसे आप 21 का जिक्र कर रहे हैं। किसी भी पंचायत में वह आने से छूट गये, तो उस समय छूट गये क्योंकि नोटिफिकेशन तो उस समय निकला 92 में लेकिन शुद्धिकरण हमको चुनावों के जस्ट पहले निकालना पड़ा। उस गांव को अदर पंचायत में जोड़ने के लिए इसलिए आवश्यक था। इसलिए यह शुद्धि करण है।

श्री हरिसिंह : किस एक्ट के तहत निकाला ?

श्री नाथूसिंह : नये एक्ट के तहत।

श्री हरिसिंह : उसकी डेट बताइये आप ?

श्री नाथूसिंह : वह नम्बर 21 में पढ़ देता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को आप हिदायत दें कि वह 21 नम्बर वाला पढ़ दें।

श्री नाथूसिंह : 21 नम्बर वाला है। पूरा पढ़ रहा हूं। दिक्कत क्या है, जयपुर 8 सितम्बर, 1994 राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 10-9-92 जो राजस्थान राजपत्र के असाधारण भाग 6 (ग) में दिनांक 11-9-92 में प्रकाशित हुई, जिला भीलवाड़ा के सम्बन्ध में संलग्न सूची में ग्राम अंकित से रह गये थे जिन्हें संलग्न सूची के कालम 5 के अनुसार जोड़ा जाय। पंचायत समिति का नाम जहाजपुर, पंचायत का नाम मंडेर, टीका खजूरी–जो भी इसमें रह गये। राजपत्र का पृष्ठ संख्या 571, 572 और 73 कालम नम्बर 8-8 'य' और ग्रामों को जोड़ा गया मगनपुरा, केसरपुरा, फलमा का खेड़ा....

श्री हरिसिंह : किस एक्ट के तहत?

श्री नाथूसिंह : नया एक्ट जो 94 में बना उसके तहत। राजस्थान राजपत्र के असाधारण भाग 6 (ग)। शुद्धि पत्र, जयपुर, सितम्बर, 94 ग्रामीण विकास विभाग विधि 94–336–65 अधिसूचना संख्या 15 (1) ग्राम. वि. पं. 1992–3477 दिनांक 10–9–92 को राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग 6 (ग) में दिनांक 11-9-92 में प्रकाशित हुई है जिला भीलवाड़ा के सम्बन्ध में। संलग्न अनुसूची में ग्राम अंकित होने से रह गये थे, इन्हें संलग्न सूची के कालम 5 के अनुसार जोड़ा जाय।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय मंत्री महोदय, मैं तो इसमें यह निवेदन करना चाहता हू कि आप इसमें कन्फ्यूज कर रहे हैं। मामला यह है 1991 की जनसंख्या के बाद कुछ ढाणी और मजरे गांव बन गये। पहले वह मूल गांव में सम्मिलित थे उसके बाद यह जो आप नाम पढ़ रहे हैं वह नये गांव बन गये तो उन पंचायतों में आपने जोड़ा है। मूल गांव में वह पहले शामिल थे। यह इतना ही है नये गांव छूट गये, यह सब बातें गलत हैं।

श्री नाथूसिंह : हां यही मान लीजिये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें जोड़ने की इसलिए आवश्यकता हुई आपको कि मूल गांव जुड़े हुए थे। पहले यह तो बाद में मजरे बनते हैं तो जुड़ते हैं बीच में। कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

श्री नाथूसिंह : राजस्व गांव बन गये तो जोड़ दिये। इसमें क्या बात हो गयी?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 94 के अन्दर पंचायतों के रिआर्गेनाइजेशन की रेलेवेन्ट धारा क्या है? उसका तो उल्लेख किया ही नहीं जिसमें ग्राम पंचायतें आती हैं। रि-आर्गेनाइजेशन का मामला तो आपने इस एक्ट में लिया ही नहीं हैं। रि-आर्गेनाइजेशन पहले कर दिया तो ग्राम पंचायतों का नाम रखा है। अगर ग्राम पंचायत का नाम

(120)

(श्री परसराम मदेरणा)

रखा है तो आपको सेक्शन के अन्दर जो ग्राम पंचायतें हैं उसका हवाला देना चाहिए था। अभी नोटिफिकेशन पढ़ा उस सेक्शन का नहीं दिया। रूल मेकिंग का तो आपने हवाला दे दिया और वह 92 में रि-आर्गेनाइजेशन इसीलिए हुआ है उसमें कोई गांव छूट गये थे। उनका उल्लेख कर रहे हैं और वह पंचायतें रि-आर्गेनाइज हुई थीं राजस्थान ग्राम पंचायत एक्ट के नीचे जो कि 1953 में बना था। अब 94 वाले एक्ट में रि-आर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? यह तो पुनर्गठन है पंचायतों का गांव छूट जाओ, चाहे गांव जुड़ें और चाहे गाव को उसमें से हटाओ, In every case it is reorganisation and delimitation of Panchayat.

श्री नाथूसिंह : इसलिए कर सकते हैं कि एक्ट में सब चीजें....

श्री हरजीराम बुरडक : एक मिनट। पुराना जो एक्ट था उसमें तो रि-आर्गेनाइजेशन के और डिलिमिटेशन के रूल्स बने हुए थे। नये एक्ट में जो प्रोविजन पंचायतों के पुनर्गठन का या किसी गांव को मिलाने या हटाने का, उसके न तो कोई रूल्स बने हैं और उस धारा में यही लिखा हुआ है कि नियम बनायेंगे, उस हिसाब से करेंगे। तो आपने यह अधिसूचना जारी कैसे की? कोई कानून ही लागू नहीं है। आप पढ़ें इसको। (व्यवधान) नये एक्ट में यह प्रोविजन ही नहीं बना है अभी। नये एक्ट में यह नहीं बना है कि आप कैसे करेंगे। नये एक्ट में नहीं है कि उसमें तो आपने विधान सभा को पावर्स दे दीं रूल्स बनाने की कि रूल्स में ही व्यवस्था करेंगे। जब बने रूल्स तभी हमने यह एतराज किया था कि यह छोटी-छोटी बातों के लिए अलग से क्यों पावर्स ले रहे हैं। आपने कहा कि नहीं, हम रूल्स बनायेंगे। रूल्स आपने बनाये नहीं। पहले वाला एक्ट खतम हो गया उसके साथ रूल्स भी खतम हो गये। तो आप यह नोटिफिकेशन निकाल ही नहीं सकते जब तक कि आप इस धारा के रूल्स नहीं बना देते।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि नये एक्ट के अनुसार कोई रूल्स जब तक हम नहीं बनाते तो पुराने रूल्स जितने भी हैं....

श्री हरजीराम बुरडक : अब यह रूल्स कहां रहे? एक्ट ही खतम हो गया।

श्री नाथूसिंह : सुनिये आप। पहले पुरी बात तो सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे आज हमने नया एक्ट बना लिया पंचायत राज एक्ट और वर्किंग रूल्स चल रहे हैं पंचायतों के तो क्या आप समझते हैं कि रूल्स नहीं बनेंगे तो....

श्री हरजीराम बुरडक : आपने कोई रूल्स नहीं बनाये। चुनाव नियमों के अलावा आपने कोई रूल्स नहीं बनाये हैं। पंचायतें आज बन्द पड़ी हैं।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ग्रामदानी गांव थे या कुछ और गांव जो नये मजरे और नये राजस्व विलेजेज बन गये इलेक्शन के पहले वह गांव वंचित नहीं रह जायें इलेक्शन से इसलिए आवश्यक

(श्री नाथूसिंह)

था कि शुद्धिपत्र निकालते । इसलिए यह निकालना पड़ा और वही शुद्धिपत्र हमने निकाला ।

(14.00)

श्री रतन लाल ताम्बी : यह तो आप बताये कि कौनसे रूल्स में बनाये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी मुद्दा रखा है मैं अभी देख रहा था कि आपने जो नियम बनाये हैं यह क्या नियम है प्रजेन्ट इनेक्टमेंट के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत राज्य निर्वाचन नियम, 1994 निर्वाचन के सम्बन्ध में कई जगह रूल मेकिंग पावर एक्जाक्यूटिव ने ली है । लेकिन क्योंकि उनका चुनाव कराना था, यह जो नोटिफिकेशंस हैं, यह निर्वाचन नियमों से संशोधन किये गये हैं, इन तीनों नोटिफिकेशंस के अलावा । इसलिए जहां तक इसका सवाल है कि आपके पास रूल्स मेकिंग पावर थी यह आपने नियम बना दिये, हालांकि इतने लचर रूल्स बनाये । नियम बनाने के बाद में जो आप 26 अधिसूचनाएं लाये हैं, इन 26 अधिसूचनाओं में से 4 अधिसूचनाओं के अलावा सब की सब निर्वाचन नियमों में संशोधन हैं । इसका मतलब है निर्वाचन नियम भी आपने सोच-समझकर नहीं बनाये । निर्वाचन नियम बनने के बाद में एक-एक नियम में आपको दो-दो दिन के बाद में फिर अमेंडमेंट करने पड़े । यह अमेंडमेंट तो आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें आपका पालिटिकल मोटिव था । आज में उसमें नहीं जाना चाहिए । मैं आज कह रहा हूं, आपके नियम ही नहीं बने, रूल मेकिंग पावर आपने कई ओर से वशन्स में ली हैं और वह जनरल नियम बनने चाहिए वह नियम अभी तक बने ही नहीं हैं । आपने निर्वाचन के नियम बनाये हैं । निर्वाचन के नियमों के अन्तर्गत आप सिर्फ एक शुद्धिकरण करने जा रहे हैं, उन नियमों के शुद्धिकरण करने का आपका बहाना बना रहे हो, यह शुद्धिकरण आप कर नहीं सकते । उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा जो पाईण्ट आफ आर्डर है, उसके सम्बन्ध में आसन से चाहता हूं कि आप निर्णय दें । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हाई कोर्ट भेज दो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन किसी न किसी एक्ट में जब गवर्नमेंट को शक्तियां मिलती हैं तो उस आधार पर इश्यू किया जाता है । नोटिफिकेशन सदन की टेबल पर रखने के बाद 15 दिन के अन्दर-अन्दर कोई भी माननीय सदस्य इस पर आपत्ति कर सकता है....

श्री हरजीराम बुरड़क : वह अलग बात है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अलग नहीं है । आपत्ति कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, आपत्ति की जा सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है । आज नोटिफिकेशन को यह सदन रिजेक्ट भी कर सकता है कि गवर्नमेंट की काम्पीटेंस में नहीं था या गवर्नमेंट ने ठीक प्रकार से नोटिफिकेशन नहीं निकाला, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है । यह

(22)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

सब बातें उस समय उठायी जा सकती हैं। विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने जो आपत्ति उठायी है कि बहुत देरी से पेश किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : डिले का, यह तो एक ही पाइण्ट है, मैं तो यह कहता हूं कि वह रख ही नहीं सकते। Another rule, Act and provisions of the present you sec, Act, you cannot lay on the Table of the House and you cannot make any amendment whatsoever as regards the re-organisation of the Panchayats.

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि गवर्नमेंट रख सकती है या नहीं रख सकती है, गवर्नमेंट के काम्पीटेंस में है या नहीं है, एक्ट में गवर्नमेंट एम्पावर्ड है या नहीं है, क्वेश्चन, जिस समय भी आप इस पर चर्चा उठायें उस समय उठा सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। आज इस स्टेज के ऊपर कि नोटिफिकेशन किस अधिकार से रखा, किस अधिकार से नहीं रखा, इसकी आवश्यकता नहीं हैं। नोटिफिकेशन सदन की मेज पर रख दिया दिया है, सदन के माननीय सदस्य इसको देख लें और जिस समय भी 15 दिन के भीतर इसमें कोई आपत्ति करना चाहें, आपत्ति उठा सकते हैं।

जहां तक डिले का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि इस प्रकार के नोटिफिकेशन्स में, विपक्ष के नेता महोदय भी अच्छी तरह जानते हैं कि यह आपत्तियां उठती रही हैं. देरी होती है और इसका समाधान करने की आपने भी कोशिश की है, और हमने भी कोशिश की है। कई बार ऐसी डिले हो ही जाती है जिसके कारण समय पर पेश नहीं हो पाती।

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्री जी एल. एल. एम. पढ़े हुए हैं, आप इनकी लीगल नालेज को इस तरह से रूकटल करने जा रहे हैं, स्ट्रंगुलेट करने जा रहे हैं, आप उनको जवाब देने दीजिये। मैं पूछ रहा हूं, मंत्रीजी, आपको जब अधिकार ही नहीं है रखने का तो आप कैसे रख रहे हैं, वह बताइये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अधिकार है।

श्री परसराम मदेरणा : रूल मेकिंग पावर में एक्जीक्यूटिव को यह पावर नहीं थी, They have exceeded that power.

इसके लिए सबार्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी है वह लीगल व्यू उसमें देखती है, इसलिए यह हमारे देखने का पर व्यू नहीं है। हाउस को कमेटी देखती है इसलिए इसको वह देखेंगी और किसी माननीय सदस्य को एतराज है। लेकिन 1992 के नोटिफिकेशन का आप शुद्धिकरण करने जा रहे हैं, शुद्धिकरण यह नहीं है, यह ओमशिन है। शुद्धिकरण का तो नाम लिया है, यह कह रहे हैं कि पंचायतों में यह कुछ गांव रह गये इसलिए रि-आर्गेनाइज करें पंचायत को।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं कह रहा हू गांव रहे ही नहीं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उस ओमीशन, की, ओट में, एक्ट के अन्दर कोई रूलस नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

और बिना रूल्स के आप एक अधिसूचना निकाल रहे हैं। अधिसूचना रूल्स के अन्तर्गत निकलेगी। अगर आप कहते हैं, मैंने सीधे अधिनियम की एक पर्टिकूलर धारा के अन्तर्गत अधिसूचना निकाली है, तो किस धारा के अन्तर्गत आपने निकाली है? वह धारा आप बता दीजिये। अगर नहीं है तो फिर यह नियम के अन्तर्गत है और नियम हैं नहीं। यह काम्पीटेंस का सवाल नहीं है, ab initio, it is all illegal and it is against all tenets and essence of L.L.M. college.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Therefore, it may be questioned at a proper forum.

यह सब जायेंगे नोटिफिकेशन्स।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, क्वेश्चन का पूछना करना तो अलग अलग है, क्वेश्चन पूछे जायेंगे, नहीं पूछे जायेंगे। यह सीरियस कांस्टीट्यूशनल मेटर है, सदन को जो सोवरीन हावर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एल. एल. एम हैं, यह कोई कान्स्टीट्यूशनल एरर नहीं कर सकते।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप सबको प्रमोशन दे देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : लीगल इन्फर्मिटी है, और लीगल इन्फर्मिटी है तो आपको सदन में रखने की पावर्स नहीं हैं क्योंकि न तो आपने सैक्शन का उल्लेख किया है। वह एक्ट रिपील हो गया, उसके अन्तर्गत बने हुए सब नियम रिपील हो गये और नये नियम आपने बनाये नहीं हैं उसके बाद आप नोटिफिकेशन्स कैसे रख सकते हैं। शुद्धिकरण तो बाद में होता रहता है लेकिन वह एक्ट ही नहीं है। पूरे एक्ट में आपको शायद कई शुद्धिकरण करने पड़ते। मुख्य मंत्रीजी जानते हैं, आपने 1992 में ग्राम पंचायत एक्ट 1953 को अमेंड किया किया था लेकिन अमेंड करने के बाद में जब नया एक्ट बन गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1994 में।

श्री परसराम मदेरणा : 1994 में बन गया, लेकिन वह जो 1992 में अमेंडमेंट था जिसमें आपने फैमिली प्लानिंग के सब प्रोविजन डालने की बात कही है, आप रात दिन कहते रहते हो, वह रिपील हो गया। It is not on the statute book. पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट, 1953 भी रिपील हो गया। It is not on the statute book. उसके बाद में यह जब स्टेच्यूट बुक पर एक्ट नहीं है और रूल्स इन्होंने बनाये नहीं और नये एक्ट के अन्तर्गत ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं कोई सैक्शन का हवाला नहीं दिया है, नियम का हवाला नहीं दिया है। अधिसूचना ले करके आये हैं, अधिसूचना काहे की हैं? वह तो वैसी है जैसी आप टिनेन्सी प्रोटेक्शन आर्डिनेंस की बात कर रहे थे कि इस प्रकार की अधिसूचना निकल सकती है क्या? उस वक्त पावर्स थे। ट्रांजिशनल परिषद के लिए वह मेटर आया था, उसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैंने कई बार पढ़ा भी है। ट्रांजिशनल पीरियड के लिए इस प्रकार के आर्डर भी उक्त वक्त आर्डिनेंस का रूप ले गये थे क्योंकि उस वक्त एक्ट बना हुआ नहीं था। अब आपके यहां एक्ट बना हुआ है। एक्ट आप अगर नहीं बनाते और रिपील किसी आर्डर से हो जाता तो बात दूसरी थी। नये एक्ट में आपने नियम नहीं बनाये और नये एक्ट के अन्तर्गत आप अधिसूचनाएं ला रहे हैं और नियमों का आप उल्लेख नहीं करते कि किस नियम और किस धारा के अन्तर्गत आप यह नोटिफिकेशन लाये हो।

श्री नाथूसिंह : बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें प्रतिपक्ष के माननीय नेता उठा रहे हैं। एक तो यह उठा रहे हैं कि निर्वाचन नियमों में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें अधिसूचना रखने की। उसमें गवर्नमेंट को पावर है। हमारे जो निर्वाचन नियम बने थे। (व्यवधान) आप पहले मुझे बोलने दीजिये। आप मुझे सुन लीजिये उसके बाद कुछ रह जाय तो आप बोल लीजिये। उस समय निर्वाचन नियमों में समय-समय पर संशोधन के लिए कुछ सुझाव इलेक्शन कमीशन से हमारे पास आये थे कि आर निर्वाचन नियमों में यह-यह अमेंडमेंट होते तो ठीक रहता। हमने उनके सुझावों को उचित माना। क्योंकि अमेंडमेंट हमको सुझाये गये थे कि यह अमेंडमेंट किये जाये तो ठीक हैं, हमने बेहतर तरीके से इलेक्शन्स हों, क्योंकि सारा नया एक्ट बना था, प्रक्रिया नयी थी, इसलिए रूल्स में अमेडमेंट किया हाउस में नोटिफिकेशन अमेडमेट रखना जरूरी था। जहां तक 21 की बात आप कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : कौनसे नियमों में कर रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : यह सारा इन नोटिफिकेशन्स में है, पढ़ लीजिये किन नियमों में किया है, मैं एक-एक का हवाला दूंगा क्या आपको ? जहां तक आप 21 की बात कर रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : मैं 24 की बात भी कर रहा हूं इसके साथ।

श्री नाथूसिंह : 24 की भी बता रहा हूं, पहले 21 की सुन लीजिये। यह राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 9 (1) के अधिकारों का उपयोग करते हुए किया, अब इसमें ग्रामदानी गांव भी थे मैंने बताये थे, राज्य सरकार ग्रामदानी गांवों को निम्न सूची के अनुसार ग्राम पंचायतों में सम्मिलित करती है और नयी पंचायतें गठित करती है। फिर यह सैक्शन (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : किस तारीख का है ? 94 के सैक्शन को....

श्री नाथूसिंह : 99, 94 के सैक्शन 9 (1) पंचायत राज एक्ट, उसके तहत यह किये हैं....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में लीगल पोजिशन यह है,

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

"The principles discussed above also have been applied to the validity of sub-delegated legislation.

"Thus, it has been held that where the Legislature has performed its essential duty by laying down that policy. it can not only delegdte the function of making subordinate and ancillary legislation but also empower to delegate redelegate the function to those sub-delegate who are specified in the statute itself. The Legislature may lay down the policy of the legislation and then leave it to a subordinate body or agency the power of making the rules and regulations for filling-in the details to carry out the purpose of the legislation.

"When legislative power is so exercised by an administrative or other subordinate body under statutory authority, it is known as sub-ordinate legislation."

इसका मतलब यह हुआ कि पहले हमको जो अधिकार सरकार को मिले थे, नये एक्ट में भी वही अधिकार मिले। वह कंटीन्यूटी में है। रूल्स बनाने के जो अधिकार पहले वाले एक्ट में थे वही अधिकार नये एक्ट में भी मिले, वह कंटीन्यूटी में हैं इसलिए पहले एक्ट के अन्तर्गत जो नियम बनाये हुए हैं वे नियम लैप्स नहीं हुए, उन नियमों में नये एक्ट के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शुद्धिकरण, संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को है। और यह जो डिले का है, 93 में एक साल का, क्योंकि अक्टूबर, 92 के बाद विधान सभा भंग हो गयी थी और इसलिए 93 कम्प्लीट हुई नहीं, 94 में हम आये हैं दुबारा। इसलिए वह एक डिफरेंट मैटर है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप पूर्व में इस सदन के माननीय अध्यक्ष थे उस वक्त आपने कोई निर्णय दिया होगा या ऐसी रूलिंग दी होगी। मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पहले वाले जो नियम हैं वे नियम रिपील हुए ही नहीं, वे चल रहे हैं। मैं समझता हूं, इससे ज्यादा लीगली आप हाउस को गुमराह कर रहे हैं, आगे यह डेलीगेट कर सकते हो, रूल्स में जैसे मान लो रिटर्निंग अफसर भी है, रिटर्निंग अफसर कौन होगा, आगे जाकर वह डेलीगेट पावर फर्दर डेलीगेट भी होती है, उसमें इतना प्रावधान रख दें that Collector will appoint the Returning Officers.

श्री हरिशंकर भामड़ा : नये एक्ट में वह पावर आ गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : फिर एक नोटिफिकेशन कि यह-यह रिटर्निंग अफसर इस पंचायत समिति के लिये किये गये। इसलिए फर्दर डेलीगेट आप कर सकते हो लेकिन जो....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने दोनों ही बात बतायी है। डेलीगेट, रिडेलीगेट दोनों बतायी हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : चुनाव नियम भी तो बनाये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन यह जो अधिसूचनाएँ हैं, निर्वाचन नियम बनाये हैं, निर्वाचन के अलावा आज उप मुख्य मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि पहले वाले जो रूल्स बने थे राजस्थान पंचायत एक्ट के अन्तर्गत, वे रूल्स रिपील ही नहीं हुए और वे रूल्स स्टेच्यूट बुक में है, मैं यह समझता हूं कि बहुत ही डिस्टार्डेड व्यू है। इसलिए आप एल.एल.एम. हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग एडवोकेट है, मैं चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लीगल पोजिशन आपके सामने रखना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गया, (व्यवधान)....आप क्यों बीच में पड़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : सुनिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये फालतू कन्फ्यूज कर रहे हैं और। छोटी सी चीज है। हमारे इलेक्शन नियम बने हुए हैं और स्पष्ट प्रावधान हैं, मैंने धारा बता दी है आपको सैक्शन 9 (1), सैक्शन 101....

श्री जगदीप धनखड़ : आप सुनिये तो सही, मंत्री हो, आपको क्या जल्दी है, कोई रिशफल थोड़े ही हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो प्रभारी मंत्री ने यह कहा कि राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्ट 1959 रिपील हो गये और उनके तहत जो नियम और उप-नियम बने थे उनके तहत हम कार्यवाही करेंगे। उस बात की हमने इसलिए अनदेखी कर दी कि मंत्री युवा हैं और ज्यादा फंस गये। पर एक रिमोट कण्ट्रोल से ज्ञान प्राप्त हुआ माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने एक किताब खोली और एक प्रिपोजिशन पूरे सदन के समक्ष रखी। जो लेजिस्लेशन खत्म हो गया, a piece of Act which is not on the statute book and subordinate legislation has to be dumped with it, यह कहते हैं ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब इस सदन के सामने एक अहम् मुद्दा यह है कि जो नियम और उप-नियम राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 के तहत बने थे राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्ट, 1959 के तहत बने थे, उनके तहत सरकार कार्य कर रही? यदि आप देखेंगे....

श्री हरिसिंह (महुआ) : कर ही नहीं सकती। वे तो खतम हो गये।

श्री जगदीप धनखड़ : कर ही नहीं सकती। जो बात माननीय उप मुख्य मंत्री ने कही है, मेरा इनसे एक बार टकराव हो गया, इन्होंने कहा आर्टिकल 227 के तहत आप सिर्फ फण्डामेंटल राइट्स का मामला उठा सकते हो। तो मैंने कहा, मान्यवर पढ़ लो। बोले, मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने कहा, मेरा हजारों दफा पढ़ा हुआ है, एक बार आप पढ़ो। पढ़ा तो इनको ज्ञान प्राप्त

(श्री जगदीप धनखड़)

हुआ । अब इनको एक लिमिटेड बात पता लग गयी है । मान्यवर, 10 सितम्बर, 1992 के नोटिफिकेशन को अमेंड कर रहे है और कर रहे हैं 8 दिसम्बर, 1994 को कौनसे कानून के तहत ? प्रतिपक्ष के नेताजी ने जो मुद्दा उठाया है, it is germane to the matter. इस चीज को स्कर्ट करना will not give any respect to the entire Assembly. मान्यवर, इस अहम् मुद्दे पर जबकि उप मुख्य मंत्री भी कह चुके हैं, हमारी तो कार्यप्रणाली उन पुराने नियमों के तहत है और मंत्रीजी भी कह चुके हैं, तो मेरा इस महत्वपूर्ण पर आपसे अनुरोध है कि जो टैक्स्ट बुक प्रिपोजिशंस हैं, सरकार कम से कम विधि विभाग से राय ले लेती । सरकार एडवोकेट जनरल को यहां बुला सकती है । मेरा तो, मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप भारत के संविधान के प्रावधानों का उपयोग करें । एडवोकेट जनरल को आप यहां बुला सकते हैं ।

श्री नाथूसिंह : कोई जरूरत ही नहीं है ।

श्री जगदीप धनखड़ : He can sit in this House और तब पता लगेगा कि सरकार के उप मुख्य मंत्री और सरकार के मंत्री गलती नहीं कर रहे हैं, they are blind to the realities, blind to the legal provisions. ऐसी स्थिति में, मान्यवर, एक अहम् मुद्दा प्रतिपक्ष के नेताजी ने उठाया है, let it not be skirted. तो आपकी डेफिनेट रूलिंग इस पर आनी चाहिए ।

श्री नाथूसिंह : Hon'ble Deputy Speaker. Sir, I think they are unnecessarily trying to confuse the House.

श्री हरजीराम बुरडक : धारा 9 (1) का हवाला दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड । आपने धारा 9 (1) का हवाला दिया है तो धारा 9 (1) के अनुसार अगर आप नोटिफिकेशन निकालते तो फिर 92 वाले में अमेंड करने की क्या जरूरत थी । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको यह सदन नहीं होता कि कानून पर और कोई बोल नहीं सकता । यह सहन नहीं होता आपसे और आप किस लीड कर रहे हैं ।

श्री हरजीराम बुरडक : आप नया निकालते, अमेंड क्या हुआ । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : Rules can be adopted again under the new Act. This is the continuity. And Government is doing that. Without that, it cannot work. As soon as the new Act comes, if the old rules are applicable, they can adopt them as they are.

श्री जगदीप धनखड़ : आप सरकार में नये-नये आये हो, आपको पहले इस चीज का अनुभव नहीं है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह होता कन्टीन्यूएशन में This is the continuity of the administration. Administration cannot be run without it. क्या बात कर रहे हैं आप । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उप मुख्य मंत्रीजी, यह हो सकता है अगर आप अडाप्ट करते हैं। आप रेलेवेंट सेक्शन बता दीजिये नये अधिनियम का जिसमें आपने अडाप्ट किया है (व्यवस्था)

श्री हरिशंकर भामड़ा : इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा कि आपको 15 दिन का समय मिला है, आप इस प्रश्न को रेज करिये।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, आप इसको जनरलाइज मत कीजिये। You are beating around the bush. You come straight to the centre point first. बता दीजिये, आपने कहां अडाप्ट किया है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : We will discuss it at length, 15 दिन का समय है, everything is not ready here, आपने प्रश्न उठाया है, 15 दिन का समय है आप इस प्रश्न को उठाइये। We will discuss it at lenght, सब चीज, जो आप मांगोगे आपके सामने रख देंगे।

श्री नाथूसिंह : Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I think, hon'ble members are trying to confuse the House, (व्यवधान)····

श्री जगदीप धनखड़ : We don't confuse, you are confused.

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री नाथूसिंह : No 92 में···· (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए। यही है न आपका कहना ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, यह नहीं कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपका नहीं है। मैं आपको नहीं कह रहा।

श्री परसराम मदेरणा : Confusion is most confounded in the Minister-in-charge, ये यों कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उनसे कह रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री खुद कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूज्ड आदमी को कन्फ्यूज्ड नहीं किया जा सकता। यह मैं मेरी दिक्कत महसूस कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री जगदीप धनखड़ : कि जो कन्फ्यूज्ड है उसको कन्फ्यूज नहीं किया जा सकता। प्रभारी मंत्री पहले से ही कन्फ्यूज्ड हैं उनको कन्फ्यूज करने का प्रयास हम क्यों करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्यों करो कन्फ्यूज करने का लेकिन आप अपना कन्फ्यूजन रिमूव कर लो। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके विभाग में कम से कम मैं मानता हूं कि नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो मामला साफ हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : बिलकुल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको नहीं कह रहा हूं। आप कन्फ्यूज्ड नहीं हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : सदन के नेता एक अहम् मुद्दे को, जहां बहुत गरिमा की आवश्यकता है, इस तरीके से साइड कर देते हैं, मैं समझता हूं let us be very serious. मुख्य मंत्रीजी, प्रतिपक्ष के नेताजी ने बहुत ही इम्पार्टेंट मामला उठाया है Please, don't try to skirt it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भगवान की कृपा से प्रतिपक्ष के नेता के साथ अपने आपको इन्वाल्व मत करो। दोनों में there is lot of difference between the two. He is not confused and you are totally coufused,

यह नहीं है सवाल मैं कह रहा था कि यह मामला बिलकुल सीधा–सादा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि I am totally confused.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Yes.

श्री जगदीप धनखड़ : I hope, I will be allowed to respond.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : There is no question of personal explanation.

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले पूरी बात तो सुन लें। आपने भी मिनिस्टर साहब को कहा है कि कन्फ्यूज्ड है। आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि साधारण कोई माननीय सदस्य ऐसी बात कहता तो बात अलग थी, पर सदन के नेता इस प्रकार का आचरण करें, सदन के नेता इस प्रकार के रेस्पांसिबल स्टेटमेंट से दूर हट कर इस प्रकार का आचरण करें तो मैं समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, हो गया। आप बिराजिये, आपने भी कई बातें कही हैं। बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, this is not a good reflection on the Leader of the House. कि वह इतने कैजुअल हो जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : If it is so, then I will bear it out.

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं तो सोचता था कि आप अपने सेंटेन्स को रिवाइज कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं रिवाइज कर लूंगा, आप भविष्य में इस बात को साबित कर देना मैं टोटली कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्यमंत्रीजी, क्या करें, आपके अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए, जनरेशन गैप को दृष्टिगत रखते हुए मेरी भी सीमाएं हैं पर

(श्री जगदीप धनखड़)

आप तो कम से कम सीमाओं को मत लांघो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। आपने खुद ने कहा है कि....

श्री जगदीप धनखड़ : आप सदन के नेता हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आपने मंत्रीजी को कहा, आप युवक हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : क्या कहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा था नाथूसिंहजी को कि आप युवक हैं, एम. एल. एम. होते हुए भी आप जवान हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, मैंने तो काम्प्लीमेंट पे किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काम्प्लीमेंट पे किया था तो।

श्री जगदीप धनखड़ : बहुत फर्क है, इसलिए बताने की चेष्टा कर रहा था पर भामड़ाजी ने इनको पैसा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है।

श्री जगदीप धनखड़ : सबसे बड़ा कंफ्यूजन, मुख्य मंत्रीजी, आपके राइट साइड में है, आप उसको दूर क्यों नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कर लेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : आप मेरे कंफ्यूजन से चिन्तित हैं, आप दाहिनी तरफ नहीं देखते क्योंकि आपके दाहिनी तरफ तीन महान् विभूतियां बैठती हैं। इसलिए आप बायीं तरफ देखते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बहुत प्रभावित हैं, दुर्भाग्यवश ऐसा है।

श्री जगदीप धनखड़ : You have left-sided vision. क्योंकि राइट आप नहीं हो सकते, आपको जो कंफ्यूजन दूर करना है यह भामड़ाजी के यहां दूर कीजिये, भंवरलालजी के यहां दूर कीजिये, चतुर्वेदीजी के यहां कीजिये। मैं समझता हूं आपकी पीड़ा, आप जिस टेबल पर बैठते हैं, कोई भी नेता घबरा सकता है। चारों आपस में बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बिलकुल नहीं हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : एक दूसरे के पांव उखाड़ने में लगे हुए हैं फिर आप मेरा कंफ्यूजन दूर मत कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, क्या बातें कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य, भामड़ाजी यहां बैठे हैं, इसकी पीड़ा मुझे तो नहीं है लेकिन आपको पीड़ा अवश्य है। आपकी पीड़ा तो तब खतम होती जब भामड़ाजी वहीं बैठे रहते। अब यहां आ गये तो आपकी पीड़ा बढ़ गयी। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स कमेटी के अन्दर भी यह मैटर जायेगा, सबार्डिनेट लेजिस्लेशन में जायेगा, उस

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

समय आप डिस्कस कर लें। (व्यवधान) बस, ठीक है।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सुनिये आप इतनी डिबेट हुई है तो मेरा निवेदन भी सुन लीजिये। मूल में वह एक्ट खतम हो गया, रूल्स खतम हो गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह सब देख लेंगे, आप नाराज क्यों होते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : और नये एक्ट में रूल्स के अन्तर्गत होने चाहिए और यह जो निकाला है पुराने एक्ट के अन्तर्गत नहीं निकाल सकते हैं। रूल्स अभी लागू नहीं किये उससे पहले अमेंडमेंट अमेंडमेंट कर दिये। पुराना एक्ट खतम होते ही रूल्स खतम हो गये सारे। अब सैक्शन 101 में, आप आ सकते हैं, डिलिमिटेशन गांव का इधर-उधर करना है, उस प्रक्रिया में आकर गुजरना पड़ेगा आपको। ऐसे आप सीधे नहीं कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी क्या-बात कह गये। एक तो इन्होंने यह कहा कि आपको जो कुछ भी 14 दिन के अन्दर एतराज करना है, एतराज करो। आपके जो कोई भी आब्जेक्शंस हैं इन रूल्स के सम्बन्ध में तो 14 दिन के अन्दर-अन्दर हाउस के पटल पर रखने के बाद इस सदन के हरेक माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कोई बात करनी है या कोई एतराज करने हैं, आब्जेक्शंस करने हैं तो राइटिंग में आब्जेक्शंस विधान सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दें और अभी आपने सबार्डिनेट लेजिसलेशन कमेटी में डिस्कस करने की बात कही, यह बात सैल्फ कान्ट्राडिक्टरी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह अलग है। (व्यवधान) मैंने दोनों बातें कहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : एक तरफ तो हमको आपने यह सलाह दी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने दोनों बातें कही हैं, एक बार आप आपत्ति कर सकते हैं और फिर यह मैटर सबार्डिनेट लेजिस्लेशन के पास भी जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : वह सैल्फ कन्ट्राडिक्टरी ही है दोनों। हम कोनसी बात करें ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको एडिशनल पावर्स हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसी बात करें, 14 दिन में करें या सबार्डिनेट लेजिसलेशन में जाने दें ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक तो आपको अधिकार है, 15 दिन में आपत्ति कर सकते हैं, नम्बर एक। फिर यह सारा मैटर सबार्डिनेट लेजिसलेशन कमेटी के सामने जाता है, वहां भी उठाया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : जिस चतुरता से आपने दोनों आल्टरनेटिव रखकर हाउस को कन्फ्यूज किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कन्फ्यूज मैं नहीं कर रहा हूं।

(132)

श्री परसराम मदेरणा : हाउस को कन्फ्यूज किया है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्लियरिटी से यह बतायें कि ये करें कि वह करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों कर लीजिये। दोनों की छूट है आपको।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि
अधिसूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलालजी मीणा, राज्य मंत्री, श्रम, श्रम विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्रम विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) संख्या एफ 5(6) श्रम/86 दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 जिसके द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1945 के अन्तर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरें पुनरीक्षित की गयी हैं; एवं

(2) संख्या एफ. 3(50) श्रम/63 दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 जिसके द्वारा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान नियम, 1959 में संशोधन नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993--94 सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993--94

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993--94 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993--94 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993-94

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993--94 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति 1994--95 के प्रतिवेदन प्रथम से दशम् तक

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री परसराम मदेरणा,

(श्री उपाध्यक्ष)

सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 1994--95 के 10 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : सम्माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय, आपकी खुद की रूलिंग है जिसमें आपने कार्यवाहक अध्यक्ष की छाप लगाई है, इसलिए आपको उपाध्यक्ष सम्बोधित नहीं करूंगा। आप कार्यवाहक अध्यक्ष हैं मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1994--95 के निम्नांकित 10 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983--84) से सम्बन्धित समिति का प्रथम प्रतिवेदन;

2. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979--80) से सम्बन्धित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन;

3. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983--84) से सम्बन्धित समिति का तृतीय प्रतिवेदन;

4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980--81) से सम्बन्धित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन;

5. हाईटैक प्रेसिजन ग्लास लि. धौलपुर (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974--75) से सम्बन्धित समिति का पंचम प्रतिवेदन;

6. राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976--77) से सम्बन्धित समिति का षष्टम् प्रतिवेदन;

7. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण. प्रतिवेदन वर्ष 1977--78) से सम्बन्धित समिति का सप्तम् प्रतिवेदन;

8. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980--81) से सम्बन्धित समिति का अष्टम् प्रतिवेदन;

9. राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1977--78) से सम्बन्धित समिति का नवम् प्रतिवेदन; एवं

10. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978--79) से सम्बन्धित समिति का दशम् प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति 'ख' 1994--95 का प्रथम द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख' 1994--95 समिति के 4 प्रतिवेदनों को उपस्थापित करेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख') : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति 'ख', 1994-95 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं :—

(1) जन--स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित समिति का प्रथम प्रतिवेदन;

134

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(2) समाज कल्याण (महिला एवं विकलांग कल्याण) विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'ख' 1985–86 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का द्वितीय प्रतिवेदन;

(3) गृह (भ्रष्टाचार निरोधक व पुलिस) विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'ख' 1986–87 के दसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का तृतीय प्रतिवेदन; एवं

(4) सहायता (अकाल राहत) विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'ख' 1986–87 के तेरहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1994–95 (द्वितीय संकलन) पर मतदान। (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न
अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : मुखबन्द का प्रयोग है।

श्री जगदीप धनखड़ : पाइंट ऑफ आर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 7 में प्रावधान है, "सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन : अध्यक्ष क निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि राज्यपाल निश्चित करें और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 में यह प्रावधान है,

"Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectivsly Speaker and Deputy Speaker there of and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर विधान सभा का डिजोल्यूशन होता है और विधान सभा में उपाध्यक्ष है तो वह पद खतम हो जाता है पर आर्टिकल 179 के तहत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के डिजोल्यूशन के बावजूद जो आर्टिकल 179 का प्रोविजो है—

"Provided further that, whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office untilimmediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष के चुनाव का जिम्मा जहां अध्यक्ष महोदय

(श्री जगदीप धनखड़)

को दिया गया है वहीं अध्यक्ष के चुनाव का जिम्मा अपने नियमों में महामहिम राज्यपाल को दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश का सैकण्ड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ग्राफ एरिया। संसदीय परम्पराओं के अनुरूप अध्यक्ष का पद होना अति आवश्यक है। अगर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं, हम, अध्यक्ष के पद पर चुनाव करवाने में पहल न करें, इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए मैंने 23 मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय को भी प्रतिवेदन दिया कि राज्यपाल महोदय, नियम 7 के तहत यह आपका संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 व हमारे नियम 7 के तहत अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निश्चित करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष का निर्वाचन न होना अपने आप में इस सदन के ऊपर एक बहुत एडवर्स रिफ्लेक्शन है। इस बात की भारी चर्चा है कि जहां एक ओर सत्तारूढ़ दल ने इस सदन के अध्यक्ष को सरकार में सम्मिलित कर राजनीति खेली वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल अपनी अन्दरुनी परेशानियों की वजह से अध्यक्ष पद के लिए किसी उम्मीदवार का चयन न करने के कारण संसदीय परम्पराओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि नियम 294 के तहत स्पष्ट प्रावधान है,

"A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House...."

मान्यवर, स्पीकर का होना is germane to the matter of regulation of this House. मेरा आपसे अनुरोध है कि आर्टिकल 178 एवं नियम 7 के तहत जहां 'एज सून एज मे बी' है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने इस बात को कहा है कि 'एज सून एज मे बी' अध्यक्ष का चुनाव कराया जाय। चूंकि सरकार को इस बारे में महामहिम राज्यपाल को कोई तारीख, कोई तिथि का सुझाव देना होता है और आज के दिन, इतना समय निकलने के पश्चात् भी सरकार की तरफ से कोई कदम इस दृष्टि से नहीं उठाया गया है, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई सुझाव इस प्रकार का महामहिम राज्यपाल को, ऐसा लगता है, नहीं दिया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि रूल 294 के तहत मेरे द्वारा उठाये गये इस पाइंट ग्राफ ग्रार्डर में आप आर्टिकल 178 ग्राफ दी कांस्टीट्यूशन और रूल 7 ऑफ ग्रावर रूल्स ऑफ प्रोसिजर की व्याख्या कर एक रूलिंग, व्यवस्था दें कि अध्यक्ष का चुनाव अब तक न होना, इस आर्टिकल की अनदेखी की गयी है, इस नियम का उल्लंघन किया गया है और सदन के नेता को बाध्य करें कि अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही महामहिम राज्यपाल को सूचित करके करनी होती है, एक निश्चित समय में करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल 179

(श्री जगदीप धनखड़)

के तहत कौन जाने इस विधान सभा का डिजोल्यूशन किसी भी वजह से हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी गवर्नर को कह सकते हैं कि विधान सभा को डिजोल्व कर दीजिये। इन्टर-पीरियड के अन्दर जहां अध्यक्ष होते, माभड़ा जी रहे हुए हैं, राष्ट्रपति शासन में भी हरिशंकर जी माभड़ा अध्यक्ष थे, इस पद की गरिमा का आप इन दो प्रावधानों से पूरी तरह आकलन कर सकते हैं, तो मेरा आपसे इस बात पर व्यवस्था के लिए अनुरोध है कि नियम 7 के तहत जो कार्यवाही सरकार को करनी थी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत एज सून एज मे बी, बिना किसी देरी के जो कदम माननीय मुख्य मंत्रीजी को उठाने चाहिए थे, इनको महामहिम राज्यपाल को एक प्रतिवेदन देना चाहिए था, उसको न देकर इन्होंने संसदीय परम्पराओं के साथ खिलवाड़ किया है और अब देर आयद दुरस्त आयद की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आप सदन के नेता को अपनी व्यवस्था के माध्यम से यह आदेश दें, निर्देश दें....

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : एज सून एज।

श्री जगदीप धनखड़ : एज सून एज मे बी, तुरन्त। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन पूरे देश की प्रमुख विधान सभाओं में राजस्थान अकेला है जहां अध्यक्ष नहीं है। सदन के नेता ने उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए एक तूफान खड़ा किया था, जब वे प्रतिपक्ष में थे....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अब जबकि अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इन दोनों बिन्दुओं पर आप अपनी व्यवस्था दें ताकि संसदीय परम्पराओं का निर्वहन हो सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष का चुनाव 10 तारीख के पहले-पहले करवा दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : कौनसे महीने की 10 तारीख ? (व्यवधान)

मुखाबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों (1994-95) का पारण

मांग संख्या-1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1, राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,59,000/- (रुपये एक करोड़ सात लाख उनसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2, मंत्रिपरिषद् के सम्बन्ध में

(श्री उपाध्यक्ष)

31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,17,000/- (रुपये सैंतीस लाख सतरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3, सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,45,000/- (रुपये छप्पन लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-4, जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,85,000/- (रुपये चवालीस लाख पिच्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5, प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 68,00,000/- (रुपये अड़सठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,50,000/- (रुपये नवासी लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-8, राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,71,00,000/- (रुपये एक करोड़ इकहत्तर लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,15,26,000/- (रुपये पच्चीस करोड़ पन्द्रह लाख छब्बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-13, आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,22,00,00,000/- (रुपये बाइस करोड़ बाइस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14, बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,22,91,000/- (रुपये तीन करोड़ बाइस लाख इक्यानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15, पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,84,73,000/- (रुपये बीस करोड़ चौरासी लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,51,10,000/- (रुपये सतरह करोड़ इक्यावन लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18, जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,93,000/-

(श्री उपाध्यक्ष)

(रुपये दो लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,47,56,000/– (रुपये सात करोड़ सैंतालीस लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,33,08,000/- (रुपये चार करोड़ तैंतीस लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/– (रुपये छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22, क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,44,01,000/– (रुपये बीस करोड़ चवालीस लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,73,65,000/- (रुपये बहत्तर करोड़

(श्री उपाध्यक्ष)

तिहत्तर लाख पैंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,17,14,000/– (रुपये दो करोड़ सत्रह लाख चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27, पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,40,72,000/- (रुपये बहत्तर करोड़ चालीस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,78,52,000/– (रुपये पांच करोड़ अठहत्तर लाख बावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,22,64,000/– (रुपये नौ करोड़ बाइस लाख चौसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,34,07,36,000/– (रुपये दो अरब चौंतीस करोड़ सात लाख छत्तीस

(श्री उपाध्यक्ष)

हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–36, सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,90,13,000/- (रुपये सात करोड़ नब्बे लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/– (रुपये चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,53,22,000/-- (रुपये पांच करोड़ तिरेपन लाख बाईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,20,000/– (रुपये बीस लाख बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,20,63,000/--(रुपये उनतीस करोड़ बीस लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(142)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या–41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,67,-36,000/-- (रुपये दो करोड़ सड़सठ लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,00,-02,000/-- (रुपये ग्यारह करोड़ दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--43, खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,50,00,000/ (रुपये एक करोड़ पचास लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--46, सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77,34-14,000-- (रुपये सतहत्तर करोड़ चौंतीस लाख चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–49, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,02,000/– (रुपये तेरह लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1995

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सदस्य बोलना चाहे बोले।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड हमने मुखबंद करके पास की। इस सरकार के लिए बहुत जोर से ढिंढोरा पीटा जाता है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन–एफीशियेट फाइनेन्शियल मैनेजमेंट से यह सरकार चला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : किसने ढिंढोरा पीटा ?

श्री रतनलाल ताम्बी : राज्यपाल महोदय से कहलवाया।

श्री विष्णु मोदी : राज्यपाल महोदय से कहलाया।

श्री कालूलाल गुर्जर : यह प्रणव मुखर्जी क्या लगते हैं आपके ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : प्रणव मुखर्जी की चिट्ठी आ गयी है. मना कर दिया है उन्होंने।

श्री विष्णु मोदी : फाइनेंशल एफीशियेंट फाइनेन्शियल मैनेजमेंट से यह सरकार चलती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में यह कहा गया है कि कोई भी बजट जिसमें कम हो या एक्सेसिव डिमाण्ड हो, it is called bad budget. तो ढिंढोरा कि हम बहुत फाइनेन्सियल मैनेजमेंट से काम करते हैं। पिछले सितम्बर में यह सरकार सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आयी 4 सौ करोड़ रुपये की, अब फिर 8 सौ करोड़ की, कुल मिलाकर 1342.55 करोड़ रुपये की यह सरकार सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के जरिये यहां आयी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास यह आंकलन नहीं था, जब पहली बार डिमाण्ड लेकर आयी उस वक्त आंकलन नहीं था, उस वक्त क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी ?

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कैसी डिमाण्ड्स हैं–यात्रा प्रभार अधिक होने के कारण, कार्यालय व्यय में अधिक व्यय होने के कारण, मोटर गाड़ियों के रख–रखाव पर अधिक व्यय होने के

१५५

(श्री विष्णु मोदी)

कारण, कुछ मैं आपको निवेदन कर रहा हू, बिजली, पानी, पोस्टेज, टेलीफोन, फर्नीचर, कम्प्यूटर, फैक्स आदि पर अधिक व्यय होने के कारण, व्यावसायिक आयुक्त कार्यालय, नयी दिल्ली के एक कर्मचारी के एरियर के भुगतान पर, फन्नी, जिला पुस्तकालयों के सुदृढीकरण हेतु, बकाया बिलों का भुगतान किराये तथा यात्रा भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण, तहसीलों में फोटो कॉपीयर उपलब्ध कराने हेतु, सीमावर्ती क्षेत्रों के वाहनों के संचालन हेतु, संवेतन में पुराने एरियर भुगतान के कारण, यात्रा व्यय के अधिक प्रभार के कारण, चिकित्सा पुनर्भरण के अधिक दावे प्राप्त होने के कारण डाक, तार, टेलीफोन आदि पर अधिक व्यय के कारण, प्रकाशन पर अधिक व्यय के कारण, सत्कारएवं आतिथ्य पर अधिक व्यय के कारण, नवीन मद पर व्यय हेतु प्रावधान अपेक्षित हैं, शेष राशि को पूर्ति मांग में उपलब्ध बजट से की जायेगी। किराये पर वाहन लिये जाने से नवीन मद पर व्यय सम्भावित है, शेष राशि की पूर्ति मांग में उपलब्ध बजट से की जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हू कि आप किस तरह से यह सरकार चलाना चाहते हैं। इनके पास पूरा आकलन नहीं, पूरे फिगर्स नहीं, फैक्ट्स नहीं, एक बार सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स ले आये फिर दुबारा सप्लीमेंट्री डिमाण्ड ले आये। आखिर क्या चाहते हैं? दूसरी तरफ एफीसियेट फाइनेन्सिल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना हू कि क्या अब तो यह फाइनल फिगर्स हैं या फिर अगले साल एक्सेसिव डिमाण्ड लेकर आयेगी? क्या यह एक निरन्तर क्रम है? तो फिर यह बजट इतने मोटे-मोटे आप प्रिन्ट कराकर देते हैं, उस पर व्यय करते हैं उससे क्या फायदा है? क्यों नहीं इस तरह की बात आप चाहते हैं कि यह सरकार अपना आंकलन है वह पूरा एक ही बार करे। यह बिलकुल बैड बजट था जो पहले एक बार डिमाण्ड लेकर आये, फिर दुबारा डिमाण्ड लेकर आये तो आप कम से कम इस बात को एनश्योर कर लें कि यह बाद में इस फाइनेन्शियल ईयर को खतम होने के बाद में एक्सेसिव डिमाण्ड तो नहीं लेकर आयें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की उसके सिद्धान्त में तो कोई दो राय नहीं है लेकिन जीवन में कभी-कभी ऐसी घटनाएं घटती है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : दुर्घटनाएं हैं क्या?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : दुर्घटनाएं भी ऐसी घटती हैं और अच्छी घटनाएं भी घटती हैं, सब प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियां आती हैं जिसका कि पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है। उदाहरण के लिए इस पूरक मांग में आयोजना भिन्न के अन्तर्गत हमने 92.61 करोड़ रुपये मांगा है और वह इसलिए मांगना पड़ा कि महंगाई बढ़ेगी केन्द्र सरकार की नीतियों के फलस्वरुप। इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और जब महंगाई बढ़ेगी तो

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कर्मचारी भत्ते बढ़ेंगे, उसकी मांग करेंगे और हमें उनको बढ़ा हुआ भत्ता, बढ़ी हुई महंगाई के अनुरूप देना पड़ेगा। ऐसा बुरा हम सोच नहीं सकते, सोचना भी नहीं चाहिए। मैं सब का एक-एक का बता रहा हूं। इसलिए परिस्थितियां जब ऐसी हुई तो हमें शिक्षा में 59.69 करोड़ रुपये, पुलिस में 13.70 करोड़ रुपये, वन विभाग में 7.94 करोड़ रुपये, जल--प्रदाय योजना में 7.73 करोड़ रुपये, अन्य विभाग में 3.98 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े जो हमारी बाध्यता थी। हम नहीं चाहते कि आप इस तरह से महंगाई बढ़ायें और हमको बढ़ाना पड़े। कोई सरकार इस बात के लिए प्रसन्न नहीं होगी कि बिना किसी कारण के वह अनुपूरक मांगें लेकर आये। मैं आपको बता रहा हूं, अब यह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 27.23 की हमने इसमें मांग की है, इस सम्बन्ध में निगम ने अन्धों, बहरों, अपंगों व ऐसे विशिष्ट लोगों को जो पूर्व में रियायतें दी हुई थीं उनका एकमुश्त पूर्ण भरण करने का तय किया। मैं नहीं समझता कि इसमें भी कुछ अनावश्यक खर्च हुआ है। यह भी जनहित में और जिसको खर्च करने के लिए आप निरन्तर मांग करते रहे हैं इसलिए उसकी पूर्ति के लिए खर्च हुआ है। पेंशन के मामले बढ़े हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 27 करोड़ रुपये उसकी पूर्ति के लिए खर्च हो गये ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, जितने हुए हैं, उतने ही मांग रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप यह देखो, एकाध कोई खर्च हो जाय तो हो जाय। मैं समझता हूं कि या तो गवर्नमेंट....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जितने हुए हैं उतने ही मांग रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं नहीं, यह जो आप उत्तर दे रहे हैं वह बहुत सरसरी तौर पर दे रहे हैं। आप डिमाण्ड की डिटेल में नहीं गये हैं। आप पेयजल को लीजिये, पेयजल के अन्दर आपके 72 करोड़ रुपये खर्च हो गये। 72 करोड़ 40 लाख और 72 हजार रुपये हुए हैं--मांग संख्या 27 में और यह चूंकि ऐसी कण्डीशन आ गयी आपने 72 करोड़ रुपये खर्च कर दिये, यहां तो ए. आर. भी बाद में आया आपके पास। सप्लीमेंट्री इसलिए लाये कि भारत सरकार का, कारण तो कोई दूसरा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्रतिपक्ष के माननीय नेता, मैं पूरी मांगों पर बोल रहा हूं, जब उसका नम्बर आये तो वह भी बता दूंगा। इसलिए एक-एक बताना पड़ेगा मुझे।

श्री विष्णु मोदी : आज 30 तारीख की स्टेज पर जब सप्लीमेंट्री डिमाण्ड आपने मुखबन्द करके पास करायी हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। मैंने बेसिक प्रिंसिपल का एक इश्यू उठाया है कि यह सरकार 4 सौ करोड़ की पहले सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेकर आयी, 8 सौ करोड़ रुपये की अब लेकर आयी है तो क्या यह निरन्तर सिर्फ केन्द्र सरकार को गाली निकालने का एक अच्छा बहाना है कि साहब, उसके कारण है। आपके मैंने कई तरह के मत

(श्री विष्णु मोदी)

पढ़े हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते लेकिन।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : आप सौ दिन में महंगाई खतम क्यों नहीं करते हैं, सारा मामला ही खतम हो जायेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आप सुन लीजिये, प्लीज (व्यवधान) आप पहले मेरी सुन लीजिये फिर आपको कुछ बोलना है, बोलिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। उप मुख्य मंत्रीजी से, माफी चाहता हूं जरा। आपने अभी फरमाया कि महंगाई भत्ते का आप अन्दाज नहीं लगा सके. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 90 से लेकर 95 तक हर साल करीब-करीब 10 पर्सेन्ट महंगाई बढ़ रही है और उसके बावजूद भी अगर आपका वित्तीय विभाग 10 पर्सेन्ट महंगाई का अन्दाज नहीं लगा सका तो इससे ज्यादा अयोग्यता आपकी और आपके विभाग की हो नहीं सकती।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से अब भविष्य में यह जानकर कि केन्द्रीय सरकार की नीतियों के अनुसार इन्फ्लेशन की रेट बढ़ती रहेगी इसलिए अब हम जो बजट कर रहे हैं....

श्री चन्दनमल बैद : इस 5 साल में तीन केन्द्रीय सरकारें आयी हैं उसमें एक में आपकी भी भागीदारी थी, सब में 10 पर्सेन्ट और 10 पर्सेन्ट से अबव महंगाई बढ़ी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब मेरी सुन लीजिये। आप।

श्री चन्दनमल बैद : और फिर भी आपने अगर उससे महंगाई का अन्दाज नहीं लगाया कि 10 पर्सेन्ट महंगाई बढ़ जायेगी। तो आप जैसा अयोग्य आदमी....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बार-बार केन्द्र सरकार से यह आश्वासन आम जनता को दिया जाता रहा है कि हम महंगाई को कम करने जा रहे हैं। बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने तो यह कहा था कि सौ दिन के अन्दर-अन्दर हम महंगाई समाप्त कर देंगे। हम उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं, सरकार के नाते, अविश्वास नहीं करते लेकिन....

श्री चन्दनमल बैद : The words were'roll back the prices.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : देखिये, इसमें बहस में उलझने का कोई मतलब नहीं। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि यह....

श्री विष्णु मोदी : यह बात सीधी है, एक बेसिक इश्यू की है, आप पालिटिकलाइज करेंगे तो पालिटिकल बात भी सुनिये। मैंने कोई पालिटिकलाइज करने की कोशिश नहीं की।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अच्छा, मैं उसी पर आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरी बात तो कहने दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : क्या यह निरन्तर क्रम जारी रहेगा?

(15.00)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने पहले ही निवेदन किया है यदि आप सिर्फ इतना ही सुनना चाहते हैं कि जो....

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, एक मिनिट। यह स्पष्ट बात है कि बजटरी प्रिंसिपल पर माननीय चन्दनमलजी बैंद ने फरमाया इन्फलेशन का इनबिल्ट सिस्टम है बजट का 10 प्रतिशत के हिसाब से, जिस प्रकार से कह रहे हैं, यह बात सही है लेकिन दस प्रतिशत से 11 प्रतिशत भी हुआ है यह भी आप थोड़ा याद कर लें। सारा अमाउण्ट....

श्री चन्दनमल बैंद : एक प्रतिशत से ही हुआ है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : सुन तो लें, श्रीमान्, यह सारा अमाउण्ट सिर्फ डियरनेस अलाउंस या एस्टीबिलशमेण्ट एक्सपेंडीचर से सम्बन्धित हो, यह तो समझ में नहीं आता। अनुपूरक मांगें हैं, मुखबन्द से हुई हैं इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप केवल....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया....

श्री परसराम मदेरणा : चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में फरमाया....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका नहीं होगा। फिर मैं अपनी बात समाप्त कर दूं? (व्यवधान) यदि किसी को बोलना है तो थर्ड रीडिंग पर जवाब दूंगा लेकिन आप मुझे इस तरह से इन्टरप्ट करेंगे तो मैं अपनी बात तो कह नहीं पाऊंगा और जो मुख्य मुद्दा उठाया है उसका जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए आप कृपया बैठिये, आप मेरी बात सुन लीजिये। एप्रोप्रियेशन (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी बात क्यों सुनें?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप ही की बात सुन रहे थे लेकिन आपने पालिटिक्स चालू कर दी और यह भी अविवेकपूर्ण कदम था आपका।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यदि आपको मांगें पास करवानी हैं (व्यवधान) वरना इसमें तो कई घपले निकलेंगे आपके (व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपसे विवेक की का शिक्षा लेने के लिए आपके घर पर अवश्य आऊंगा; आप अधिक

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

विवेक वान हैं मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात पूरी करने दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वह बात वास्तविक है। अब उस वास्तविकता को आप आलोचना समझें, आपकी मर्जी की बात है लेकिन इस सदन में पालिटिकल ओवरटोन्स आना सम्भव है। इसको आप असम्भव क्यों मानते हैं? आप जब बोलते हैं तो क्या सारी पालिटिक्स को एक तरफ रखकर बोलते हैं? ऐसा नहीं है। जब आप पालिटिक्स लाते हैं तो मुझे भी आपकी पालिटिक्स का थोड़ा-बहुत जवाब देने का अवसर मिलता है। तो इसमें उग्र और नाराज होने की क्या आवश्यकता है? इसलिए यदि आप सुनाने की शक्ति रखते हैं तो सुनने का साहस भी आप में होना चाहिए। शांति से सुनिये, बीच-बीच में उठने की जरुरत नहीं है।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जितनी मांगें रखी हैं, जैसे पेंशन के मामले में पेंशन बढ़ी, उसका निस्तारण हुआ। लॉटरी की टिकट खरीदने वालों को इनाम देन की बात थी, वह एक्स्ट्रा हुई। हालांकि उसमें कुल मिलाकर सरकार को फायदा हुआ लेकिन इनाम चूंकि व्यय के मद में जाता है इसलिए हमें उसकी अनुपूरक मांग मांगनी पड़ी। विद्युत दरों में वृद्धि हुई, इसके कारण पेयजल पर ज्यादा बोझ पड़ा इसलिए पेयजल पर हमने मांग की है। परिष्कृत स्प्रिट की दरों में वृद्धि हुई इसके कारण हमने उसके लिए मांग की है। हर जो अनुपूरक अनुदान की मांगें जो हमने पेश की हैं, उन सबका जस्टिफिकेशन तो है लेकिन यह बात सही है कि किसी भी बजट को बनाने के लिए इस बात का ध्यान अधिकतम रखा जाना चाहिए कि हमारा अनुमान यथार्थ से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो। मैं इस सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं और आपको यह भी आश्वासन देता हूं कि भविष्य में इसको लागू करने के लिए, कि हमारे अनुमानों से अनुपूरक मांगों का अन्तर ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिये, इस सिद्धान्त को मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाभड़ा जी को लेकिन इसके साथ में मैंने एक बात और उठायी कि इस सदन को यह आश्वासन दें कि आप एक्सेस डिमाण्ड नहीं लेकर आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1995 विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तावित

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1995 को पारित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री, लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

लेखानुदान (1995--96) सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान (1995-96) के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 17,79.08,13,000/- (सत्रह अरब उन्यासी करोड़ आठ लाख तेरह हजार रुपये) मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाय।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : पाइण्ट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वोट आन अकाउण्ट लिया जाता है तो उसकी एक टिप्पणी होती है, कौल एण्ड शकधर के थर्ड एडीशन में पेज 609 में वोट आन अकाउण्ट के लिए उन्होंने ले डाऊन किया है,

As the purpose of a vote on account is to keep the Government. functioning pending the voting of the final supply it cannot normally be used as a means to obtain Parliament's approval for new services. An assurance to the effect that the provision obtained by vote on account will not be used for expenditure on new service is therefore usually included by the Government in the Porfectory note to the relevant book of demands relating to the vote on account."

यह कौल और शकधर ने कहा है। जो यह वोट आन अकातण्ट लिखा जा रहा है उसकी जो टिप्पणी सरकार ने दी है, वह यह दी है, "अपरिहार्य कारणों से वर्ष 1995-96 की सम्पूर्ण मांगों पर विधान सभा द्वारा विचार एवं पारण 31-3-1995 तक सम्भव प्रतीत नहीं होता है। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद, 206 के अनुसरण में सम्पूर्ण वर्ष की मांगों पर विचार कर पारित किये जाने तक विधान सभा से 2 माह के लिए, अप्रैल से मई, 1995 जैसा कि संलग्न सूची में दिखाया गया है, व्यय की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। वर्ष 1995-96 के लिए यह उपबन्ध अनुमानित सकल व्यय की मांगों के विनियोग का 1/6 भाग है फिर भी मांग संख्या 34, प्राकृतिक आपदाओं से राहत तथा मांग संख्या 45, राज्य कर्मचारियों के ऋण, अनाज क्रय आदि हेतु, के अन्तर्गत जहां व्यय का समान रुप से पूरे वर्ष में वितरण नहीं किया जा सकता है, अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षित है।"

(श्री विष्णु मोदी)

मान्यवर, इस राशि का उपयोग किसी नयी सेवा में नहीं किया जायेगा, यह स्पेसिफिकली इस टिप्पणी में दर्ज नहीं है। It is specific."....vote on account will not be used for expenditure on new service is therefore usually included by the Government in the prefectory note to the relevant book of demands relating to the vote on account."

श्री हरिशंकर माभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कारण सर्वाविदित हैं क्योंकि केन्द्र सरकार का बजट और दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें लोक सभा में विलम्ब से पेश हुई हैं।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, यह आपत्ति नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति सिर्फ यह है कि....

श्री हरिशंकर माभड़ा : मैं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा सुन लीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर माभड़ा : आपने जो अभी पढ़ करके सुनाया है उसका मतलब यह है कि ऐसे ग्राउण्डस, जो पिलक्जी ग्राउण्ड्स हैं, पर या एक मजाक के लिए वोट आन अकाउण्ट नहीं लिया जाना चाहिये, उनके लिए कुछ स्टेंशियल आधार होना चाहिये। यह जो आपने कौल एण्ड शकधर से पढ़कर सुनाया है उसका मकसद यह है कि वोट आन अकाउण्ट लेने के लिए आधार मजबूत होना चाहिये, वह केवल कन्विनियेंस की बात नहीं होनी चाहिये, सुविधा की बात नहीं होनी चाहिये कि साहब, आराम से हम पारित कराते रहेंगे, पहले ले लें। लेकिन इस केस में सुविधा नहीं है, इस केस में हमारी मजबूरी थी क्योंकि केन्द्र में दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट देर से पेश हुई, इसके साथ-साथ वहां बजट देर से पेश हुआ और उसके बिना बजट बनाया जाना और फिर जल्दी पेश करना सम्भव नहीं था। और जब पेश हुआ तो 31 मार्च से पहले उसको पारित करना सम्भव नहीं था। ऐसी स्थिति में वोट आन अकाउण्ट जो लिया जा रहा है वह ठोस आधारों पर लिया जा रहा है, कोई काल्पनिक आधार नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह आपत्ति नहीं थी कि आप वोट आन अकाउण्ट क्यों ले रहे हैं, मेरी आपत्ति सिर्फ इसमें यह है कि जो वोट आन अकाउण्ट लाया जाता है उसमें स्पेसिफिक एक टिप्पणी होती है, उसमें यह मेन्शन होना चाहिये, that this will not be used for new services. It is specific. मेरी आपत्ति इसमें यही है। जो राज्य सरकार वोट आन अकाउण्ट लायी वह सख्त कारण है, वह ठोस कारण हैं उसमें हमें एतराज भी नहीं है लेकिन किसी नयी सर्विसेज के अन्दर पैसा नहीं खर्च किया जायेगा उसके लिये स्पेसिफिकली इस टिप्पणी में ही मेन्शन होना चाहिए जो कि नहीं है। मैंने यह आपको (व्यवधान)

श्री हरिशंकर माभड़ा : मैं आपको समझ गया। देखिये, पहले जो आपने पढ़ा

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

वह मेण्डेटरी नहीं है लेकिन उसके बाद भी I can undertake कि न्यू कोई सर्विसेज इसमें नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : थैंक्यू।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 1995–96 के विवरण में मांग संख्या 1 से 50 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 17, 79, 08, 13000/– (सत्रह अरब उन्यासी करोड़ आठ लाख तेरह हजार रुपये) मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1995 का पुरःस्थापन. विचार एवं पारण।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1995

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (सख्या-2) विधेयक, 1995 को पुनःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हू।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–2) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वोट आन अकाउण्ट सरकार दो महीने का ले रही है, चूंकि पार्लियामेंट में देरी से बजट पेश हुआ, दसवें वित्त आयोग की सेंक्शंस भी उस वक्त नहीं थी इस कारण वो पूरा अपना बजट नहीं ला सकी और चूंकि अब तारीखें इस तरह की आ गयी कि उसमें वह पास भी नहीं हो सकता। मैं इन बातों से सहमत हूं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार का बजट तो मार्च के बीच में आ

152

(श्री विष्णु मोदी)

गया था, वोट आन अकाउण्ट लेने का एक प्रोसिजर है, सुभाष कश्यप ने उसकी कमेंट्री की है,

"Vote on account is passed after the general discussion on the budget is over and before the discussion on demands for grants is taken."

वोट आन अकाउण्ट का मैंने भी एक किताब में पढ़ा है; मुख्य मंत्रीजी। कश्यप साहब कौल और शकधर की तरह जैसे इस कण्ट्री के अथारिटी रहे हैं पार्लियामेंट प्रेक्टिस को तो इस तरह से आप तारीखें रखते कि कम से कम बजट पर जनरल डिस्कशन हो जाता। जनरल डिस्कशन बजट पर हुआ नहीं, विधान सभा से आप कतराते हैं, विधान सभा आप बुलाते नहीं हैं। छह महीने का प्रोविजन है तो जिस दिन छह महीने खतम होते हैं, उस रोज बुलाते हैं। मैं समझता हूं कि आप तीसरी मुख्य मंत्री बने हैं, प्रदेश में बड़े लोकप्रिय भी हैं। आपका यह सारा स्टेचर विधान सभा के माध्यम से ही बना है, और भी कारण रहे होंगे लेकिन आपने विधान सभा सभा में विपक्ष की बड़ी अहम भूमिका निभायी है, इससे आपका स्टेचर बना। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का, आप विधान सभा से जितना दूर रहना चाहते हैं, जितना कतराना चाहते हैं, विधान सभा को कम आप वोट आन अकाउण्ट....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री विष्णु मोदी : वोट आन अकाउण्ट का भी जो प्रोसिजर है....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ज्यादा दिन चलेगा तो आप ज्यादा बिराजेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1995 पारित किया जाए।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : You have no amendment on the Bill.

सैकण्ड स्टेज पर नहीं बोलना था, आपको थर्ड स्टेज पर बोलना था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 1995 को पारित किया गया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

शासकीय संकल्प

राज्य विद्युत मण्डल की ऋण सीमा में अभिवृद्धि

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन विद्युत मण्डल द्वारा किसी भी समय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, (1948 का केन्द्रीय अधिनियम, 54) की धारा 65 की उप धारा 3 के अधीन यथापरिकल्पित ऋण लेने की अधिकतम राशि 2500/– करोड़ रुपये नियत करने की राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें संकल्प पर क्या बतायेंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : बताता हूं, बहुत इम्पोर्टेन्ट है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत मण्डल को 2500 करोड़ रुपये तक की ऋण लेने की इजाजत सदन दे, मैं यह मानकर चलता हूं कि इस प्रकार की संस्थाएं जो हैं, ऋण लेने का उनको अधिकार होना चाहिए और ऋण लेना भी चाहिए लेकिन जब हम राजस्थान विद्युत मण्डल की तरफ देखते हैं तो क्या यह संस्था आज ऐसी है जिसको हम ऋण स्वीकार करें और ऋण लेने इनकी सीमा को बढ़ायें ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का किसान, राजस्थान का सम्पूर्ण कंज्यूमर जो बिजली का उपभोग करता है, इस मण्डल से, इसके कार्यकलापों से त्रस्त है । अच्छा होता माननीय मंत्रीजी हमारे सामने प्रस्ताव रखते कि फलां-फलां काम के लिए यह मण्डल ऋण लेना चाहता है । जब तक कोई ऐसी स्कीम हमारे सामने नहीं आये, मैं मानकर चलता हूं और आरोप लगाता हूं कि यह मण्डल विकास के काम के लिए ऋण नहीं लेता है, लोगों की भलाई के लिए ऋण नहीं लेता है, काश्तकारों को सुविधा देने के लिए ऋण नहीं लेता है, यह ऐशोआराम के लिए ऋण लेता है । आज हमारे सामने विद्युत मण्डल की दयनीय स्थिति है । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले सत्र में, बारह महीने पहले कहा था कि किसान को आठ घंटे बिजली मिलेगी । आज हम देखते हैं कि किसानों के खेत सूख रहे हैं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है । विद्यार्थी, जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, उनको जो आज पढ़ाई के सबसे पीक आवर्स हैं, सुबह और शाम पढ़ाई के लिये लाइट नहीं मिल पा रही है । आज माननीय मंत्री जी ने कहा, हमने सब कट उठा लिये हैं । माननीय मंत्रीजी, मेरे ख्याल से आपने किसान के खेत को देखा होगा । आज जब किसान के खेत में पानी की आवश्यकता बहुत कम रह गयी है तब आपने यह प्रावधान किया है, यह व्यवस्था की है कि दूसरे प्रान्तों से, दूसरे स्थानों से बिजली लाकर कट कम किया है । मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी मंशा साफ नहीं है । आपने यह सब कट कम किसलिये किया है ? दूसरे प्रान्तों से, दूसरे स्रोतों से बिजली इसलिए

154

(श्री शिवनाथ सिंह)

ली है कि उद्योगों को हानि नहीं हो और उद्योग पनपें। किसान को आज अपनी आवश्यकता की चौथाई हिस्से की बिजली की भी जरूरत नहीं है उस वक्त आपने यह किया है। यदि आपका विद्युत मण्डल सतर्क रहता, किसान के लिए उसके दिल में थोड़ी बहुत भी दया होती तो यह काम आप एक महीने पहले कर सकते थे। आपने नहीं किया और किसान की तबाही आपने कर दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत से सदस्य बोलना चाहेंगे, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आप इस मण्डल की जो स्थिति है, यदि माननीय मंत्रीजी इसके मानसिक चिकित्सा के लिए ऋण लेना चाहें, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे क्योंकि आज मानसिक रोग से पूरा का पूरा मण्डल ग्रस्त है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस भैंरवजाल में कहां फस गये ? जब भी मुख्य मंत्रीजी की मेहरबानी होती है, किसी मंत्री विशेष पर तो महकमा बिजली का और भण्डारीजी चैयरमैन। जिसको भी इन्होंने दिया है, पिछले दो तीन मंत्री हमने देखे हैं, जिन-जिन पर भी इनकी कोप दृष्टि पड़ती है बिजली का महकमा दे दो और भण्डारीजी को चैयरमैन बना दो, मामला साफ है। मैं आपको इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आप भोले ब्राह्मण हो, कुर्सी खाली है, आप उधर सरक जाओ, मेरे ख्याल से इस जंजाल से निकल जाओगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं इस मण्डल के कार्यकलापों के दो-तीन उदहरण देना चाहूंगा। पिछली बार माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि एक पोल का कनेक्शन हम देंगे, 7,000/- रुपये हम लेंगे। उसके बाद में दूसरी अधिसूचना जारी की गयी कि दूसरे पोल का भी हम कनेक्शन देंगे लेकिन 11,000/- रुपये उसके लेंगे। किसानों ने रुपये दिये और कनेक्शन लेने की चेष्टा की। आपके चेयरमैन साहब ने उसके बाद आदेश निकालने शुरू किये। मैं पूरे तो नहीं पढ़ूंगा, संक्षेप में संकेत देना चाहूंगा।

आपका 8-12-94 का आदेश है, एक हजार रुपये जमा कराओ और सात हजार रुपये एक पोल के देकर बिजली ले लो, दूसरा पोल आप लोगे तो आपको 11,000 रुपये और देने पड़ेंगे। 19-1-95 को आपने आदेश दिया कि 2,500 रुपये प्रति हार्स पावर पर और लिये जायेंगे, 65,000 रुपये काश्तकार से ट्रांसफार्मरों के लिये जायेंगे, यह आदेश चला गया। 16-2-95 को आपने आदेश दिया कि 8-12-95 के आदेश के तहत जिन काश्तकारों ने कनेक्शन ले लिये हैं उनसे भी 2500 रुपये प्रति हार्स पावर और लिया जायेगा और जो काश्तकार 2500 रुपये और नहीं देना चाहें उनके कनेक्शन काट दिये जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं उसके बाद एक आदेश निकाला वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उसमें लिखा गया है....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री शिवनाथ सिंह : मैं एक सैकण्ड निवेदन कर रहा हूं। जो काश्तकार 2500 रुपये नहीं देना चाहे उसका कनेक्शन काट दिया जाय। उसको यह लिख कर दे दिया

(श्री शिवनाथ सिंह)

जाय कि तुम और अधिक रुपये नहीं देना चाहते हो तो अपना रुपया वापस ले लो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंडारी साहब ने इसको बनिये की दुकान समझ रखा है। पहले आदेश दे दिया, लोगों के कनेक्शन हो गये....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : विदड्रा कर लिया।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं वही कह रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि यह दिमाग ऋण लेने के लायक नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं।.... (व्यवधान) दिमाग उलटा चलता है इसलिए यह लिख दिया गया कि जो काश्तकार अपना रुपया वापस लेना चाहता है उसको रुपया वापस दे दो वरना उसको रुपया 2500 प्रति हार्स पावर के हिसाब से देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कौशल साहब को भी पता नहीं, भंडारीजी को भी पता नहीं है कि जिस काश्तकार ने कनेक्शन लेने के लिए रुपया जमा कराया उसने मोटर खरीदी है, पाइप लिये हैं और दूसरे साधन हैं जिन पर कम से कम 50 और 60 हजार रुपये खर्च कर दिये और आज आपके बोर्ड का आदेश जाता है कि तुम रुपया जमा नहीं कराओ तो अपना जमा कराया हुआ रुपया वापस ले लो। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे आदेश कहीं हो नहीं सकते और इस प्रकार के आदेश जो देता है उनके लिए आप कहते हो कि हमको ऋण दो। उपाध्यक्ष महोदय, यह तुगलकी आदेश हैं। तुगलक ने सिर्फ एक आदेश दिया था कि दिल्ली से तुगलकाबाद राजधानी चली जाय, उसके लिए उसको आज तक इतिहास माफ नहीं कर रहा है और यहां बिजली बोर्ड के चेयरमैन एक महीने में चार आदेश निकालते हैं। कभी कहते हैं कि 65,000 रुपये ट्रांसफार्मरों का जमा कराओ और अब माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि उस आदेश को वापस ले लिया। मैं उस आदेश को वापस लेने की बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इतनी कारीगरी से वापस लिया गया है कि आज जो भी काश्तकार लेगा उससे हम नर्सरी रेट से कनेक्शन की कीमत लेंगे। नर्सरी रेट जो दी जाती है उसके हिसाब से हम बिजली का खर्चा चार्ज करेंगे। उपाध्यक्षजी, पता है नर्सरी की क्या रेट है? जो काश्तकार को दी जाती है उससे ढाई गुना पैसा एक यूनिट का काश्तकार को देना पड़ेगा। आप कहते हो आदेश वापस ले लिया। मैं कहता कि आपने आदेश वापस नहीं लिया आपने काश्तकार की कब्र खोद दी है। इस प्रकार के जो बिजली बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बिजली बोर्ड के सदस्य हैं उनको किसी भी प्रकार से यह सदन माफ नहीं कर सकता और इनको ऋण लेने के लिए सीमा कभी स्वीकृत नहीं हो सकती। आप इनका मानसिक इलाज करवा लीजिये ऊसके लिए आप चाहें जितना ऋण लीजिये, हम स्वीकार करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी-ग्रामीण वर्गीकरण के विसंगतिपूर्ण निर्णय से राजाखेड़ा क्षेत्र में मात्र दो-दो घंटे विद्युत आपूर्ति होने से गेहूं की फसल चौपट हो चुकी है। विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को पिछले चार माह से निरन्तर अनुरोध कर चुकी हूं। ग्रामीण अंचल की जनता, जिसका जीवन निर्वाह

(156)

(श्रीमती मनोरमा सिंह)

कृषि पर निर्भर होता है, को ऐसी स्थिति में निर्धारित शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। राजाखेड़ा क्षेत्र के किसानों के भविष्य के साथ अनहोनी की कोई गुंजाइश नहीं रहे इसलिए राजाखेड़ा का जो कुछ भी नुकसान होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजली का मामला काफी हद तक माननीय शिवनाथ सिंहजी ने बयान किया है। बिजली वाले मामले में तो, माननीय, मुख्य मंत्रीजी, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब हुआ करते थे, उस तरह से बिहेव करते हैं। सिराजुद्दौला का यह हाल था कि ठेके पर देते थे। परगना दो हजार रुपये में ठेके पर दे दिया, 2000 की कमी पड़ गयी तो दुबारा ठेका दे दिया। बिजली डिपार्टमेंट ने ऐसा कर रखा है। काश्तकार की फसल जल जाती है तो उसको नुकसान होता है। उसकी बाड़ी जल जाती है तो उसको नुकसान होता है। उसका प्रबन्ध नहीं और जब भी बिजली बोर्ड को जरूरत पड़ती है काश्तकार से पैसे वसूल करके लाओ किसी भी रूप में, चाहे वह दण्ड के रूप में हो। और भंडारीजी का हालत सुन लीजिये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा + + + अफसर पैदा हो सकता है, कोई जननी ऐसे आदमी को जन्म दे सकती है। मेरे को इतना ताज्जुब हुआ, 6 महीने पहले की बात है, सांभर में एक ए. ई. एन है, मैंने उनको कहा था कि बड़ी शिकायतें हैं भंडारीजी, जरा देख लेना। तो उन्होंने कहा साहब, मैं देख लूंगा, सब ठीक कर दूंगा। गांव वाले बड़े नाराज हैं, बड़ा तंग करता है, बड़ी घूस खाता है, जो जाता है उसको बड़ा तंग करता है। उन्होंने कहा, मैं देख लूंगा। डेढ़ महीने बाद लोगों ने घेराव किया तब मैंने कहा, भंडारीजी, आपको मैंने आगाह किया था। तो कहा, मैं क्या कर सकता हूं, बीच में कुछ बदल नहीं सकता ऐसे हालत हैं मैंने कहा, आप जांच करवा सकते थे, मैंने आपको आगाह कर दिया था कि मामला बड़ा गम्भीर है और 6 महीने बाद में फिर कह रहा हूं। इस पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करेंगे वह ? तो ऐसे + + + आदमी हैं। फिर क्या हुआ, दो बार गांव वालों ने उसका घेराव किया। ए. डी. एम. साहब गये, उन्होंने वादा कर लिया कि घेराव हटाइये हम इनको वापस नहीं आने देंगे। ए. ई. एन. को साथ लेकर आये और तीसरे दिन फिर वही ए. ई. एन. वहां पहुंच गया। तो ऐसे चेयरमैन जो काश्तकारों के प्रति बिलकुल संवेदनशील नहीं हैं, काश्तकारों के प्रति रंजिश से काम करते हैं, उन्होंने काश्तकारों को सिर्फ जैसे अंग्रेजों के राज में लूटते थे न, लूटने का साधन बना रखा है। काश्तकारों को तंग करने का तरीका बिजली बोर्ड में मचा रखा है। ऐसे चेयरमैन को, मुख्य मंत्रीजी, या तो आपकी शह है काश्तकारों को तंग करने के लिए, कोई पुराना बैर होगा आपका काश्तकारों से जो कि होना नहीं चाहिए। तो ऐसे चेयरमैन को आप

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. हरिसिंह)

कोरी तौर से हटा दीजिये, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं । ऐसा + + + आदमी कोई औरत जन सकती है, मेरे को ताज्जुब है । (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह जो बिजली के लिए प्रपोजल लाये हैं....

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री विष्णु मोदी : आप बोलें कि मैं बोलू ? (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट इनको भी बोलने दीजिये । (व्यवधान) मोदीजी, आप बोलिये । (व्यवधान) दो मिनट बोल लें । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : दिल्ली रिटर्न तो बहुत ज्यादा हैं, मुख्य मंत्रीजी भी दिल्ली रिटर्न हैं । आप अक्सर भूल जाते हो कि मुख्य मंत्रीजी भी दिल्ली रिटर्न हैं । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां इसलिए आये हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में यह प्रावधान है कि दस करोड़ से ज्यादा कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्जा लेगा तो उसमें विधान सभा की मंजूरी लेगा । उस कानून के तहत माननीय मंत्रीजी इस विधान सभा में बिजली बोर्ड की बात लेकर आये हैं । शायद यह इलेक्ट्रिसिटी कानून में नहीं लिखा होता तो उसकी वह जरूरत भी महसूस नहीं करते । बिजली की जब-जब भी बात आयी है तब-तब हमने यहां बहुत लम्बी-चौड़ी बातें, आश्वासन और इस तरह के सब्जबाग भी देखे हैं कि यह समस्या हल होने वाली है । लेकिन इस बिजली की समस्या के हल होने के बजाय इस बिजली की समस्या का निराकरण होने के बजाय दिन-प्रतिदिन हम इस तरह की व्यवस्था में फंसते जा रहे हैं कि जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है । सारे आंकड़े हैं कि हमारे यहां बिजली कितनी कम है । बिजली बोर्ड की जो फाइनेन्शियल स्थिति है वह रोज अखबारों में छपती है । जब बिजली बोर्ड के नये चेयरमैन बनाने की बात थी तो मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा । मैं भण्डारीजी की व्यक्तिश: प्रशंसा करता हूं, वह एक अच्छे अफसर हैं....(व्यवधान) लेकिन बिजली बोर्ड के अध्यक्ष बनने लायक (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो जातिवाद बोल रहा है ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : यह बनिया है इसलिये अच्छा है क्या ? (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी की + + + यहां तक तो हम बरदाश्त कर सकते है लेकिन बेकार आदमियों की, बेमतलब के आदमियों की आप + + + रहे हैं असेम्बली में ।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(158)

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको फिर रिपीट करता हूं कि मैं पशुपतिनाथ भंडारी को तब से जानता हूं जब से वह सीकर में कलक्टर थे। उन्होंने वहां ढाई हजार कुएँ खुदवाये, उनके ऊपर डीजल और बिजली के इंजन लगवाये और जब वह जन स्वास्थ्य मंत्रालय में थे तब भी वह अच्छा काम कर रहे थे लेकिन बिजली बोर्ड के चेयरमैन बनने के लायक वह आदमी...

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : बिजली-बिजली दे दी होगी आउट आफ दी टर्न।

श्री विष्णु मोदी : कतई नहीं है, वह कतई नहीं है। जब चेयरमैन बनाने की बात आयी थी तो मैंने मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा कि यह सुनने में आ रहा है कि आप भंडारी जी को चेयरमैन बना रहे हैं तो कृपा करके इतनी भारी भूल नहीं करें, जो स्थिति आज है उस स्थिति में भंडारी जी इस बिजली बोर्ड को चलाने में कतई सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। भारत सरकार की भी और राजस्थान की भी एक प्रक्रिया है कि जितने भी इस तरह से अण्डर-टेकिंग्स हैं, उसमें टेक्नीकल आदमी को बनाया जाता है। यह आई. ए. एस. सारे मर्ज की दवा नहीं हैं। मुझे अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए कि बिजली की जितनी समस्या है, मुख्य मंत्रीजी की उतनी ही उसके ऊपर चिन्ता नहीं। बिजली की बात जब पिछली बार चल रही थी तब वह अपने भाषण में वर्ल्ड बैंक ले आये कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उन छह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में माना है जिसको कि पैसा देने वाले हैं। किसी बात की जब भी सिरियसनेस हो, इस कला में माननीय मुख्य मंत्री निपुण हैं कि उस बात को कैसे इधर-उधर की जाय। उनको पता था इस बात का कि बिजली की समस्या फिर जब भी विधान सभा होगी तब आयेगी। अबकी बार पहले गवर्नर एड्रेस से लेकर और अपने भाषणों में कह गये कि चार हजार मेगावाट हम प्राइवेट क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। पिछले भाषण में कहा कि बरसिंहसर का मैं फैसला करने वाला था, मेरी सरकार चली गयी नहीं तो बरसिंहसर का मैं काम ही शुरू कराने वाला था। उस बरसिंहसर में भी इनकी चौदह महीने की सरकार हो गयी, कुछ नहीं हुआ। और जो यह चार हजार मेगावाट की बात गवर्नर से कहलवायी है, जो यह खुद कहते रहते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चौदह महीने तो निकल गये और आगे बारह महीने में इसमें कुछ नहीं होने वाला है। जो आज बिजली की स्थिति है, स्थिति उससे ज्यादा खराब होने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। आप देखिये, बिजली की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ा स्पेसिफिकली जो कुछ भी आप बता सकते हैं, वह बतायें नहीं तो समय पूरा हो जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : मैं वही बता रहा हूं। मैं उसी सब्जेक्ट पर आ रहा हूं कि अभी रीको ने 250 करोड़ रुपया उगाया। (व्यवधान) अभी 250 करोड़ रुपया रीको के माध्यम से उगाया और रीको के माध्यम

(श्री विष्णु मोदी)

से वह 250 करोड़ रुपया बोर्ड ने अपनी देनदारियों में चुका दिया। बाजार का जो पैसा सूरतगढ़ थर्मल के लिए लाया गया था, उस सूरतगढ़ थर्मल के पैसे को उन्होंने अपनी देनदारियों में चुका दिया। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह चेयरमैन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सरकार को सर्टिफिकेट दे रहा है या सरकार को चार्जशीट दे रहा है। भंडारी की एक खबर छपी है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के नये अध्यक्ष पशुपतिनाथ भंडारी का कहना है कि पिछले बीस वर्षों से राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। चेयरमैन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहता है कि सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। तो क्या हम उसकी बात मानें या आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह बात मानें। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि संस्थान को लगातार घाटे में चलाने की सीमा अब खतम हो चुकी है। राज्य सरकार की अनदेखी का यह आलम है कि यह संस्थान की बैलेंस-शीट तक देखने को तैयार नहीं है। एक चेयरमैन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और फिर आगे कहता है कि पिछले चालीस वर्षों में किसी सरकार ने नहीं देखा। क्या वह पशुपतिनाथ भण्डारी चालीस सालों में जितनी सरकारें रही हैं उनको चार्जशीट करेगा या वह इस सरकार को चार्जशीट करेगा ? (व्यवधान) मैं चेयरमैन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर रहा हूं और चालीस में आपकी सरकार भी इन्क्लूडेड है और आखिर....

अनेक माननीय सदस्य : तीन बार। (व्यवधान)

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : बेकार है, ऐसा मुख्य मंत्री नहीं आया। आखिर में यह तो मुख्य मंत्री की ही साजिश है पुरानी सब सरकारों को बदनाम करने की और इसके अलावा +++और हैं। काम्पीटेंट भंडारी और मुख्य मंत्री के अलावा न पैदा हुआ और न होने वाला।

श्री शिवनाथ सिंह : मंत्री को बदनाम करने के लिए यह ही एक अवसर है।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि आप जो अभी सदन में लेकर आये हैं कि आपकी ऋण की सीमा बढ़ायी जाय, आप जरूर बढ़ाइये.... (व्यवधान) लेकिन आप कम से कम इस सदन में इस बात को कहकर आइये कि आप किसलिये यह ऋण लेना चाहते हैं, इस ऋण से क्या आप बोर्ड की देनदारियों को चुकाना चाहते हैं या इस ऋण को लेकर.... उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को मुख्य मंत्री जी कहकर आयें कि किस बात के लिए ऋण लेना चाहते हैं, इस ऋण का उपयोग किस काम में करना चाहते हैं। क्या यह बोर्ड की देनदारियों में बिताना चाहते हैं या आप सूरतगढ़ थर्मल या दूसरी और कोई प्रोजेक्ट है बिजली की, इनमें पैसा लगाना चाहते हैं,

---

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के अनुसार अपलोपित किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

किस-किस काम में किस तरह से यह पैसा उगाना चाहते हैं । ऋण की सीमा क्यों बढ़ायी जाए, वह ऋण किन शर्तों पर होगा क्योंकि एक नयी बात और सुनने में आ रही है कि आजकल लीजिंग कम्पनी चक्कर काट रही है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, कि वह एक हजार करोड़ रुपये, पन्द्रह सौ करोड़ रुपये, दो हजार करोड़ रुपये लीजिंग कम्पनी से लेंगे । तो सदन में इसको पारित कराने के पहले मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह बतायें कि यह ऋण किससे लिया जाएगा, किस काम के लिए लिया जाएगा और इसका उपयोग क्या बिजली के उत्पादन को बढ़ाने में किया जाएगा या किसी और काम के लिए किया जायेगा ।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : इस वक्त फसल कटने को है, करीब--करीब पक गई है, इस वक्त क्या किसानों के तार खम्भों से उतारना संवेदनशीलता है और अगर किसान का कनेक्शन एक महीने बाद में काट दिया जाय, अप्रेल के बाद में, पैसा नहीं देता है तो, क्या उसकी फसल जलाने के बाद में उसकी यह कैपेसिटी होगी कि वह पैसे भी अदा कर पायेगा ? इस मामले में आपको क्या कहना है । क्योंकि आज की तारीख में पकती हुई फसल पर खम्भों के तार उतारे जा रहे हैं जगह-जगह इस बारे में क्या यह सरकार संवेदनशील होकर यह कंसीडरेशन करेगी (व्यवधान) भंडारीजी से क्या पूछ रहे हो ? वह तो उतार ही रहे हैं तार । अगर आपको वहम है तो मेरे साथ चलिये, मैं आपको नंगे खम्भे दिखा दूंगा । (व्यवधान) कोई भी हो, भंडारी साहब को मैं जानता हूं, वह नहीं हैं । लेकिन यह सरकार किसानों के कनेक्शन इस वक्त काट रही है जिस वक्त बिजली की सख्त जरूरत है । किसान पैसा नहीं देगा क्या ? यह निरंकुशता इससे ज्यादा क्या हो सकती है ? हद हो गई । मेरा जवाब दीजिये, मुख्य मंत्रीजी कि फसल को जलाने का बी.जे.पी. सरकार का इरादा है ? है, तो वैसे बता दीजिये । नहीं है, तो वैसे बता दीजिये । अगर कोई इरादा नहीं है तो इस वक्त बिजली के तार क्यों उतारे जा रहे हैं ? वह पैसे कैसे देगा ? फसल बेचकर तो फिर भी दे देगा । यूं-वूं करने से काम नहीं चलेगा, जवाब हां और नां में दीजिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : जवाब देंगे ।

श्री अध्यक्ष : सबके साथ ही आ जायेंगे, माननीय सदस्य ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सदन से दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये के प्रस्ताव पास कराने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर बात की सरकार नीति बनाती है । सड़क नीति भी बन गयी है और कई-कई नीतियां बनी हैं लेकिन अभी तक किसान के हित में जो काम की बात है चाहे कृषि नीति है, बिजली की नीति है, सरकार ने इस बारे में, मैं समझता हूं, सोचा नहीं है । जब तक सरकार इस बात को सामने लेकर नहीं आये कि किसान के हित में बिजली की क्या नीति सरकार अपनानी चाहती है तब तक, मैं समझता हूं, इस सदन से दो हजार पांच सौ करोड़

(श्री हरिसिंह)

रुपया बिजली के देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले एक साल से दिन पर दिन यह बिजली बोर्ड किसानों के अहित के काम करता हुआ चल रहा है।

श्रीमन्, गांवों के अन्दर कनेक्शन मिलना मुश्किल हो रहा है, गांव के घरेलू कनेक्शन मिलना मुश्किल हो रहा है। मैंने आज ही सवाल पूछा था। मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर बता दूं कि एक-एक गांव के अन्दर 155 कनेक्शन मिलना 35 कनेक्शन, 20 कनेक्शन, 30 कनेक्शन, हैं मेरे पास लिस्ट है, गांवों में कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं उसकी वजह बताइये? तार इनके पास नहीं हैं। यह बिजली बोर्ड जो 2500 करोड़ रुपया लेना चाहता हैं, अब तक इन्होंने जो पैसा ले रखा है उसमें से किसान के लिए तार नहीं खरीद सके और अब इस बात की क्या गारण्टी है कि 2500 करोड़ रुपये लेकर उस पैसे को इण्डस्ट्रीज के लिए डाइवर्ट नहीं करेंगे? इस बात की क्या गारण्टी है कि इस पैसे को ले करके यह उद्योगपतियों के काम में नहीं लगायेंगे? इस बात का कमिटमेंट करें, विद्युत मन्त्री महोदय, इस पैसे का उपयोग वह किसान के हित में करेंगे।

अब तक बिजली के एक-एक पोल के ऊपर जो पैसा चार्ज किया जाता था वह भी अब दुगुना चार्ज करने लग गये हैं। अब किसान के लिए जो चार्जेज लगते थे बिजली के वह बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं आपसे संक्षेप में यह निवेदन करता चाहता हूं कि इस रुपये की स्वीकृति देने के पहले विद्युत मन्त्री को इस बात का आश्वासन सदन को देना चाहिए कि यह पैसा किसान के हित में उपयोग करेंगे। किसान के लिए क्या-क्या रियायतें आप देंगे, किसान को कितने कनेक्शन आप देंगे, किस रेट से आप देंगे, गांवों के अन्दर कितने बिजली के तार आप खिचवायेंगे, गांवों के कनेक्शन में कितना आप काम करवाना चाहते हैं, जब तक इस बात का आश्वासन सदन को नहीं मिले तब तक इस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप यह 2500 करोड़ रुपये ले रहे हैं। पहले बिजली विभाग पर कुल कितना ऋण चढ़ा हुआ है? क्या यह पैसे नई बिजली के उत्पादन के लिए आप लगायेंगे या पुराना खर्चा जो हुआ है, ऋण है आपके ऊपर, जो करोड़ों का, उसमें इसको काम में लेंगे। या कोई नई ऐसी यूनिट लगायेंगे जिससे काश्तकारों को लाभ हो सके? आप मेहरबानी करके जहां भी इस पैसे का उपयोग करें, ऐसे भवन नहीं बनायें जिसमें ग्रेनाइट लगे, ऐसे भवन नहीं बनायें जिसमें आपके गलीचे बिछें। आज जो विद्युत भवन बना, आज क्यों कर्जे के अन्दर है हमारा विद्युत विभाग? उसका मुख्य कारण यही है कि जो पहले भवन बना हुआ था उससे काम चल रहा था, हमारे ऊपर करोड़ों का जब कर्जा था उसके बावजूद भी इन्होंने आलीशान करोड़ों रुपये का भवन बनाया है। तो मेहरबानी करके किसानों का पैसा खर्च न करें। किसानों से गलत बिल लिये जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कम्प्यूटर से गलत

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

बिल जा रहे हैं। उनसे तो ग्रधिक से ग्रधिक वसूल कर रहे हो, बिजली दे नहीं रहे हो। ग्राज मेरे बालोतरा के ग्रन्दर सात बजे बिजली जाती हैं ग्रौर दस बजे के बाद ग्राती है जब विद्यार्थी सोने लगता है। इस परीक्षा के दौरान यह हो रहा है। विद्यार्थी पढ़ नहीं सकते हैं। सुबह जब चार बजे उठते हैं तो ग्रन्धेरा ही है ग्रौर सुबह 6 बजे तक बिजली नहीं आती है। इस प्रकार हो रहा है।

पहले ग्राप वन पोल का कनेक्शन देते हो, दूसरे महीने के ग्रन्दर ग्राप दो पोल का ग्रादेश निकालते हो फिर उसको भी कैंन्सिल करते हो। इस प्रकार ग्राप एक नीति बना लें उसी के ग्रनुसार काम करें ताकि किसानों को भी लाभ हो ग्रौर ग्रापका यह जो बोर्ड घाटे में जा रहा है इस को भी लाभ हो। (धन्यवाद)।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव है इस पर गहन चिन्तन की ग्रावश्यकता है। इसये कोई दो राय नहीं है कि (व्यवधान) मुझे पता है कि मुख्य मन्त्रीजी तो चले ही गये ग्रौर ग्राप लोग किसानों की समस्या को गम्भीरता से सुनने में दिलचस्पी रख ही नहीं सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो प्रान्त में दोहरी नीति है। ग्राज के दिन गाव ग्रौर शहर के उपभोक्ता में जितना फर्क है, मैं समझता हूं, सभी सदस्यगण भली-भांति परिचित हैं। यदि किसी सदस्य का मकान जयपुर शहर में है ग्रौर वह यहां उपभोक्ता है तो उसको बिजली ज्यादा मिलेगी। वही सदस्य ग्रगर ग्रपने गांव के ग्रन्दर उपभोक्ता है तो उसको बिजली कम मिलेगी। ऐसी ही दोहरी नीति कृषि के क्षेत्र में है। यदि ग्रगर किसान ग्रपने खेत में बिजली का कनेक्शन लेना चाहता है तो उसको वर्षों तक इन्तजार करना पड़ता है ग्रौर यदि ग्रगर कोई फैक्ट्री चालू करना चाहता है तो मिल जाएगी। तो, मान्यवर, जो समस्या मैं आपके सामने बता रहा हूं, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड धन लेने के लिए कोई संकल्प है, प्रस्ताव है, उसकी मंजूरी चाहता है, समझ में ग्राने वाली बात है बिना धन के कार्य नहीं हो सकता पर इस सदन के वरिष्ठ सदस्य ने जो किसान का दुःख सदन के समक्ष ग्रौर राजस्थान की जनता के समक्ष सदन के माध्यम से रखा, उसको चार भागों में बांटकर मैं मेरी बात कहना चाहता हूं।

पहला, मान्यवर, मेरा यह कहना है कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस बात के लिए बाध्य किया जाय कि वह डोमेस्टिक कन्जूमर, यदि ग्रगर शहर में है ग्रौर गांव में है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगा। यदि ग्रगर बिजली का संकट है, बिजली कम है तो ग्राप जयपुर में भी कमी कीजिये ग्रौर गांवों में भी कमी कीजिये। मान्यवर, पूरे विकास पर इसका बड़ा एडवर्स ग्रसर पड़ता है। (व्यवधान) इन्तजार कीजिये, ताराजी। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ग्रामीण इलाकों में डोमेस्टिक कन्जूमर के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसका ग्रसर उस भावी पीढ़ी के विकास पर भी पड़ता है जो वहां रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रि-

(श्री जगदीप धनखड़)

सिटी बोर्ड ने क्यों कर रखी है कि गांव के डोमेस्टिक कन्जूमर को आपने इन्फीरियर स्टेट्स दे रखा है और शहर के डोमेस्टिक कन्जूमर को आपने सुपीरियर स्टेट्स दे रखा है। इसको समाप्त करने की सख्त आवश्यकता है।

मान्यवर, आप जहां एक ओर राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इतना धन लोन पर लेने के लिए प्रस्ताव मंजूर करवाना चाहते हैं वहां राजस्थान के किसानों के हजारों करोड़ रुपये उस इन्फ्रास्ट्रक्चर को रेज करने में लग गये, उसने कुआ खोद लिया, उसने कुए के लिए लोन भी ले लिया, अपनी जमीन भी गिरवी रख दी और वह करीब आठ–दस साल से लाइन में लगा हुआ है आपका विद्युत कनेक्शन लेने के लिए, उस किसान की चिन्ता पर आज बिना ध्यान दिये इस प्रकार के प्रस्ताव को यदि मंजूर किया जाता है तो मैं नहीं समझता इसका फायदा कहां होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन जो बिजली बोर्ड यह कार्य कर रहा है उसके सम्बन्ध में कुछ विधायकों से नागौर जिले का किसान मण्डल मिला था। मेरे से भी वह मिलने आये, प्रतिपक्ष के नेताजी से भी वह मिलने गये थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार और राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आठ घंटे की फ्लेट रेट से हमसे वसूली करना चाहता है और हमें कह रहा है कि हमारे बिल इस प्रकार से आयेंगे। उस केसेज में फ्लेट रेट इज कम्पलसरी। तो आप किसान से आठ घंटे के आधार पर रियलाइज कर रहे हैं और सबको पता है कि किसान को बिजली आठ घंटे नहीं मिल रही है, पूरे राजस्थान का किसान चिन्तित है, परेशान है। उसकी फसल को नुकसान हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर तो हजारों करोड़ रुपये किसानों के इसलिए लग गये कि उन्होंने कुआ बना लिया, व्यवस्था कर ली, उसको बिजली कनेक्शन दिया नहीं जा रहा है। दूसरी ओर हर महीने आप किसान से एक्सटोर्शन कर रहे हैं। जिस किसान को आपने वादा किया था राजस्थान के सदन के माध्यम से कि हम आठ घंटे आपको बिजली देंगे उसको आज आप बिजली देने के बजाय आठ घंटे का बिल दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को यह कहना है कि हाइली डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड के अलावा आप गांव में एग्रीकल्चर सैक्टर से करोड़ों रुपये की वसूली इस माध्यम से क्यों कर रहे हैं ?

तीसरी बात, मान्यवर, जहां किसान आज बिजली से पूरी तरह से पीड़ित है वहां राजस्थान सरकार के वर्तमान ढांचे को, मुख्य मन्त्री और उप मुख्य मन्त्री दोनों को राजस्थान की जनता सदा याद रखेगी। क्यों ? इस बार इनका सोच, मान्यवर, दस मेगावाट जनरेट करने का भी नहीं है। आपने जो कागजात सदन के सामने रखे हैं उनमें आपकी योजना दस मेगावाट से ज्यादा की वर्तमान वर्ष में नहीं है और गत वर्ष में आपकी चार-पांच मेगावाट है। आपने यह तो कह दिया कि आने वाला समय बड़ा कठिन होगा। भाषणों में बड़ा अच्छा लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, चार

(श्री जगदीप धनखड़)

हजार दो सौ मेगावाट बिजली हम पैदा करेंगे। बड़ा अच्छा है। उसके लिए क्या किया? दो साल बाद नहीं गत वर्ष भी यही स्थिति थी। उससे पहले भी यही थी। इनसे नहीं होने का है। तो मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह कहना है कि नम्बर एक आप किसान को गांव में बिजली देते हैं उसके साथ आप ऐसा व्यवहार करते है जैसे कि वह सैकण्ड ग्रेड का सिटीजन हो। दूसरा, आप उससे वसूली उस बिजली की भी कर रहे हैं जो आपने दी नहीं है। तीसरा, हजारों करोड़ों रुपया किसान का अटका हुआ है, बिजली बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है और चौथा, मान्यवर, आप किसान को किस कीमत पर बिजली आज देना चाहते हैं। माननीय मंत्रीजी, जब आप इस विभाग में आये हमें बड़ी आशाएं थीं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : आशाएं पूरी करूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : पर, मान्यवर, मेरे को यह बताइये, मैंने जो आपके समक्ष तीन बातें रखीं। मैं चौथी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह रख रहा हूं, किसान से आज आप बिजली के कुएं के कनेक्शन के लिए क्या चाहते हो? लाखों रुपये। इस सदन के वरिष्ठ सदस्य ने जब जानकारी दी, हर किसान से जाकर पूछ लीजिये, आप किसान से हर खर्चा लेना चाहते हो। उसके बिजली कनेक्शन को आप औद्योगिक कनेक्शन से ज्यादा महंगा करना चाहते हो? मैं, मान्यवर, इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा कि बिजली बोर्ड के अध्यक्षजी का क्या आचरण है। बिजली बोर्ड, के अध्यक्ष के ऊपर जाने से पहले मुख्य मंत्री की बात सोचिये। उनको अपाइण्ट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के सोच में किसान बहुत पीछे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के सोच में भाषण बाजी के अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरा, मान्यवर, आपसे यह अनुरोध है, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी देने से पूर्व विधान सभा की एक समिति गठित की जाय। यह विधान सभा की समिति इस बात की पूरी तरह से जांच करे कि क्या डोमेस्टिक कंजूमर, जो गांव में हैं, साथ भेदभाव होता है। आप और हम सबको पता है, होता है। क्या एग्रीकल्चरल सैक्टर के अन्दर बिजली कनेक्शन देने में भेदभाव है? आप और हम सबको पता है, क्या किसान को आज के दिन जो बिजली नहीं दी जा रही है उसका पैसा वसूल किया जा रहा है? आप और हमको पता है, किया जा रहा है। चौथा, आस-पास के प्रान्तों में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर जहां कुएं की गहराई ज्यादा है वहां का बिजली विभाग कहता है कि किसान तो पानी निकाल करके देश की सेवा करता है। इसलिए अगर ज्यादा गहरा कुआ है, ज्यादा हार्स पावर की मोटर की आवश्यकता है, बिजली का खर्चा ज्यादा होता है तो हम उसको सस्ती रेट पर बिजली दे देंगे। मान्यवर, हमारे यहां यह प्रक्रिया बिलकुल उलटी है। तो, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री जगदीप धनखड़)

महोदय, यहां मैं यह कहता हूं कि ढाई हजार करोड़ रुपये के कर्ज लेने की बात है, जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है और इसलिए है क्योंकि यह कानून की आवश्यकता है, इसका एक ही सकारात्मक नतीजा निकल सकता है कि विधान सभा की एक कमेटी इस महत्वपूर्ण मुद्दे की पूरी जांच करे और उसके बाद इस बात का भी वह आकलन करे, ढाई हजार करोड़ हो या और कोई राशि हो, वह राशि किस काम में आयेगी, उसका उपयोग किस तरह से किया जायेगा। रीको ने, खबर छपी, तीन घण्टे के अन्दर ढाई सौ करोड़ रुपये इकट्ठे किये और तीन दिन में वह खतम हो गये। जिन लोगों ने तीन घण्टे के अन्दर राजस्थान सरकार के उन बाण्ड्स में विश्वास व्यक्त किया उनको पता था कि जो कास्मेटिक कवर था वह तो खतम हो गया और रियल अंडरलाइंग कम्पेलिंग नेसेसिटी है वह सामने आ गयी। कहीं इन ढाई हजार करोड़ रुपये का इस प्रकार का मामला तो उत्पन्न नहीं होता। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहूंगा और मंत्रीजी से मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी, मेरे इन चारों मुद्दों पर स्पष्ट रूप से अपना आकलन देते हुए किसान के कष्ट का निवारण करने के लिए मेहरबानी करके आप लोकप्रिय होने की चेष्टा कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। रामप्रताप जी। (व्यवधान) आपका भी है, दो मिनट विराजिये। रामप्रतापजी। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर आज भी बिजली की कटौती की जाती हैं। दूसरे क्षेत्रों का तो मुझे पता नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बिजली काट दी जाती है। ज्यादातर सब बिजली रहती ही नहीं है, चाहे रात हो या दिन हो। इसके अलावा (व्यवधान) आपके ही तो किये हुए सारे हैं वह हम भुगत रहे हैं, और क्या बीमारी है। आपने कहीं काम तो किया ही नहीं। यह आपके किये हुए खोटों की ही सजा भुगत रहे हैं हम तो, और क्या है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : इनके पाप में भागी क्यों हो रहे हो, इधर आ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री रामप्रताप कासनियां : उधर तो बरसों ही नहीं आये कोई। जो हैं ना उनसे ही सावधान रहना आप। कहीं उनमें से नहीं निकल जाय कोई। (व्यवधान)

मान्यवर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। उसमें सरकार का कोई ज्यादा लम्बा-चौड़ा खर्चा भी नहीं लगता। जैसे घरों के कनेक्शन का मामला है, आज एक व्यक्ति अपने घर का कनेक्शन लेना चाहे तो उसको छह महीने तक ए. ईएन. के, एक्स. ईएन. के, जे. ईएन. के दफ्तर में जाना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांव के

(श्री रामप्रताप कासनियां)

लोगों के लिए कोई इस तरह की प्रक्रिया तय जाय कि कोई जे. ईएन. या ए. ईएन. गांव के अन्दर जाय और जो भी कोई व्यक्ति कनेक्शन लेना चाहे उसका प्रार्थना पत्र गांव में जाकर ही लिया जाय । (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : यह आपको पता नहीं है, हमको पता है ।

श्री रामप्रताप कासनियां : आपको क्या पता कितनी परेशानी होती है कनेक्शन लेने में । एक आदमी छह महीने तक दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है ।

श्री मोहन लाल मोदी : हमको जानकारी है कितनी परेशानी होती है । आप तो इनके मक्खन लगाओ और कुछ काम मत करो ।

श्री रामप्रताप कासनियां : जलन क्यों हो रही है । फिर ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : क्योंकि आप इण्डिपेंडेंट हैं, आपकी पूछ हो गयी । अब की दफा बी. जे. पी. के सिम्बल पर आ गये, आपको पूछ नहीं रहे हैं । काहे को हल्ले मचा रहे हो ।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, जो सही बात है वह मैं निवेदन निवेदन करूंगा, आप चाहे कुछ भी कहते जाइये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 7–8 वर्ष से बार-बार वही गांव रिपीट हो रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है । गांव के लोग पोल ले जाने के अन्दर सहयोग करते हैं, पोल गड़ाने में भी सहयोग करते हैं इसके बावजूद भी पिछले 7–8 वर्ष से बार-बार गांव रिपीट हो रहे हैं । हर साल उन्हीं गांवों को फेज प्रोग्राम में जोड़ दिया जाता है जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी लास हुआ है । उदाहरण के तौर पर एक वर्ष में दो, चार, पांच गांव मिलने चाहिये, वह मुझे नहीं मिल पाते हैं । विधान सभा क्षेत्र को लास पहुंचता है । हर साल वही गांव रिपीट होकर बार-बार फेज प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं ।

इसके अलावा तीन-तीन सौ, चार-चार सौ वर्ष पुराने जो गांव हैं वह अभी तक सर्वे प्लान में भी शामिल नहीं हैं और जो चक है जहां आबादी नहीं है वह सर्वे प्लान में शामिल हैं । तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन चकों में आबादी नहीं है उनके स्थान पर जो पुराने तीन सौ वर्ष पुराने गांव हैं, जो सर्वे प्लान में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं उन गांवों को जोड़ा जाय ।

इसके अलावा उदाहरण के तौर पर हमारे गंगानगर जिले की बात कर रहा हूं, जहां पर चकबंदी है । एक गांव चार चकों में बसा हुआ है । तो, मान्यवर, उस गांव के अन्दर अगर एक चक मान लो इस वर्ष में हो गया, इंजीनियर चाहे तो पूरे ही गांव को वह फेज प्रोग्राम में शामिल कर देगा । अगर वह नहीं चाहे तो चार चकों में जो गांव बसा हुआ है उनकी चारों की सैंक्शन अलग-अलग जारी करवानी पड़ती है । मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कि जो गांव चार-चार चकों में, दो-दो चकों में बसे हुए हैं, एक चक को फेज प्रोग्राम में जोड़ते ही पूरे गांव को इलेक्ट्रिफाइड घोषित किया जाना चाहिये। आबादी जोइण्ट है, एक जगह गांव बसा हुआ है। मान लो, उदाहरण के तौर पर एक विधान सभा क्षेत्र में चार गांव मिले और एक ही गांव को चार चकों के हिसाब से मान करके चारों गांवों को फेज प्रोग्राम में जोड़ दिया जाता है तो इस तरह की यह जो छोटी-छोटी बातें हैं इनका विभाग पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है, कोई अतिरिक्त भार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में तो मैं यहां तक कहूंगा कि लोग अभी तक इतने भोले भाले हैं, उदाहरण के तौर पर सादेकी गांव से तीन एफ. डी. एम. को लाइन जानी थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है सादेकी, सादेकी से तीन एफ. डी. एम. को लाइन जानी थी। बीच में एक एफ. डी. एम. चक

(16.00)

है, उसमें ढाणियां हैं, ढाणियों के निवासियों ने एक्स. ईएन. और ए. ईएन. को 20–25 हजार रुपये रिश्वत के देकर के....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : लाइन को तीन किलोमीटर तक घुमा दिया, उसकी लम्बाई तीन किलोमीटर बढ़ गयी। उन लोगों को यह पता नहीं था कि हमारे जो चक हैं वह सर्वे प्लान में शामिल नहीं हैं। उन्होंने यह सोच लिया कि हमारे बीच में से लाइन निकलते ही हमें कनेक्शन मिल जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां : इसके अलावा विशेषकर बिजली की चोरी होती है, मैंने स्वयं मेरी आंखों से देखा है। ज्यादातर चोरी करते हैं कारखाने वाले, न कि किसान। ट्यूब वैल वाले और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिजली की चोरी नहीं करते हैं। चोरी होती है कारखानों में।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां : तो, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : इसके अलावा एक छोटी-सी बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्रता से, कह दें, मान्यवर।

श्री रामप्रताप कासनियां : जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर चार व्यक्तियों ने एप्लीकेशन दे दी कनेक्शन लेने के लिए तो जे. ईएन. एस्टीमेट बनायेगा और बढ़ा चढ़ा करके 5–5, 7–7 हजार के डिमाण्ड नोटिस निकाल दिये जाते हैं जिससे गांव के लोग

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कनेक्शन नहीं ले सकते। तो ऐसी छोटी-छोटी समस्या की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे पिछले 7–8 वर्ष से मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव रिपीट हुए हैं उनके बदले इस वर्ष में ज्यादा से ज्यादा गांव लें और पिछले 5–6 साल में जितना मेरे विधान सभा क्षेत्र में लॉस हुआ है उसकी पूर्ति की जाय। यही निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री परसादीलाल मीणा।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर इनके बाद ही है। (व्यवधान) बिराजें। आपको बोलने दें।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में एक दिन पूरा रखा जाय, डिबेट रखी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो कर लो आप। बिराजिये। आपको बोलने दें। आगे देखा जायेगा, अभी तो आपको बोलने दें। हां, फरमाइये शीघ्रता से।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है (व्यवधान) एक सैकण्ड सुन तो लें। मेरी भी इच्छा यही थी कि एक दिन बिजली पर चर्चा का रखा जाय। अच्छी खासी चर्चा हो, क्योंकि आपकी पीड़ा केवल आपकी पीड़ा नहीं है या केवल कोई विपक्ष या पक्ष की पीड़ा नहीं है, यह राजस्थान की सारी जनता की पीड़ा है और उस पीड़ा को दूर करने में आपके अमूल्य सुझाव मुझे प्राप्त हों इससे ज्यादा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। मेरी इच्छा है कि आज आप चाहे तो आज कर लें, अभी समय है अन्यथा एक दिन चर्चा का रखा जाय। मैं इस आलोचना को, जो आप कर रहे हैं समझ रहा हूं। यह कोई आलोचना के लिए आलोचना नहीं है, आपकी पीड़ा, आपके मन का दर्द बोल रहा है और इसमें मेरी सहानुभूति आपके साथ है क्योंकि मैं भी किसान हूं। चाहता हूं, खुल कर बातें हों, बिजली बोर्ड की पारदर्शी स्थिति आपके सामने रखी जाय कि बिजली बोर्ड की स्थिति कैसी है और इसको सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है। इसमें आप और हम अलग-अलग नहीं हैं, एक हैं। आपके अमूल्य सुझावों को शिरोधार्य करूंगा, निश्चित रूप से, क्योंकि आप जनता के हित के लिए बोलेंगे। मैं उसे आलोचना नहीं समझूंगा। इसलिए आज यदि कुछ छोटा-मोटा बोलना हो बोल लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक दिन इस पर खुल कर चर्चा हो जिसमें आज मुझे कह सकें, मैं आपको कुछ बता सकूं तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री शंकर लाल अहारी : एक दिन पूरा दिया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सुझाव दिया है वह बहुत ही अच्छा सुझाव है। एक रोज पूरा विद्युत मंडल पर रख दिया जाय। यह इसी बजट सैशन के अन्दर कोई एक दिन पूरा इसके लिए....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कार्य सलाहकार समिति में आप भी हैं खेतसिंह जी, आप उस पर चर्चा रखिये। मेरी इच्छा है कि इस पर बातचीत थोड़ी ज्यादा समय तक होनी चाहिये। मेरी इच्छा है। इसलिए कार्य सलाहकार में आप भी हैं, यह मेरा प्रस्ताव है कि इस पर चर्चा जरुर रखी जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ठीक है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : कार्य सलाहकार समिति में है, ठीक है। सदन भी इसमें पूरी सहमति रखता है तो इसमें दिक्कत क्या है। (व्यवधान)

श्री शंकर लाल अहारी : संकल्प पारित नहीं किया जाय और संकल्प भी इसके बाद पारित किया जाय........(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोटवानीजी।

श्री मोहन लाल मोदी : संकल्प भी उसके बाद ही लें। पहले डिबेट हो उसके बाद संकल्प लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फरमाइये।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में ऐसे कितने छोटे-मोटे उद्योगपति हैं जिनके आज तक बिजली के बिल बकाया हैं? कितने रुपये के हैं? जब मंत्री महोदय ने पद ग्रहण किया तब से आज तक कितनी वसूली की गयी और अभी तक कितनी नहीं हुई? उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे किसानों का एक भी बिल अगर जमा नहीं होता है तो उसकी बिजली तत्काल काट दी जाती है, उद्योगपतियों का पेमेंट 2–2, 5–5 साल तक बकाया होता है फिर भी उनका कनेक्शन नहीं काटा जाता है। उदाहरण के तौर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में कल्याणपुरा सीमेण्ट फैक्ट्री का एक प्लांट लगा हुआ था, वैसे प्लांट अभी हालांकि बन्द है, उस प्लांट में बिजली का कनेक्शन था और उस प्लांट में करीब-करीब यह मानकर चलें कि एक करोड़ रुपये का बिजली का बिल बकाया है और आज भी बकाया है। तो ऐसे कितने उद्योगपतियों के बिजली के बिल बकाया हैं? सरकार इस सम्बन्ध में क्या स्टेप उठा रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 300 और कुछ गांव हैं जिनमें से 190 गांव विद्युतीकृत हैं, इनमें से मुश्किल से करीब 40 गांव में अभी तक लाइन पहुंची है जबकि उसका बजट उसी टाइम पारित हो जाता है कि इस साल इतने गांव विद्युतीकृत किये जाने हैं, तो जो 190 गांव को इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया लेकिन

(श्री दलीचन्द)

उनमें आज तक लाइन नहीं पहुंची, इसका क्या कारण है ? क्या उसका बजट पास नहीं हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । आपके अमूल्य सुझावों का स्वागत है । श्री परसादी लाल जी बोल रहे हैं ।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिए निवेदन करना चाहूंगा । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : दो बार मेरा नाम पुकार लिया ।

एक माननीय सदस्य : आप बाद में बोल लेना । ठहर जाओ थोड़ी देर । आप सीनियर हो ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आज ढाई हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने की सीमा तय करने का संकल्प पेश किया है । माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गत वर्ष यहां पर हम सब मिले थे चुनने के बाद, किसानों को बिजली का जो संकट आया था उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया था कि हम किसान को कम से कम आठ घंटे बिजली देंगे । क्या आप बता सकते हैं, मंत्रीजी, इस बार किसानों को दो घंटे, तीन घंटे एक घंटे भी बिजली मिली ? किसानों की फसलें सूख गयीं और आपका कहीं पता नहीं चला, आप कहां रहे, कोई सुनने वाला नहीं था । लोगों ने यहां आन्दोलन किये । बार-बार बिजली की कटौती हुई । आज पांच घंटे का आर्डर, दूसरे दिन तीन घंटे का आर्डर, फिर दो घंटे का आर्डर । रोज बिजली बोर्ड की विज्ञप्तियां जारी हो रही थीं । वहां हम कभी आठ घंटे की बात करते हैं एक्सई.एन. एस.ई. से, तो वह हमको कलक्टर का आर्डर बता देते हैं कि पांच घंटे का आर्डर आ गया । फिर पांच घंटे की बात होती है तो तीन घंटे का आर्डर आ गया । इस तरह की यह आपकी आपाधापी मची और आपका उसमें कहीं रोल नहीं रहा । किसानों की फसलें चौपट हो गयीं, किसान रोते रह गये ।

माननीय मंत्रीजी, आप फ्लैट रेट लेते हैं किसानों से । आपके 80 पर्सेण्ट कनेक्शन किसानों के फ्लेट रेट से हैं । क्या आप फ्लेट रेट पूरी बिजली आठ घंटे देने का लेते हैं ? आप जांच करवा लीजिये । हर जगह की कि किसान को किस गांव में किस तहसील में कितने घंटे बिजली मिली । क्या आप उस फ्लेट रेट में कमी करेंगे ? अगर आप कमी नहीं करेंगे तो, किसानों से तो आप पूरा किराया ले रहे हैं, फसलें चौपट हो गयीं और आपने बिजली दी नहीं, आप किस बात की ऋण सीमा ले रहे हैं । आपने बिजली बाहर से खरीदी ही नहीं फिर आप यह ऋण क्यों ले रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आ रहा है किसलिए ऋण ले रहे हैं । किसानों को बिजली नहीं दी । आपने इण्डस्ट्रीज को केवल कागजों में काटा । आपने इण्डस्ट्रीज की बिजली बिलकुल कम नहीं की है । आपके बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने इण्डस्ट्रीज वालों से पैसे खाये । इण्डस्ट्रीज वालों के ऊपर यहां के डिप्टी सी. एम. का हाथ था । उन्होंने कह दिया, मैं हूं जब तक

(श्री परसादीलाल मीणा)

पूरी बिजली मिलेगी, किसान चाहे राजस्थान का चौरट हो जाए। किसान को बोलने के लिए आज आप यह कह रहे हैं.... (व्यवधान) मेरे को दुःख हो रहा है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं किसान हूं, अगर आप सही किसान हैं, मैंने देखी है किसान की पीड़ा, पर एक बार भी आपने कभी बिजली किसानों को मिली को नहीं मिली (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री) : चिन्ता कर रहे हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : आप बैठिये एक बार।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पूरे राजस्थान की चिन्ता कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप बैठिये, श्रीमान् आपके हाथ जोड़ता हू।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने मेरा नाम क्यों लिया, मैं तो बैठा ही था।

श्री परसादी लाल मीणा : आप विराजिये, आपके हाथ जोड़ता हूं मैं। आप विराजिये। आप जब यहां पर हमारे साथ एम. एल. ए. थे और बहुत जोर शोर से बिजली की बात करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 घण्टे, 3 घण्टे बिजली मिली? उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि किसान को बिजली नहीं मिल रही है जबकि हमने यहां तय कर लिया था हमारे विपक्ष के नेता और सारे लोगों ने तय किया था कि किसान को दिन में कम से कम 6 घण्टे बिजली मिलेगी और रात को 6 घण्टे मिलेगी। यह आपके स्टेटमेंट में है, आपके यहां के रिकार्ड में है, आप उठा कर देख लीजिये। विधानसभा नहीं थी 6 महीने तक, जब किसान की फसल आयी तब विधान सभा नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था, बिजली दी नहीं गयी। अब हमारे बोर्ड की विज्ञप्ति आ रही है कि किसानों की बिजली कटौती खतम। अब क्या है, अब तो फसल कट चुकी, फसल सूख चुकी, अब क्या फायदा है? इस तरह के इनके + + + आर्डर, इनके + + + जैसे आर्डर किसानों की मजाक करते हैं। कहा बिजली दी आपने, किसके लिए बिजली दी माननीय मंत्रीजी, आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में 3500 गांव ऐसे हैं जिनको बिजली बोर्ड ने कागजों में इलेक्ट्रिफाइड कर रखा है। मैं चुनौती देता हूं आपको, वहां एक भी कनेक्शन किसानों को नहीं दिया है, फाइलें जमा नहीं की हैं। फाइलें जमा करने की तारीख तय करके, वह तारीख पलट दी गई।

आपने एक और आर्डर निकाला है। आप सुन लीजिये, आपकी जानकारी में न हो तो। आपने एक आर्डर निकाला है कि पहले कनेक्शन उनको मिलेगा जो पहले फाइल जमा करायेगा। 15-15 दिन से किसान वहां खिड़कियों पर बैठे हैं। रजाई

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के अनुसार अपलोपित किया गया।

(172)

(श्री परसादीलाल मीणा)

गद्दे वहां, वहीं खाना, वहीं नहाना, वहीं धोना । ऐसे क्या आर्डर किये हैं आपने ? आपको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिये। किसान 15-15 दिन से बिजली बोर्ड के दफ्तरों के बाहर बैठे हैं । आप मेरे साथ चलिये, आपको आज ही बताऊं कि 21 तारीख की जो फाइलें लगेंगी उसके किसान आज खिड़की पर बैठे हैं । क्या आर्डर किये हैं आपने यह ? किसके लिए आर्डर किये हैं आपने ? 20-20 दिन तक किसान को पीड़ा देने के लिए ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस आर्डर को आप देखिये, आप अच्छे लोगों में गिने जाते हैं, अच्छे मंत्री की आप से आस थी पर आप बिलकुल नाकाबिल मिनिस्टर निकले । इस एक साल में हमने देख लिया, आप बिलकुल नाकाबिल निकले ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य ।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं इस तुरन्त योजना और जो नर्सरी योजना है, उसकी आलोचना नहीं करता । जिस किसान को जरूरत होगी, ओ. टी. से ऊपर जाकर लेगा । मैं उस योजना की आलोचना नहीं करता जिसको जरूरत होगी वह लेगा पर, माननीय मंत्रीजी जिस किसान का नम्बर प्रायोरिटी में है, उसका कनेक्शन समय पर होना चाहिये । मेरे इलाके की बात मैं बताना चाहता हूं । वहां पर 3-3, 4-4 साल से डिमाण्ड नोटिस और एल. फार्म लगें हुए हैं जॉब आर्डर दे रखे हैं, पर उनके कनेक्शन आज तक नहीं किये । उनके कनेक्शनों के लिए अभी जो मीटिंग हुई 14 मार्च को तो मैंने आपको कहा कि कब कनेक्शन देंगे । महीने में 10-15 कनेक्शन निकले । आप कब तक देंगे ? इस तरह की यह पैंडिंग आप निकालें । ब्लैकमैल करना चाहते हैं ? वह अधिकारियों के पीछे चक्कर काटें ? वह सामान के लिए पैसा दें, वह एल. फार्म के बाद चक्कर लगाता फिरें ? आप यह तय कर दीजिये, माननीय मंत्रीजी, कि एल. फार्म के इतने दिन बाद किसान को कनेक्शन मिल जायेगा आपने यह तो कह दिया कि एल फार्म नहीं लगेगा एल फार्म नहीं लगेगा तो उसको पता कैसे चलेगा, एल फार्म डिमाण्ड नोटिस जमा होने के बाद कितने दिन बाद मिलेगा। आप ऋण ले रहे हैं, किसानों को बिजली दे नहीं रहे, गांवों में विद्युतीकरण केवल कागजों में कर रहे हैं । मैं आपको चुनौती दे रहा हू, आप इसकी जांच करवा लीजिये, 3500 गांव हैं आपके कागजों में जिनको आपने विद्युतीकृत घोषित कर रखा है और एक कनेक्शन नहीं हुआ है । मेरे पास सूची है । अगर आप सूची मंगाना चाहें तो राजस्थान के एक-एक गांव की सूची है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें ।

श्री परसादीलाल मीणा : इस तरह की यह स्थिति पैदा की है और ऋण ले रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी ।

श्री परसादीलाल मीणा : काहे के लिए ऋण ले रहे हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य, बिराजें। श्री वी. पी. सिंह जी बोल रहे हैं। आपको भी बोलने देंगे (व्यवधान) मैं ज्यादा से ज्यादा बोलने दे रहा हूं।

अनेक माननीय सदस्य : We want V. P. Singh. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने भी इस समस्या के बारे में चिन्ता व्यक्त की, सदन के माननीय सदस्यों ने भी कहा है और यही बात दोहरायी है कि बिजली की समस्या है, हमारे डाक्टर साहब ने और कई दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि कुओं का कनेक्शन नहीं होता है....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : वी. पी. स्टाइल में....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बिजली महंगी मिलती है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बिजली नहीं है तो कहां कनेक्शन लेने जायें ? आज मैं तो यह कह रहा हूं कि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो मंत्रीजी कह देंगे, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पहला, उत्पादन अगर बढ़ायेंगे, जनरेशन अगर आप बढ़ायेंगे तभी कुओं के अन्दर आपको बिजली मिल सकती है। इण्डस्ट्री की बात आ गयी, मैं तो इण्डस्ट्री से ज्यादा प्राथमिकता एग्रीकल्चर को देना चाहता हूं। जो सब्सिडी के बारे में कहते हैं, हमारे चेयरमैन साहब हों, पुराने या नये कि साहब, इण्डस्ट्री को महंगी बिजली दी जाती है और एग्रीकल्चर सैक्टर को बहुत सस्ती बिजली दी जाती है। यह सही है कि एग्रीकल्चर सैक्टर में जितनी सस्ती बिजली हमारे राजस्थान में दी जाती है, कोई दूसरा प्रदेश नहीं देता। पर इसमें कोई हानि नहीं है। (व्यवधान) एग्रीकल्चर सैक्टर का जितना आउट पुट है उसका हिसाब अगर आप लगायेंगे तो जितनी सब्सिडी एग्रीकल्चर सैक्टर को दी जाती है वह 6 पर्सेण्ट से भी कम है। मैं तो कहता हूं कि इण्डस्ट्री के अन्दर भी आपको जितनी सब्सिडी मिलती है वह हर वक्त ज्यादा होती है।

अब मैं आता हूं, जनरेशन आपने अगर बढ़ा दिया तो दूसरी सब समस्याएं हल हो सकती हैं। जनरेशन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए मैंने पहले भी 2-3 सुझाव दिये थे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : जनरेशन बढाने के लिए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जनरेशन बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी से भी मैं निवेदन करूंगा कि उनके बहुत अच्छे सम्पर्क हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, जो कांग्रेस के हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि तीन तरीके का जनरेशन होता है। एक तो होता हैं हाईडल, एक एटामिक और एक थर्मल हाईडल की जो कैपेसिटी है वह अगर आप पूरे देश की देख लें तो कैपेसिटी 85,000 मेगावाट है वह बिलकुल अनटेप कैपेसिटी है। अगर उस पर विचार किया

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

जाता है तो सस्ती बिजली उत्पादित हो सकती है। पर हमने कभी विचार नहीं किया। कांग्रेस का इतने सालों तक सेण्टर में राज रहा, कभी इसने विचार नहीं किया कि हाईडल की कैपेसिटी बढ़ायी जाय।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एटामिक की जो बात रखी है। क्योंकि जितने भी लिग्नाइट बेस्ड, थर्मल पावर स्टेशन लगाये हैं यह आब्सोलिट होने लग गये हैं, यह आब्लोलिट हो जायेंगे 5-10 साल के अन्दर, आप विचार करें लिग्नाइट के आधार पर ईस्ट जर्मनी के अन्दर, पोलैण्ड के अन्दर जितने भी थर्मल पावर स्टेशन लगे थे वह अब उन्होंने छोड़ दिये हैं, बंद कर दिये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिनलैण्ड और पोलैण्ड के क्या हाल हैं?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसलिए आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि लिग्नाइट के आधार पर जितने भी आप लगाना चाह रहे हैं, बरसिंहसर में और कपूरड़ी में इसके लिए आप बहुत स्लो चल रहे हैं (व्यवधान) वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, तारीफ कर रहा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिराजें (व्यवधान) जुबेर खान जी। रमाकांत जी। (व्यवधान) आपका भी आयेगा। इस सैशन में बोलने का काम नहीं पड़ा उन सबको बुला रहा हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सामने बहुत ही लिमिटेड, स्पेसिफिक और पर्टीनेंट प्रश्न है कि आया बिजली बोर्ड को 2500 करोड़ रुपये के ऋण लेने की स्वीकृति दी जाय या नहीं दी जाय। बिजली की तो बहुत भारी अव्यवस्था है जिसके बारे में एक दिन अलग से तय हो जायेगा। परन्तु इस प्रश्न पर मेरा निवेदन यह है कि हमारे सामने बजट आता है। सरकार का, हम हर बार पूछते हैं कि उस मद के अन्दर किन-किन बातों पर खर्च किया जायेगा, एक-एक पैसे के बारे में विधान सभा के सामने बात आती है। पच्चीस सौ करोड़ रुपये का यह ऋण लेना चाहते हैं और हमारे सामने न तो कोई डिटेल्ड एस्टीमेट है और न हमारे सामने ऐसा कोई इकजाई एस्टीमेट है कि किस काम के लिए पच्चीस सौ करोड़ रुपये लेना चाहते हैं। आर. एफ. सी. से आप लोन लेना चाहते हैं तो एक-एक मद के बारे पूछते हैं, आई. डी. बी. आई से लेना चाहें, किसी बैंक से लेना चाहें, हम अपने घर के अन्दर हमारा बच्चा मांगता है कि 15 रुपये हमें दीजिये तो पूछते हैं कि किस काम में खर्च करोगे पन्द्रह रुपये। और यहां 2500 करोड़ रुपये की अनुमति दे दी जाये बिना एस्टीमेट्स के, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। प्रश्न यह है कि 2500 करोड़ रुपये की अनुमति देने के बाद में इनको लोन तभी मिलेगा। जबकि सरकार गारण्टी देगी। तो सरकार इसके अन्दर कमिटेड हो जायेगी 2500 करोड़ के सिलसिले में और 2500 करोड़ रुपये जब साफ हो जायेंगे उस समय बिजली बोर्ड की व्यवस्था फिर वैसी की वैसी रहेगी तो हमें इस बात का बहुत अफसोस रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रमाकान्त शर्मा)

कि 2500 करोड़ रुपये के जब यह डिटेल्ड एस्टीमेट्स बनायें तो कम से कम तीन चार बातें उसमें जरूर बतायें। जगह-जगह ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। जब किसी को कनेक्शन नहीं देना होता है तो कह देते हैं कि यह ओवरलोडेड हो गया। लोगों की मोटरें जलती हैं तो उस समय कहते हैं कि चूंकि ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है इसलिए वोल्टेज कम हो गया है और मोटर जल गयी। यह जितने भी सारे के सारे ट्रांसफार्मर्स हैं जो ओवरलोडेड हैं, क्या 2500 करोड़ लेकर उनको बदल देंगे और किसानों के लिए समस्या नहीं आयेगी और यह नहीं कहा जायेगा कि यह ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है ? एक यह चीज है।

दूसरी बात, किन्हीं विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर तो सारे के सारे गांवों में सौ प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है और कितने ही विधान सभा क्षेत्र या पंचायत समिति क्षेत्र या तहसील क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां 40 प्रतिशत भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इतनी बड़ी जो क्षेत्रीय असमानता सारे के सारे राजस्थान के अन्दर बनी हुई है, क्या यह 2500 करोड़ लेकर उस असमानता को दूर कर देंगे ? यह भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जगह-जगह जी.एस.एस. की आवश्यकता है क्योंकि जी.एस.एस. नहीं बनते हैं बल्कि कुछ जी. एस. एस. तो 6-6 और 7-7 साल से स्वीकृत कर रखे हैं, बनाने का नाम नहीं लेते उस जगह पर और जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं कि वोल्टेज नहीं आ रहा है और बिजली दे भी देते हैं चार घंटे, तीन घंटे के लिए तो किसान अपनी मोटर चला नहीं सकता है क्योंकि वहां जी.एस.एस. बने नहीं हैं। जी. एस. एस. नहीं बनते हैं तो बराबर वोल्टेज रेगूलेशन नहीं होता है। तो क्या 25 सौ करोड़ रुपये के अन्दर जितने जी एस. एस. की आवश्यकता है उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे ? जब तक इन सारे के सारे अहम् प्रश्नों पर हमारे सामने डिटेल्ड एस्टीमेट्स नहीं आ जायें तब तक, इस प्रकार की ब्लेंक्ट चैक देकर 2500 करोड़ का दुरूपयोग नहीं हो जाये, मैं समझता हूं कि नहीं देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

बहुत ही स्पेसिफिक बात थोड़े में फरमायें तो ठीक रहेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को मौका देना चाहता हूं। स्पेसिफिक या पाइन्टेड बात कहें तो ठीक है।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मैं दो मिनट में कहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में ऐसी बात लाना चाहता हूं जो अभी तक किसी ने भी नहीं कही, जो कि सारे राजस्थान के किसान और दूसरे लोग भी चुन-चुनकर आये हैं। मैं आपको नयी बात बताना चाहता हूं कि मेरे इलाके में पिछले दो महीने में 15 दिन तक रात और दिन बिजली नहीं रही। यह माननीय मंत्री जी डिपार्टमेंट से पूछें, खुद जानकारी लें कि वास्तव में ऐसा हुआ है क्या ? वहां 15 दिनों तक न खेतों में, न कल-कारखानों में

(श्री राधेश्याम)

बिजली नहीं मिली। यह मेरे गंगानगर विधान सभा क्षेत्र की बता रहा हूं। आप पूरी जानकारी करें उसके बाद यहां आकर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे बतायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने मुख्य मंत्री जी को हराया था।

श्री राधेश्याम : इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज माननीय मंत्रीजी ने जितने खुले दिल से इस बिजली की चर्चा के ऊपर अपने विचार रखे हैं, यह बहुत सराहनीय है। आपने कहा है कि बिजली न उधर का विषय है और न इधर का, बल्कि यह सारे राजस्थान की जनता का है। मेरा दिल और हमारे सब साथियों का दिल इस बात से बहुत खुश हुआ है लेकिन इसके साथ ही साथ आज आप जो 2500 करोड़ लेना चाहते हैं, उससे पहले पूरी चर्चा हो जाय। यह नहीं हो कि थोड़ी देर के बाद आप कह दो हां और ना और चलो चलें घर। आपकी बात का सार तभी है, अगर आप वास्तव में पीड़ा रखते हैं और आपके दिल में किसानों के लिए और सब लोगों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए दर्द है तो आप उस प्रस्ताव को, क्योंकि आपके पास बहुमत है आप पास तो जब चाहें करा सकते हैं, लेकिन चर्चा के माध्यम से पास करेंगे तो आपकी छवि सुधरेगी और लोग आपके नाम को याद रखेंगे।

– इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रुपाराम जी।

एक माननीय सदस्य : कविता कह दो।

श्री रुपाराम (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कविता की बात आयी तो इसके ऊपर बोलने से पहले हाथों-हाथ कविता ही बता दूं इस बिजली के ऊपर। अभी आधा घंटे पहले ही नागौर जिले के किसान आये हैं। 10 खम्भों के बिजली के तार चोर कर ले गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया जायल में। तो मैंने कहा कि तरसते थे पहले बिजली को, अब तो तार भी चोरी हो गये। पहले बिजली के लिए तरसते थे और अब तो तार भी चोरी होने लगे। अब बिजली का तो सवाल ही नहीं है। अब तो तारों के लिए जनता रोने लगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस के समय बिजली ज्यादा थी और आज कम है या उनके समय बिजली कम थी और आज ज्यादा है। मेरा बिजली पर इतना ही कहना है कि माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सहृदय से और शालीनता से यह कहा है कि इस पर चर्चा की जाये और हमारे सुझाव यह देखेंगे या उनके ऊपर गौर करेंगे। तो मैं तो खुले-खुले तीन चार सुझाव ही बता देता हूं।

शहरों में, मेरे हिसाब से जयपुर में भी एक लाख मर्करी बल्ब जलते हैं। 10 हजार कुए चलाये जा सकते हैं इससे। रात को देखने की जरुरत नहीं है फिर भी जबरदस्ती लाइटें की जाती हैं। इससे आंखें भी कमजोर होने लगती हैं। दूसरी व्यवस्था जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वह यह है कि बिजली

(श्री रूपाराम)

के कुछ अधिकारी किसानों की समस्या को सुधारने के बजाय उसमें समस्या ही पैदा करना चाहते हैं। उनका पता लगाया जाना चाहिये। हमारे यहां मकराना में ट्रांसफार्मर नहीं जलते हैं तो जानकर जलाते हैं बिजली के कर्मचारी। एक ट्रांसफार्मर जलने के बाद जब दुबारा देते हैं तो 6 हजार रुपया लेते हैं 100 के.वी के और 33 के.वी का जलता है तो दुबारा देने के 4 हजार रुपया लेते हैं। अभी सतर्कता समिति की मीटिंग में मैंने नागौर एस.ई. साहब से कहा कि जब आपने 24 घंटे बिजली देने को कहा उसके उपरान्त 6 हजार रुपया रिश्वत लेते हैं तो 8 घंटे के बाद तो आपको 2 हजार ही पड़ते हैं। हिसाब में तो सही रहो। तो कलक्टर साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि सच बोलना भी कोई पाप है क्या? एक तो पैसा लेते हैं और ऊपर से सच नहीं बोलते हो। तो मैंने तो सिर्फ रेट ही कम करने के लिए कहा है। हिसाब लगा लो 24 घंटे के 6 हजार होते हैं तो 8 घंटे के दो हजार होंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैंने कम कर दिये। यह सच बता रहा हूं। यह तो किसानों के हृदय की पीड़ा जानने वाला ही जानता है। मैंने अभी थोड़े ही दिनों से किसान का धंधा छोड़ा है बाकी मैंने खेती की है कई सालों तक। 10-15 साल हो गए, सच बात है। अब व्यापार करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी किसानों की समस्या को लेकर कुचामन, जो मेरे मकराना क्षेत्र में पड़ता है, में धरना दिया। दो दिन मैं भूख हड़ताल पर रहा, तीन हजार किसान रहे। अमरा रामजी धोद वाले, चेनारामजी–हम तीन विधायक थे। 4 दिन तक धरना दिया और दो दिन तक मैं भूख हड़ताल पर रहा। एस. ई. साहब आये, कलक्टर साहब आये। मैंने कहा कि जो इनके जे. ई.एन. हैं, जो राजनीति में काफी प्रभाव रखते हैं, जान-बूझकर किसानों को इतना परेशान करते हैं कि जिसकी हद नहीं। ट्रांसफार्मर जान-बूझकर जलाते हैं। माननीय विधायक महोदय, श्री रमाकान्त जी ने कहा कि ओवरलोड और अण्डरलोड होने का बहाना बनाते हैं। कलक्टर साहब आये, एस.ई. साहब आये और उन्होंने कहा कि मैं दोनों को हटा दूंगा। लिखित में हमने किसानों के बयान दिए, एफेडेविट लिखे। जांच के आदेश कर दिये एस.डी.ओ. परबतसर को। यह 26 दिसम्बर, 1994 को धरना दिया, आज तक दोनों में से किसी की बदली नहीं हुई। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, उलटे कुचामन से हटाकर मेरे सीने पर लगा दिया मकराना में और प्रमोशन कर दिया जे.ईएन. से ए ईएन. बना दिया। यह उनके काम करने का तरीका बता रहा हूं। यह माननीय मंत्री जी से व्यवस्था के लिए बता रहा हूं। मैं यह कतई नहीं कहना चाहता, किसी मंत्री महोदय का या किसी माननीय सदस्य का दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं तो व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। यह मैं नहीं कहता कि कांग्रेस के समय में बिजली अच्छी आती थी और अब नहीं आ रही है। यह तो व्यवस्था सुधारने की बात है। यह मैंने पहले भी कहा था कि व्यवस्था सुधर जाये तो 40 प्रतिशत बिजली और पानी दोनों की समस्या हल हो जाये।

(178)

(श्री रूपाराम)

(व्यवधान) किसान जब अधिकारियों से मिलने जाता है तो अधिकारी उनसे अंग्रेजों जैसे। सौतेला व्यवहार करते हैं और वह भी निकृष्ट अंग्रेज कोई अधिकारी होगा वैसा व्यवहार करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले परबतसर गये तो किसानों पर उन्होंने मुकदमे बनाये कि हमारी फाइलें जला दीं हमारे आफिस जला दिये। तो मैंने कहा कि जलाने का काम किसान का कतई नहीं है। जलाने का काम तो उन लोगों का है। किसान तो हरित क्रांति लाने वाला है। किसान तो हरियाली पैदा करने वाला है। जलाने का काम उनका है जो हमारी बिजली की मोटरें जलाते हैं, ट्रांसफार्मर्स जलाते हैं और यह सब जलने के बाद हमारी फसलें जलती हैं. इसके बाद हमारे दिल जलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जलाने का काम विद्युत विभाग का है। इसको विद्युत विभाग नहीं द्युत विभाग कह सकते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो व्यवस्था सुधरने का मैं मानता हूं कि कोई अन्दाज ही नहीं है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने विद्युत मंत्री जी ने 2500 करोड़ रुपये का ऋण बिजली बोर्ड के लिए लेने का प्रस्ताव रखा है। निश्चित रूप से आज जो बोर्ड की हालत है और जिसके रहते हुए राजस्थान के किसानों को जो दुःख भोगना पड़ रहा है, आज हमारे बिजली मंत्री जी कह रहे हैं कि उद्योग और कृषि के ऊपर विद्युत कटौती समाप्त कर दी गयी है लेकिन राजस्थान के किसान के ऊपर आज भी 66 प्रतिशत कटौती लागू है। हमारी सरकार ने बड़ी मेहरबानी की थी कि 70 प्रतिशत उद्योगों पर कटौती लागू की है। इस राजस्थान का किसान जो 4 करोड़ से ज्यादा संख्या में है, वह इस सरकार और राजस्थान बिजली बोर्ड के लिए ईमानदार नहीं, बोर्ड उसको चोर समझता है और राजस्थान के जितने भी उद्योगपति हैं उनको ईमानदार समझता है। जब 70 प्रतिशत कटौती लगाने के बाद भी राजस्थान के तमाम उद्योगों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई रहेगी और 8 घंटे की बुआई करने के बाद जब किसान की फसल पकने लगेगी वह चार घंटे के आदेश होंगे और वह चार घंटे भी मिले या न मिलें इस बात की जिम्मेदारी न बोर्ड की है और न सरकार की है। आज भी 66 प्रतिशत कटौती है। मैं समझता हूं कि बिजली की कमी है तो 66 प्रतिशत कटौती अगर राजस्थान के किसानों पर लागू है तो राजस्थान के उद्योगों पर भी बराबर लागू रहनी चाहिए। अगर राजस्थान के किसी भी गांव में बिजली की कटौती है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी वह कटौती लागू रहनी चाहिए क्योंकि जयपुर में रहने वाला और राजस्थान के कौने जैसलमेर में रहने वाला व्यक्ति राजस्थान का ही नागरिक है। आज अगर हम देखें, जो जहां हम बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि राजस्थान के ग्रामों में निवास करने वाले 77 प्रतिशत लोग हैं लेकिन जो हमारे पास बिजली है उसमें से मात्र 25 और 30 प्रतिशत बिजली किसान

(श्री अमराराम)

के लिए उपयोग में ली जाती है। आज जहां संख्या के हिसाब से 77 प्रतिशत बिजली किसान के लिए उपयोग में ली जाय, हमारी सरकार जो प्रस्ताव बिजली बोर्ड के लिए दे रही है, जो गरीब को गणेश मान रही है, गरीब की बात को छोड़ दीजिए, गरीब वह है जो एक लाख रुपये बिजली बोर्ड को देगा। बिजली वह ले सकता है। जो कभी प्रायेरिटी से बिजली देते थे वह भी आज सरकार ने बन्द कर दिया। इस साल किसी को कनेक्शन नहीं मिलेगा। किसी हरिजन, गरीब की बात छोड़ दीजिए जिसने एक साल के पैसे जमा करा रखे हैं लाइन खड़ी करने के लिए बिजली बोर्ड के किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं केवल एक उत्तर मिलता है कि न तार है, न इंसूलेटर है। 50 हजार रुपये जमा कर लिए। बोर्ड के चक्कर लगाइये। एक ही उत्तर मिलेगा, बाजार से खरीद लीजिये, बाजार में मिलता है। अगर बिजली बोर्ड के अलावा दूसरी दुकान होती तो निश्चित रूप से राजस्थान का एक भी किसान राजस्थान के बिजली बोर्ड के पास आवेदन करने के लिए नहीं जाता। आज 12 साल से पैंडिंग में है। हमारे मुख्य मंत्रीजी न्यौता दे रहे हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं, कभी देश में, कभी विदेश में, आइये हमारे राजस्थान में। निश्चित रूप से उद्योग लगने चाहिए लेकिन घर के पूत कुंआरे डोले और परायों के फेरे करने की बात करते हैं। बोर्ड में अगर कोई घाटा हुआ है तो मैं इस बात से सहमत हूं कि राजस्थान की पिछली सरकारों को बिजली बोर्ड को जो अनुदान देना चाहिए था वह नहीं दिया, इसके साथ-साथ जो कार्य, बोर्ड के कर्मचारी कर सकते थे जो ट्रेन्ड हैं, आज राजस्थान में लाखों की संख्या में ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं जिनको रिपेयर करने के लिए बोर्ड के पास ट्रेन्ड कर्मचारी हैं लेकिन बोर्ड ने तमाम जितने भी ट्रांसफार्मर्स रिपेयर होते थे उनको ठेके पर देकर, केवल कमीशन के लिए बन्द कर दिया। बोर्ड में आज भी ट्रांसफार्मर्स को ठीक करने के लिए ट्रेन्ड एम्पलाइज है लेकिन एक भी ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं किया जाता। ट्रांसफार्मर्स के अलावा सामान बनाने की जितनी फैक्ट्रीज थीं, बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने कमीशन के खातिर उन तमाम पोल फैक्ट्रीज को नाकारा घोषित कर दिया, बंद कर दिया। ऐसा सामान खरीदा जाता है बोर्ड में....

श्री उपाध्यक्ष : वह आगे जब बोर्ड की चर्चा होगी तब ले लेंगे। आप तो कोई स्पेसिफिक बात कहे अभी।

श्री अमराराम : यही चर्चा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां 61 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली पैदा होती हैं वहां राजस्थान के बिजली बोर्ड में 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से बिजली पैदा होती है। आज जब 2500 करोड़ रुपये का लोन लेना चाहते हैं, उस लोन से ऐसी कम्पनियों से उत्पादन करवाना चाहते हैं जो इससे तीन गुणा और चार गुणा महंगा होगा। इसके लिए आप 2500 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत करवाना चाहते हैं? आप 61 पैसे प्रति यूनिट में बिजली पैदा करके राजस्थान के किसान और उद्योगपति को नहीं दे सकते? मैं समझता हूं गरीब को गणेश कहने वाली यह सरकार, आज से तीन गुणा महंगे में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से उत्पादन करवायेगी

(180)

(श्री अमराराम)

मैं समझता हूं, राजस्थान का एक भी किसान बिजली का एक यूनिट भी नहीं ले सकेगा। गरीब को गणेश कहने की बात....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो खुद गणेश बनना चाहते हैं।

श्री अमराराम : जिसको जीवनधारा के तहत पूरा अनुदान देकर कुआ खोदा गया, केवल उस गणेश की पूजा करना चाहते हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि यह जो 2500 करोड़ रुपये की अनुमति दी जाय वह इस शर्त के साथ दी जाय कि जो उत्पादन हमारे बोर्ड में आज हो रहा है, उसी आधार पर करते हैं तो निश्चित रूप से लोन लिया जाना चाहिये, इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जो खामियां बिजली बोर्ड की आज हैं, अगर बिजली बोर्ड का कर्मचारी सही बात कहता है, इंजीनियर अगर सही संघर्ष करता है कि हमारे जो पड़ौसी राज्य हैं उनके कर्मचारियों के बराबर हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए तो आज बिजली बोर्ड में उत्पादन की कमी है, बिजली बोर्ड के इंजीनियर्स को उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उतना ही संघर्ष करना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार उन पर रासुका लगाती है। छह साल के बाद आज भी उनमें से सैकड़ों इंजीनियर्स ऐसे बैठे हैं जिनको सस्पैण्ड कर रखा है, उनको बहाल नहीं करते। हिन्दुस्तान के पूरे कर्मचारी अगर समान वेतन लें, समान भत्ते लें, वोट आन अकाउण्ट के साथ महंगाई बढ़ने के कारण अभी अतिरिक्त पैसा लेना पड़ा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें, और भी कई माननीय सदस्य विचार रखेंगे।

श्री अमराराम : मैं ज्यादा समय न लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, यही कहना चाहता हूं कि यदि पैसा लेकर केवल अधिकारियों और बड़े-बड़े राजनेताओं की सुख-सुविधाओं के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इस बात के लिए लोन लेने की स्वीकृति बिजली बोर्ड को नहीं दी जानी चाहिये। मुझे आपसे यही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जी जैन, सहकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के 9वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

कार्यसलाहकार समिति का नवां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 9वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

प्रतिवेदन निम्न प्रकार हैं :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के कक्ष में दिनांक 30 मार्च, 1995 को मध्यान्ह पश्चात् 1.30 बजे हुई। समिति दिनांक 31 मार्च, 1995 से 11 अप्रेल, 1995 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 1995	—राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद ।
शनिवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1995)	—बैठक नहीं होगी ।
रविवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1995)	
सोमवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1995)	
मंगलवार, दिनांक 4 अप्रेल, 1995)	—राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर
बुधवार, दिनांक 5 अप्रेल, 1995)	
गुरुवार, दिनांक 6 अप्रेल, 1995)	—आय-व्ययक (बजट) 1995–96 पर सामान्य वाद-विवाद ।
शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रेल, 1995)	
शनिवार, दिनांक 8 अप्रेल, 1995)	—बैठक नहीं होगी ।
रविवार, दिनांक 9 अप्रेल, 1995)	
सोमवार, दिनांक 10 अप्रेल, 1995)	—आय-व्ययक (बजट) 1995–96 पर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर ।
मंगलवार, दिनांक 11 अप्रेल, 1995)	

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 9वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी । (व्यवधान)

आपका भी नाम है । जो यदा-कदा बोलते हैं, उनका तो नाम आने दो हरिसिंह जी ।

शासकीय संकल्प

राज्य विद्युत मण्डल को ऋण सीमा में अभिवृद्धि

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि बिजली की सप्लाई के बारे में किसानों

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

की हाय लग रही है और किसानों की इतनी त्राहिमाम्-त्राहिमाम् की स्थिति कभी भी नहीं हुई इससे पहले, जबकि फसल के समय ताकता रहा। उसने देखा, उसके कुए के बिजली के बोर्ड पर टंगस्टन का तार ऐसे जल रहा था इस राजस्थान सरकार का, बिजली विभाग का, जैसे बिजली का एक डूंड जलता है रात को। जो 250 वाट का बल्ब था उसमें इतना प्रकाश था कि एक हाथ दूसरे हाथ को देख नहीं सके। यह एक सफलता राजस्थान के बिजली विभाग की पावर के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए है। यह सरकार किसानों की हाय ले रही है। किसानों को बिजली नहीं दे। मिनिमम चार्जेज देना पड़ता है, चाहे पांच मिनट बिजली दे या नहीं दे, जो कि कई सौ रुपयों में होता है। घोषणा की गयी थी कि 6 घण्टे बिजली दी जायेगी। मैं माननीय विद्युत मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस समय सरसों की फसल में पानी देने का समय था उस समय माननीय मंत्री महोदय ने कितनी चौकस की, कितने जिलों में गये, कितने उपखण्ड पर गये, कितनी जांच की कि उनकी जो घोषणा थी कि छः और आठ घण्टे तक बिजली दी जायेगी उसके बजाय 60 मिनट भी बिजली दी गयी कि नहीं दी गयी। उस समय कोई भी स्थिति नहीं थी और अब माननीय मंत्री महोदय कहते हैं बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं आपकी आलोचना नहीं मानूंगा, आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, मैं बहुत अच्छे, सहृदय से लूंगा। इस समय से हमारे सुझावों को सहृदय से क्या आचार बनेगा ? क्या उपयोगिता रहेगी, क्या उपादेयता रहेगी ? सवाल है जिस समय किसान रो रहा था, किसान की हाय लग रही थी, किसान की आंखों से आंसू टपक रहे थे उस समय किसानों के आंसू को मिटाने के लिए क्या किया आपने ? पावर की उसका बैटर सप्लाई हो, इसके लिए क्या किया ?

आज बात आ रही है एटामिक पावर प्रोजेक्ट की, आज बात आ रही है थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, आज आ रही है कि हम डीजल के नये पांच संयंत्र लगा रहे हैं। आप कितने लगा रहे हैं और कब तक बिजली मिलेगी यह एक आकाशकीय सोच है, एक हाइपोथेटिकल है। आपकी परिकल्पना है जो कभी सरकार होगी। किसान को हर फसल पर बिजली चाहिये। नहीं चाहिये यह राजधानी की सोडियम लाइटें, ट्यूब लाइटों की जगमगाहट। हम चाहते हैं राजधानी में अंधेरा रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने राजधानी में इतनी सोडियम लाइटें जलायीं, इतनी ट्यूब लाइटें जलायीं और फिर क्या हुआ ? आतंककारी गतिविधियां बढ़ीं। क्या चौकसी रखी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। आप कोई स्पेसिफिक बात कहें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इस सरकार ने वनपोल स्कीम के अन्तर्गत जो पैसा जमा करवाया, उस पर कण्डक्टर नहीं मिला। किसान लोग बार-बार आते रहे कि हमको कण्डक्टर दिलवाइये, हमने वनपोल स्कीम में पैसा दिया है, हमने 9 हजार, 8 हजार

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

रुपये भरे हैं। हम यहां जयपुर भी आये, हमने किसानों के शिष्टमंडल को सब अधिकारियों से मिलवाया, माननीय मंत्री महोदय के पास में मैं खुद तीन बार गया लेकिन चीफ इंजीनियर साहब टेलीफोन कर रहे हैं, उसके बाद ए. ई. एन. को दो महीने बाद ट्रांसफार्मर मिला और फिर कहते हैं एल्यूमिनियम की कास्ट बढ़ गयी, कापर की कास्ट बढ़ गयी। कण्डक्टर मिलता नहीं है समय पर। आपने क्यों दिया और आपने उस तारीख से पैसे ले लिये। अब आप तार नहीं देते हैं। आपकी वन पोल स्कीम है, वह फैल हुई, जनता जल योजना है, वह फैल हुई। इसके अलावा ट्रांसफार्मर रिपेयर की यह पोजिशन थी कि 15 दिन से पहले कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं आया जबकि किसान जले हुए ट्रांसफार्मर को खुद के ट्रैक्टर पर लादकर ए. ई. एन. के हैडक्वार्टर पर लाता है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजें। पारीकजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : खुद के वाहन से ले जाता है उसके बाद भी कोई बैटरमेंट नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मसला है और सदन में बिजली के मामले पर चर्चा हो तो न तो यह कोई आलोचना की बात होगी और न किसी तरह की बुराई की बात होगी। विद्युत एक ऐसा मसला है जिससे इस राजस्थान के हर नागरिक का, जो इस क्षण पैदा हुआ उस तक का सीधा सम्बन्ध है। इसलिए बिजली पर जब भी चर्चा हो तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको आलोचना और प्रत्यालोचना न समझकर इसको सकारात्मक भाव से लिया जाना चाहिए और सकारात्मक भाव से लेने का जब संकल्प होगा तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीधे-सीधे कहना चाहूंगा कि सरकार की इच्छाशक्ति कम है कि बिजली के अभाव को दूर किया जाए। बिजली जैसे इस अहम् मसले पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार कभी बजट शिक्षा को समर्पित करती है और शिक्षा का रिजल्ट होता है जैसा आपके सामने है। कभी सरकार समर्पित करती है स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य का जो हाल है वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप इससे बड़ा बजट राजस्थान सरकार को और स्वास्थ्य के लिए दे दीजिये फिर भी एस. एम. एस. की जो स्थिति है वह न कल सुधरी थी और न वह आज सुधरने वाली है। मेरा आपसे स्पष्ट निवेदन है आपके माध्यम से कि इस सरकार की यदि इच्छाशक्ति होती तो यह बिजली के मामले में इतनी दृढ़ होनी चाहिये थी कि आज सारे बजट को भी यदि बिजली पर समर्पित करती तो मैं कहता हूं कि राजस्थान में जब तक बिजली की उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, आप लाख कोशिश कर लें, आप लाख आलोचना कर लें। आप लाख किसी पर दोषारोपण कर दो, कभी आप चेयरमैन पर दोषारोपण कर दो या मंत्रीजी की अकर्मण्यता बता दें, बिजली की कमी की जब तक आप पूर्ति नहीं करेंगे, बिजली का जैनरेशन जब तक आप नहीं करेंगे, बिजली की उत्पादकता जब तक आप नहीं बढ़ायेंगे तब तक इस सारे मसले का न हल कल था और न हल आज है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आप तो बात कर रहे हैं सिर्फ 2500 करोड़ रुपयों की, मैं तो यह कह रहा हूं कि यदि आप इस बिजली को पूरा बजट ही समर्पित कर दो तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, तो खुशहाली अपने आप बढ़ेगी, किसान की खुशहाली बढ़ेगी, इस देश का व्यापारी खुश होगा, इस देश का आम नागरिक खुश होगा और यदि बिजली की कमी होने की वजह से।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं सीधा-सीधा उसी पर आ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली की दो समस्याएं हैं। एक समस्या तो यह है कि बिजली का अभाव है और दूसरी समस्या जो है वह आपके अभाव से भी बड़ी समस्या है, वह है एडमिनिस्ट्रेटिव, मिस मैनेजमेंट की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस घड़े में आप कितना ही जल डाल दो जिसमें नीचे छेद हो, घड़ा पूरा भर नहीं सकता। उसमें पानी रूकेगा नहीं। वह की वह स्थिति आज विद्युत विभाग की हो रही है। जब इसमें लीकेज की यह स्थिति है तो बचेगा कहां से ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आये दिन ट्रांसफार्मर जलते हैं। आये दिन जब ट्रांसफार्मर जलते हैं, वह जैसे भी हों, जलते हों, जलाये जाते हों, आये दिन ट्रांसफार्मर जलते हैं। विभाग को इस बात की जानकारी है कि जब पानी का लेवल नीचे चला गया, जब अण्डर-ग्राउण्ड वाटर का लेवल नीचे चला गया तो काश्तकार मोटर की पावर बढ़ायेगा, यह निश्चित बात है। जिस किसान के खेत में कल साढ़े सात हार्सपावर की मोटर थी, जब पानी का लेवल नीचे चला गया तो यह 10 की लगायेगा, जिसके खेत में 10 की थी वह साढ़े 12 की लगायेगा, जिसके खेत में साढ़े बारह की थी और फिर भी पानी नहीं निकला तो वह 15 की लगायेगा, यह फिर भी बढ़ायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका ध्यान कम है इस मामले पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग इस बात को जानता है कि यह मोटर उसने ज्यादा पावर की लगा दी, बावजूद इसके वहां का डिपार्टमेंट उनके पावर को बढ़ाने की परमीशन नहीं देता है। इससे ट्रांसफार्मर ओवरलोड होते हैं, आये दिन जल जाते हैं तो मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बहुत हो गया, श्री परसराम मदेरणा। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : प्रतिपक्ष के नेता महोदय। सुनिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे कहने तो दो। न ऊपर का रखा और न नीचे का रखा, अधबीच में रख दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको मना नहीं करता हूं लेकिन समय कम है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ठीक है, आपने जितना समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पर मैं आपको बहुत से सकारात्मक सुझाव देना चाहता था लेकिन दुर्भाग्य है राजस्थान की सरकार का जो ऐसे सुझाव लेना ही नहीं चाहती।

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाएं। मदेरणाजी फरमा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं अच्छे सुझाव देने वाला था, पूरी तैयारी के साथ आया था लेकिन दुर्भाग्य है आप लोगों का कि आप सुझाव लेना ही नहीं चाहते।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानकर चलता हूं, जैसा आपने आब्जर्वेशन दिया आसन से, आपने आसन से अभी जो निर्देश दिया कि आर. एस ई. बी. की रिपोर्ट के ऊपर एक दिन इस सदन में चर्चा इसी सत्र में होगी। एक दिन क्या दो दिन की आवश्यकता पड़े तो दो दिन की कर लीजिये।

आज प्रश्न हमारे सामने एक लिमिटेड है और प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी लाये हैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 के सैक्शन 65 के सब–सैक्शन 3 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है।

The maximum amount which the Board may, at any time, have on loan under the sub–section 1 shall be 10 crores of rupees unless the State Government with the approval of State Legislative Assembly fixes a higher maximum amount.

मेरा पहला प्रश्न तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा कि आज आपको सत्ता में आये 5 साल हो गये, प्रेसीडेंट का बीच का समय छोड़ दीजिये, अब 4 दिसम्बर, 1993 को आप सत्ता में आये, पूरा का पूरा 5 साल का समय निकल गया है, इस सैक्शन 65 के अन्तर्गत मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस सदन में इस प्रकार का एक रिजोल्यूशन आप पहले लेकर आये थे, उस वक्त मैक्सिमम लिमिट 500 करोड़ की थी वह 1000 करोड़ रुपये की फिक्स करवायी फिर प्रेसीडेंट रुल में, शायद अक्टूबर में होगा 1000 करोड़ रुपये थी वह 1600 करोड़ रुपये की मैक्सिमम लिमिट फिक्स हुई, माननीय मंत्रीजी, मुझे आप यह बताइये कि 1600 करोड़ रुपये की जो मैक्सिमम लिमिट आपके पास में लोन लेने की है, इस लिमिट में अब तक कितनी बाकी है, कितना लोन आप ले सकते हैं ? 1600 करोड़ रुपये तक पहुंच गये हैं या उस लिमिट के अन्दर-अन्दर ही है, अभी तक आप ? प्रश्न संख्या एक।

प्रश्न संख्या दो, आर. एस. ई. बी. के ऊपर जो टोटल लोन है, जो मार्केट से लोन लिया हुआ है, आर. एस. ई. बी. पर लोन केवल मार्केट का नहीं है, आर. एस. ई. बी. के ऊपर आपके प्लान में लोन अलग है वह इस मैक्सिमम लिमिट में नहीं है। राज्य सरकार का कितना लोन आर. एस. ई. बी. पर है ?

श्री उपाध्यक्ष : और मैं समझता हूं कि लास्ट ।

श्री परसराम मदेरणा : लास्ट बट वन ।

प्रश्न संख्या तीन, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से जो आप लोन ले रहे हैं वह इस लिमिट में इन्क्लूजिव नहीं है, क्या मंत्रीजी, आप बताने का कष्ट करेंगे कि सेण्ट्रल पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से अब तक आपने कितना लोन लिया है ?

प्रश्न संख्या चार, जब आप सत्ता में आये तो इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 2600–2700 मेगावाट थी, पिछले 5 साल में आपने कितने मेगावाट पावर का जनरेशन किया है ? बहुत बातें यहां कही गयीं कि सेण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी से हम परचेज कर रहे हैं, सेण्ट्रल प्रोजेक्ट से परचेज कर रहे हैं, वह नहीं लगा रहे हैं, वहां पर उद्घाटन करवा रहे हैं प्रधान मंत्रीजी से । मुझे यह बात बताइये आप कि जनरेशन के ऊपर आपने पिछले 5 साल में कितना खर्चा किया है और यह मैक्सिमम लिमिट जो फिक्स करवा रहे हैं, यह लोन आप किस परपज के लिए ले रहे हैं ? आप जनरेशन परपज के लिए ले रहे हैं या मेंटीनेंस आफ डिस्ट्रिब्यूशन के लिए ले रहे हैं ? और मेंटीनेंस आफ डिस्ट्रिब्यूशन के अन्दर भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिये । राज्याध्यक्ष कमेटी की यह सिफारिश रही है कि जनरेशन एण्ड मेंटीनेंस आफ डिस्ट्रिब्यूशन के अन्दर थम्ब रुल एप्लाई होना चाहिये, 50–50 इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिये । क्या आप वह रेश्यो मेंटन कर रहे हैं ? मेरा लास्ट क्वेश्चन यह है कि (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संकल्प का माननीय मंत्रीजी जबाब दें और इसके पास होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस तरह से समय बढ़ाकर क्या चाहते हैं इस प्रकार से ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका समय बढ़ाया गया है ।

श्री विष्णु मोदी : आप समय किसलिए बढ़ाना चाहते हैं ? कल फिर है, कल हो जायेगा । सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है ? इसमें इतनी जल्दीबाजी किसलिए है कि 5 बजे बाद समय बढ़ाने की जरूरत है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप फरमायें ।

श्री विष्णु मोदी : आप इसको । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय का वक्तव्य अधूरा रह जाता ।

श्री उपाध्यक्ष : समय मंत्रीजी के जवाब तक बढ़ाया जाता है ।

शासकीय संकल्प

राज्य विद्युत मण्डल को ऋण सीमा में अभिवृद्धि

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्रीजी, आपने इस विधान सभा के सदस्यों से सुझाव मांगे हैं और मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी चतुराई से पेज 7 पर एक समुचित उपभोक्ता नीति के लिए अपने सुझाव देने और सरकार का मार्गदर्शन करने की बात कही है । आपका मार्गदर्शन करने के पूर्व मैं आपसे गाइड लाइन चाहता हूं कि सरकार का सोच क्या है । इण्डिस्ट्रियल उपभोक्ता और काश्तकार जो उपभोक्ता है, उनके बीच में हाइली डिस्क्रिमिनेटरी पालिसी जो आर. एस. ई. बी. और राज्य सरकार की है, क्या इस डिस्क्रिमिनेटरी पालिसी को आप काश्तकारों के हक में बदलना चाहते हैं या नहीं । जब तक आप उपभोक्ता के सम्बन्ध में प्रिंसिपली इस नीति को नहीं अपनाते हैं तो हम कोई सुझाव देने की स्थिति में नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं । 8 घण्टे बिजली की आप हमेशा बात कहते रहे, घोषणाएं करते रहे, फिर 6 घण्टे पर आ गये । 4 घण्टे तो बिजली जहां आपके एग्रीकल्चरल कनेक्शंस कम है वहां मिल गयी होगी गांव में । बिजली 2 घण्टे और ढाई घण्टे मिली है । क्या प्रभारी मंत्रीजी यह जानते हैं, काश्तकारों को इस तरह से बिजली उसकी कीमत पर, उसकी आमदनी की कीमत पर जो आपकी उपभोक्ता नीति है, आपकी इस डिस्क्रिमिनेटरी नीति के तहत दो घण्टे-ढाई घण्टे मिली है ? जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी कोई माननीय सदस्य कह रहे थे, किसी भी विकास के लिए पहली जो शर्त है चाहे आप उद्योग ले लीजिये, चाहे पेयजल की सुविधा को ले लीजिये, चाहे चिकित्सा सुविधा और सेवा की बात ले लीजिये बिजली इट सैल्फ इज ए बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आज की इकानामी के विकास के लिए । बिजली के मामले में काश्तकार की फसल जलती रहे, ढाई-ढाई घण्टे उसको बिजली मिले और उसके बाद में फ्लेट रेट से आप 8 घण्टे की बिजली केलकुलेट करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह काश्तकार के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं । और इस अन्याय को काश्तकार लम्बे अरसे तक सहन नहीं करेगा और वह दिन भी दूर नहीं है, अगर आर. एस. ई. बी. की और सरकार की इस तरह की काश्तकारों को बिजली देने की नीति रही और बिजली में कटौती केवल एग्रीकल्चरल सैक्टर में होती रही, काश्तकार ने अनाज उत्पादन बन्द कर दिया तो कल टेंडवे बन जाओगे सूख करके । यहां पर बैठे हुए हो सब चमाचम ग्लेमर दिख रही है, अभी यह भामड़ाजी, ग्लेमर नहीं रहने वाली है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(17.00)

किसान उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की क्या नीति है, इस सम्बन्ध में आपका

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रिंसिपल स्टेण्ड क्या है ? जब आप एकदम स्टीप जम्प कर रहे हो 1600 करोड़ रुपये से 2500 करोड़ रुपये का, यह 900 करोड़ रुपये आप किस मद पर खर्च करना चाहते हैं और उसमें किसानों को कनेक्शन देने में, उन्हें बिजली सप्लाई करने में, उनके डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेन्थन करने के अन्दर आप कितना अमाउण्ट खर्च करना चाहते हैं ? अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं तो आपके रिप्लाई के बाद में हमें सोचना पड़ेगा कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमारा क्या स्टेप हो ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट में समाप्त कर दूंगा मैं। एक मिनट

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बुरड़क साहब, बोलिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये, माननीय मंत्रीजी। बुरड़क साहब एक मिनट में बोल रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता तो इस बात को समझ गये हैं कि 2500 करोड़ रुपये का ऋण नहीं ले रहे हैं, यह ऋण सीमा है, क्रेडिट लिमिट है जो मांगी जा रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय मंत्रीजी, मैं एक मिनट लेना चाहता हूं। आसन ने अनुमति दी है। मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, ये एक मिनट में ही अपनी बात कह रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में 2–4 बातें कहना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव तो यह था कि बिजली बोर्ड में वितरण और उत्पादन को आप अलग-अलग करके दो बोर्ड नहीं बनायेंगे तब तक इस बोर्ड की हालत नहीं सुधर सकती चाहे आप किसी को चेयरमैन बना दो और किसी को और बना दो। दूसरा, सुझाव यह था कि स्कीम बनाते समय, जो अलग-अलग पंचायत समितियों की स्कीमें बनायीं, उसके बाद में जो राजस्व ग्राम घोषित हो गये, उसके बारे में आपकी कोई नीति नहीं है। वहां उन गांवों को बिजली नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है कि तहसीलदार का यह प्रमाण पत्र नहीं होता कि यह अमुक गांव में सम्मिलित हैं। वह प्रमाण पत्र देता है कि गांव राजस्व गांव था, वह अलग हो गया। वह आपकी स्कीम में नहीं है। अगर वह गांव अलग नहीं होता तो उसको बिजली मिल जाती। इस बारे में पिछले सदन में आपने कहा था कि इसमें हम नीतिगत निर्माण लेंगे और सारे गांवों को बिजली देंगे। तीसरा, आपने फ्लेट रेट 8 घण्टे की है जबकि इस साल आपने बिजली दो घण्टे ही सप्लाई नहीं की तो उस बारे में आप उनकी रेट रिवाइज करेंगे, पैसा कम करेंगे या ज्यादा ले लिया उसको वापस

(श्री हरजीराम बुरड़क)

करेंगे ? चौथा, मेरा सुझाव यह था कि अप्रेल, 1994 में आपने सर्क्यूलर जारी किया था कि 10 एच. पी. से ज्यादा जिनके कनेक्शन लगेंगे, उनको हर खम्भे के 7,000 रुपये देने पड़ेंगे और 10 एच. पी. से कम होंगे उनको सब्सिडी दी जायेगी। उस आदेश को आपने वापस रिवाइज कर दिया लेकिन उस पीरियड में जिन लोगों से आपने पैसे ले लिये, क्या आप उनको रिफण्ड करेंगे या उनके डिमाण्ड नोटिस को रिवाइज करेंगे ? पांचवां, बिना ट्रांसफार्मर लगाये ग्राम विद्युतीकृत करने की आपने प्रवृत्ति चला रखी है, इसको आप बन्द करें। अन्त में मेरा सुझाव यह था कि बिजली की कमी के कारण जो उद्योगपति जनरेटर लगाये उनको आप बराबर सब्सिडी दे रहे हैं, कई वर्षों से दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं मगर काश्तकार बिजली की कमी के कारण जनरेटर लगाये तो उनको आप सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं ? क्या आप उनको देने पर विचार करेंगे ? इस बारे में भी आप उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो विरोधी दल के माननीय नेता ने स्पष्ट कर दी कि यह ऋण नहीं है, यह ऋण सीमा है कि यहां तक लिया जा सके। इसलिए कह रहे थे कि यह ऋण किसलिए लिया जा रहा है और यह बताया जाय कि कितना है, कितना नहीं है वह बात अलग है। यह बजट तो बोर्ड में होता है। समय-समय पर यह ऋण सीमा, एम. सी. एल. बढ़ती रहती है। अभी 1993 में 1000 करोड़ रुपये से 1600 करोड़ रुपये पार्लियामेंट से सैंक्शन हुई थी। इसके पहले 1990 में प्रेसीडेंट रूल में 1600 करोड़ रुपये की तय हुई थी। माननीय मदेरणा साहब ने यह पूछा कि अभी तक जो ऋण है वह इस ऋण सीमा के अन्तर्गत है ? उसमें 5 करोड़ रुपये अभी कम है। तो वह सीमा में ही है, सीमा से बाहर नहीं निकले हैं हम। (व्यवधान) हां, कम है। 5.88 करोड़ रुपये अभी ऋण सीमा में शेष हैं।

श्री विष्णु मोदी : सीमा बढ़ायेंगे तो ऋण नहीं लेंगे फिर ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह तो अभी सीमा बढ़ी है। ऋण लेंगे उसके लिए अलग से बोर्ड का रिजोल्यूशन होता है, उस समय उनका बजट डिस्कस होता है कि किस-किस काम पर कितना-कितना खर्चा किया जाय। बोर्ड में डिस्कस होने के बाद में फिर यहां आयेगा। इसलिए बिना आपकी अनुमति के कुछ नहीं होगा। अभी क्योंकि डिस्कसन में रखा गया है और माननीय मदेरणा साहब ने कुछ पाइंटेड प्रश्न ही पूछे हैं, मैं सूक्ष्म में ही जवाब दूंगा डिटल में उस दिन बता दूंगा।

अभी एक बात बतायी गयी कि बिजली की कमी है। यह बात सच है। आपकी यह पीड़ा सचमुच सही पीड़ा है कि इस बार बिजली की कमी रही है। किसानों को भी बिजली कम मिली है, उद्योगों को भी बिजली कम मिली है। यह कम बिजली मिलने का कारण क्या रहा है, यह भी मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं और

(190)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

अपनी मजबूरियां बता रहा हूं (व्यवधान) देखिये, मैंने कहा कि इसको इस रूप में लिया नहीं जाय कि आलोचना लगे। यह जो बैकलॉग है बिजली जनरेशन हमने नहीं किया, इसके लिए आप भी कोई कम दोषी नहीं हैं इसलिए इसको इस रूप में नहीं लिया जाय। मैं आज आपकी आलोचना करूं कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, इसके लिए तो यह है कि जनरेशन कम हुआ है, मांग ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। 250 मेगावाट प्रतिवर्ष की मांग बढ़ती है, उसके कारण बिजली की कमी आती है और इस वर्ष की तो विशेष परिस्थिति हुई है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बिजली की जो इतनी कमी आयी, वह क्यों आयी। आर. ए. पी पी. की दो यूनिट से हमें 300 मेगावाट बिजली मिलती थी। तो एक यूनिट 28-9-93 से बन्द है और दूसरी 1-8-94 से बन्द है और इनके निकट भविष्य में चालू होने की कोई आशा नहीं है। दूसरा, एन. ए. पी. पी. की पहली यूनिट, जहां से हमें 235 मेगावाट बिजली मिलती थी, 9-2-93 से....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक बात बताइये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुझे एक बार बोल लेने दें धारीवाल जी, पीछे बता देना + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : धारीवालजी बिराजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अपन तो आपस में ही बात कर लेंगे फिर पीछे (व्यवधान) आप सुन तो लो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सुन तो लो, आप बिराजिये तो सही। बाद में बोल लेना, बीच में क्या बोल रहे हो। बाद में क्वेश्चन कर लेना।

श्री उपाध्यक्ष : धारीवालजी बिराजिये। (व्यवधान)

श्री भीमसिंह भाटी : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर।

एक माननीय सदस्य : + + + संसदीय शब्द है क्या ?

श्री भीमसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या + + + संसदीय शब्द है ? माननीय मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि + + + सुन तो लीजिये। + + + क्या संसदीय शब्द है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मित्रता की बात है। आप फरमाइये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आर. ए. पी. पी. की दोनों यूनिट, जिनसे हमें 300 मेगावाट बिजली मिलती थी, वे बन्द हो

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

गयीं और निकट भविष्य में इनके चालू होने की कोई आशा नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजस्थान सरकार ने भी कोई प्रयास किया था क्या भारत सरकार के पास ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : राजस्थान सरकार ने इनको चालू करने के लिए भी प्रयास किया है और आगे दो यूनिट लगाने के लिए भी प्रयास कर रही है। यह लिखा है उनको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां तो क्या हुआ इन दोनों यूनिट का ? इन दोनों यूनिट के लिए भारत सरकार का जवाब क्या है ? मुख्य मंत्रीजी बार-बार इस बात को....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : भारत सरकार का जवाब कुछ नहीं आया अभी, दो यूनिट और चालू की जायं, उतनी बात हुई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार से तो यह बात हुई है कि दोनों ही यूनिट आब्सोलिट हो गयी हैं इसलिए इनको बन्द करेंगे। क्या बात कर रहे हो आप। नयी की बात छोड़िये, भारत सरकार ने यह कहा है कि हम इनको रिपेयर करेंगे, या रिपेयरेबल है ? यह नहीं है। दो नयी वाली बात है। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उसके लिए भारत सरकार को लिखा है। एन.ए.पी.पी. की पहली यूनिट 9 फरवरी, 1993 को बन्द हुई जो फरवरी, 1995 तक बन्द रही और 6 दिन चलकर फिर से बन्द हो गयी जिससे हमें 235 मेगावाट बिजली मिलती थी। एन.ए.पी.पी. की दूसरी यूनिट, जिससे हमें 235 मेगावाट बिजली मिलती थी, 23 जनवरी, 1995 से अभी तक बन्द है। अंता यूनिट थर्ड, जिससे हमें 88 मेगावाट बिजली मिलती थी, 5-1-95 से आज तक बन्द है। अंता यूनिट–फर्स्ट, जिससे हमें 88 मेगावाट बिजली मिलती थी, 10-2-95 से आज दिन तक बन्द है। (व्यवधान) सलाल यूनिट।

+ + + इसको आप सीरियस तो लीजिये, हंस रहे हो इस पर (व्यवधान)।

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मंत्री, यातायात) : हमारी यूनिट बंद हो रही हैं और आप हंस रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमें तो बिजली चाहिए, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, सब कुछ बन्द है, खुला क्या है यह बताओ। कोई यूनिट खुली भी है कि नहीं या सब कुछ बन्द है। आप तो बताओ बिजली की कितनी यूनिटें खोली हैं ? (व्यवधान) बिजली की सप्लाई क्या हो रही है ? (व्यवधान) सब कुछ बन्द है।

श्री विष्णु मोदी : यह कहना चाहते हैं कि यह भारत सरकार के प्रतिष्ठान बन्द है, इसलिए बिजली की कमी है।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के अनुसार अपलोपित किया गया।

(192)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, यह नारा हमने बाहर तो सुना है कि "चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो" लेकिन यहां माननीय सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि हमें तो बिजली चाहिये मैं बिजली बोर्ड की वास्तविक स्थिति आपके सामने रख रहा हूं और सुझाव मांग रहा हूं कि इसमें क्या किया जाय ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरा सुनें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, कोई जन्म पत्री लिखाकर लाये हैं क्या (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : थोड़ा सुनने का धैर्य तो रखिये आप कि किन परिस्थितियों में आज यह बिजली की कमी आयी है। यह परिस्थिति मैं आपके सामने रख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात तो पूरी सुनें कि कितनी तकलीफ हो रही है उनको।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सलाल यूनिट सैकिण्ड, मई, 1994 से आज दिन तक बन्द है। इसके अलावा औरैया और दादरी की छह यूनिट्स में से तीन यूनिट्स बंद हैं। यह सब भारत सरकार की यूनिट हैं, इसमें राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की एक भी यूनिट नहीं है जो इतनी बंद हुई हैं और इन परिस्थितियों के बावजूद भी........।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब छोटा सा है, एक मिनट। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोटा का मामला है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अच्छा, अपन घर की बात करें। मांगरोल आपका भी और मांगरोल मेरा भी। उस मांगरोल की यूनिट तो भारत सरकार की नहीं है, उसका प्रोडक्शन भी बतायें आप कि कितना प्रोडक्शन हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कितना प्रोडक्शन किया है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : दो मेगावाट में क्या होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विद्युत मण्डल का है वह तो, आपने कितना चला लिया उसको ? कितनी बिजली पैदा कर ली उससे ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे दो मेगावाट का कारखाना नहीं सम्भला....।

एक माननीय सदस्य : अब भारत सरकार को गाली निकालते हो।

श्री विष्णु मोदी : और आपने रामगढ़ गैस को कब चलाने की बात की थी और उससे आपने कितना पैदा किया ? वह तो भारत सरकार का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति से सुनें। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : और 36 मेगावाट जो आप और लगाने वाले थे उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। मंत्रीजी को कम से कम सुनें तो।

श्री विष्णु मोदी : आप सिर्फ यह कहना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी सीरियसनेस को माननीय मंत्रीजी यह कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के कारखाने बंद हैं इसलिए हमारे बिजली की परेशानी पैदा हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी तो यह नहीं कहना चाह रहे हैं, सब लोग सीरियस लें इसको।

श्री विष्णु मोदी : जो पांचवीं यूनिट कोटा की लगायी उसकी क्या स्थिति है। भारत सरकार की तो सब गिना दी आपने, आप रामगढ़, मांगरोल और कोटा की जो पांचवीं यूनिट है उसकी बात बताइये पहले।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वह बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात सुन लें, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कोटा की पांचवीं यूनिट भेल को दी हुई थी, उसने ट्रायल ली थी....।

श्री विष्णु मोदी : वह भारत सरकार आ गयी फिर।

श्री उपाध्यक्ष : पुरा सुन तो लें मोदीजी। मोदीजी, बीच में नहीं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बिजली बोर्ड ने टेक ओवर नहीं किया। अन्डर ट्रायल उन्होंने चलायी। जनरेटर खराब हो गया। BHEL is fully responsible for that unit, not the State Government or Electricity Board, इसलिए वह हो गया। अब आप रामगढ़ की बात कर रहे हैं, मान्यवर। आप सच कहते हैं, जून तक रामगढ़ की तीन मेगावाट और पैंतीस मेगावाट........।

श्री परसराम मदेरणा : कोटा थर्मल की एक और यूनिट भी तो आउट ऑफ प्रोडक्शन है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : चालू हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : कब हुई ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी सूचना के लिए वह तीन--चार दिन पहले से चालू हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तो उसका जनरेशन आधा ही नहीं हो रहा है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं, पूरा हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : अभी जो भी इंस्टांसेज आपने दी है, जो यूनिट बंद हुई हैं, वह आपकी अकर्मण्यता की वजह से आप बिजली का जो आल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं कर सके और दोषी हमको बना रहे हैं आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय नेता महोदय, वह मेंटीनेंस के लिए हुई थी और वह चालू हो गयी है।

श्री परसराम मदेरणा : इसका दोष तो आपकी सरकारों का था, आपने जनरेशन कहां किया है ? हमारा जनरेशन किया हुआ था तो यह हमारा दोष था ? अगर यह हमारा दोष है तो उस दोष को हम स्वीकार करते हैं। यह सब आपके लगे हुए थे, यह यूनिट्स कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त में जनरेशन के लिए लगे थे।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने खराब कर दिया सबको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कोटा की पांचवीं यूनिट बंद है; पहली यूनिट जो बंद थी वह चालू हो गयी है। राजगढ़ की 35 मेगावाट की है, जून तक आ जायेगी तीन मेगावाट और यह और अगली जो 35 मेगावाट है उसके लिए गैस अथारिटी को लिखा है गैस देने के लिए। वह दे देगी। तो इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत कम है, हम इससे डेढ़ साल में अगली 35 मेगावाट भी बना लेंगे।

एक माननीय सदस्य : धौलपुर का क्या हुआ ?

श्री विष्णु मोदी : तीन मेगावाट आपको कब चलानी थी, कब आपने चलायी और उससे कितनी बिजली पैदा की ? 35 मेगा-वाट कब आपको चलानी थी, कब चली या कब चलने वाली है ? आगे फिर गैस की बात करते हैं, भारत सरकार पर सब बात डालने की बजाय यहां हम इसीलिए बैठे हैं कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं........।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मोदीजी, अलग बहस करेंगे एक दिन।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह अब अलग मैटर है।

श्री विष्णु मोदी : हम हमारे स्तर पर आपकी सहायता करना चाहते हैं लेकिन आप इस बात को सिर्फ पालिटिकलाइज न कीजिये। जो वास्तव में समस्या है उसका निदान करने का सोचें, सिवाय यह कहना कि वह बंद हो गयी, भारत सरकार की वह बंद हो गयी, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदीजी, पहले बोल चुके हैं आप।

श्री परसादीलाल मीणा : कल आप भी बंद हो जाओगे तो हमारी जिम्मेदारी है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : आप तो गैर जिम्मेदार हैं न।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी को बोलने दें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य को तो मैं बिजली का........।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करंट लगवा दूंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बहुत विशेषज्ञ मानता हूं और मैंने इसीलिए इन सारे विशेषज्ञों को अपने मार्गदर्शन के लिए एक कमेटी बनायी है। उस कमेटी में आप लोग हैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे पूरा-पूरा आप लोगों का मार्गदर्शन मिल

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

नहीं सका। मैंने तीन मीटिंग्स बुलायीं, उनमें से एक में आप पधारे, मैं तो उसी का बहुत अहसान मानता हूं लेकिन इसीलिए आप लोगों को उस कमेटी में रखा था कि आपके उत्तम सुझाव मुझ तक पहुंच सकें।

डा. हरिसिंह : बोर्ड के चेयरमैन आपकी तो सुनते नहीं, काहे को कमेटी का टाइम बरबाद कर रहे हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रस्ताव तो पेश करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. हरिसिंह : माननीय मंत्रीजी, आप कमेटी की बात कर रहे हैं, सुनो, आपकी सरकार की तो चेयरमैन सुनता नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मूव कर दिया है वह तो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन विद्युत मण्डल द्वारा किसी भी समय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम, 54) की धारा 65 की उप धारा (3) के अधीन यथा परिकल्पित ऋण लेने की अधिकतम राशि 2500 करोड़ रुपये नियत करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.17 बजे शुक्रवार, दिनांक 31-3-95 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

माडा योजनान्तर्गत एनीकट्स का निर्माण

134. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 में माडा योजना के तहत कितने और किस गांव में एनीकट्स बनाकर सिंचाई का लाभ दिया गया।

(2) क्या वर्ष 1995-96 में भूंजर का नाला (बेगूं) बन्धा बनाने की योजना माडा योजनान्तर्गत विचाराधीन है ? यदि हां, तो, इसकी कब तक क्रियान्विति हो जायेगी, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1994-95 में माडा योजना के अन्तर्गत 5 ग्रामों में एनीकट स्वीकृत किए गये जिसमें से तीन एनीकटों का निर्माण पूर्ण होकर सिंचाई का लाभ मिल रहा है। ग्राम वार सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। माडा योजनान्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भूंजर का नाला बन्धा बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

माडा योजना के अन्तर्गत जिलेवार स्वीकृत एनीकटों की सूची

चित्तौड़गढ़

क्र सं.	नाम एनीकट/जल ग्रहण	पूर्ण/अपूर्ण
1.	डोबिया	पूर्ण (चेकडेम का कार्य शेष है।)
2.	गलियामाल	अपूर्ण (अभी प्रारम्भ किया गया है)

राजसमन्द

1.	पापामाल तृतीय	पूर्ण
2.	पापामाल चतुर्थ	पूर्ण
3.	बैरन	अपूर्ण

ट्रैक्टर्स क्रय पर अनुदान

135. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कृषि विभाग उद्योग विभाग की तरह ट्रैक्टर्स खरीद पर अनुदान स्वरूप राशि देने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो प्रति ट्रैक्टर पर कितनी अनुदान राशि दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर खरीद पर कोई राशि अनुदान स्वरूप देने की योजना नहीं है।

अजबगढ़ (अलवर) में पांच सितारा होटल निर्माण

136. **श्री रमाकांत** (थानागाजी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजबगढ़ (अलवर) में किसी व्यक्ति को एक पांच सितारा होटल निर्माण करने की सरकार ने अनुमति प्रदान की है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अजबगढ़ अधिघोषित क्षेत्र सरिस्का का अंग है और वहां इसके कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा ?

(3) क्या आदिवासी जनजाति के लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर भी इस होटल निर्माण का प्रतिकूल असर पड़ेगा ?

उत्तर

(1) अजबगढ़ जिला अलवर में किसी व्यक्ति को पांच सितारा होटल निर्माण करने की अनुमति नहीं दी गयी है, अपितु मै. हेरीटेज रिसोर्टस लि., नई दिल्ली को अजबगढ़ में पर्यटन रिसोर्ट बनाने की अनुमति दी गई है।

(2) जी नहीं। जो भूमि हेरीटेज रिसोर्टस नई दिल्ली को आवंटित की गयी है, जिलाधीश, अलवर से प्राप्त सूचना अनुसार वह अधिघोषित क्षेत्र सरिस्का में नहीं है।

(3) जी नहीं।

देवगढ़ (राजसमन्द) हेतु जल प्रदाय योजना

137. **श्री लक्ष्मणसिंह** (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राजसमन्द जिले के देवगढ़ कस्बे के लिए इस वर्ष नई जल प्रदाय योजना की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(3) सरकार उक्त योजना को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष राजसमन्द जिले के देवगढ़ कस्बे के लिए पेयजल हेतु पुनर्गठित योजना की रु. 184.18 लाख की प्रशासनिक एवं

(198)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वित्तीय स्वीकृति, दि. 6--2--95 को दी है ।

इस योजना अन्तर्गत तीन खुले कुओं का निर्माण करवाना विभिन्न साइजों की 18,150 मीटर राईजिंग मैन पाइप डलवाना, 9026 मी. वितरण पाइप लाइन डलवाना, 30 एच.पी. के पांच सबमर्सिबल पम्प सैट एवं 30 एच.पी. के 4 सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प सैट इंस्टाल करवाना तथा 2.00 लाख लीटर क्षमता का इंटरमिडिएट सी. डब्ल्यू. आर. बनवाना, 1.80 लाख लीटर क्षमता की 18 मी. स्टेजिंग का उच्च जलाशय बनाना तथा 1.60 लाख लीटर क्षमता का पूर्व में बने हुए उच्च जलाशय को रिपेयर करना एवं सिविल कार्य में सहायक अभियन्ता कार्यालय बनाना, सहायक अभियन्ता निवास एवं स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाने का कार्य प्रस्तावित है ।

(2) इस योजना पर एक कुएं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, शेष दो कुओं को बनवाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा विभिन्न प्रकार के सी.आई. पाइपों का क्रय आदेश दिया जा चुका है ।

(3) इस योजना को वर्तमान में मार्च, 1997 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है ।

निगम द्वारा अनुबन्धित बसों का संचालन

138. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :** क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में निगम में वाहनों की कमी को देखते हुए कितनी बसें अनुबन्धित की तथा कितनी बसों को अनुबन्ध पर लेने की योजना थी ?

(2) क्या यह सही है कि मंत्री के आश्वासन के पश्चात् भी तहसील शेरगढ़ की कई डामर सड़कों पर न तो रोडवेज की और न ही अनुबन्धित बसें चलाई जा रही हैं, जो बसें चल रही हैं वह बिना परमिट की और भरी हुई सवारियों से चल रही हैं ? क्या इन बसों से राज्य के राजस्व को घाटा हो रहा है ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा वर्ष 94-95 में 345 निजी वाहनें अनुबन्धित कर ली हैं एवं 55 बसें और अनुबंध पर लेने की योजना हैं ।

(2) शेरगढ़ तहसील में जोधपुर से बालेसर-फलौदी रोड–बावकान–सेतरवा-शेरगढ़ मार्ग ही राष्ट्रीयकृत है जिस पर निगम सेवा उपलब्ध करवा रहा है । अन्य आठ निजी मार्गों पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है । जिस हेतु 45 परमिट जारी किये गये हैं । बिना परमिट या क्षमता से अधिक सवारियों वाली बसों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाती है । जनवरी, 1994 से फरवरी, 1995 तक ऐसी तीस वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

जिला दौसा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

139. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला दौसा में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? विद्यालयवार अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) दौसा जिले के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की स्थिति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	पद नाम	विषय	संख्या	कब से रिक्त
1.	रासीमावि. दौसा	व्याख्याता	अंग्रेजी	01	गत तीन वर्षों से
2.	,, ,,	,,	ना. शा.	"2	,,
3.	,, माण्डारेज	,,	कृ. वि.	"1	,,
4.	,, लवाण	,,	हिन्दी	"1	,,
5.	,, सैंथल	,,	हिन्दी	"1	8/94
6.	,, मेहवा	,,	हिन्दी	"1	गत तीन वर्षों से
7.	,, ,,	,,	शा. शि.	"1	,,
8.	,, ,,	,,	संस्कृत	"1	,,
9.	,, ,,	,,	हिन्दी	"1	,,
10.	,, पावटा..	,,	हिन्दी	"1	,,
11.	,, ,,	,,	अंग्रेजी	"1	,,
12.	,, ,,	,,	संस्कृत	"1	,,
13.	,, बड़ा गांव	,,	हिन्दी	"1	,,
14.	,, ,,	,,	अंग्रेजी	"1	,,
15.	,, ,,	,,	ना. शा.	"1	,,

1	2	3	4	5	6
16.	रा.बा.सी.मा.वि., बडागांव	व्याख्याता	कृ. वि.	01	गत तीन वर्षों से
17.	" "	"	राजस्थानी भाषा	"1	"
18.	" बांदीकुई	"	शि. व्या.	"3	9/94
19.	" बसबा	"	संस्कृत	"1	7/94
20.	" लोटवाड़ा	"	हिन्दी	"2	8/94
21.	" "	"	संस्कृत	"1	"
22.	" "	"	ना. शा.	"1	"
23.	" सिकराय	"	हिन्दी	"1	गत तीन वर्षों से
24.	" गीजगढ़	"	हिन्दी	"1	"
25.	" "	"	ना. शा.	"1	"
26.	" सिकन्दरा	"	ना. शा.	"1	"
27.	" पाडसी	"	इतिहास	"1	8/94
28.	" "	"	ना शा.	"1	"
29.	" "	"	भूगोल	"1	"
30.	" "	"	हिन्दी	"1	"
31.	" लालसोट	"	वाणिज्य	"1	गत तीन वर्षों से
32.	" "	"	इतिहास	"1	"
33.	" "	"	संस्कृत	"1	"
34.	" "	"	हिन्दी	"1	"
35.	" बिलोनाकलां	"	हिन्दी	"1	8/94
36.	" "	"	अंग्रेजी	"1	"
37.	" "	"	इतिहास	"1	"
38.	" "	"	ना.शा.	"1	"
39.	रा.बा.सी.मा.वि., दौसा	"	हिन्दी	"2	जुलाई 94
40.	" "	"	गृ. वि.	"1	"
41.	" "	"	संस्कृत	"1	"

1	2	3	4	5	6
42.	रा.बा.सी.मा.वि., बांदीकुई	व्याख्याता	रा. वि.	01	जुलाई, 94
43.	" लालसोट	"	रा. वि.	"1	"
44.	" महुआ	"	हिन्दी	"1	"
45.	" "	"	संस्कृत	"1	"
वरिष्ठ अध्यापक					
1.	रा.बा.मा.वि., सैंथल	व. अ.	सामान्य	"1	12/94
2.	" बांदीकुई	"	"	"1	8/94
3.	" गीजगढ़	"	"	"1	7/94
4.	" मण्डावरी	"	"	"2	12/94
5.	रा.बा.उ.प्रा.वि., आलूदा	"	"	"1	2/95
6.	रा.बा.सी.मा.वि., मण्डावर	"	"	"1	7/94
7.	" लालसोट	"	"	"1	"
8.	" दौसा	"	"	"1	10/94
9.	रा.बा.मा.वि., गीजगढ़	शा. शि.	"	"1	7/94

202

भीलवाड़ा नगर की औद्योगिक भूमि का व्यावसायिक उपयोग हेतु परिवर्तन

140. **श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर की औद्योगिक भूमि को बिना सरकार की स्वीकृति के व्यावसायिक उपयोग में लेने हेतु दिये गये आश्वासन पर सरकार द्वारा जांच करवा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री अनिल कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको लि., जयपुर से जांच करवा ली गयी है। जांच की प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा को कार्यवाही हेतु प्रसारित निर्देशों का विवरण परिशिष्ट–"ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पंचायत समिति क्षेत्र खैरवाड़ा के लैम्प्स

141. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति खैरवाड़ा में कुल कितने लैम्प्स हैं तथा उक्त लैम्प्स में कौन-कौन व्यवस्थापक है ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ व्यवस्थापकों के विरुद्ध शिकायतें हैं और उसकी जांच चल रही है ? यदि हां, तो किन-किन व्यवस्थापकों के विरुद्ध जांच चल रही है और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ लैम्प्स केवल नाममात्र के हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि नहीं, तो लैम्प्स भूदर, डबायचा, छाणी, घोड़ी एवं खैरवाड़ा की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थिति क्या है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति खैरवाड़ा में 10 लैम्प्स हैं, लैम्प्स में नियुक्त व्यवस्थापकों की सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जिन-जिन व्यवस्थापकों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी एवं जांच कराई गयी, उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

(3) 10 लैम्प्स में से 9 लैम्प्स सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। सिर्फ एक डबायचा लैम्प में गत तीन वर्षों से कोई कारोबार नहीं हुआ है वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थिति की सूचना परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध। है

परिशिष्ट–1

खेरवाड़ा पं. स. क्षेत्र में कार्यरत लैम्प्स एवं उनमें नियोजित व्यवस्थापकों की सूची

क्र. सं.	नाम लैम्प्स	नाम व्यवस्थापक
1.	ग्राड़ीवली	श्री कल्याणसिंह पंवार
2.	कल्याणपुर	श्री गोतमलाल मीणा (राजस संघ से)
3.	केशरियाजी	श्री नवीनचन्द जैन (समिति स्तर से)
4.	खेरवाड़ा	श्री रतनलाल जोशी (राजस संघ से)
5.	छाणी	श्री गोतमलाल पटेल
6.	डबायचा	श्री गोतमलाल पटेल (अतिरिक्त चार्ज)
7.	ढंलाणा	श्री जूलशकर मीणा (राजस संघ से)
8.	ढीकवास	श्री जवानसिंह चौहान
9.	भूदर	श्री दवालगिरी गोस्वामी (समिति स्तर से)
10.	सुलई	श्री देवचन्द पंचाल (समिति स्तर से)

परिशिष्ट–2

खैरवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्रों में कार्यरत लैम्पस में नियोजित व्यवस्थापकों में से दो व्यवस्थापकों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

---

1. श्री कल्याण सिंह पंवार का नियोजन आडिवली लैम्पस में व्यवस्थापक के पद पर है। इनके विरूद्ध शिकायत आडिवली लैम्पस के अध्यक्ष श्री सन्तोषगिरी गोस्वामी द्वारा व्यवस्थापक के स्थानान्तरण के सन्दर्भ में की गई थी, जिसे केन्द्रीय सरकारी बैंक लि. उदयपुर को भेजकर जांच कर, वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे, जिनकी क्रियान्विति स्वरूप श्री बी. के. भट्ट, सहायक अधिशाषी अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच रिर्पोट के आधार पर शिकायत निराधार पाई गयी।

2. श्री कालूराम मीणा, व्यवस्थापक केसरिया जी लैम्पस के विरूद्ध शिकायत भारतीय जनता पार्टी मण्डल के अध्यक्ष की ओर से प्राप्त हुई है, प्राप्त शिकायत एवं संस्था की आडिट रिर्पोट वर्ष 1990-91 में व्यवस्थापक श्री कालू राम मीणा के विरूद्ध दर्शायी गयी वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर इनको निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ को जाकर पूर्ण मामले की जांच के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

3. श्री चुन्नी लाल पांडेर, भूतपूर्व व्यवस्थापक द्वारा 2.33 लाख रुपये की राशि का गबन कर लिया गया था जिसे निलम्बित कर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत वाद दर्ज किया गया जो विचाराधीन है।

परिशिष्ट–3

खैरवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्रमें स्थिति लेम्पस की वित्तीय स्थिति सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार हैं :—

क्र. सं.	नाम लैम्पस	वर्ष 1993–94 में लैम्पस की वित्तीय स्थिति				
		हिस्सा राशि	ऋण वितरण	ऋण वसूली	ऋण वसूली प्रति.	लाभ/हानि
1.	मूदर	257204/–	325350/–	182731/–	41 प्रतिशत	— 57278/–
2.	डबायचा	403620/–	—	—	—	— 2954/–
3.	छाणी	261782/–	340900/–	166244/–	47 प्रतिशत	— 94382/–
4.	खैरवाड़ा	310369/–	325084/–	99076/–	46 प्रतिशत	— 12560/–
5.	ढेलाणा (थोड़ी)	234344/–	387380/–	240001/–	47 प्रतिशत	+ 15728/–

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् कनेक्शन्स के लम्बित प्रकरण

142. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के कितने ग्रामों में कितने व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन मांग पत्र की राशि जमा कराने के एक माह पश्चात् भी नहीं दिये गये हैं ? विलम्ब के कारणों सहित सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) यह कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के 41 गांवों के 623 आवेदकों को विभिन्न श्रेणियों में कनेक्शन दिया जाना शेष है। कनेक्शन दिये जाने में विलम्ब का मुख्य कारण आवेदकों द्वारा निर्धारित राशि जमा न करवाना व आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने के लिये पर्याप्त तार व अन्य सामग्री की कमी है। ग्रामवार लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या सूची मय विलम्ब के कारणों सहित प्रपत्र "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) आवेदकों द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाने व आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात् लाइन के सामान की उपलब्धता के अनुरूप शीघ्र कनेक्शन दे दिये जायेंगे। वर्तमान में कण्डक्टर की देशव्यापी कमी चल रही है जिसका असर लाइनों के कार्यों पर पड़ रहा है।

विधान सभा कुम्हेर के मांग पत्र की राशि जमा कराने पर एक माह पश्चात् भी निम्न गांवों को कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं उनकी सूची निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	गांव का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	श्रेणी कनेक्शन	देरी का कारण
1	2	3	4	5
1.	महुआ	18	घरेलू	तार एवं लाइट का अन्य सामान नहीं होने के कारण
2.	लुधावई	8	"	"
3.	मुढ़ोता	18	"	"
		1	कृषि	"
4.	घोरमई	2	घरेलू	एक फार्म नहीं दिया है
5.	बुराबई	2	कृषि	कनेक्शन देने की कार्यवाही

1	2	3	4	5
		14	घरेलू	जारी कार्यपूरी
6.	कुम्हा	2	व्यावसायिक	"
7.	ठहरकी	8	घरेलू	"
8.	कंजोली	2	"	"
9.	रारह	1	"	"
10.	बिलोठी	1	"	एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ।
11.	सेवर	44	"	लाइन का सामान नहीं होने के कारण
12.	सासीकला	1	"	एल फार्म प्राप्त नहीं हुआ
13.	बिसदा	4	"	लाइन का सामान व तार की
14	कवलपुरा	30	"	कमी
15.	मालीपुरा	3	"	
16.	सहुनावली	1	"	एल फार्म चेकिंग
17.	पार	30	"	लाइन का सामान व तार का
18.	सावोरा	6	"	न होना लाइन का सामान उपलब्ध नहीं
19.	अजान	5	"	"
20.	गांगर बौली	9	"	लाइन का सामान अनुपलब्ध
21.	नगला गंगा	3	"	"
22.	निचूमर	14	"	"
23.	सिही	3	"	"
24.	तालफरा	20	"	"
25.	तमरेर	7	"	"
26.	उवार	155	"	"
27.	बैतारो कलां	3	कृषि	"
28.	बिरहस	2	"	"
29.	सुगावस	36	घरेलू	"
30.	कू हां	20	"	लाइन खींचने में जमीन सम्बन्धी विवाद

1	2	3	4	5
31.	करेऊआं	4	घरेलू	लाइन खींचने में जमीन सम्बन्धी वाद विवाद
32.	सिकरोरी	72	घरेलू	"
33.	सितारा	16	"	"
34.	सूरौता	2	"	"
35.	अधैयाकला	1	"	एल फार्म प्राप्त नहीं
36.	दांद्व	1	"	"
37.	अस्तावन	1	"	"
38.	आजऊ	1	"	"
39.	अवार	23	"	एल फार्म फिटिंग चैकिंग प्रक्रिया में
40.	जहांगीर	1	"	एल फार्म प्राप्त नहीं
41.	रनधीरपुरा	10	"	"

नोट—उपरोक्त आवेदकों को सामान की उपलब्धता एवं मीटर की अमानत राशि जमा होने पर विद्युत कनेक्शन देने की कार्यवाही शुरू कर दी जावेगी।

ग्राम पंचायत खैरवाड़ा (उदयपुर) की स्थाई सम्पत्ति का विक्रय

143. **श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)** : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खैरवाड़ा, जिला उदयपुर के मुख्य बाजार में स्थित लाखों रुपयों के मूल्य की स्थायी सम्पत्ति सन् 1988 में तत्कालीन जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा नियम विरुद्ध विक्रय कर दी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्पत्ति को बाजार मूल्य से अत्यन्त कम मूल्य पर विक्रय किया गया ?

(3) क्या उक्त सम्पत्ति का विक्रय ग्राम जनता, विभिन्न राजनीतिक दलों तथा स्वयं-सेवी संस्थाओं द्वारा विरोध के बावजूद पुनःसंशोधित आदेश जारी कर किया गया ।

(4) यदि हां, तो अब सरकार इस सम्पत्ति के विक्रय को निरस्त करने तथा विक्रय के दोषी जिला कलक्टर व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम पंचायत खैरवाड़ा की स्थाई सम्पत्ति ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच एवं विकास अधिकारी पचायत समिति, खैरवाड़ा की सिफारिश के आधार पर राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 275 के अन्तर्गत दिनांक 15-12-88 को श्री नाथू लाल पुत्र झमक लाल जैन निवासी खैरवाड़ा को 21 × 35 = 735 वर्ग फुट खैपरेल मकान 39,690.80 पैसे में एवं श्री कान्ति प्रकाश, हीरा लाल जैन निवासी खैरवाड़ा को 15 × 30 = 450 वर्ग फुट पुराना मकान 24,300/–रुपये में उस समय की प्रचलित बाजार दर से बिक्री किये जाने की स्वीकृति तत्कालीन जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा दी गई थी ।

(2) जी नहीं । उक्त सम्पत्ति को उस समय की अधिकतम प्रचलित वाणिज्य क्षेत्र की बाजार दर 54/– प्रति वर्ग फुट से विक्रय की स्वीकृति दी गई है ।

(3) जिला कलक्टर, उदयपुर ने कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर इस प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता से जांच कराई थी और इसके बाद पूर्व आदेश दिनांक 15-12-88 में आंशिक संशोधन कर दिनांक 20-1-93 को विक्रय राशि पर 18% ब्याज वसूल करने के आदेश जारी किये थे ।

(4) उक्त विक्रय के सम्बन्ध में पूर्व सरपंच श्री कैलाशचन्द के विरुद्ध तथा तत्कालीन जिला कलक्टर के विरुद्ध मा. लोक आयुक्त के यहां जांच की कार्यवाही चल रही है । इस सम्बन्ध में एक याचिका संख्या 4576/93 श्री चन्दुलाल बनाम सरकार माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

210

राजकीय बगड़िया औषधालय, सुजानगढ़ (चूरू) में रिक्त पद

144. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने करेंगे :—

(1) क्या राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में स्टाफ पेटर्न निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? श्रेणी अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय बगड़िया औषधालय सुजानगढ़, जिला चूरू में पदानुसार कुल कितना स्टाफ स्वीकृत है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त औषधालय में कुछ पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसे पद कब-कब से रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) कार्य व्यवस्था की दृष्टि से कार्यकारी रूप में आयुर्वेद विभाग में संचालित चिकित्सालयों/औषधालयों के लिये स्टाफ मापदण्ड निर्धारित है। जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा संख्या प. 6 (10) प्र. सु /अनु. 3/95 दिनांक 6-2-95 द्वारा विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञता समिति का गठन किया गया है जो आयुर्वेद विभाग के अधीन संचालित औषधालयों एवं चिकित्सालयों के स्टाफ पैटर्न के साथ साथ फर्नीचर, यन्त्र-शस्त्र आदि का निर्धारण भी करेगी। आज्ञा की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, सुजानगढ़ (चूरू) में वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के प्रत्येक के तीन-तीन पद स्वीकृत है।

(3) जी नहीं। स्वीकृत सभी पदों पर पदस्थापन किया हुआ हैं।

दिनांक 27-5-82 को सम्पन्न मितव्ययता की बैठक में आयुर्वेद विभाग के लिये अस्थाई रूप से किया गया स्टाफ की संख्या के निर्धारण का विवरण

(1) "ब" श्रेणी औषधालय	वैद्य	1
	कम्पाउण्डर	1
	चतुर्थ श्रेणी कर्म.	1
(2) "अ" श्रेणी चिकित्सालय (शैय्या रहित)	वैद्य	1
	कम्पाउण्डर	2
	चतुर्थ श्रेणी कर्म.	1
(3) "अ" श्रेणी चिकित्सालय (5 शैय्याओं सहित)	वैद्य	2
	कम्पाउण्डर	2
	च. श्रे. कर्म.	2
	कनिष्ठ लिपिक	1

(4) "अ" श्रेणी चिकित्सालय (10) शैय्याओं सहित)	वैद्य	3
	कम्पाउण्डर	4
	कनिष्ठ लिपिक	1
	चतुर्थ श्रेणी कर्म.	4
	अंशकालीन	2
(5) "अ" श्रेणी चिकित्सालय (15 शैय्याओं सहित)	वैद्य	3
	कम्पाउण्डर	6
	कनिष्ठ लिपिक	1
	चतुर्थ श्रेणी कर्म.	6
	अंशकालीन	2
(6) स्टेट हास्पीटल (100 शैय्याओं सहित)	वैद्य	7
	कम्पाउण्डर	30
	च. श्रे. कर्म.	10
	अंशकालीन	20
	वरिष्ठ लिपिक	1

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3)

क्रमांक: प. 6 (10) प्र. सु./अनु. 3/95 जयपुर, दिनांक 6-2-95

आज्ञा

मनोत प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश संख्या 170 की क्रियान्विति हेतु आयुर्वेद विभाग के चिकित्सालयों/औषधालयों में चिकित्सको एवं नर्सिंग स्टाफ के पदों के नवीन मापदण्ड निर्धारित करने तथा औषधालय में रोगियों के काम में आने वाले उपकरणों/यन्त्रों का मानदण्ड निर्धारित करने हेतु एक विशेषज्ञता समिति का निम्न प्रकार गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :—

1. विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	अध्यक्ष
2. उप शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3. उप शासन सचिव (आयुर्वेद) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर	सदस्य सचिव

212

5. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का एक प्रतिनिधि जो प्रोफेसर स्तर से नीचे का न हो — सदस्य

6. चिकित्सा पद्धति का राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि — सदस्य

7. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर। — सदस्य

यह समिति अपनी रिपोर्ट 3 माह की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। इस समिति का प्रशासनिक विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-4) विभाग होगा।

आज्ञा से,
ह./-
(ज्ञान चन्द जैन)
शासन उप सचिव

चित्रकूट (सागवाड़ा) का आश्रम स्कूल

145. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम चित्रकूट तहसील सागवाड़ा के आदिवासी आश्रम स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने एवं स्कूल के विस्तार के बारे में सरकार की क्या सोच है ?

उत्तर

ग्राम चित्रकूट, तहसील सागवाड़ा में संचालित आदिवासी आश्रम स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने अथवा छात्रावास में विस्तार के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बराणा (दीगोद) क्षेत्र की कैचमेण्ट भूमि का मुआवजा

146. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धनसूरी कैचमेन्ट के नाम से वर्ष 1981-82 में ग्राम बराणा तहसील दीगोद (पंचायत समिति सुल्तानपुर) में कैचमेन्ट कार्य एवं ड्रेनों का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो उक्त गांव की राजस्व सीमा में कितनी ड्रेनें निर्मित करवाई गई ? लम्बाई सहित ड्रेनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गांव में निर्मित विभिन्न ड्रेनों एवं मिट्टी डालने सहित रोड़ कार्य में ली गई भूमि की मुआवजा राशि अदा की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो अब कब तक अदा कर दी जायेगी ?

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या ग्राम बराणा की कृषि भूमि की वर्तमान बाजार दर 50,000/- पचास हजार रुपये प्रति बीघा है तथा वर्तमान दर पर ही मुआवजा राशि अदा कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

उक्त कैचमेन्ट के अन्तर्गत मैन ड्रेन 2 कि.मी. व कैरियर ड्रेन 7 कि.मी. कुल ड्रेन 9 कि.मी. निर्मित कराई गई।

(2) जी नहीं।

सम्बन्धित ड्रेनों के मुआवजे का अवार्ड जारी हो चुका है एवं वर्ष 95-96 में इसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) जी नहीं।

भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आपसी समझौते से दर निर्धारित कर अवार्ड जारी किये जा चुके हैं उसके अनुसार ही भुगतान किया जावेगा।

पर्यटन के विकास की दृष्टि में पुराने गढ़ व किलों का रख-रखाव

147. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पर्यटन के विकास में पुराने गढ़ व किलों का कोई महत्व है ? यदि हां, तो प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल कितने किले हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने किले हैं जिनकी देख-रेख पर्यटन विभाग करवाता है ?

(3) क्या प्रदेश के अलग-अलग भाग में अवस्थित इन किलों का इतिहास व इसकी जानकारी के बोर्ड पर्यटन विभाग ने किलों के बाहर लगा रखे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

(4) क्या पर्यटन को महत्व देने के लिये उन किलों को जिनकी देख-रेख सरकार नहीं करवा पा रही है, निजी क्षेत्र में देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से किले हैं ?

उत्तर

(1) पुराने गढ़ एवं किले तत्कालीन इतिहास शौर्यगाथाओं व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक है जिन्हें देखने देशी/विदेशी पर्यटक आते हैं। राज्य सरकार द्वारा 24 किले तथा केन्द्र सरकार द्वारा 7 किले संरक्षित घोषित किये हुये हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) पर्यटन विभाग किलों की देख-रेख नहीं करता है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा यह किले संरक्षित घोषित किये हुए हैं।

(3) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राज्य सरकार के संरक्षित एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत सरकार के संरक्षित प्रमुख किलों पर इनके ऐतिहासिक महत्व एवं संरक्षित स्मारक

(पर्यटन राज्य मंत्री,)

घोषित किये जाने सम्बन्धी सूचना पट्ट लगाये हुए हैं।

(4) जी नहीं।

किलों की देख-रेख निजी क्षेत्र को सौंपने का राज्य सरकार का अभी कोई विचार नहीं है।

संरक्षित घोषित प्राचीन किलों की सूची

जयपुर जिला

1. आमेर महल एवं किला

2. सुदर्शनगढ़ (नाहरगढ़) जयपुर

3. चौमू का किला, परकोटा व खाई सहित, चौमू

4. पहाड़ी पर अवस्थित नायला दुर्ग, नायला

जिला अलवर

5. किला, इन्दौर

6. राजगढ़ का किला, राजगढ़

जिला अजमेर

7. अकबर का किला या मेग्जीन या दौलतखाना, अजमेर

8. अकबर किले का मुख्य द्वार, अजमेर

जिला भरतपुर

9. किला (कमराखास, पुराना किला, किशोरी महल, किले के अन्दर का भाग) भरतपुर

10. चौबुर्जा अथवा गढ़ीखेमकरण, भरतपुर

11. किला डीग

12. किला वैर

जिला धौलपुर

13. शेरगढ़ का किला, शेरगढ़

जिला सीकर

14. फतेहपुर का किला, फतेहपुर

जिला कोटा

15. किला, रामगढ़

16. किला, नाहरगढ़

17. किला, शाहाबाद

18. किला, केलवारा

जिला झालावाड़

19. किला, गागरोन

जिला जोधपुर

20. जोधपुर का किला, जोधपुर

जिला नागौर

21. नागौर का किला, नागौर

22. मालकोट, मेड़तासिटी

जिला जालौर

23. जालौर का किला, जालौर

जिला बाड़मेर

24. सिवाना का किला, सिवाना

215

संरक्षित किलों की सूची

क्र. सं.	किला	जिला
1.	चित्तौड़गढ़ किला	चित्तौड़गढ़
2.	भटनेर का किला (हनुमानगढ़)	हनुमानगढ़
3.	किला जैसलमेर	जैसलमेर
4.	मण्डोर	जोधपुर
5.	रणथम्भोर	सवाई माधोपुर
6.	बयाना	भरतपुर
7.	कुम्भलगढ़	उदयपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर को पानी की टंकियों से जल वितरण

148. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र में पिछले एक वर्ष से कितनी पुरानी बनी हुई टंकियों से पानी देना प्रारम्भ किया गया है ?

(2) इस एक वर्ष में कितनी पीने के पानी की नई टंकियों का निर्माण किया गया और क्या उनसे नागरिकों को पीने का पानी मिलना प्रारम्भ हो गया है ?

उत्तर

(1) उल्लिखित क्षेत्र में एक वर्ष से पूर्व विभाग द्वारा निर्मित केवल एक पानी की टंकी ग्राम बिहारीपुरा तहसील चाकसू में थी, जिसे पानी वितरण हेतु प्रयुक्त किया जा रहा है।

(2) पीने के पानी की 16 नई टंकियों का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। इन नव-निर्मित 16 टंकियों में से 8 द्वारा पानी का वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है।

जयपुर शहर में संचालित मिनी बसें और टैम्पों

149. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में चलने वाली मिनी बसें और टेम्पुओं की संख्या कितनी हैं और क्या यह संख्या शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है ?

(2) क्या यह सही है कि शहर में चलने वाली बसों और टेम्पुओं में क्षमता से

(श्री विष्णु मोदी)

अधिक सवारियां भरी जाती हैं और इस कारण इन बसों और टेम्पुओं में यात्रा करने वाले नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के निराकरण के लिये क्या कदम उठा रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि शहर में रोडवेज की बसों का भी संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और क्या सरकार इनकी संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है ताकि मिनी बसों और टेम्पुओं में अत्यधिक सवारियां ढोने की समस्या का हल किया जा सके?

उत्तर

(1) एवं (2) जयपुर शहर में 561 मिनी बसें 967 टेम्पों एवं 293 विक्रम 8 सीटर वाहन वर्तमान में चलते हैं। परमिटों की संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं है। यात्रियों की मांग एवं आपूर्ति के अनुरूप प्राइवेट आपरेटर्स वाहन संचालन करते हैं।

बसों एवं टेम्पुओं पर क्षमता से अधिक सवारियां बिठाना कानूनी रूप से दण्डनीय है एवं उल्लंघनकर्ताओं का वर्ष 93–94 में 2446 वाहनों का चालान कर 5,89,720/- रुपये एवं वर्ष 94–95 (माह फरवरी, 95 तक) में 2582 वाहनों का चालान कर 10,21,087/– रुपये जुर्माना राशि वसूल की गई।

(3) जी हां। जयपुर शहर में निगम द्वारा नगरीय वाहन सेवा के रूप में 232 वाहनों से दैनिक 2575 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। मांग अनुसार निगम की आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय बस सेवा में क्रमशः वृद्धि समय-समय पर की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के विद्यालयों के रिक्त पद

150. **श्री हीरालाल** (बामनवास) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास (सवाई माधोपुर) के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालयों में कौन-कौनसे, कितने-कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बामनवास-विधान सभा क्षेत्र के संस्कृत प्राथमिक विद्यालय, में 2 तृतीय वेतन श्रृंखला के पद रिक्त हैं। बामनवास विधानसभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय में निम्नानुसार रिक्त पद हैं :—

व्याख्याता—	06
द्वितीय वेतन श्रृंखला—	03

(2) जी, हां। द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उद्योगों हेतु अवाप्त भूमि का विक्रय

151. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार उद्योगों के लिए भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही से उद्योग विभाग तथा किसानों के बीच से बिचौलिये के रूप में काम करने से हटने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार किताबी कानून की आड़ लेकर किसानों से सस्ती दर पर जमीन लेकर उद्योगों को महंगे भाव बेच रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के लिये भूमि अवाप्ति हेतु की जाने वाली कार्यवाही संसद एवं विधान मण्डल की स्वीकृति से विनिर्मित केन्द्रीय भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक प्रक्रिया है । अतः राज्य सरकार की भूमिका वैधानिक है एवं बिचौलिये की नहीं ।

(2) किसानों की उद्योगों के लिये अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा भूमि की स्थिति एवं उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है । भूमि के मुआवजे के अतिरिक्त भूमि पर स्थित निर्माण कार्य, वृक्षों एवं अन्य सम्पत्तियों का मुआवजा भी दिया जाता है । साथ ही कुल मुआवजे पर 30 प्रतिशत सोलेशियम चार्जेज एवं भूमि अवाप्ति की प्राथमिक अधिसूचना धारा–4 के अन्तिम प्रकाशन से अवार्ड घोषित होने अथवा भूमि का कब्जा लेने तक 12% प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजा राशि दी जाती है । इसके अतिरिक्त किसानों एवं रीको अथवा कम्पनी विशेष के साथ समझौते के आधार पर भी मुआवजा निर्धारित किया जाता है । अतः भूमि की अवाप्ति वर्तमान बाजार में विक्रय दर पर की जाती हैं ।

जहां तक महंगे भाव पर भूमि बेचने का प्रश्न है, रीको के लिये अवाप्ति की गई भूमि को रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिये सड़क, पानी, नालियां व अन्य विकास कार्यों पर होने वाले खर्च तथा सड़कों एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग में भूमि के माप में कमी को देखते हुए वास्तविक उपलब्ध भूमि पर नियोजित औद्योगिक भूखण्ड की दरें निर्धारित की जाती है । फिर भी रीको का यह प्रयास रहता है कि उद्योगों को कम से कम दर भूखण्ड उपलब्ध हो सकें, जिससे क्षेत्र में त्वरित गति से औद्योगिक विकास हो सकें ।

सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को राज्य कर्मी का दर्जा

152. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार प्रदेश में सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को राज्य कर्मचारी मानती है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्थापकों को वेतन का भुगतान किस मद से किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के सभी व्यवस्थापकों को वेतन सहकारी

(श्री फतेह सिंह)

समिति की निजी आय से किया जाता है ? यदि हां, तो जिन सहकारी समितियों की निजी आय कम हैं या बिलकुल नहीं है, उनके वेतन के भुगतान की क्या व्यवस्था हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश की सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों का कई वर्षों से भुगतान बकाया है ?

(4) क्या सरकार/सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) व्यवस्थापकों को वेतन व्यवस्थापकीय सेवा नियम 1991 में गठित वेतन-कोष से दिया जाता है, जिसमें सहकारी समिति एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक, वेतनकोष में नियमानुसार अपना अंशदान देते हैं। जिन सहकारी समितियों के वेतनकोष में वेतन हेतु पर्याप्त राशि नहीं है, यदि उक्त नियमों के तहत चयनित व्यवस्थापक कार्यरत है तो वेतन हेतु समिति को केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा इस आधार पर ऋण दिया जा रहा है, जो वर्ष के अन्त में समायोजित किया जाता है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा व वल्लभनगर के ग्रामों का विद्युतीकरण

153. श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सराड़ा वल्लभनगर, जिला उदयपुर में कौन-कौन-से ग्राम अभी विद्युतीकृत नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्रों में कौन-कौन से ग्राम विद्युतीकरण की प्रतीक्षा सूची में हैं तथा इनको अब तक विद्युतीकरण नहीं करने के क्या-क्या कारण रहे ?

(3) क्या सरकार विद्युतीकरण की प्रतीक्षा सूची के ग्रामों को भी विद्युतीकृत करने व शेष ग्रामों को भी शीघ्र विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सराड़ा व वल्लभनगर जिला उदयपुर में क्रमशः 21 व 51 ग्राम अविद्युतीकृत हैं। सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" संलग्न है।

(2 व 3) अविद्युतीकृत ग्रामों को संसाधनों की उपलब्धि के अनुरूप ही आगामी वर्षों के ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में शनैः शनैः ही सम्मिलित किया जा सकेगा—सभी ग्रामों का एक साथ विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है। राज्य में मार्च, 1994 के अन्त तक 80.82% गांव विद्युतीकृत

(ऊर्जा मंत्री)

हो चुके है। इसके मुकाबले पंचायत समिति सराड़ा व बल्लभनगर में क्रमश: 87.79% व 79.55% ग्राम विद्युतीकृत हैं। अतः इस क्षेत्र की स्थिति काफी अच्छी है। विस्तार से अधिक आवश्यकता सुदृढ़िकरण की है ताकि सेवाओं में गिरावट नहीं आवे।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के अविद्युतीकृत गांवों की सूची

क्र.सं	गांव का नाम	पंचायत समिति
1.	झाबला	गिर्वा
2.	देवारा	सराड़ा
3.	गिमचीखेड़ा	,,
4.	पियावड़ी	,,
5.	मेनडवा	,,
6.	नयाकुआ	,,
7.	जूना कुआ	,,
8.	मटवाड़ा	,, वर्ष 1993-94 के वार्षिक लक्ष्य में
9.	बाबा मगरा	,, सम्मिलित कर इसका कार्य वर्ष
10.	सेकड़ी	,, 94-95 में पूरा हो जायेगा।
11.	डाकन बावड़ी	,,
12.	बावड़ी	,,
13.	मलर	,,
14.	लिम्बड़ी	,,
15.	उपलागुडा	,,
16.	जालमपुरा	,,
17.	सदकड़ील	,,
18.	टोकर (काली घाटी	,,
19.	खड़	,,
20.	सेकना	,,
21.	सेन्थल	,, इस वर्ष 1994-95 में विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित है एवं मार्च तक विद्युतीकृत किये जाने की सम्भावना है।

परिशिष्ट "व"

विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के अविद्युतीकृत गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	क्र.सं.	गांव का नाम
1.	पत्तावतों का लिम्बावास	27.	डेरावल
2.	बिनावास	28.	डाबकिया
3.	सोलिगरों का खेड़ा	29.	महुडी खेड़ा
4.	मेडी खेड़ा	30.	चौल
5.	सालरमाला	31.	डागियों का खेड़ा
6.	चैनपुरिया	32.	बंडनी
7.	सोलंकियों का खेड़ा	33.	अन्गोरा
8.	नानकिया खेड़ा	34.	ओपा का खेड़ा
9.	अम्बा का कुआ	35.	सेमल
10.	हरिया खेड़ा	36.	पिपल्यानी
11.	जोधसिंह की मागल	37.	मंगल
12.	लिलरियों का खेड़ा	38.	चौक पामला कुई
13.	सोनीगरों का खेड़ा	39.	चक अमरनाड़ा
14.	मनजी का खेड़ा	40.	पामला कुई
15.	पृथ्वीसिंह जी का खेड़ा	41.	हरजी बूल की मागल
16.	चमलावड़ील	42.	खन्डेवड़ा
17.	हरियाव	43.	सेमल खुर्द
18.	फलेट	44.	देवली
19.	गोवला	45.	सूरखण्ड
20.	घोघा का गुड़ा	46.	रोयण कलां
21.	निचला सेमलिया	47.	मोहल्ला तलाब
22.	रामेला	48.	उमरान केवला
23.	उपला सेमालिया	49.	मोटा खेड़ा
24.	मालों का गुड़ा	50.	बेरिया
25.	चक वनागढ़	51.	फतहपुरा
26.	राठोड़ा का गुड़ा		

पंचायत समिति राजाखेड़ा का पुनर्गठन

154. **श्रीमती मनोरमासिह (राजाखेड़ा):** क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चालू वर्ष में सरकार के समक्ष राजाखेड़ा पंचायत समिति के पुनर्गठन का मामला विचारणीय है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र के आधार पर पंचायत समिति राजाखेड़ा का पुनर्गठन करने का सरकार का क्या विचार है ? पुनर्गठन कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति, राजाखेड़ा के पुनर्गठन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र की वन उपज का विक्रय

155. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उपलब्ध लघुवन उपज का सीधा संग्रहण कर खुले बाजार में बेचने का अधिकार जनजाति के लोगों का न होकर राजस संघ के माध्यम से है ? यदि हां, तो क्या राजस संघ द्वारा दी जाने वाली दरों एवं खुले बाजार की दरों में काफी अन्तर होना विभाग मानता है ?

(2) क्या सरकार इस लघु वन उपज को खुले बाजार में या हाट लगाकर बेचने का एवं क्रय करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि बाजार दरों व राजस संघ की दरों में काफी अन्तर होने से वन उपज की चोरी छिपे अन्यत्र बेचा जाता है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी मात्रा में एवं कितनी राशि की वन उपज की चोरी होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त चोरी की रोकथाम के सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राजस संघ को राज्य सरकार द्वारा तेन्दू पत्ता, जंगली प्याज, एवं रतनजोत को छोड़कर सभी लघु वन उपजों के एकत्रिकरण का एकाधिकार दिया गया है। संघ द्वारा स्थानीय एवं देश की विभिन्न मण्डियों के बाजार भाव को देखते हुए अविकार व्यय को कम कर आदिवासियों को अधिक से अधिक मूल्य उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजससघ द्वारा आदिवासियों को देय दर एवं प्राप्त विक्रय दरों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजससंघ द्वारा जहां पर हाट की व्यवस्था है वहां पर हाटों पर ही लघु वन उपज संग्रहण की व्यवस्था की जाती है तथा लघु वन उपजों में आदिवासियों की आवश्यकता को देखते हुए संघ द्वारा संचालित

232

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री,)

केन्द्रों व हाटों में महुवा फूल उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है ।

(3) राजससंघ द्वारा बाजार भावों को मध्य नजर रखते हुए क्रय दर निधारित की जाती है, अतः दरों में अन्तर के कारण लघु वन उपज चोरी-छिपके बेचे जाने की संभावना कम है ।

(4) प्रश्न संख्या-3 के प्रत्युत्तर के अनुसार राजससंघ को वन अधिनियम के तहत चोरी की रोकथाम के कोई अधिकार नहीं है । इसके लिए वन विभाग ही सक्षम है तथा उनके द्वारा चोरी की रोकथाम की कार्यवाही की जाती है ।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर

लघु वन उपज क्रय/विक्रय एवं अन्तर तालिका (दरें प्रति कि. में)

क्र. सं.	नाम उपज	वर्ष 1991–92			वर्ष 1992–93			वर्ष 1993–94		
		क्रय दर	विक्रय दर	अन्तर	क्रय दर	विक्रय दर	अन्तर	क्रय दर	विक्रय दर	अन्तर
1.	गोंद घावड़ा "अ"	100.00	186.00	86.00	100.00	171.00	71 00	120.00	180.00	60.00
2.	गोंद घावड़ा "ब-1"	60.00	110.00	50 00	60.00	89.00	29.00	60.00	75.00	15.00
3.	गोंद घावड़ा "ब-2"	35.00	62.60	27.60	35.00	59.53	24.53	35 00	—	—
4.	गोंद घावड़ा "स"	15.00	25.00	10.00	15.00	20.00	5.00	17.00	—	—
5.	गोंद खैर "अ"	20.00	31.00	11.00	20.00	27.00	7.00	22.00	30.50	8.50
6.	गोंद खैर "ब"	17.00	33.00	16.00	17.00	23.00	6.00	19.00	—	—
7.	मोम	22.00	44.00	22.00	22.00	40.00	18.00	38.00	48.00	10.00
8.	शहद	18.00	30.00	22.00	22.00	30.00	8.00	22.00	30 00	8.00
9.	महुआ फूल	3.00	—	—	3.50	—	—	3.50	4.90	1.40
10.	डोलमा	7.00	10.50	3.50	5.50	8.50	3.00	5.50	9.80	4.30
11.	रतनजोत	3.00	3.75	0.75	3.50	5.70	2.20	3.50	5.72	2.22
12.	वणज	3.50	5.00	1.50	3.50	4.50	1.00	5.50	5.50	2.00
13.	लाल अरण्डी	4.00	6.21	2.21	4.00	5.25	1.25	4.00	6.00	2.00

223

233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	धतूरी	3.25	5.90	2.65	3.50	4.50	1.00	4.00	5.25	1.25
15.	सफेद मूसली "अ"	190.00	—	—	225.00	—	—	175.00	369 00	194.00
16.	सफेद मूसली "ब"	60.00	—	—	85.00	100.00	15.00	60.00	127.00	67.00
17.	सफेद मूसली "स"	30.00	66.50	36.50	30.00	40.00	10.00	30.00	50.00	20.00
18.	आंवला	4 00	—	—	45.00	5.00	1.00	2.75	5.25	2.50
19.	अरीठा	3.55	7.00	3.45	3.60	6.00	2.40	3.60	5.75	2.15
20.	बहेडा छाल	0.90	1.80	0.90	1.00	—	—	1.00	1.65	0.65
21.	अचार "अ"	4.00	—	—	6.00	—	—	10.00	—	—
22.	पुंवाड़ बीज	0.70	3.75	3.05	0.70	—	—	0.75	1.71	0.96
23.	अचार "ब"	7.00	13.25	6.25	8.00	—	—	6 00	8.00	2.00
24.	लाख	7.50	13.00	6.50	7.50	15.00	7.50	7.50	—	—
25.	आवल छाल	1.60	—	—	2.00	2.70	0.70	2.60	2.68	0.08
26.	गोंद छोड़ी	6.00	13.00	7.00	6.00	12.00	6.00	7.00	9.25	2.25
27.	गोंद गोंदल	0.90	—	—	0.80	—	—	0.80	—	—
28.	शतावरी	6.00	7.50	1.50	6.50	10.00	4.00	6.00	7.50	1.50
29.	चित्रक छाल	7.00	—	—	7.00	—	—	8.65	—	—
30.	पलाश बीज	1.50	—	—	1.50	1.25	(–) 0.25	2.50	—	—
31.	विल्व गुदा	2.50	—	—	2.50	3.20	0.70	3.00	5.05	2.05

कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरगंज (बूंदी) का आय-व्यय

156. **श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कृषि उपज मण्डी, सुमेरगंज, जिला बूंदी की गत 3 वर्षों में वर्षवार कितनी-कितनी आय हुई तथा उक्त आय को वर्षवार किन-किन कार्यों पर खर्च किया गया ? प्रत्येक वर्ष की आय व व्यय का विवरण मदवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरगंज जिला बून्दी की गत तीन वर्षों की वर्षवार आय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । आय को जिन-जिन कार्यों पर व्यय किया गया है उसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है । प्रत्येक वर्ष की आय व व्यय का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है ।

परिशिष्ट 'अ'

कृषि उपज मण्डी सुमेरगंज मण्डी की गत 3 वर्षों में वर्षवार आय

क्र. सं.	नाम मद	1991–92	1992–93	1993–94
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क	1729.00	1721.00	1469.80
2.	मण्डी शुल्क	669658.68	1209664.77	1516623.89
3.	विलम्ब शुल्क	314.70	2482.82	7527.52
4.	पुस्तक फार्म बिक्री	1118.25	3353.00	2484.75
5.	जमा धन पर ब्याज	62980.00	80169.49	77215.20
6.	भवन किराया	42747.00	44765.00	53672.00
7.	ठेके से आय	—	1630.00	2760.00
8.	ग्रामीण गोदाम किराया	11499.65	10152.90	15910.00
9.	ऋण एवम् अग्रिम	19625.00	17230.00	15977.00
10.	अमानताऐं	81982.00	99700.00	67568.00
11.	अन्य आय	3024 25	6690.00	9611.50
	योग—	894686.13	1468559.43	1770819.56

236

परिशिष्ट "ब"

गत तीन वर्षों के व्यय मद वर्ष 1991–92 से वर्ष 1993–94 तक

क्र. सं.	नाम मद	1991–92	1992–93	1993–94
1.	संस्थापन	176028.30	218927.15	247957.03
2.	कार्यालय व्यय (अनावर्तक)	26674.70	16994.50	34341.51
3.	बोर्ड अंशदान	62281.00	142643.00	132457.00
4.	कार्यालय व्यय (अनावर्तक)	—	—	—
5.	मण्डी सुविधाएँ	74633.07	59155.88	72959.48
6.	अन्य व्यय	95075.00	100150.60	79078.57
	योग—	434692.07	537871.13	566783.59

निर्माण कार्यों पर व्यय

1.	परियोजना कार्य	निल	निल	निल
2.	गैर परियोजना कार्य	58584.00	306002.00	60804.00
3.	सम्पर्क सड़क	519229.00	108191.00	निल
	योग—	577813.00	414193.00	60804.00
	महायोग—	1012505.07	952064.13	627587.59

परिशिष्ट "स"

कृषि उपज मण्डी सुमेरगंज मण्डी की प्रत्येक वर्ष की आय व्यय का मदवार विवरण

आय मद					व्यय मद				
क्र. सं.	नाम मद	1991-92	1992-93	1993-94	क्र. सं. नाम मद		1991-92	1992-93	1993-94
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क	1729.00	1721.00	1469.00	1.	संस्थापन	176028.30	218927.15	247957.03
2.	मण्डी शुल्क	669658.68	1209664.77	1516623.89	2.	कार्यालय व्यय (प्रवर्तक)	26674.70	16994.50	34331.51
3.	विलम्ब शुल्क	314.70	2482.82	7527.52	3.	बोर्ड अंशदान	62281.00	142643.90	132457.00
4.	पुस्तक फार्म बिक्री	1118.25	3353.00	2484.75	4.	कार्यालय व्यय अनावर्तक	निल	निल	निल
5.	जमा धन पर ब्याज	62980.00	80169.49	77215.20	5.	मण्डी सुविधाएँ	74633.07	59155.88	72959.43
6.	भवन किराया	42747.00	44765.00	53672.00	6.	अन्य व्यय	95075.00	100150.60	79078.57
7.	ठेके से आय	—	1630.00	2760.00		योग—	434692.07	537871.13	566783.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	ग्रामीण गोदाम किराया	11499.65	10152.90	15910.70	**निर्माण कार्यों पर व्यय**			
9.	ऋण एवं अग्रिम	19625.00	17230.00	15977.00	1. परियोजना कार्य	—	—	—
10.	अमानतायें	81982.00	90700.00	67568.00	2. गैर परियोजना कार्य	58584.00	306002.00	60804.00
11.	अन्य आय	3024.25	6690.00	9611.50	3. सम्पर्क सड़क	519229.00	108191.00	निल
	योग—	894686.13	1468559.43	1770819.56	योग—	577813.00	414193.00	60804.00
					महा योग—	1012505.07	952064.13	627587.59

सन्तोकबा दुर्लभजी मेमोरियल चिकित्सालय, जयपुर को आवण्टित भूमि

157. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल, जयपुर को नगर निगम (नगर परिषद्) या जयपुर विकास प्राधिकरण (नगर विकास न्यास) ने जन हितार्थ रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करायी गई थी ? यदि हां, तो न्यास के प्रार्थना पत्र व शर्तों की नकल सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि हास्पिटल द्वारा व्यक्ति विशेष को दुकान आदि के लिये व्यवसायिक कार्य हेतु भूमि बेची गई है ? यदि हां, तो भूमि का क्षेत्रफल व राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल जनोपयोगी न होकर व्यावसायिक केन्द्र है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस भूमि की राशि वर्तमान दर से वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, आवंटन पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

(2) प्राधिकरण को इसकी जानकारी नहीं है। हास्पीटल प्रशासन को जानकारी हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण ने पत्र लिखा है।

(3) इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सहाड़ा-रायपुर (भीलवाड़ा) क्षेत्र की उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों का पदस्थापन

158. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को प्रदान कर दी गई हैं ? यदि हां, तो आंकड़ों का विवरण जिलावार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/प्रिंसीपल के कितने पद रिक्त हैं ? क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित सभी प्रतीक्षारत सैकण्डरी हैडमास्टरों की रिक्त पदों पर नियुक्ति हो गई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या प्रदेश की सभी उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शालाओं के सभी अध्यापकों के रिक्त पद भर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) ऐसी कितनी उच्च प्राथमिक शालाएं सहाड़ा-रायपुर क्षेत्र में स्थित हैं

(श्री रामपाल उपाध्याय)

जिनमें स्वीकृत अध्यापकों के पद भर दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक शाला बकाण, खांखरमाला (रायपुर), माकडियां (सहाड़ा) में मात्र दो-दो अध्यापक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(6) क्या किराये और ठेके पर अध्यापक रखने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो क्या इस प्रणाली से शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि की संभावना है ? यदि हां, तो प्रदेश में इस प्रकार रखे जाने वाले अध्यापकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में क्रमशः प्रधानाध्यापक के 194 एवं प्रधानाचार्य के 83 पद रिक्त हैं। वर्ष 1994 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के 109 आशार्थियों की आरक्षित सूची प्राप्त हुई तथा सभी को नियुक्ति दी जा चुकी है। नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रदेश के सभी विद्यालयों में रिक्त पदों की स्थिति 1–3–95 की संकलित सूचनानुसार निम्नानुसार हैं—

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
व्याख्याता	12715	11612	1103	8.7
अध्यापक II	35866	34983	883	2.5
अध्यापक III	85539	83999	1540	1.8

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) सहाड़ा–रायपुर क्षेत्र के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत अध्यापकों के सभी पद भर दिये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं।

इन विद्यालयों में स्वीकृत व कार्यरत अध्यापकों की स्थिति निम्नानुसार हैं:—

		स्वीकृत	कार्यरत
1.	रा. उ. प्रा. वि. खांखरमाला	08	08
2.	रा. उ. प्रा. वि बकाण	37	07
3.	रा. उ. प्रा. वि. माकंडिया	08	08

(6) जी नहीं।

राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस सत्र के अन्त में 238 योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को संविदा पर व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर दिनांक 31–3–95 तक रखने का निर्णय लिया। इस व्यवस्था से बोर्ड के परीक्षा परिणामों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(शिक्षा मंत्री)

संविदा पर रखे गये 238 व्यक्तियों का मण्डलवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

वन भूमि के कब्जों का नियमितीकरण

159. **श्री कुबेर सिंह (फलासियां) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा किये गये नाजायज कब्जों को नियमित करने का प्रस्ताव पारित किया था? यदि हां, तो कब? प्रस्ताव/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व किसी समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम, पद तथा समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उदयपुर जिले में गठित समिति ने वन खण्डों में कब-कब जाकर किस-किस स्थान का निरीक्षण किया? प्रत्येक स्थान का नाम, मौका मुआयना की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अभी तक भी नाजायज कब्जों का सर्वे उदयपुर जिले में पूर्ण नहीं हो पाया है? यदि हां, तो कहां-कहां का तथा किस-किस कारण से? स्थान के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार के आदेश/निर्देश के उपरान्त भी सम्बन्धित तहसीलदार के मौके पर नहीं जाने के कारण यह मामले अभी तक भी लम्बित है? क्या सरकार दोषी तहसीलदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर 1-7-80 से पूर्व किये गये अतिक्रमणों के नियमन करने के आदेश दिनांक 27-4-91 को जारी किये हैं। आदेश की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है।

(2) जी हां। समिति के सदस्यों के नाम पद तथा समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) आदेश दिनांक 27-4-91 द्वारा गठित समिति द्वारा उदयपुर जिले में विभिन्न वन खण्डों के मौका मुआयना का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ग" के अनुसार रख दी गई।

(4) जी हां, जिन स्थानों का सर्वे पूर्ण नहीं हो सका है उनका विवरण परिशिष्ट 'घ' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) आदेश दिनांक 27-4-91 द्वारा गठित समिति के प्रावधानों में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त समिति का कोरम

(वन मंत्री)

तीन सदस्यों की उपस्थिति के पश्चात् पूर्ण माना जावेगा, लेकिन उनमें से कम से कम एक प्रतिनिधि वन एवं राजस्व विभाग का तथा एक जनप्रतिनिधि होना आवश्यक है। मात्र तहसीलदार के उपस्थित नहीं होने के कारण ही विलम्ब नहीं हो रहा है। अतः तहसीलदारों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य में प्रमुख व प्रधानों के चुनाव

160. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत): क्या पंचायतीराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायती राज एक्ट, 1994 के अन्तर्गत जो नियम राज्य सरकार ने बनाये थे उनके तहत प्रमुख व उपप्रमुख, प्रधान तथा उप-प्रधान के चुनाव साथ-साथ कराने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रमुख तथा प्रधानों के चुनावों बाबत अधिसूचना कब जारी की गई? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जब प्रमुख व प्रधानों के चुनाव की अधिसूचना जारी की गयी थी, तब तक पुराने नियम ही लागू थे? यदि हां, तो इनका संशोधन किस तारीख को किया गया ताकि उप प्रमुख व उप प्रधानों के चुनाव अलग से कराये जा सके? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह कार्यवाही नियमानुसार है?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 10 फरवरी, 95 से पूर्व प्रमुख, उपप्रमुख, प्रधान तथा उप-प्रधान के चुनाव एक साथ कराने का विचार था परन्तु दिनांक 10-2-95 को नियम 59, 60 व 61 में राज्य सरकार ने संशोधन कर उप प्रमुख तथा उपप्रधान के चुनाव जिला परिषद, पंचायत समिति की प्रथम बैठक के एक माह के अन्दर कराने का प्रावधान रखा गया। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रमुख तथा प्रधानों के चुनावों बाबत सूचना दिनांक 10 फरवरी, 1995 को जारी की गई थी। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान तथा उप प्रधानों के चुनाव से सम्बन्धित नियमों में दिनांक 10 फरवरी, 95 को संशोधन किया गया। संशोधन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी, हां।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

परिशिष्ट—2

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का विवरण

बालोतरा में कराये गये सड़क निर्माण से सम्बन्धित विवरण

क्र. सं.	विवरण	वार्ड सं.	लम्बाई	लागत (लाखों में)
1.	सादड़ी रोड़ शारदा बाल निकेतन से जगदम्बा मन्दिर तक सड़क निर्माण	17, 18 एवं 19	1 कि.मी.	2.85
2.	याकूब के मकान से हेमाराम कुम्हार के मकान तक सड़क निर्माण	26	1/2 कि.मी.	2.34

परिशिष्ट 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 196 की सूची

नेताजी सुभाष नगर (स्कीम नम्बर 7) टोंक रोड़, सुभाष सिन्धी गृ. नि. स. स. की जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में 22 नवम्बर, 1994 को जमा राशि का विवरण

क.सं.	आवंटी का नाम	भू. सं.	क्षेत्रफल वर्ग गज	संपरिवर्तन शुल्क	संपरिवर्तन पर शास्ति	संपरिवर्तन पर ब्याज	विकास शुल्क	परिधि शुल्क	नियमन शुल्क	नियमन पर ब्याज	अमानता जांच जारी शुल्क	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	श्री प्रकाश चन्द्र जैन	सी-20	252.29	....	....	....	5361	1073	505	594	....	7533
2.	श्री हृदयमोहनजौहरी	सी-12	233.49	....	....	....	4962	993	467	549	....	6971
3.	श्रीमती शांती देवी शर्मा	बी-12	283.71	644	2458	468	6029	1206	568	668	....	12041
4.	श्री अनिल माथुर	बी-5	230.00	2070	2070	621	4888	978	460	541	....	11628
5.	श्री मोहनलाल	सी-19	246.94	....	....	....	5248	1050	494	581	....	7373
6.	श्रीमतीं शशी शर्मा	सी-5	208.05	....	....	....	....	....	191	490	....	681
7.	श्री रामेश्वर लाल	सी-16	216.80	....	....	....	4607	922	434	510	....	6473
8.	श्रीमती प्रेम देवी	सी-17	230.90	....	....	....	4907	982	462	543	....	6894
9.	श्री शिवचरण सिंह	डी-5	233.33	4	....	....	4958	992	....	....	575	6529
10.	श्रीमती गिरराज देवी	सी-21	287.62	....	....	....	6112	1223	576	677	....	8588
11.	श्रीमती मोरी देवी	ए-5	304.44	....	....	....	6470	1294	609	716	....	9089
12.	श्री रामजीलाल गुप्ता	ए-7	208.64	1878	1878	564	4434	887	418	491	....	10550

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	श्री राधेश्याम शर्मा	डी-6	227.50	....	....	....	4835	967	455	535	....	6792
14.	श्री मोहन सिंह वर्मा	डी-8	184.16	....	....	....	3914	783	185	218	....	5100
15.	श्रीमती गोबिन्दी देवी	सी-9	201.25	....	....	....	4277	856	403	474	....	6010
16.	श्रीमती चन्द्रकांता जोशी	सी-18	244.03	....	....	....	5186	1038	489	575	....	7288
17.	श्रीमती उर्मिला गुप्ता	बी-8ए	230.02	2070	2070	621	4888	978	460	541	....	11628
18.	श्री फतेह सिंह	सी-11	266.16	....	....	....	5656	1132	533	627	....	7958
19.	श्री रामबाबू शर्मा	सी-8	201.25	1811	1811	543	4277	856	403	474	....	10175
20.	श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव	बी-4	238.19	....	....	....	5062	1013	477	561	....	7113
21.	श्रीमती कलावती देवी	बी-5ए	223.61	....	....	....	4752	951	447	525	....	6675
22.	श्रीमती कमला देवी	सी-14	202.22	....	....	....	4298	860	405	476	....	6039
	योग :—			8477	10287	2817	105121	21034	9441	11366	575	169118

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 203 की प्रतियां
कार्यालय नगर पालिका नैनवां जिला—बून्दी (राज्य)

क्रमांक : दिनांक :

कार्यालय—आदेश

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर, के पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 27.10.93 को अनुपालना में श्री बाबूलाल शर्मा क. लि. नगर पालिका नैनवां को कार्यालय आदेश क्रमांक 1111 दिनांक 29.3.94 को पालिका सेवा से निलम्बित किया गया था। चूंकि नगर पालिका का कार्य कर्मचारियों के अभाव में लम्बे समय से सम्पादित नहीं हो पा रहा है जिसे सम्पादित करवाया जाना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में श्री बाबूलाल शर्मा क. लि. नगर पालिका नैनवां को जांच विचाराधीन रखते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है। कर्मचारी को निलम्बन काल का वेतन भत्ते आदि भुगतान किये जावे।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
नगर पालिका नैनवां

क्रमांक : नगर पालिका/नैनवां/94/482 दिनांक : 30-6-94
प्रतिलिपि सूचनार्थ :

(1) श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर
(2) श्री बाबूलाल शर्मा क. लि. नगर पालिका नैनवां
(3) लेखा शाखा कार्यालय हाजा
(4) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नैनवां
(5) संस्थापन शाखा, न. पा. नैनवां
(6) गार्ड फाईल।

अध्यक्ष
नगर पालिका नैनवां
जिला–बून्दी (राज.)

क्रमांक : 548–554 दिनांक : 13-7-94

कार्यालय—आदेश

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 27.10.93 की अनुपालना में श्री मुकुट बिहारी शर्मा व. लि. नगर पालिका नैनवां को कार्यालय आदेश क्रमांक 1110 दिनांक 29-3-94 को पालिका सेवा से निलम्बित किया गया था। चूंकि नगर पालिका का कार्य कर्मचारियों के अभाव में लम्बे समय से सम्पादित नहीं हो पा रहा है, जिसे सम्पादित करवाया जाना अति-आवश्यक है। ऐसी स्थिति में श्री मुकुट बिहारी शर्मा व. लि. नगरपालिका नैनवां को जांच विचाराधीन रखते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है। कर्मचारी को निलम्बन काल का वेतन भत्ते आदि भुगतान किये जावे।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष,
नगर पालिका नैनवां,
जिला बून्दी (राज.)

क्रमांक : न./पा./नै./94/स्था./548-554 दिनांक : 13-7-94

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

(1) श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर
(2) श्रीमान् जिलाधीश महोदय, बून्दी
(3) श्री मुकुट बिहारी शर्मा व. लि. नगर पालिका नैनवां
(4) लेखा शाखा कार्यालय हाजा
(5) अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नैनवां
(6) संस्थापन शाखा न. पा. नैनवां
(7) गार्ड फाईल

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
नगर पालिका नैनवां
जिला बून्दी (राज.)

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 206 का विवरण

कार्यालय नगर परिषद्, भीलवाड़ा

दिनांक 1/8/90 से 28/2/95 तक बिलानाम सिवाई चक एवं स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि पर निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की सूची

क्र.सं.	व्यक्ति/समाज/संस्था का नाम	जमीन किस्म	जारी करने वाले अधिकारी का पद
1.	श्री प्रहलाद राय लढ़ा	स्वयं की आराजी	प्रशासक
2.	श्री श्रीलाल लढ़ा	,,	,,
3.	श्री घीसूमल/नथरमल	,,	,,
4.	श्री सत्यनारायण/रामनिवास खण्डेलवाल	,,	आयुक्त साधारण सभा
5.	श्री आत्मसिंह/मूलसिंह	,,	,,
6.	श्री युगलकिशोर सुरोलिया	,,	,,
7.	श्री प्रमोदकुमार सुरोलिया	,,	,,
8.	श्री रामचन्द्र, सुखदेव जाट	बिलानाम पर किये गये कब्जे के नियमन	,,
9.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पुर	बिलानाम भूमि	,,
10.	श्रीमती सुनीता कौर/जगतार सिंह भाटिया	स्वयं की आराजी	सभापति
11.	श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल	बिलानाम	साधारण सभा
12.	श्री निर्मल नुवाल	,,	,,
13.	जिला पशुपाल अधि., भीलवाड़ा	,,	,,
14.	श्रीमती लीलादेवी/श्यामसुन्दर	स्वयं की खाते की जमीन	आयुक्त
15.	श्री शंकरलाल अग्रवाल	,,	साधारण सभा
16.	मीणा समाज, भीलवाड़ा	बिलानाम	,,
17.	अध्यक्ष, ग्रा.से.स.स., सांगानेर	,,	,,
18.	मै. लक्ष्मी सर्विस स्टेशन, भीलवाड़ा	,,	,,

1	2	3	4
19.	मै. साईनाथ क्रेशर, भीलवाड़ा	बिलानाम	साधारण सभा
20.	श्री हीरालाल बगतावरमल कुम्हार	,,	,,
21.	मै. हिन्दुस्तान इंजी. क. भीलवाड़ा	स्वयं की आराजी	,,
22.	श्री नारायण, डालचंद/कजोड जाट	,,	,,
23.	श्री छीतरलाल/बगा कुम्हार	,,	,,
24.	गोपाल स्टोन क्रेशेर	,,	,,
25.	श्रीमती कमलादेवी/जगदीशचन्द्र दरक	,,	,,
26.	श्री मूलचंद शर्मा	स्वयं की	सभापति
27.	श्री राधेश्याम/रामेश्वरलाल बंसल	आराजी	
28.	श्री अध्यक्ष, श्याम सेवा समिति	बिलानाम	साधारण सभा
29.	प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. मालरा	,,	साधारण सभा
30.	नजीर खां/रूस्तम खां	स्वयं की आराजी	सभापति
31.	श्री महेश स्टोर इण्ड., भीलवाड़ा	,,	,,
32.	श्री चन्द्र प्रकाश स्टोन क्रेशर, भील.	बिलानाम	,,
33.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा	,,	,,
34.	श्री रूपलाल एवं शकुन्तला लढ़ा	स्वयं की आराजी	,,
35.	कार्यालय समादेष्टा (पु अ.)	,,	,,
	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, भीलवाड़ा	बिलानाम	,,
36.	शैतानसिंह/भंवरसिंह	स्वयं की आराजी	,,
37.	श्री सत्यनारायण/कन्हैयालाल	,,	,,
38.	श्रीमती कमलादेवी/जगदीशचन्द्र दरक	,,	,,
39.	श्री रामपाल/बद्रीलाल सोनी	,,	,,
40.	श्रीमती कृष्णादेवी पत्नि प्रहलाद राय	,,	,,
	मून्दड़ा, अनुराग/रामपाल सोनी	,,	,,

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 207 की सूची

पचपदरा तहसील की वर्ष 1994-95 में स्वीकृत पेयजल योजनाओं की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित जलस्रोत	विवरण
1.	विस्तार योजना थोरियों की ढाणी	डेरिया में कुआं	
2.	विस्तार योजना मूल की ढाणी	"	
3.	विस्तार योजना गोरो की ढाणी	डोली में कुआ	
4.	नारू उन्मूलन योजना साथुनी पुरोहिथान	बलाउ में कुआ	
5.	संवर्धन योजना खट्टू	नरवाबेरा में कुआ	
6.	नारू उन्मुलन योजना मेडीवासन	बिठूजा में नलकूप	
7.	सुथारो की ढाणी कोड़ूका	हैण्डपम्प	
8.	जाटो की ढाणी कोड़ूका	हैण्डपम्प	
9.	मुसलमानों की ढाणी	हैण्डपम्प	

पचपदरा तहसील की वर्ष 1994-95 में प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित नाम	प्रस्तावित जलस्रोत
1.	पेयजल योजना दायमो की ढाणी	दायमो की ढाणी	रायलानाड़ा में कुंआ
2.	पेयजल योजना कानावास	कानावास	कोड़ूका में कुंआ
3.	पेयजल योजना मिठूडाबेरा नवातला	नवातला नवडाबेरा	मिठूडाबेरा में कुंआ
4.	पेयजल योजना डोली कला डोली खुर्द	अराबा चौहान अराबा दुदवतान अराबा उदा अराबापुरोहितान	डोली में कुंआ
5.	नगरीय योजना बालोतरा	साम्भरा	बिठूजा में नलकूप

241

(251)

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 208 की सूची

बगरू नगरपालिका क्षेत्र में स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण

मोहल्लेवार सूची

क्र.सं. 1	हैण्डपम्प का स्थान 2	हैण्डपम्प की स्थिति 3
1.	आमेर रोड़ पेंट्रोल पम्प के सामने	चालू
2.	हनुमान जी के मन्दिर के सामने	,,
3.	गोविन्द नारायण खाती के पीछे	,,
4.	राजाराम धोबी के सामने	,,
5.	रामचन्द मीणा की ढाणी	अबेन्डेण्ड
6.	रैगरबस्ती छीतरोजी के पास	चालू
7.	रैगरबस्ती सार्वजनिक कुएँ पर	,,
8.	कुमावतों की ढाणी ऊँचा मगरा	,,
9.	कोरिया का बास स्कूल पर	,,
10.	कोन्या के बाग बलाई ढाणी	,,
11.	बलाईयों की ढाणी	,,
12.	रामोला बैरवा ढाणी	,,
13.	हनुमान मीणा की ढाणी	,,
14.	साबा की बगीची रैगर बस्ती	,,
15.	कैलाश रैगर के पास	,,
16.	माताजी की गली रैगर बस्ती	,,
17.	वेपाराम खटीक के पास	,,
18.	गुलाब हरिजन के पास	,,
19.	प्रभू गवारिया के पास	,,
20.	नाथूलाल पटवारी के सामने	,,
21.	शिवालय मंदिर के पास	,,
22.	जलदाय विभाग के सामने	,,
23.	मदनलाल शर्मा के सामने	,,
24.	कल्याण कुमार की ढाणी ऊँचा मगरा	,,
25.	लोरवाडा बाग की ढाणी	,,
26.	संस्कृत विद्यालय के सामने	,,

1	2	3
27.	छीपा बस्ती मंदिर के पास	चालू
28.	बाडी मोहल्ला	,,
29.	जगदीश प्रसाद खाती के सामने	,,
30.	तेली मोहल्ला	,,
31.	कबूतर खाना	,,
32.	मल्लाह बस्ती चुनी का	,,
33.	लोकण्डा की ढाणी	,,
34.	रामेश्वर कुमावत की ढाणी	,,
35.	बारियों की ढाणी	,,
36.	छतरी वाला कुंआ	,,
37.	छीपा मोहल्ला	,,
38.	रैगर मोहल्ला स्कूल	,,
39.	कारग कालोनी	,,
40.	अनाजमण्डी	,,
41.	कुमावत ढाणी अजमेर रोड़	,,
42.	बगवानों का मोहल्ला	,,
43	आदर्श कॉलोनी	,,
44.	नगरपालिका के सामने	,,
45.	जोगी लोकला	,,
46.	खटीक मंच के पास	,,
47.	नाले पर रैगरों का मोहल्ला	,,
48.	चण्डा के बड़ के पास	,,
49.	वालोदिया की स्कूल के पास	,,
50.	स्वामी की ढाणी	,,
51.	शमशान घाट लाल कोठी	,,
52.	मालियों की ढाणी अवालिया	,,
53.	चिकित्सालय के सामने	,,

248

(253)

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची

अप्रेल, 1992 की हडताल के दौरान निलम्बित अभियन्ताओं की सूची

क्र.सं.	नाम	पद
1.	श्री आर. के. शर्मा	सहायक अभियन्ता
2.	श्री महेन्द्र माथुर	केमिस्ट
3.	श्री सुरेन्द्र सिह	कनिष्ट अभियन्ता
4.	श्री आनन्द कुमार माहेश्वरी	सहायक अभियन्ता
5.	श्री एन. के. ओझा	" "
6.	श्री एल. एन. वर्मा	" "
7.	श्री लालजी कश्यप	कनिष्ट अभियन्ता
8.	श्री मो. हारून	" "
9.	श्री सुरेशचन्द खण्डेलवाल	" "
10.	श्री गिरीश नारखेडा	सहायक अभियन्ता
11.	श्री सुधीर पांडे	कनिष्ट अभियन्ता
12.	श्री रवि गोयल	सहायक अभियन्ता
13.	श्री सुरेश चन्द कुर्मी	" "
14.	श्री जीत सिह भाटी	कनिष्ट अभियन्ता
15.	श्री ए. के. गर्ग	सहायक अभियन्ता
16.	श्री पी. के. माथुर	कनिष्ट अभियन्ता
17.	श्री राजीव गुप्ता	सहायक अभियन्ता
18.	श्री विक्रम सिंह	" "
19.	श्री एम. के. अग्रवाल	" "
20.	श्री आर. के. गुप्ता	" "
21.	श्री वी. वी. एस. रावत	" "
22.	श्री वीरेन्द्र कुमार	कनिष्ट अभियन्ता
23.	श्री एम. एस. राठोड़	" "
24.	श्री पी. एम. शर्मा	" "
25.	श्री वी. के. शर्मा	" "
26.	श्री टी. सी. वर्मा	" "
27.	श्री एस. रविन्द्र	" "
28.	श्री गोविन्द छटवानी	सहायक अभियन्ता

(254)

244

1	2	3
29.	श्री पी. एस. आर्य	सहायक अभियन्ता
30.	श्री आर. पी. सिंह	,, ,,
31.	श्री पी. आर. तोषनीवाल	,, ,,
32.	श्री डी. पी. शर्मा	,, ,,
33.	श्री अशोक कुमार	कनिष्ट अभियन्ता
34.	श्री के. के. शर्मा	,, ,,
35.	श्री के. एस. चौहान	सहायक अभियन्ता
36.	श्री डी. एस. जांगिड	,, ,,
37.	श्री एम. एम. माथुर	,, ,,
38.	श्री यू. एस. शर्मा	,, ,,
39.	श्री महेन्द्र कुमार गौड	कनिष्ट अभियन्ता
40.	श्री बी. के. माथुर	सहायक अभियन्ता
41.	श्री जे. पी. शर्मा	कनिष्ट अभियन्ता
42.	श्री जयराज सिंह	,, ,,
43.	श्री एम. आर. चौधरी	,, ,,
44.	श्री वीरेन्द्र चौधरी	,, ,,
45.	श्री विनोद जैन	,, ,,
46.	श्री के. के. खान	,, ,,
47.	श्री अमिताभ देवड़ा	,, ,,
48.	श्री अशोक जोशी	,, ,,
49.	श्री नरेन्द्र विजय	,, ,,
50.	श्री एस. के. भट्ट	सहायक अभियन्ता
51.	श्री ए. के. सिंह	कनिष्ट अभियन्ता
52.	श्री पी. के. देवा	,, ,,
53.	श्री एच. एस. महला	सहायक अभियन्ता
54.	श्री ए. पी. शर्मा	कनिष्ट अभियन्ता
55.	श्री पृथ्वीराज भाजरा	,, ,,
56.	श्री आर. के. सैनी	,, ,,
57.	श्री के. के. बंसल	,, ,,
58.	श्री टीकम राम	,, ,,
59.	श्री ए. वी. सोनी	,, ,,
60.	श्री सुखराम विश्नोई	,, ,,
61.	श्री जे. के. बोहरा	,, ,,

1	2	3
62.	श्री अनिल ढढ्ढा	कनिष्ट अभियन्ता
63.	श्री वी. एस. चौधरी	सहायक अभियन्ता
64.	श्री गयासुद्दीन	कनिष्ट अभियन्ता
65.	श्री रतनलाल चौधरी	,, ,,
66.	श्री एन. के. व्यास	,, ,,
67.	श्री फजल कबीर	,, ,,
68.	श्री महेन्द्र कुमार सांखला	सहायक अभियन्ता
69.	श्री ए. के. पुरोहित	कनिष्ट अभियन्ता
70.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	,, ,,
71.	श्री विजय करंजकर	सहायक अभियन्ता
72.	श्री जी. डी. अन्सारी	कनिष्ट अभियन्ता
73.	श्री एस. एस. तंवर	सहायक अभियन्ता

सेवा से पृथक कर पुनः मण्डल सेवा में लिये गये कनिष्ट अभियन्ताओं की सूची

1. श्री चन्द्र शेखर शर्मा
2. श्री एन. के. मोटियार
3. श्री शैलेन्द्र गुप्ता
4. श्री अभिताभ गुप्ता
5. श्री बालकिशन गुप्ता
6. श्री जीत सिंह यादव
7. श्री हरपाल सिंह डाहर
8. श्री दिलीप कुमार जैन
9. श्री अतुल शर्मा
10. श्री नरेश लाल गाडिया
11. श्री संजय मामगैन
12. श्री विष्णु दत्त दुबे
13. श्री गिरधारी लाल गुप्ता
14. श्री कमलेश चन्द जोशी
15. श्री अजय कुमार जैन
16. श्री पवन चित्तौड़ा
17. श्री अनुपम कौशिक
18. श्री सुरेन्द्र सिंह
19. श्री जयन्त पोरवाल

1	2
20.	श्री अनिल कुमार बंसल
21.	श्री प्रदीप माहेश्वरी
22.	श्री अशोक गोयल
23.	श्री संजय कालरा
24.	श्री वीरेन्द्र सिंह बेनीवाल
25.	श्री अशोक कुमार गुप्ता
26.	श्री लक्ष्मीनारायण
27.	श्री प्रसन्न माहेश्वरी
28.	श्री दिनेश सिंह
29.	श्री कमलदीप तुली
30.	श्री राजेश गुप्ता
31.	श्री बनवारी लाल
32.	श्री विपिन कुमार गुप्ता
33.	श्री महेश खण्डेलवाल
34.	श्री अजय कुमार शर्मा
35.	श्री विनीत पांडे
36.	श्री कैलाश शर्मा
37.	श्री भूपेन्द्र शर्मा
38.	श्री दिनेश कुमार गुप्ता

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 218 की सूचियाँ

31-3-94 तक ग्राम पं. सं. के विद्युतीकृत की वर्षवार सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण की तिथि
1.	आवर	26-4-127	31-3-73
2.	गुराडिया कलां	141	20-3-79
3.	पगडिया	129	30-6-79
4.	विस्तुनिया	113	28-9-79
5.	ठीकरिया	119	"
6.	मीमनी	131	30-11-79
7.	सेमली	125	"
8.	करावन	117	31-12-79
9.	सिहलगढ़	104	29-2-80
10.	मरलवदा	106	"
11.	बनी	114	31-7-80
12.	ग्रऊ खेडी	111	31-12-80
13.	सिंहपुरा	112	28-2-83
14.	जाजनी	136	24-9-84
15.	मोऊ खेडी	138	31-10-84
16.	भीकडिया	103	30-11-84
17.	गांगलिया खेडी	116	"
18.	खेड़ा	139	31-12-84
19.	चन्द्रपुरा	118	30-3-85
20.	खण्डार	123	"
21.	हुत्या जोड़	135	"
22.	खोखरिया कलां	107	25-1-85
23.	खोखरिया खुर्द	115	28-2-86
24.	गुराडिया खुर्द	122	"
25.	पायरा	130	"
26.	शेखपुरा	128	"
27.	दुगनी	120	18-3-86

1	2	3	3
28.	घुघवा	109	31-3-86
29.	छान का खेड़ा	108	"
30.	गंगाधर	26-6-27	16-2-67
31.	कोलवी उर्फ मंडी राजेन्द्रपुर	29	16-10-67
32.	डग	178	25-2-72
33.	गोल खेडी	28	"
34.	उन्हेल	108	23-11-78
35.	हरनावडा	145	28-2-79
36.	क्यासरा	153	28-3-79
37.	मल्हारगंज	62	30-4-79
38.	चिस्तीपुरा	61	"
39.	तलावली	26-6-92	30-4-79
40.	बिलावली	60	"
41.	कुटकी	59	"
42.	मण्डीरपुर	126	31-7-80
43.	मडका	124	29-10-80
44.	माटखेडी	58	28-2-83
45.	पीपाखेडी	91	"
46.	हरनीखेडा	33	"
47.	बेरला	100	25-3-83
48.	बरडीया	147	"
49.	पदमा खेड़ी	88	"
50.	कल्याणपुरा	167	"
51.	बडिया वीरजी	89	26-8-83
52.	जामुनिया	73	31-10-83
53.	गुनाई	144	30-3-85
54.	बुमारनी गागुरनी	148	31-3-86
55.	डाबला	149	"
56.	नाथू खेडी	26-4-124	31-10-86
57.	राजपुरा	133	"
58.	चांदखेडी	121	"
59.	जालनी	152	31-12-86
60.	खोली खेडी	110	"

1	2	3	4
61.	लाड खेड़ा	126	28-2-87
62.	सालरिया	142	,,
63.	बिलायडा	140	31-3-87
64.	हिदायतनगर	26-6-168	30-11-87
65.	पीपल्या कलां	165	31-1-88
66	दुधलाई	125	,,
67.	घाटी	181	31-3-88
68.	घामन्दा कलां	134	,,
69.	घामन्दा खुर्द	135	,,
70.	पतलाई	127	,,
71.	उमरिया	131	28-2-89
72.	मेरू खेड़ी	128	,,
73.	भैसासर	138	,,
74.	सुजानपुर	136	,,
75.	डोरी	179	,,
76.	धनुरिया	152	,,
77.	कबीरी	151	3-10-88
78.	कालवी	141	3-89
79.	पाडला	140	31-7-89
80.	सारंग खेड़ा	162	,,
81.	सेमली छारोट	26-6-20	30-11-89
82.	भैसड़िया	159	32-12-89
83.	नीपानिया	129	27-1-90
84.	सकारिया	16	,,
85.	रोझाना	23	,,
86.	मेलकी	66	,,
87.	डाबला	84	28-2-90
88.	सुनारी	82	,,
89.	किसननगर	139	30-6-89
90.	लूना खेड़ी	64	31-10-89
91.	लूना खेड़ा	65	,,
92.	करनपुरा	26	,,
93.	गुराड़िया झाला	18	,,
94.	जेता खेड़ी	25	31-10-89

260

1	2	3	4
95.	बोरडिया लाख	102	2-91
96.	गोविन्दपुरा	160	2-91
97.	गुवालदा	68	,,
98.	चोर बर्डी	80	,,
99.	डोबदा	191	,,
100.	परसाली	184	,,
101.	तीसाई	121	,,
102.	उदयपुर	123	,,
103.	केलू खेड़ा	67	,,
104.	खुरचन्या	70	,,
105.	लसारिया	74	,,
106.	सरवर	103	,,
107.	कुन्डला	38	4-91
108.	कोलवा गुजर	12	21-2-92
109.	विशनिया	30	2-92
110.	जगदीशपुरा	175	,,
111.	पीपलीया खुर्द	132	,,
112.	कीचारिया खेड़ी	26-4-105	4-92
113.	परालिया	26-6-36	,,
114.	चाचुर्नी	170	,,
115.	पीपल्दा	71	,,
116.	बनरूड़ी	8	,,
117.	सेमली गेहलोत	5	,,
118.	मडका	40	,,
119.	अखनी	39	,,
120.	गुराडिया देवरा	57	25-1-94
121.	कचनारा	117	4-93
122.	फजीलपुर	153	,,
123.	शेखपुर	154	,,
124.	सालरिया	155	,,
125.	नन्दपुरा	156	,,
126.	लुहारिया	157	,,
127.	पुबोडला	158	,,

सूची–'ब'

डग पं. सं. के शेष विद्युतीकृत किये जाने वाले ग्रामों की सूची 31-3-94 तक ।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	रावतपुरा	26-6-15
2.	दरियाकिलोल	14
3.	करना खेड़ी	13
4.	रलायनी	11
5.	घटिया	9
6.	बोरखेड़ी करमचन्द	10
7.	झिकड़िया	7
8.	अक्या गहलोत	6
9.	मून्डला	2
10.	छटिपया	4
11.	माकोडिया	4
12.	पारा पीपली	1
13.	रापा खेड़ी	32
14.	पिपलाई	31
15.	रनायदा	34
16.	निपानिया झाला	37
17.	रानी खेडी	46
18.	देवरिया कांवल	35
19.	डोकर खेडी	47
20.	रावन गुरोडी	45
21.	हुडमत्या रतना	48
22.	पडासली	43
23.	सोमचिडी	44
24.	खेजड़िया	41
25.	सन्दिरा	42
26.	लाखा खेड़ी उमर	56
27.	खसर खेड़ी	55
28.	कीटिया	93
29.	छायन	54

(262)

1	2	3
30.	मजनपुर	51
31.	अरन्या	52
32.	निसाल खेड़ी	53
33.	टोंकड़ा	50
34.	हुकमत्या मोरा	49
35.	सालरिया	99
36.	बामन देवरिया	94
37.	चांद खेड़ी	95
38.	खेर खड़ा	98
39.	कर्मा खेड़ी	97
40.	रायपुरिया	96
41.	कागड़िया	106
42.	धर्मपुरी	107
43.	खोलखेड़ी	105
44.	खिड़ी	104
45.	कुमेडिया	112
46.	चड़ा	113
47.	बलि खेड़ी	111
48.	बरडिया हरिजी	114
49.	डोकर खेड़ा	110
50.	सेदरा	109
51.	दुधालिया	171
52.	रतनपुरा	173
53.	राजपुरा	122
54.	लाखाखेड़ी बरमार	101
55.	मगसी	115
56.	पुवार खेड़ी	86
57.	निपानिया कालू	24
58.	हुसामदी	22
59.	टिगारिया	76
60.	नया खेड़ा	69
61.	देवगढ़	72

1	2	3
62.	रूमला	130
63.	गुराडियाइसर	75
64.	शिवगढ़	172
65.	घाटा खेड़ी	120
66.	गिरधरपुरा	176
67.	चोकड़ी कलां	174
68	गुढ़ा	177
69	टोकड़ा	192
70.	केकला	83
71.	बोर खेड़ी आजना	87
72.	रामपुरा	116
73.	जेता खेड़ी	26-6-172
74.	गुरडा	17
75.	धीगनी	19
76.	करनालिया	31
77.	मोकल खेड़ी	63
78.	टापली	77
79.	बेटी खेड़ी	78
80.	देवगढ़	26-4-173
81.	बोरखेड़ी कषराना	26-6-79
82.	देवला खेड़ी	81
83.	बर खेड़ा	85
84.	सुहागड़ा	118
85.	खेखरी	119
86.	माधवी	137
87.	कीटिया	143
88.	करनपुरा	150
89.	सिकन्दरपुरा	160
90.	बोरखेड़ा	24-4-134
91.	आवया परमार	26-6-98
92.	मालपुरा	142
93.	डोलीसरना	164

264

254

1	2	3
94.	दरियापुरा	179
95.	चन्द्रपुरा	133
96.	पर्थीगढ़	166
97.	कुंडिया	146
98.	केलु खेड़ा	185
99.	नाहर घट्टी	186
100.	बनी खेड़ी	183
101.	मंगवालिया	182
102.	विरमा खेड़ी	188
103.	सकतपुर	187
104.	छान	190
105.	महुरी खेड़ा	180

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 219 का विवरण

रेंज जहाजपुर में वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की सूची एवं कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	वनखण्ड	क्षेत्रफल जिस पर अतिक्रमण हुआ	प्रकरण दर्ज करने को दिनांक	न्यायालय में पेश करने की दिनांक	मुकदमें सुनवाई की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री मांगी लाल पाराशर पुजारी	चवलेश्वर वनखण्ड	0.58 है.	2-6-93	1-1-94	7-2-95/18-2-95/ 25-2-95/ 8-3-95/ 21-3-95
2.	उदा/मांगीलाल खटीक	चांदपारी-सी	9.5 × 6	21-5-94	3-6-94	,,
3.	छीतर/मांगीलाल खटीक	,,	9.75 × 9.5 मी.	21-5-94	3-6-94	,,
4.	महावीर/दुर्गालाल खटीक	,,	4.6 × 3 मी.	21-5-94	3-6-94	,,
5.	जोधू/देवा कीर	,,	12.8 × 18.3 मी.	21-5-94	3-6-94	,,
6.	पेमा/सवाजी रेगर	,,	15.3 × 12.2 मी.	21-5-94	3-6-94	,,
7.	नंदलाल/राधा किशन खटीक	,,	4 × 3 मी.	21-5-94	3-6-94	,,
8.	भैरू/कालू कीर	,,	70.7 × 7.6 मी.	28-5-94	3-6-94	,,
9.	केसरलाल/मोडूलाल ब्राह्मण	,,	22 × 17.7 मी.	6-6-94	17-6-94	,,

266

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 220 की सूचियां

तहसील भीम जिला राजसमन्द के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

सूची "अ"

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण तिथी
1.	अजीतगढ़	20/1/40	2/85
2.	अखेगढ़	17	9/89
3.	अमरपुरा	20	3/88
4.	आमनेर	46	2/85
5.	अन्टाली	76	3/90
6.	बादनी	29	3/86
7.	बगड़	72	11/71
8.	बाघाना	81	9/70
9.	बली	43	1/76
10.	बांसावारी	85	3/84
11.	बार	25	11/88
12.	बरार	56	3/66
13.	बाडिया हीरा	19	3/88
14.	बरजाल	83	11/70
15.	बालीयावास	33	2/86
16.	बीरम गुढ़ा	74	11/89
17.	भैरूखेड़ा	24	2/89
18.	भरतवा	31	3/86
19.	भील खेड़ा	47	2/85
20.	भैरा गुडा	82	12/80
21.	भीम	51	9/66

1	2	3	4
22.	भोपालगढ़	10	5/89
23.	बोरवा	1	10/88
24.	चेला	73	11/79
25.	छापली	84	9/70
26.	डाबजर	79	3/94
27.	डंसरिया	55	3/87
28.	दवेर	86	9/70
29.	देहड़िया	37	1/89
30.	देवखेड़ा	6	3/90
31.	धवाला कलां	65	5/91
32.	धवाला खुर्द	68	5/91
33.	धोली	49	11/84
34.	डूंगरखेड़ा	28	3/86
35.	फता खेड़ा	16	11/88
36.	घाटा	35	1/89
37.	गुडा चाट	92	2/85
38.	गुढा केसा	90	6/71
39.	हथूड	20/1/11	10/88
40.	जयनगर	26	3/88
41.	जेता खेड़ा	18	9/89
42.	जैतगढ़	22	3/79
43.	जैतपुरा	3	2/90
44.	जसवन्तपुरा	15	1/93
45.	झुडिया	89	10/88
46.	भूंतरा	66	5/91
47.	काछवली	63	11/71
48.	काहरी	87	2/87
49.	कालादेह	48	2/85

1	2	3	4
50.	काला गुमान	93	2/85
51.	कालेटरा	53	1/86
52.	कानिया खेड़ा	21	2/88
53.	कानियाना	77	12/89
54.	करकरा	42	2/93
55.	कथार	67	11/93
56.	केसरपुरा	9	5/89
57.	खीमा गुढ़ा	80	8/91
58.	खेड़ा जस्सा	87	3/80
59.	खेड़ो का खेड़ा	5	9/89
60.	खेता खेड़ा	30	2/90
61.	कूकड़ा	41	3/85
62.	कूकर खेड़ा	52	3/77
63.	लगेत खेड़ा	12	3/88
64.	लाखा गुढ़ा	61	11/71
65.	माना नगला	4	2/90
66.	मण्डावर	62	11/71
67.	मिनकियावास	94	3/85
68.	मूठिया	91	11/88
69.	मोटा गुढ़ा	78	3/90
70.	नावरी	60	11/90
71.	नालोई लालपुरा	34	2/85
72.	नन्दावट	50	11/84
73.	नयागांव	14	2/89
74.	पालरा	39	12/86
75.	पीपली	20/1/70	11/71
76.	पीया गुढ़ा	75	3/93
77.	पीपरे	88	3/90

1	2	3	4
78.	राजोर	2	2/90
79.	समेलिया	38	2/85
80.	सारोठ	32	3/86
81.	शेखावास	13	3/88
82.	श्योपुरा ग्राम	27	3/88
83.	सुनार कुड़ी	54	12/79
84.	सवाजना चैनपुरा	7	10/89
85.	टिबाना	45	8/85
86.	तितरी	36	12/86
87.	तेलड़ा	71	11/92
88.	ठीकरवास कलां	59	1/80
89.	ठीकरवास खुर्द	58	11/84
90.	थोरिया	69	11/92
91.	टोगीं	44	11/86
92.	उदपुरा	64	11/93
93.	उमर बावड़ी	8	10/88
94.	उम्मेदपुरा	23	2/89

(270)

261

सूचि-"अ"

पंचायत समिति देवगढ़, जिला राजसमन्द के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण दिनांक
1.	ताल	20/2/8	31-3-66
2.	कलवालों की आटी	38	20-3-69
3.	लासनी	22	31-3-66
4.	स्योपुरी	44	31-3-70
5.	माडा की बस्सी	113	20-10-70
6.	टुराडा	114	18-6-71
7.	कमला (ग्रामीण)	48	31-11-71
8.	ईसरमन्ड	21	21-1-74
9.	सूरतपुरा	5	30-2-80
10.	चूता आसन	50	31-3-80
11.	लक्ष्मीपुरा	3	31-3-80
12.	मियाला	1	31-3-81
13.	प्रितामपुरा	58	25-9-81
14.	घोलपुरा	60	30-9-81
15.	फारालिया	61	30-9-81
16.	अजना	62	25-9-81
17.	कुथाला	121	29-9-81
18.	मटारिया	34	20-11-81
19.	नीमसर	32	23-11-81
20.	पीर का खेड़ा	64	23-11-81
21.	माकियों का बास	33	23-11-81
22.	जोमा खेड़ा	63	28-11-81
23.	कालेसरिया	29	28-11-81
24.	बटेरी	13	20-3-83
25.	डोला जी का खेड़ा	80	25-2-83
26.	सवादड़ी (ए)	55	25-2-83
27.	सवादड़ी (बी)	104	25-2-83

1	2	3	4
28.	सेगो	105	20-3-83
29.	सालंकियों का गुढ़ा	103	25-3-83
30.	पानड़ी	124	25-3-83
31.	गोयना	101	25-3-83
32.	रेलायता	14	30-9-83
33.	भगतपुरा	99	29-12-83
34.	पानिमा	92	29-12-83
35.	सालियाखेड़ा	75	31-1-84
36.	भरतसिंह का गुढ़ा	83	31-1-84
37.	कांवास का गुढ़ा	84	31-1-84
38.	बखलों का खेड़ा	68	फरवरी, 84
39.	भांचारिया	70	फरवरी, 84
40.	मदवा	85	28-2-85
41.	कुण्डवड़ा	88	28-2-85
42.	तेल खेड़ा	69	29-3-85
43.	संग्रामपुरा	45	29-3-85
44.	पटे की भारी	40	29-3-85
45.	रश्मि	39	29-3-85
46.	कुन्डेली	43	29-3-85
47.	नरदास का गुढ़ा	112	25-2-86
48.	संगवास (बी)	41	29-3-85
49.	घाटी	37	29-3-85
50.	वियाना	119	25-2-86
51.	कमेड़ी	129	मार्च, 86
52.	मण्डवाड़ा	76	मार्च, 86
53.	नराना	96	अक्टूबर, 85
54.	देवगढ़ (ग्रामीण)	51	31-3-64
55.	विजयपुरा (ग्रामीण)	49	3-10-86
56.	कोंडड़ा	86	31-3-87
57.	मुण्डावास	56	10/86
58.	सड़वा का बास	67	12/86
59.	महासिंह जी का खेड़ा	94	12/87

(272)

262

1	2	3	4
60.	ककरोद	16	1/88
61.	समरनाका	80	1/88
62.	अर्जुनगढ़	10	2/88
63.	कालागुण	6	2/88
64.	मालाजी का गुढ़ा	125	3/88
65.	देवपुरा	23	3/88
66.	भगतपुरा (ए)	98	10/88
67.	सेन्द का खेड़ा	36	10/88
68.	अनोपपुरा	74	11/88
69.	हीरा की बस्सर (बी)	52	11/88
70.	तीखी	59	11/88
71.	डाला का खेड़ा	130	फरवरी, 89
72.	माड	131	फरवरी, 89
73.	रान	123	फरवरी, 89
74.	कुराछो का खेड़ा	35	मार्च, 89
75.	देवारिया	127	मई, 89
76.	माताजी का गांव	128	मई, 89
77.	फुकिया का थार	46	नवम्बर, 89
78.	कुवारिया	24	नवम्बर, 89
79.	खाकरदा	30	नवम्बर, 89
80.	पनियाना	25	12-12-89
81.	मालकोट	17	दिसम्बर, 89
82.	टोकड़ा	108	फरवरी, 90
83.	राणिया	117	फरवरी, 90
84.	टोपलों का खेड़ा	116	फरवरी, 90
85.	सकरगढ़	2	"
86.	कांतरा	133	"
87.	रतना जी का गुढ़ा	109	"
88.	बुग्रालिया	132	मार्च, 90
89.	किसनपुरा	53	मार्च, 90
90.	वेना का खेड़ा	31	नवम्बर, 90
91.	कुम्राखेड़ा	12	"

1	2	3	4
92.	डांगडी	93	30-9-90
93.	कीटों का वाडिया	47	30-9-90
94.	रघुनाथपुरा	4	अप्रेल, 91
95.	मालक मालिया	20	"
96.	बिलाखी	66	"
97.	भुडवाड़ा	94	"
98.	चारदा	78	"
99.	अम्बाखेड़ा	89	30-11-91
100.	बन्जारिया	91	30-12-91
101.	खाराणिया	11	"
102.	कनवाड़ा	71	जनवरी, 92
103.	चावलारेल	28	"
104.	जरका	27	फरवरी, 92
105.	जोगेला	57	"
106.	केरपुरा	122	जनवरी, 93
107.	वागा का खेड़ा	72	12/92
108.	भैरू खेड़ा	65	"
109.	हालेला	1/5	3/93
110.	चुन्दी	107	"
111.	उन्दावास	9	10/93
112.	बाडिया	18	30-1-94
113.	वीड देवगढ़	82	28-2-94
114.	मीडिया खेड़ा	97	30-12-93
115.	जीरान	102	30-1.94
116.	बनिया हाथड़ी	19	दिसम्बर, 89
117.	बुभड़ा	87	12/86
118.	पारजी	90	3/87

सूची "ब"

पं. स. देवगढ़ के अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	
1.	चक कालागुन	20/2/7	
2.	सांगावास	42	
3.	हीरा की बस्सी	51	
4.	लाल जी का खेड़ा	73	
5.	बेराबास	77	
6.	सुलिया	106	
7.	सूरजी का खेड़ा	110	
8.	डोडिया खेड़ा	111	
9.	जवारजी का खेड़ा	125	
10.	पुसालों का खेड़ा	15	पेज 94–95
11.	माल जी का खेड़ा	26	"
12.	रघुनाथपुरा	79	"
13.	सांसरिया	100	"
14.	जडसा	118	"
15.	पीथाखेड़ा	120	"

पंचायत समिति आमेट

क. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	
1.	सरदारपुरा	20/3/76	
2.	मोडारडा का खेड़ा	88	
3.	वलाचाव का गुढ़ा	82	
4.	लोट का गुढ़ा	71	
5.	धुकल सिंह का खेड़ा	14	
6.	मोपालपुरा	57	फेज 94-95
7.	माणक देह	36	फेज 94-95
8.	गुमानजी का खेड़ा	37	फेज 94-95
9.	बिशनपुरिया	35	फेज 94-95
10.	मोपा की भागल	109	फेज 94-95
11.	ढेरडो का गुढ़ा	23	फेज 94-95

पंचायत समिति राजसमन्द

1.	पीथावास	20/5/129	
2.	गुगलेटा	61	
3.	गोवलिया	30	
4.	मुण्डल	19	
5.	उम्मेदपुरा	21	फेज 94-95
6.	दौलतपुरा	8	फेज 94-95
7.	खेतो की भागल	2	फेज 94-95
8.	डाबला	1	फेज 94-95
9,	पदमपुरा	31	फेज 94-95
10.	खेमा खेड़ा	38	फेज 94-95

पंचायत समिति कुम्भलगढ़

1.	पुठिया	20/4/35	
2.	लेवा का तालाब	45	
3.	जड	60	
4.	चोषनों का गुढ़ा	115	
5.	घूनी की भागल	156	
6.	मामादेव की भागल	154	
7.	बल्लो का गुढ़ा	153	
8.	गंगागुढ़ा	108	
9.	पीवोरों की भापल	158	
10.	रूपनगर	36	फेज 94-95
11.	कोटड़ा	83	फेज 94-95
12.	गामड़ी का नाल	120	फेज 94-95
13.	चपटेलो की भागल	143	फेज 94-95
14.	आमलियार	53	फेज 94-95
15.	बलवास	94	फेल 94-95

276

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 230 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 90-91 से अब तक कृषि विपणन बोर्ड के तहत स्वीकृत सड़कों की सूची का नाम

स्वीकृत वर्ष	सड़क का नाम	किमी
1990–91	—	
1991–92	1. स. स. अनन्तपुरा से जयरामपुरा बास	3.00
	2. स. स. करणगढ़ से मोरण्डा वाया रूपपुरा	3.00
	3. स. स. बस्सी तूंगा रोड से नई का नाथ महादेवजी	4.50
	4. स. स. लालगढ़ से गढ़ वाया बाडा की ढाणी	2.00
	5. स. स. खतुपुरा	1.00
	6. स. स. तूंगा से महादेवपुरा	3.00
	7. स. स. नेशनल हाईवे 11 से रामसर पालावाला वाया दूधावाली	3.00
	8. स. स. देवगांव से काशीपुरा	2.00
	9. स. स. प्रह्लादपुरा से जय राम का बास	4.50
	10. स. स. तूंगा से हैमलियावास	3.00
	11. स. स. बैनाडा से मावपुरा	2.50
1992–93	1. स. स. बस्सी से सांभरिया रोड से बराला	1.00

1	2	3
	2. स. स. बस्सी से जीतावाला	0.50
	3. स. स. बस्सी से करणगढ़	1.00
	4. स. स. माधोगढ़ से अनन्तपुरा	0.80
1993-94	1. स. स. बस्सी यार्ड से दूधला वाया रतनपुरा कल्याणपुरा	4.00
	2. स. स. धनाऊ से काशीपुरा	4.50
	3. स. स. बांसखो रेलवे स्टेशन से पीतली वाया गूजरों की ढाणी	5.00
	4. स. स. बस्सी से जीतावाला	2.50
	5. स. स. खतुपुरा	1.00
	6. स. स. बस्सी से जीतावाला	1.00
1994-95	1. स. स. लालगढ़ से गढ़ वाया बाडा की ढाणी (मिसिंग लेंथ)	2.00

परिशिष्ट "ब"

वर्तमान में चालू हालत में सड़कों का एवं अधूरी सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	विशेष विवरण
चालू सड़कों का विवरण		
1.	स. स. बस्सी से जीतावाला	
2.	स. स. घनाऊ से काशीपुरा	
3.	स. स. बस्सी यार्ड से-दूदली	
4.	स. स. बस्सी तूंगर रोड से नई का नाथ महादेवजी	
5.	स. स. बांसखो से रेलवे स्टेशन से पोतली	
6.	स. स. लालगढ़ से गढ़ वाया बाडा की ढाणी	
अधूरी सड़कों का विवरण		
1.	स. स. बस्सी व तूंगा से नई का नाथ महादेवजी	वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य करा दिया जावेगा।
2.	स. स. कानोता सांभरिया रोड से बराला	भूमि विवाद के कारण।

परिशिष्ट 'क'

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 का विवरण

कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरगंज की गत तीन वर्षों में मदवार कुल आय का विवरण

क. सं.	मद	1991–92	1992–93	1993–94
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क	1729.00	1721.00	1469.00
2.	मण्डी शुल्क	669658.68	1209664.77	1516623.89
3.	विलम्ब शुल्क	314.70	2482.82	7527.52
4.	पुस्तक फार्म बिक्री	1118.25	3353.00	2484.75
5.	जमाधन पर ब्याज	62980.00	80169.49	77215.20
6.	भवन किराया	42747.00	44765.00	53672.00
7.	ठेके से आय	—	1630.00	2760.00
8.	ग्रामीण गोदाम किराया	11499.65	10152.90	15910 70
9.	ऋण एवं अग्रीम	19625.00	17230.00	15977.00
10.	अमानताएँ	81989.00	90700.00	67568.00
11.	अन्य आय	3024.85	6690.00	9611.50
	योग	894686.13	1468559.43	1770819.56

271

परिशिष्ट "ख"

कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरगंज में गत तीन वर्षों की कुल आय व व्यय का विवरण

वर्ष 1991–92		1992–93		1993–94	
आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
894686.13	1108692.07	1468559.43	637871.13	1770819.56	666783.59

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 235 की सूची

पंचायत समिति का नाम	क्र. सं.	वर्ष 94–95 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय	विद्यालय स्वीकृत करने की तिथि	स्वीकृत विद्यालयों में अध्यापकों के पदस्थापन की तिथि	वर्ष 94–95 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या	प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जाने का का कारण
1	2	3	4	5	6	7
दौसा	1.	करणपुरा	18-10-94	जिला परिषद द्वारा चयनित अध्यापकों का आवंटन नहीं किये जाने के फलस्वरूप अध्यापकों का पदस्थापन नहीं किया।	—	अध्यापकों का पदस्थापन नहीं होने के कारण विद्यालय नहीं खोले गए।
	2.	आनन्दपुरा	,,	,,	—	,,
	3.	राजपुरा	15-11-94	,,	—	,,
	4.	होदायली	,,	,,	—	,,
	5.	रूहासपुरा	,,	,,	—	,,
	6.	गोविन्दपुरा	,,	,,	—	,,
	7.	बीडलवान	,,	,,	—	,,
	8.	मूसोलाई	,,	,,	—	,,
	9.	पूरणवास	,,	,,	—	,,

271

(281)

272

282

1	2	3	4	5	6	7
	10.	जनसहामपुरा	15--11--94	जिला परिषद द्वारा चयनित	—	अध्यापकों का पदस्थापन नहीं
	11.	बिदरखा	,,	अध्यापकों का आवंटन नहीं	—	होने के कारण विद्यालय नहीं
	12.	किशोरपुरा	,,	किये जाने के फलस्वरूप	—	खोले गए।
	13.	घोघा का बास	,,	अध्यापकों का पदस्थापन	—	,,
	14.	जैतपुरा	,,	नहीं किया।	—	,,
	15.	बादडी	,,	,,	—	,,
	16.	नवागांव	3--12--94	,,	—	,,
	17.	मलरना (कन्या)	,,	,,	—	,
लालसोट	18.	जाडोली	18--10--94	,,	—	,,
	19.	रामपुरा मीनों की ढाणी	,,	,,	—	,,
	20.	नेहरी जसवंतपुरा	,,	,,	—	,,
	21.	सुल्तानपुरा	,,	,,	—	,,
	22.	दीपापलीखुर्द	,,	,,	—	,,
	23.	कवरपुरा	15--11--94	,,	—	,,
	24.	साहसपुरा	,,	,,	—	,,
	25.	चकचादपुर	,,	,,	—	,,
	26.	बोडियावास	,,	,,	—	,,
	27.	ढेरीवाडा	,,	,,	—	,,
	28.	अरनियाखुर्द	,,	,,	—	,,

1	2	3	4	5	6	7
	29.	पालडी	15–11–94	जिला परिषद द्वारा चयनित	—	अध्यापकों का पदस्थापन नहीं
	30.	चारणवास	,,	अध्यापकों का आवंटन नहीं	—	होने के कारण विद्यालय नहीं
	31.	भारमन का वास	,,	किये जाने के फलस्वरूप	—	खोले गए।
	32.	भेडियावास	,,	अध्यापकों का पदस्थापन	—	,,
	33.	कांकरिया	,,	नहीं किया।	—	,,
	34.	जयसिंहपुरा	,,	,,	—	,,
	35.	गूजरहेडा	,,	,,	—	,,
	36.	मोजमार	,,	,,	—	,,
	37.	पाटी चिमनपुरा	,,	,,	—	,,
	38.	विजयपुरा	,,	,,	—	,,
	39.	गोविन्दपुरा	,,	,,	—	,,
	40.	मानुवास	,,	,,	—	,,
	41.	श्रीसुखचैनपुरा	,,	,,	—	,,
	42.	बडसेन	3–12–94	,,	—	,,
	43.	टोडाढेकला घीराम का घोरा		,,	—	,,
बांदीकुई	44.	गदाहेडा	18–10–94	22–12–94 एवं	28	,,
	45.	आशापुरा	,,	4–1–95	28	,,

1	2	3	4	5	6	7
	46.	पापडाकी	18–10–94	21–12–94	20	अध्यापकों का पदस्थापन नहीं
	47.	कछनाली	,,	एवं	20	होने के कारण विद्यालय नहीं
	48.	मालीवास	,,	4–1–95	14	खोले गए।
	49.	बगारी का बास	,,	,,	79	,,
	50.	गूजरवाडा	15–11–94	22–12–94	21	,,
	51.	डोरवाडा	,,	एवं	13	,,
	52.	नानगवाडा	,,	4–1–95	46	,,
	53.	राजाहेडा	,,	,,	15	,,
	54.	जयलालपुरा	,,	,,	14	,,
	55.	करेतिया	,,	,,	33	,,
	56.	हांगरिया	,,	,,	13	,,
सिकराय	57.	पाटीसोल्हसिंह	3–11–94	11–3–95	74	,,
	58.	बाढबेरावडा	,,	20–3–95	20	,,
	59.	गूजरों की ढाणी	3–12–94	पदस्थापन नहीं	—	मध्य सत्र में छात्रों
		खेजडी वाली ढाणी (कन्या)		किया गया	—	द्वारा शाला में प्रवेश
महुवा	60.	नया गांव	18–10–94	—	—	न लेने के कारण।
	61.	कर्बनपुरा	,,	8–3–95	15	पूर्व में संस्कृत विद्यालय
	62.	नागल कोलरा	,,	,,	11	होने के कारण शाला
	63.	नागल चारण	15–11–95	8–3–95	19	नहीं खोली गई।

1	2	3	4	5	6	7
	64.	खेडली खुर्द	15-11-94	8-3-95	12	—
	65.	पीपलीपाडा	"	"	14	—
	66.	गढी पट्टी	"	"	16	—
	67.	मीरामपुर पाटी	"	"	17	—

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 236 की सूचियां

पंचायत समिति टोडाभीम में वर्ष 1990 से 1995 तक विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि व खर्च योजनावार विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	वर्ष 1989–90		1990–91		1991–92		1992–93		1993–94		1994–95	
		आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च
1.	जीवनधारा	11.82	0.31	3.14	4.27	16.57	16.03	8.00	99.79	—	1.03	—	0.56
2.	इन्दिरा आवास	2.34	0.67	7.91	7.46	3.31	3.81	9.24	4.72	19.60	17.85	5.00	12 06
3.	ओ. बी. बी. शाला भवन	—	—	7.36	0.75	—	5.69	—	0.42	—	0.60	—	—
4.	ए. जी. ऐ. के	—	—	—	—	1.56	1.26	—	0 25	—	—	1.33	1 33
5.	जे. आर. वाई/80% ग्राम पंचायत रोसिया	17.39	14.49	23.45	20.91	15.52	16.17	26.41	32.86	23.53	26.75	42.61	37.50
6.	जे. आर. वाई 20%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.23	2.35
7.	जे. आर. II	—	—	—	—	—	—	—	—	11.78	4.60	65.44	53.67
8.	अकाल राहत	—	—	0.70	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.23	1.50
10.	आश्वासित रोजगार योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	31-55	15.47	42.56	34.09	36.96	42.96	43.65	48.04	54.91	50.93	120.84	108.97

पंचायत समिति नादौती के वर्ष 1990-91 से 1994-1995 तक विकास कार्यों पर आय व्यय की वर्षवार स्थिति

योग मद वाइज क्र. सं.	मद	1990--91		1991--92		1993--94		1993--94		1994--95	
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
1.	जवाहर रोजगार योजना	1433219	1297756	1139552	997208	1505032	1389075	1607215	1875124	2344005	2400000
2.	जवाहर रोजगार योजना द्वितीय धारा	—	—	—	—	—	—	4,40,000	192800	100,000	301196
3.	सूखा संभावित क्षेत्र प्रोग्राम (डी. पी. ए. पी.)	2,42,000	45,947	83,621	1,88,890	7500	3799	75,000	1992	—	79,000
4.	आश्वासित रोजगार योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	2865000	2620710
5.	सांसद क्षेत्र विकास योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	255,000	—
	योग	16,76,219	13,43703	12,22552	1186,098	15,12,532	1392874	21,22215	2069916	5564905	5400906

287

पंचायत समिति नादौती (सवाई माधोपुर)

गबन प्रकरणों की सूचना

क्र. सं.	गबनकर्ता का नाम	विवरण	राशि
1.	श्री सत्यनारायण स्वामी, व. लि. 1961–62	कैशियर के पद पर रहते हुए	454/–
2.	श्री मनोहरलाल फील्ड मैन 62–63	कृषकों से प्राप्त खाद की राशि को जमा नहीं करना	161/–
3.	श्री सत्यनारायण शर्मा, का. स.	पोस्टेज रजिस्टर में जमा नहीं कर एवं हेराफेरी करके बाबत	123=45
			738=45

पंचायत समिति टोडाभीम में सरपंचों पर गबन एवं आडिट के आधार पर बकाया की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच/प्रशासक का नाम	आडिट पैरा संख्या	राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6.
1.	करनोली	श्री किरोड़ीलाल पूर्व सरपंच पूर्व सरपंच	5/86–87 से 90–91	3086.50	वसूली कार्यवाही जारी है
			15(क) ,, ,,	10.00	
			15(ग) ,, ,,	00.50	
				3097.00	
2.	कमालपुरा	श्री रामसहाय, पूर्व सरपंच	5/85–86 से 90–91	150.00	रु. 290/– जमा हो चुके हैं
			6/ ,, ,,	10.00	
			7/ ,, ,,	40.00	
				290.00	
3.	किरवाड़ा	श्री रामचरण पूर्व सरपंच	86/87 से 90–91	78000.00	
			,, ,,	21723.00	वसूली की कार्यवाही जारी है
4.	महनन्दपुर	श्री तेजसिह पूर्व सरपंच	2/90–91	13343.91	,, ,,
5.	लपावली	श्री हरगून सिंह पूर्व सरपंच	4/86–87 से 88–89	680.00	रु. 737.00 जमा हो चुके हैं
			6/ ,, ,,	30.00	
			,, ,,	28.00	
				738.00	

(284)

1	2	3	4	5	6
6.	कुढावत	श्री रामखिलाड़ी पूर्व सरपंच	5/91-92 से 92-93	45712.00	एफ.ग्राई.ग्रार. दर्ज कराई जा चुकी है।
7.	रानौली	श्री रामरतन, पूर्व सरपंच	5/86-87 से 90-91	294.00	वसूली की कार्यवाही जारी है
			6/ " "	4.00	
			9/ " "	400.00	
				698.00	
8.	खोहरा	श्री मूलचन्द मीना पूर्व सरपंच	81-82 से 87-88	37308.50	एफ.ग्राई.ग्रार. दर्ज
9.	शतराखर	श्री मूलाराम "	80-81 से 82-93	1545.00	वसूली की कार्यवाही जारी है
10.	गोंरडा	श्री रामघन मीना "	8,9/88-89 से 91-92	599.76	"
			9/ " "	100.00	
				699.76	
11.	शेखपुरा	श्री बृजवासी "	12/90-91	44933.00	"
12.	बालघाट	श्री राजकुमार सिंह "	7/92-93	73340.93	एफ.ग्राई.आर दर्ज
13.	मातासूला	श्री खिलाड़ी "	90-91	40.00	वसूली की कार्यवाही जा रही है
14.	माडीमां	श्री रामेश्वर "	4/5/24/85-86 से 90-91	14909.23	एफ.ग्राई.ग्रार. दर्ज
15.	मजेडा	श्री राजूलाल मीना "	9/91-92	57.00	वसूली की कार्यवाही जारी है।
16.	जगदीशपुरा	श्री रामकिशन सिंह पूर्व प्रशासक	4/92-93	8000.00	"

1	2	3	4	5	6
17.	तिघरिया	श्री नैनसुख, पूर्व सरपंच,	6-91-92	29571.02	एफ. आई. आर. दर्ज
18.	कटारा अजीज	श्री धर्मसिंह पूर्व सरपंच,	4-92-92	360.00	वसूली की कार्यवाही जारी है।
		श्री राम सिंह	,,	1.00	
				361.00	
19.	पाडला खाकसा	श्री राजेन्द्र सिंह पूर्व सरपंच	4-86-87 से 90-91	31072.67	सम्बन्धित सरपंच मर चुका है।
20.	जौंल	श्री रामप्रसाद मीना ,,	86-87 से 90-91	150.80	राशि पंचायत कोष में जमा हो चुकी है।
		श्री गिर्राज सिंह ,,		10.00	,, ,, ,, ,,
21.	मूंडिया	श्री राधेश्याम ,,	3-86-87 से 90-91	19699.37	एफ. आई. आर. दर्ज
			2-3-4 ,, ,,	8070.00	
22.	घवान	श्री किरोड़ीलाल पूर्व सरपंच	13-85-86 से 90-91	128.35	वसूली की कार्यवाही जारी है।
				204.65	
			17-90-91	286.00	
			18/ ,,	44.00	
			20/ ,,	67.50	
		श्री रामस्वरूप मीना ,,	13-81-82 से 84-85 4-61		
				730.50	

291

292

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 238 की सूचियां

परिशिष्ट—1

अलवर से मुबारिकपुर मार्ग के बीच संचालित निगम वाहनों की समय सारिणी

अलवर	मुबारिकपुर		मुबारिकपुर	अलवर
830	1000		730	900
1030	1200	रघुनाथगढ़ से	845	1015
1145	1315	निकच से	915	1045
1315	1445		1045	1215
1430	1600		1230	1400
1600	1745	नीकच	1345	1515
1715	1845		1515	1645
1815	1945		1630	1800

परिशिष्ट–2

अलवर से गोविन्दगढ़ मार्ग के बीच संचालित निगम वाहनों की समय सारिणी

अलवर	गोविन्दगढ़			गोविन्दगढ़	अलवर
0800	0930			0630	0800
1000	1145	सीकर तक	सीकर से	0830	1000
1300	1445	सीकरी तक		0945	1115
1545	1730		सीकरी से	1330	1500
1700	1830			1430	1600
1800	1930		सीकरी से	1600	1730
1900	2030			1630	1800
				1730	1900

परिशिष्ट 17

अधिसूचनाएं

(श्री नाथूसिंह, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा प्रस्तुत अधिसूचनाएं)

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) आर. डी. पी./एल. एण्ड जे./94/3192 दिनांक 2-9-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचयती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किये गये हैं;

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) आर. डी. पी./एल. एण्ड जे/94/3194 दिनांक 2-9-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अन्तर्गत कतिपय अधिकारियों को उनके अधिकारिता क्षेत्र में शक्तियों का प्रदाय किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (12) ग्राम. वि. प./विधि/94/4288 दिनांक 15-11-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किये गये हैं;

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (17) ग्रा. वि. प./विधि/94/4493 दिनांक 22-11-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किये गये हैं;

(5), अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) ग्रा. वि. प./विधि/94/5832 दिनांक 12-12-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अन्तर्गत कतिपय धाराओं के उपबन्धों के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (7) आर. डी. पी. आर./विधि/94/5834 दिनांक 12-12-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्धों के अधीन कतिपय धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की रीति विहित की गई है;

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (13) ग्रा. वि. प./विधि/94/5833 दिनांक 12-12-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किये गये हैं;

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4 ( ) आर. डी. पी./एल एण्ड जे/94/6035

दिनांक 25-12-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किये गये हैं;

(9) शुद्धि पत्र संख्या एफ. 4 (8) ग्रा. वि. प./विधि/94/6078 दिनांक 29-12-94 जिसके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-12-94 में शुद्धि की गई है;

(10) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) ग्रा. वि. प./विधि/94/6085 दिनांक 30-12-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किये गये हैं;

(11) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) ग्रा. वि. प./विधि/95/95 दिनांक 9-1-95 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अन्तर्गत प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान तथा उप प्रधान के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवटन किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या एफ. 4 ( ) ग्रा. वि. पं./विधि/95/362 दिनांक 24-1-95 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किये गये हैं;

(13) अधिसूचना संख्या एफ. 4 ( ) ग्रा. वि. पं./विधि/95/366 दिनांक 24-1-95 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किये गये हैं;

(14) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) ग्रा. वि. पं./विधि/95/910 दिनांक 10-2-95 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किये गये हैं।

(15) अधिसूचना संख्या एफ 4 (8) ग्रा. वि. पं./विधि/95/754 दिनांक 23-2-95 जिसके द्वारा पंचायत समितियों के निर्वाचित प्रधानों के नाम अधिसूचित किये गये हैं।

(16) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (9) ग्रा. वि. पं./विधि/94/2937 दिनांक 22-8-94 जिसके द्वारा जिला परिषद् हनुमानगढ़ एवं गंगानगर का गठन तथा इनके क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाली पंचायत समितियों का नामोल्लेख किया गया है;

(17) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (9) ग्रा. वि. पं./विधि/94/2936 दिनांक 22-8-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले में आने वाले खण्ड एवं उनकी प्रसीमायें विनिर्दिष्ट की गई हैं;

(18) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (9) ग्रा. वि. पं./विधि/94/2935 दिनांक 22-8-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत गंगानगर जिले में आने वाले खण्ड एवं उनकी प्रसीमायें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(19) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (9) ग्रा. वि. पं./विधि/94/3049 दिनांक 27-8-94 जिसके द्वारा हनुमानगढ़ जिला परिषद् के लिए जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को प्रशासक नियुक्त किया गया;

(20) अधिसूचना संख्या एफ. 15 ( ) ग्रा. वि. पं./विधि/94/2860 दिनांक 17-8-94 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत कतिपय ग्रामदानी गांवों को ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर नई पंचायतें गठित की गई हैं;

(21) शुद्धि पत्र संख्या एफ. 15 ( ) ग्रा. वि. पं./विधि/94/336/65, 3366/70, 3371-75, 3391-96, 3381-85, 3376-80, 3386-90 जिसके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-9-92, जो राजस्थान राजपत्र के असाधारण भाग 6(ग) में दिनांक 11-9-92 में प्रकाशित हुई है, शुद्धि की गई है;

(22) शुद्धि पत्र संख्या एफ. 15( ) ग्रा. वि. पं./विधि/94/3360 जिसके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समसंख्यक अधिसूचनायें दिनांक 17-8-92, 11-1-93 और 10-9-92 में शुद्धि की गई है;

(23) अधिसूचना संख्या एफ 15 (12) ग्रा. वि. पं./विधि/85/4477-83 दिनांक 22-11-94 जिसके द्वारा जिला बीकानेर की कतिपय ग्राम पंचयतों को विलोपित किया जाकर नगर परिषद्, बीकानेर में सम्मिलित किया गया है;

(24) शुद्धि पत्र संख्या एफ. 15 (3) विधि/ग्रा. वि. पं./94/5999 दिनांक 22-12-94, शुद्धि पत्र संख्या एफ. 15 ( ) ग्रा. वि. पं./विधि/94/50 दिनांक 3-1-95, शुद्धि पत्र संख्या एफ. 4 (8) ग्रा. वि. पं./विधि/94/6078 दिनांक 29-12-94 जिनके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाओं क्रमश: दिनांक 10-9-92 व दिनांक 10-9-92 तथा अधिसूचना दिनांक 25-12-94 में शुद्धि की गई है;

(25) शुद्धि पत्र संख्या एफ. 15 ( ) ग्रा. वि. प./विधि/94/50 दिनांक 3 जनवरी, 1995 जिसके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-9-92 में शुद्धि की गई है;

(26) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) ग्रा. वि. पं./विधि/95/656 दिनांक 17-2-95 जिसके द्वारा विभिन्न जिला परिषदों के निर्वाचित प्रमुखों के नाम अधिसूचित किये गये हैं।

शुद्धि-पत्र

सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
	5	1	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर
2.	38	13	श्री शिवनार्थ ह	श्री शिवनाथ सिंह
3.	149	8	श्री भैरोंि ह शेखावत	श्री भैरोंसिंह शेखावत
4.	232	4	श्री परसराम मदेला नेता प्रतिपक्ष)	श्री परसराम मदेरणा (नेता पतिपक्ष)
5.	259	22	क्षी	श्री
6.	284	26	वियियोग	विनियोग